त्रयोदश माला, खंड 2, अंक 7

मंगलवार, 7 दिसम्बर, 1999
16 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 2...60
Date 4/2/2001

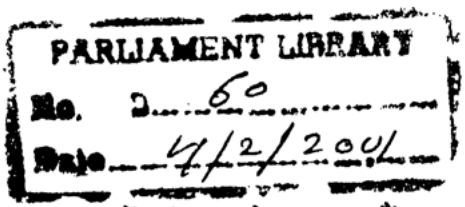

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 1999/1921 (शक)

अंक 7, मंगलवार, 7 दिसम्बर, 1999/16 अग्रहायण, 1921 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 140	5-31
अतारांकित प्रश्न संख्या 1193 से 1415	31-331
सभा पटल पर रखे गए पत्र	334-343
नियम 377 के अधीन मामले	344-347
(एक) जयपुर में पेयजल की विकट समस्या के समाधान हेतु राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	344-345
(दो) बिहार के औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती श्यामा सिंह	345
(तीन) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ऋण सीमा को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपए किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामसागर रावत	345-346
(चार) बिहार में मुंगेर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	346
(पांच) उत्तर प्रदेश में घोसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में मऊ रेलवे जंक्शन पर एक अधोगामी सेतु का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री बालकृष्ण चौहान	346-347
खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक	347-375
विचार करने के लिए प्रस्ताव	347-348
श्री के.पी. सिंह देव	347-353
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	353-355
श्री विकास चौधरी	355-358
श्री त्रिलोचन कानूनगो	358-361

विषय	कॉलम
श्री टी.एम. सेल्वागनपति	361-370
श्री पी.एस. गढ़वी	371-372
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	372-374
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	374-375
नियम 193 के अधीन चर्चा	375-391
देश के विभिन्न भागों में किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं	
श्री राम नगीना मिश्र	375-382
श्री राजेश पायलट	383-389
श्री प्रभुनाथ सिंह	390-391
विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित अयोध्या मामले के बारे में	392-424
श्री मुलायम सिंह यादव	392-397
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	397-401
श्री सोमनाथ चटर्जी	401-404
श्री राशिद अल्वी	404-405
श्री इन्द्रजीत गुप्त	405-408
डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा	408-411
श्री के. येरननायडू	412
श्री प्रभुनाथ सिंह	412-413
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	413-414
श्री जी.एम. बनातवाला	414
श्री पी.एच. पांडियन	415-419
श्री अनंत गंगाराम गीते	419-421
कुमारी उमा भारती	421-422
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	422-423
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	423-424
कार्य मंत्रणा समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	424

लोक सभा

मंगलवार, 7 दिसम्बर, 1999/16 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न काल के बाद बोलने की अनुमति दूंगा।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के चार-चार मंत्री बाबरी मस्जिद गिराने के दोषी पाये गये हैं। .....*(व्यवधान)* इस विषय पर सदन में चर्चा करायी जाए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि प्रश्न काल के बाद आप सभी लोगों को बोलने की अनुमति दूंगा।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष जी, ये लोग बाबरी मस्जिद तोड़ने के मुजरिम हैं।.....*(व्यवधान)* यह सरकार अभी तक कैसे चल रही है। इन मंत्रियों को सरकार से हटाया जाए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 121, श्री रामशेठ ठाकुर।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल भी सभा में कोई कार्य नहीं हो पाया। कृपया समझने की कोशिश कीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं प्रश्नकाल के बाद आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष जी, बाबरी मस्जिद का ताला स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुलवाया।.....*(व्यवधान)* बाबरी मस्जिद तुड़वाने की दोषी कांग्रेस पार्टी है, इनके समय में बाबरी मस्जिद टूटी।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पर चर्चा के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी नहीं जाएगा। प्रश्न संख्या 121, श्री ए. वेंकटेश नायक।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, मैं आपको 'शून्यकाल' में बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कल भी सभा में कोई कार्य नहीं हो पाया। कृपया इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको प्रश्न काल के बाद बोलने की अनुमति दूंगा।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिए। आप इन मुद्दों को 'शून्यकाल' के दौरान उठा सकते हैं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको 'शून्यकाल' के दौरान इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दूंगा। कृपया यह समझने की कोशिश कीजिए कि सभा में कल भी कोई कार्य नहीं हो पाया।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप 'शून्यकाल' के दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं। प्रश्नकाल की कार्यवाही चलने दें।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी नहीं जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

इस समय श्री देवेन्द्र सिंह यादव, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यह अच्छी बात नहीं है। आप प्रश्न काल के दौरान कैसे व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के बीचों-बीच आकर खड़े होने वाले सभी सदस्यों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करूंगा।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग प्रतिदिन आकर सभा के बीचों-बीच खड़े हो जाते हैं। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी लोगों से अपने-अपने स्थान पर वापस जाने की अपील करता हूँ। माननीय सदस्यगण कृपया यह समझने की कोशिश कीजिए कि सभा में जो कुछ हो रहा है उसे पूरा देश देख रहा है। मैं आप लोगों को यह सब करने की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइए और उसके बाद इन मुद्दों को उठाइए। कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जाइए।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

इस समय श्री देवेन्द्र सिंह यादव, श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गए

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को शून्यकाल के दौरान उठा सकते हैं। मैं इस मामले को शून्यकाल के दौरान उठाने की अनुमति दूंगा। कृपया इस बात को समझने की कोशिश कीजिए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, मैं आपको प्रश्न काल के दौरान बोलने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? मैं आपको केवल शून्यकाल के दौरान ही बोलने की अनुमति दे सकता हूँ।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, हमें दो मिनट का समय दीजिये।.....*(व्यवधान)* ये दोनों जिम्मेदार हैं। बाबरी मस्जिद गिराने की जिम्मेदारी इनकी है।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, जीरो आवर में अलाऊ करेंगे।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको 'शून्यकाल' के दौरान बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया इस बात को समझिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब प्रश्न संख्या 121, श्री रामशेठ ठाकुर।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सोनिया गांधी, मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूँ न कि आपकी पार्टी के सदस्यों को। आपको क्या कहना है?

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*.....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*.....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम कल भी सभा में कोई कार्य नहीं कर सके। कृपया समझने की कोशिश कीजिए कि हमें आज कुछ महत्वपूर्ण कार्यवाही पूरी करनी है।

.....(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नितला, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया मेरी बात को समझिए। श्री रमेश चेन्नितला, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.16 बजे

इस समय कुंवर सर्वराज सिंह तथा श्री रामसागर आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जनजातीय विकास के लिए सहायता

*121. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों की जनजातीय विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को दी गई ऐसी सहायता की राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारों ने इस धन का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार जनजातीय विकास के लिए दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेष सहायता राशि सीधे क्रियान्वयन-अभिकरणों के बैंक खातों के माध्यम से देने का है;

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(छ) ऐसी निधि के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। भारत सरकार इस तथ्य से अवगत है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आदिवासी उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का ठीक प्रकार उपयोग नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट कारपोरेट कन्सल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर तथा एक्सन रिसर्च ग्रुप, नई दिल्ली जैसे गैर-सरकारी अनुसंधान संगठनों को आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा तमिलनाडु राज्य सरकारों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग के तरीके का मूल्यांकन करने के लिए लगाया था। इन अनुसंधान संगठनों ने यह पाया है कि जिस उद्देश्य के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई थी उसके प्रतिकूल विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग में अंतर रहा है। सरकार इसमें आमूल परिवर्तन करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग के तरीकों की समीक्षा करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र ने अभी तक यह सूचित नहीं किया है कि उन्हें निर्मुक्त राशि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है।

(ङ) भारत सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, जो उचित होगा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत आदिवासी उप योजना के लिए निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	2287.52	2581.54	2728.47
2.	असम	1524.71	1460.00	2069.56
3.	बिहार	3364.00	-	0.00
4.	गुजरात	2642.95	2632.77	3689.70
5.	हिमाचल प्रदेश	622.44	521.89	689.44
6.	जम्मू व कश्मीर	681.54	521.80	739.22
7.	कर्नाटक	569.50	500.00	686.64
8.	केरल	153.71	196.12	408.17
9.	मध्य प्रदेश	7695.71	9207.83	9476.17

1	2	3	4	5
10.	महाराष्ट्र	3160.78	3400.89	3532.21
11.	मणिपुर	653.22	950.00	779.52
12.	उड़ीसा	4411.44	5576.27	5911.86
13.	राजस्थान	2467.32	2341.13	3475.72
14.	सिक्किम	138.41	60.00	60.00
15.	तमिलनाडु	238.81	243.71	295.91
16.	त्रिपुरा	594.48	885.00	977.77
17.	उत्तर प्रदेश	90.39	112.91	57.54
18.	पश्चिम बंगाल	1558.07	1600.39	2222.10
19.	अंडमान निकोबार	95.18	118.00	133.90
20.	दमन व दीव	49.82	50.75	66.10
	कुल	33000.00	32961.00	38000.00

नोट : उपर्युक्त निर्मुक्ति में राज्य सरकारों को उनके प्रस्तावों के मुकाबले दी गई अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता शामिल है।

उर्दू समाचार पत्र

*122. **श्री जी.एम. बनातवाला** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्र पंजीयक के पास पंजीकृत उर्दू समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने पत्र-पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन दिए गए;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उर्दू समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान विज्ञापनों की कुल धनराशि के मुकाबले उर्दू समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को दिए गए सरकारी विज्ञापनों की धनराशि का प्रतिशत कितना था;

(ङ) उर्दू समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विकास करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) उर्दू समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नामों के पंजीकरण हेतु कितने आवेदन समाचार पत्र पंजीयक के पास लम्बित पड़े हुए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत उर्दू समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की संख्या 2767 है जो कुल पंजीकृत समाचारपत्रों का 6.24 प्रतिशत है।

(ख) उपरोक्त में से, 555 समाचारपत्र/पत्रिकाएं 1998-99 में सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए पात्र थे और उन सभी को वर्ष के दौरान विज्ञापन जारी किए गए थे।

(ग) और (घ) ब्यौरा निम्नलिखित है :

वर्ष	राशि	प्रतिशत हिस्सा
1996-97	1,64,55,685 रुपये	4.21%
1997-98	2,31,11,048 रुपये	4.54%
1998-99	2,37,90,491 रुपये	3.66%

(ङ) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) पत्र सूचना कार्यालय उर्दू में प्रेस विज्ञप्ति, लेखाचित्र और फीचर तैयार करता है जिनका उर्दू समाचारपत्रों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। विगत 11 महीनों में पत्र सूचना कार्यालय ने 205 फीचर और 3658 उर्दू विज्ञप्तियां जारी की हैं।

(2) 6 वर्ष पहले वर्ष 1993 में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा उर्दू अखबारों के लिए, एक नई फीचर सेवा शुरू की थी।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 1991 में यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया को विशेष उर्दू समाचार सेवा शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। यह सेवा आज भी जारी है।

(4) उर्दू अखबारों के सम्पादक और संवाददाताओं को प्रत्यायन सुविधा दे दी गयी है। उर्दू अखबारों के प्रतिनिधियों को देश में अन्दर और विदेश दोनों में, पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित प्रेस पार्टियों में शामिल किया गया है।

(5) पत्र सूचना कार्यालय ने 1997-98 के दौरान उर्दू पत्रकारों के तीन साफ्टवेयर कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं।

(च) अक्तूबर एवं नवम्बर, 99 के दौरान पंजीकरण के लिए प्राप्त चार प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं। 368 अन्य मामलों में, अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे और आवेदकों से उक्त दस्तावेज भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

अनुसंधान और विकास कार्य

*123. **श्री अजित सिंह** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने अनुसंधान और विकास कार्य पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत व्यय किया है;

(ख) क्या कुछ संगठनों और वैज्ञानिकों ने इस कार्य पर बहुत कम धनराशि खर्च किये जाने के संबंध में अपना विरोध प्रकट किया है और इसके लिए धनराशि बढ़ाने की मांग की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) प्रकाशित आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए भारत में अनुसंधान तथा विकास पर व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 0.7 प्रतिशत के करीब है जिसका लगभग 80 प्रतिशत सरकारी व्यय है इन आंकड़ों में व्यावसायिक घरानों तथा कंपनियों सहित उन विभिन्न स्रोतों को शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र

*124. **श्री जी. गंगा रेड्डी**
श्री एन.आर.के. रेड्डी :

क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यास विलेख में परिवर्तन करने पर, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान अध्यक्ष को आजीवन अध्यक्ष बना दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आई.जी.एन.सी.ए.) को नियंत्रित करने वाले न्यास के विरुद्ध कार्रवाई करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संस्थान में बिना गैर-सरकारी हस्तक्षेप के सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के न्यास विलेख में दिनांक 18 मई, 1995 को न्यासियों द्वारा कतिपय संशोधन किए गए थे। इन संशोधनों को चुनौती देते हुए एक जनहित मुकद्मा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 23 सितम्बर, 1999 को याचिका स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि यह सरकार की इच्छा पर होगा कि वह ऐसी कार्रवाई कर सकती है जिससे वह उचित समझती है बशर्ते कि वह कानूनन अनुमत्य हो। मामले की सुनवाई दिनांक 10.1.2000 को होगी।

उपर उल्लिखित मामले में, भारत के विद्वान महान्यायवादी की सलाह पर भारत सरकार ने यह रुख अपनाया है कि न्यास विलेख में किए गए तात्पर्यित संशोधनों का कोई अस्तित्व नहीं है और न्यासियों को असंशोधित प्रावधानों के अनुसार कार्य करना चाहिए तथा उनके द्वारा ऐसा न करना विश्वास भंग माना जाएगा। सरकार ने इस कानूनी स्थिति को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के भी ध्यान में ला दिया है।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित कानूनी उपाय करेगी कि न्यास के अन्तर्गत दायित्वों का निर्वहन न्यास विलेख के असंशोधित प्रावधानों के अनुरूप किया जा सके।

दोपहर का भोजन कार्यक्रम

*125. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी** :
श्री विक्रास मुत्तेमवार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों को सभी विद्यालयों में दोपहर के भोजन के लिए प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये और गेहूं उपलब्ध कराती है;

(ख) क्या यह योजना सभी राज्यों में क्रियान्वित की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह बात ध्यान में लाई गई है कि कई राज्य निगम के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस योजना को क्रियान्वित करने में असफल रहे हैं; और

(च) इस बारे में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (च) प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) के अन्तर्गत सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा में अध्ययन करने वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। यह मंत्रालय भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देय दर पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्कूलों/गांवों तक खाद्यान्न की परिवहन लागत की भी प्रतिपूर्ति करता है। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1998-99 में 1600.15 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। खाद्यान्न को पके-पकाए भोजन के रूप में तब्दील करने/खाने योग्य खाद्य पदार्थ तैयार करने की लागत संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वहन की जाती है।

कार्यान्वयन एजेंसियां पका-पकाया भोजन/खाने योग्य खाद्य पदार्थ अथवा खाद्यान्न प्रदान करती है। कैलेरोफिक मान का पका-पकाया गरम भोजन/खाने योग्य भोजन 100 ग्राम गेहूं/चावल के बराबर दिया जाता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जहां पका-पकाया भोजन देने की व्यवस्था नहीं की जा सकी है, वहां प्रत्येक बच्चे को प्रतिमाह 3 कि.ग्रा. की दर से खाद्यान्न वितरित किया जाता है।

यह योजना लक्षद्वीप जो अपनी योजना संचालित करता है, को छोड़कर देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह योजना दिल्ली नगर निगम, ग्रेटर मुम्बई नगर निगम तथा कलकत्ता नगर निगम द्वारा संचालित स्कूलों में

आंशिक रूप से लागू की जा रही है अथवा लागू नहीं की जा रही है। केन्द्र सरकार ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे इस योजना को नगर निगम स्कूलों सहित सभी पात्र स्कूलों में लागू करें और उपयोग रिपोर्ट भेजें।

निरक्षरता

*126. श्री चन्द्रकान्त खैरे :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निरक्षरों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर अंकुश लगाने तथा साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) देश में शिक्षा के प्रसार के लिए इस समय कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की योजनाओं के माध्यम से प्रौढ़ों में व्याप्त निरक्षरता के उन्मूलन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रमों के द्वारा भी निरक्षरता उन्मूलन तथा शिक्षा के प्रसार का कार्य किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन कार्यक्रमों में अश्लीलता

*127. डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा :
डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली विभिन्न फिल्मों और धारावाहिकों में दिखाई जाने वाली अश्लीलता, अपराध और हिंसा का दर्शकों, विशेषकर बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हाँ, तो दूरदर्शन पर ऐसे कार्यक्रमों में हिंसक और भद्दे दृश्यों के प्रस्तुतीकरण पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हाँ।

(ख) दूरदर्शन की कार्यक्रम संहिता में इस प्रकार के चित्रण को रोकने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं। कार्यक्रमों को देश में ही अपलिंक करने वाले निजी चैनलों द्वारा भी उक्त संहिता का पालन किया जाना अपेक्षित है। विदेशी उपग्रह चैनलों द्वारा देश से बाहर से अपलिंक किए जाने वाले कार्यक्रमों पर भारतीय कानून लागू नहीं होते परन्तु केबल नेटवर्क के माध्यम से उनके वितरण पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 लागू होता है जिसके अनुसार प्रच्छन्न चैनलों के कार्यक्रमों को उत्तम कार्यक्रम संहिता का पालन करना होता है जिसका उद्देश्य भी इस प्रकार के चित्रण को रोकना है।

जहां तक फिल्मों का संबंध है, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने से पहले उनमें अश्लीलता, अपराध एवं हिंसा को रोकने की ओर पूरा ध्यान देता है और यह सुनिश्चित करता है कि फिल्मी माध्यम कलात्मक अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मक स्वतंत्रता पर नाजायज पाबंदी लगाए बिना सामाजिक मूल्यों तथा मानकों के प्रति जिम्मेवार एवं संवेदनशील बना रहे।

[अनुवाद]

एड्स के मामलों में वृद्धि

*128. श्री अधीर चौधरी :
श्री टी.एम. सेल्वागनपति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में एड्स के उन्मूलन हेतु विदेशी एजेंसियों से प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष एड्स की रोक-थाम हेतु व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके अब तक क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या एड्स पीड़ितों को चिकित्सालयों में उचित उपचार नहीं मिल रहा है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार ऐसे रोगियों के लिए चिकित्सालयों में विशेष वार्ड बनाने का है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का एड्स के उपचार के लिए पृथक अस्पताल खोलने के लिए राज्यों को सहायता देने का विचार है;

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के

कार्यान्वयन के लिए संघ सरकार द्वारा प्राप्त की गई सहायता इस प्रकार है :

1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना के प्रथम चरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से 84 मिलियन अमेरिकी डालर (1992-1997)

2. तमिलनाडु राज्य में सात वर्षों (1995-2002) के लिए एड्स निवारण और नियंत्रण परियोजना हेतु संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (यू.एस.एड्स) से 10 मिलियन अमेरिकी डालर।

3. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना (1999-2004) के द्वितीय चरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से 191 मिलियन अमेरिकी डालर।

4. महाराष्ट्र राज्य में एवर्ट (ए.वी.ई.आर.टी.) परियोजना के लिए कार्यान्वयन हेतु यू.एस.एड्स से 41.5 मिलियन अमेरिकी डालर (1999-2006)

5. आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और उड़ीसा राज्यों में कार्यान्वित किए जाने वाले यौन-स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग यू.के. से 28.08 मिलियन पौंड (1999-2004)

पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया खर्च इस प्रकार है :

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1996-97	114.41
1997-98	123.01
1998-99	128.00

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एड्स नियंत्रण सोसायटियों की स्थापना।
- 815 रक्त बैंकों, 154 क्षेत्रीय रक्त जांच केन्द्रों, 40 रक्त घटक पृथक्करण यूनिटों का आधुनिकीकरण।
- सभी रक्त बैंकों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य करना, एच. आई.वी., हेपाटाइटिस "बी", सिफलिस और मलेरिया के लिए रक्त की जांच अनिवार्य करना और व्यावसायिक रक्तदान पर रोक लगाना।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 135 रक्त जांच केन्द्रों तथा 9 संदर्भ (रेफरेंस) प्रयोगशालाओं की स्थापना।
- संपूर्ण देश में 180 प्रहरी निगरानी स्थलों की स्थापना।
- यौन-संचारित रोगों के लिए 504 क्लिनिकों को सुदृढ़ करना।
- इलैक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया एवं क्षेत्र प्रचार के जरिए देश भर में जागरूकता के स्तर में वृद्धि।
- स्कूल और कॉलेज शिक्षा कार्यक्रम।
- चिकित्सा एवं पराचिकित्सा कार्यकर्ताओं के लिए गहन प्रशिक्षण।
- जागरूकता पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों का वित्त पोषण किया गया है।
- यौन कार्यकर्ताओं, ट्रक ड्राइवरों और सुई द्वारा नशीले पदार्थ लेने वालों के बीच उपचार परियोजनाएं चलाना।

(घ) से (च) जी, नहीं । एच.आई.वी. और एड्स से पीड़ित व्यक्ति मौजूदा अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों से उपचार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे रोगियों के लिए विशेष वार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह सांसर्गिक रोग नहीं हैं । इसके अलावा, विशेष वार्डों की स्थापना अस्पतालों में इलाज कराने वाले एच.आई.वी./एड्स रोगियों को कलंकित कर देगी और उनसे भेदभाव होने लगेगा।

(छ) से (झ) जी, नहीं। ऊपर बताए गए कारणों के मद्देनजर एच. आई.वी./एड्स रोगियों के इलाज के लिए अलग से अस्पतालों की स्थापना करने हेतु राज्यों को सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। तथापि, अवसरवादी (ऑपर्टयूनिस्टिक) संक्रमणों, जोकि एच.आई.वी. संक्रमण/एड्स के दौरान होते हैं, के उपचार प्रबंधन हेतु राज्य सरकारों को पर्याप्त निधियां उपलब्ध करा दी गई हैं।

छात्रों का बीच में ही पढ़ाई छोड़ना

*129. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री राम शकल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय स्तर पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्र और छात्राओं विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लड़के और लड़कियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) बच्चों की विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की स्कूली शिक्षा पूरी कराने हेतु सुविधा प्रदान करने और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने बच्चों विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की स्कूल की शिक्षा पूरी करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें शिक्षा के लिए नजदीक में स्कूल का उपलब्ध होना, स्कूल की मूलभूत सुविधाओं में सुधार करना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफार्म, उपस्थिति छात्रवृत्ति जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को कारगर बनाना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय तथा छात्रावास उपलब्ध करवाना आदि शामिल है।

मद्य निषेध संबंधी राष्ट्रीय नीति

*130. श्री अशोक ना. मोडोल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा मद्य निषेध पर कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है/तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई आपत्तियां प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य देश में मद्यनिषेध लागू करने के प्रयास करेगा। तथापि, चूंकि नशीले द्रव पदार्थों का उत्पादन, विनिर्माण, स्वामित्व, परिवहन, क्रय एंव विक्रय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 8 के अंतर्गत आता है, इसलिए, मद्यनिषेध के कार्यान्वियन के लिए उपयुक्त उपाय करना राज्य सरकारों का काम है। भारत सरकार राज्यों को मद्यनिषेध लागू करने के लिए उपाय करने हेतु राजी करने, जनसमुदाय में जागरूकता सृजित करने तथा शराबियों के पुनर्वास सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। इस सम्बन्ध में 1975 में एक 12 सूत्री न्यूनतम कार्यक्रम की घोषणा की गई और इसके बाद देश में पूर्ण मद्य निषेध का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तत्काल एवं प्रभावी उपाय करने हेतु राज्य सरकारों को 1978 में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवाएं) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सहायतानुदान सम्बन्धी योजना भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को जागरूकता सृजन, निवारक शिक्षा, नशामुक्ति और व्यसनियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1998-99 के अन्त में 339 गैर सरकारी संगठनों को देश भर में 193 परामर्श एवं जागरूकता केन्द्र तथा 229 उपचार और पुनर्वास केन्द्र संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

गंदी बस्तियों के निवासी

*131. श्री रामसागर रावत : क्या शहरी विकास मंत्री उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में 26.2.1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 852 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंदी बस्तियों के निवासियों और शहरी गरीबों के पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गंदी बस्तियों के कितने निवासियों और कितने शहरी गरीबों का पुनर्वास किया गया है; और

(घ) दिल्ली को कब तक गंदी बस्तियों के निवासियों और शहरी गरीबों से मुक्त कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हाँ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम के स्लम और जे.जे. विभाग के माध्यम से सरकार ने तीन सूत्री नीति अपनाकर स्लम निवासियों के पुनर्वास पर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य निवारक उपायों जैसे भूस्वामी एजेंसियों द्वारा भू-संरक्षण के उपायों जैसे कुछ अन्य निवारक उपाय भी सुझाये गये हैं।

(ग) स्लम और जे.जे. विभाग (दिल्ली नगर निगम) ने सूचित किया है कि अक्तूबर, 1997 से नवम्बर, 1999 की अवधि के दौरान शहर के विभिन्न भागों से 7280 झुग्गी परिवारों का पुनर्वास किया गया है। इसके अतिरिक्त, उसी स्थान पर स्लम क्षेत्रों का उन्नयन करके 3216 झुग्गी परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है।

(घ) चूंकि स्लमों के बढ़ने के अनेक कारण हैं, जैसे कि लाभप्रद रोजगार आदि की तलाश में अन्य राज्यों से बड़ी मात्रा में लोगों का आना आदि, इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि दिल्ली को कब तक स्लमों तथा शहरी गरीबों से मुक्त कर दिया जाएगा।

पश्चिमी देशों के साथ समझौता

*132. श्री टी. गोविन्दन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के क्षेत्र में विभिन्न पश्चिमी देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत द्वारा पिछले वर्ष परमाणु विस्फोट किए जाने के कारण ऐसे समझौते को क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक कुल कितनी हानि हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय संचारों, गैर संचारी रोगों नामतः मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, एड्स, कैंसर आदि के नियंत्रण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए सुविधाओं के उन्नयन, आपूर्तियां और उपकरण जुटाने, स्वास्थ्य कार्मिकों के प्रशिक्षण, शिक्षा और संचार कार्यकलापों तथा अनुसंधान के लिए द्विपक्षी करारों और बहुपक्षी अभिकरणों से सहायता ली गई है। इस प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में भिन्न-भिन्न देशों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। अधिकांश करार 5-7 वर्षों की अवधि के लिए किए जाते हैं। देशों के अलावा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों जैसे विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यू.एस.एड, डेनिडा से भी स्वास्थ्य क्षेत्र में भिन्न-भिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विदेशी सहायता मांगने हेतु सम्पर्क किया जा रहा है।

जिन पश्चिमी देशों के साथ पिछले तीन वर्षों में स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनकी सूची अनुबंध-1 में दी गई है और स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए पश्चिमी देशों से द्विपक्षी सहायता का ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

अनुबन्ध - I

भारत सरकार और पश्चिमी देशों के बीच हस्ताक्षरित करारों का विवरण

देश का नाम	करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख	क्षेत्र जिसमें करार हस्ताक्षरित किया गया	सहायता की राशि
लक्षमबर्ग	15.4.1997	रक्त और रक्त उत्पादों के लिए कोल्ड चेन पद्धति	10 मिलियन अमेरिकी डालर
संयुक्त राज्य अमेरिका	27.11.1997	संक्रामक रोगों के घटित होने और पुनः घटित होने तथा रोग निगरानी के संबंध में भारत-संयुक्त राज्य सहयोग	
		महाराष्ट्र राज्य में एक परियोजना हेतु 41.5 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता के लिए संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ भी एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं	41.5 मिलियन अमेरिकी डालर

अनुबंध - II

स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए पश्चिमी देशों से द्विपक्षीय सहायता का विवरण (उपलब्ध सूचना के अनुसार)

दाता एजेंसी का नाम (द्विपक्षी दाता)	योजना का नाम	करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख	क्षेत्र जिसमें हस्ताक्षर किए गए	सहायता की रकम
1	2	3	4	5
1. डेनमार्क (डेनिडा)	1. प्रजनक और बाल स्वास्थ्य (आर.सी.एच.)	20.5.1996	प्रजनक और बाल स्वास्थ्य (आर.सी.एच.)	डी.के.के. 232.0 मिलियन
	2. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चरण-III मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा	16.11.1996	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	43.89 करोड़ रुपये (अनुदान)
	3. उड़ीसा संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	2.12.1996	क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	1.20 करोड़ रुपये (वितरित)
	4. क्षेत्रीय स्वास्थ्य परिचर्या, तमिलनाडु	24.12.1996	क्षेत्रीय स्वास्थ्य	6.08 करोड़ रुपये (वितरित)
	5. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण	21.5.1996	प्रतिरक्षण	134.95 करोड़ रुपये इस कार्यक्रम के अधीन चल रही कोल्ड फ्रीजर वैक्सीन/औषधें डेनिडा द्वारा सप्लाई की जाती हैं।

1	2	3	4	5
	6. बुनियादी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम	15.11.1999	परिवार कल्याण विभाग	49.51 करोड़ रुपये चल रहे परियोजना कार्यकलाप अभी शुरू किए जाने हैं।
2. स्वीडन	राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता	11.12.1998	राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति स्वच्छता कार्यक्रम	एस.ई.के. 48.5 मिलियन
3. नीदरलैंड	गुजरात स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना	27.11.1997	गुजरात स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना	एन.एल.जी. 39.826 मिलियन+ एन.एल.जी. 59.739 मिलियन का ऋण
4. यूरोपियन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2.9.1997	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र विकास कार्यक्रम	200.00 मिलियन यूरो
5. यू.के.	पोलियो उन्मूलन परियोजना	22.10.1996	पोलियो उन्मूलन परियोजना	47.5 मिलियन पौंड
	उड़ीसा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजना चरण-II	21.8.1997	उड़ीसा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजना चरण-II	1.74 मिलियन पौंड
	आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और उड़ीसा में यौन स्वास्थ्य के लिए सहभागिता	27.10.1999	आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और उड़ीसा में यौन स्वास्थ्य के लिए सहभागिता	18.94 मिलियन पौंड
6. फ्रांस	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के लिए चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति और कार्यान्वयन	25.1.1998	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के लिए चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति और कार्यान्वयन	एफ.एफ. 30 मिलियन
7. जर्मनी	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम	5.6.1997	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम	डी.एम. 50 मिलियन (अनुदान)
		16.11.1999	-तदैव- (चरण-II)	डी.एम. 15 मिलियन (अनुदान)
	बुनियादी स्वास्थ्य, पश्चिम बंगाल	22.6.1999	बुनियादी स्वास्थ्य	डी.एम. 60 मिलियन (अनुदान)

उर्वरक पर राजसहायता

*133. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरक पर राजसहायता के वर्तमान ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरक पर राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को उर्वरक पर राज्य-वार कितनी-कितनी राजसहायता राशि का आवंटन किया गया;

(घ) क्या उर्वरकों के लिए राजसहायता के मौजूदा ढांचे में परिवर्तन या संशोधन करने की कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश पी. प्रभु) : (क) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिस पर सांविधिक मूल्य, वितरण और संचलन नियंत्रण है। किसानों को वहनीय दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा निर्माताओं को निवेश पर उचित लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 1.11.1977 के सरकार के संकल्प के तहत लागू की गई प्रतिधारण मूल्य सह सबसिडी योजना के अधीन उत्पादन की लागत जमा कर पश्चात 12 प्रतिशत लाभ के अनुरूप निविल लागत पर लाभ तथा अधिसूचित बिक्री मूल्य के बीच अन्तर की अदायगी सबसिडी के रूप में की जाती है। वर्तमान में यूरिया का फार्मगेट मूल्य 4000/- रुपए प्रति मी० टन है जो पूरे देश में एक समान है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया पर अदा की गई सबसिडी की धनराशि से संबंधित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

अवधि	आयातित यूरिया पर सबसिडी	स्वदेशी यूरिया पर सबसिडी	कुल सबसिडी
1996-97	1163	4743	5606
1997-98	721.96	6600	7321.96
1998-99	124.22	7572.32	7696.54

(ग) स्वदेशी रूप से निर्मित यूरिया पर सबसिडी की अदायगी विभिन्न राज्यों में स्थित निर्माता एककों को की जाती है। तथापि, उर्वरक एककों की अवस्थिति के आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान अदा की गई राज्यवार सबसिडी के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) आर्थिक उदारीकरण तथा सुधारों की नीति के अनुसार यूरिया को छोड़कर अन्य सभी किस्मों के उर्वरकों को मूल्य, संचलन तथा वितरण नियंत्रण से पहले ही मुक्त कर दिया गया है। सरकार सभी तीनों किस्मों के उर्वरकों अर्थात, नाइट्रोजन, फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों में एक ओर इनकी वित्तीय क्षमता तथा दूसरी ओर किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए एक नियंत्रणमुक्त व्यवस्था की ओर बढ़ने का इरादा रखती है। उर्वरक क्षेत्र के लिए एक दीर्घावधि नीति बनकर सरकार के इरादे को एक ठोस कार्यवाही में बदलने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस समय प्रक्रियाधीन उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक नीति पुनरीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय शामिल हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान निर्माता एककों को अदा की गई सबसिडी के राज्यवार ब्यौरे

(रुपये करोड़)

क्रम सं॰	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
1.	आंध्र प्रदेश	490.41	518.61	437.68
2.	असम	20.29	14.42	11.31
3.	बिहार	108.07	100.64	104.27
4.	गोआ	104.37	215.96	207.46
5.	गुजरात	534.71	599.57	831.07
6.	हरियाणा	177.55	228.05	161.97
7.	कर्नाटक	102.30	154.57	185.00
8.	केरल	85.81	173.73	142.60
9.	महाराष्ट्र	263.06	319.74	413.90
10.	मध्य प्रदेश	186.54	362.25	372.44
11.	उड़ीसा	62.69	78.52	39.79
12.	पंजाब	267.12	483.34	332.01
13.	राजस्थान	450.75	636.02	660.14
14.	तमिलनाडु	287.13	434.52	587.49
15.	उत्तर प्रदेश	1574.17	2269.30	3083.91
16.	पश्चिमी बंगाल	28.03	10.76	1.28
	योग	4743.00	6600.00	7572.32

इंजीनियरिंग शिक्षा

*134. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान संबंधी अपने एक अध्ययन में वर्तमान इंजीनियरिंग शिक्षा के स्तर में गिरावट के संबंध में चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चले गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इंजीनियरिंग संस्थानों से इस समय एम.टेक. के कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं;

(च) क्या इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट स्तर पर योग्य शिक्षकों की कमी है; और

(छ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (छ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नियुक्त इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा व शोध पर पुनरीक्षण समिति ने देश में स्नातकोत्तर शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जांच करते समय इसकी कोटि व परिणामों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। समिति ने यह भी उल्लेख किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अच्छे रोजगार के अवसर होने के कारण स्नातकोत्तर इंजीनियरी छात्र विषय से सूचना प्रौद्योगिकी में जा रहे हैं। एम.ई./एम.टेक. स्तर पर इंजीनियरी विषय के साथ स्नातकोत्तर डिग्री धारकों की वर्तमान वार्षिक संख्या लगभग 7000 है। इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में योग्य शिक्षकों की कमी एक आम समस्या रही है और कोटि सुधार कार्यक्रम, जो विद्यमान शिक्षकों को मास्टर तथा डॉक्टरेट स्तरों पर उच्चतर अर्हता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस कार्यक्रम के बावजूद ऐसे शिक्षकों की वांछित संख्या इन विषयों में उपलब्ध नहीं हो रही है। सरकार ने तकनीकी शिक्षकों की वेतन-बढ़ोत्तरी तथा अन्य सेवा-शर्तों में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। पुनरीक्षण समिति की संस्तुतियों पर कार्यान्वयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा "कार्यवाही कार्यक्रम" को अंतिम रूप देने पर निर्भर होगा।

आयोडीन की कमी से होने वाले दुष्प्रभाव

*135. श्री नरेश पुगलिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोडीन की कमी से होने वाले दुष्प्रभाव प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 21 अक्टूबर, 1999 को "ग्लोबल आयोडीन डेफिसिऐंसी डिस्आर्डर डे" के रूप में मनाया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आयोडीन की कमी से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लक्ष्य को पाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या आयोडीन युक्त नमक के उपभोग से घेंघा और आयोडीन की कमी से होने वाले अन्य दुष्प्रभावों का निवारण होता है;

(च) यदि हाँ, तो क्या आयोडीन युक्त नमक बाजार में मंहगे दामों पर बिक रहा है; और

(छ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आयोडीन युक्त नमक को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, राज्य स्वास्थ्य निदेशालयों और अन्य संस्थानों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से स्पष्ट रूप से पता चला है कि कोई भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आयोडीन अल्पताजन्य विकारों की समस्या से मुक्त नहीं है। 25 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के अब तक 275 जिलों में किए गए सर्वेक्षणों से 235 स्थानिकमारी वाले जिले हैं जहां पर रोग की व्यापतता दर 10 प्रतिशत से अधिक है। देश में 200 मिलियन लोग आयोडीन अल्पताजन्य विकारों के जोखिम में रह रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, हाँ। जागरूकता पैदा करने हेतु सभी राज्य/संघ राज्य सरकारों को जिला स्तर पर स्कूली बच्चों के लिए संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करके तथा सूचना शिक्षा और संचार कार्यकलापों के माध्यम से विश्व आयोडीन अल्पताजन्य विकार दिवस मनाने की सलाह दी गई है। आयोडीन अल्पताजन्य विकारों की रोकथाम और नियंत्रण में आयोडीकृत नमक के उपभोग के लाभों के बारे में दूरदर्शन पर एक सामूहिक चर्चा का प्रसारण किया गया। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयोडीकृत नमक की आपूर्ति करने की सलाह दी गई है। लोगों को आयोडीन की कमी के परिणामों तथा आयोडीकृत नमक का उपभोग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए बहु-प्रचार का प्रयोग करते हुए जोरदार स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(ङ) जी, हाँ।

(च) और (छ) आयोडीकरण का खर्च मुश्किल से 10 पैसा प्रति किलोग्राम है जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर आयोडीकृत नमक के लाभ की तुलना में नगण्य है। उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में खुले आयोडीकृत नमक का मूल्य 1.25 रुपये से 3.15 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच है और पैकेट वाले आयोडीकृत नमक का मूल्य 2.60 रुपए से 8 रुपये के बीच है जो कि ब्रांड पर निर्भर है। तथापि, सभी राज्य/संघ राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयोडीकृत नमक की आपूर्ति करने की सलाह दी गई है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

*136. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 1.1.97 से आज तक विभिन्न राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है; और

(घ) अगले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कार्यक्रम के विस्तार के लिए क्या प्रस्ताव तैयार किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक सम्मिलित न किए गए राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और त्रिपुरा से इन राज्यों में यह कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से सम्मिलित कुछ राज्यों नामतः गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से इस कार्यक्रम को आगे अतिरिक्त जिलों में विस्तार करने हेतु भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बाह्य रूप से वित्त पोषित कार्यक्रम है, इसलिए इसका आगे विस्तार विभिन्न बहु-पक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्त पोषण का प्रस्ताव मिलने पर निर्भर करेगा और यह भी शर्त होगी कि वे निर्धारित जिला चयन मानदण्डों को पूरा करें। इसलिए ऐसे प्रस्तावों को निपटाने के लिए कोई विशिष्ट समयावधि निर्धारित नहीं की जा सकती।

वर्ष 1994 में 7 राज्यों के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े चुने गए 42 जिलों में प्रारम्भिक रूप से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का 15 राज्यों के 176 जिलों को सम्मिलित करने के लिए पहले से ही विस्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के 38 अतिरिक्त जिलों, राजस्थान के 9 जिलों, पश्चिम बंगाल के 5 जिलों, उड़ीसा के 8 जिलों और गुजरात के 6 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के आगे विस्तार करने के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी में कलाकारों का चयन

*137. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन और आकाशवाणी में कलाकारों के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए शहरी क्षेत्रों से कलाकारों का चयन किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) प्रसार भारती ने सलाह दी है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी में कलाकारों का चयन प्रत्येक आकाशवाणी केन्द्र में कार्यरत स्थानीय स्वर परीक्षा समिति तथा आकाशवाणी मुख्यालयों में कार्यरत संगीत स्वर-परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित स्वर-परीक्षा के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, दूरदर्शन नृत्य कलाकारों के चयन के लिए अलग से नृत्य परीक्षा भी आयोजित करता है।

(ख) कलाकारों का चयन शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से किया जाता है तथा इस संबंध में कोई पक्षपात नहीं किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आकाशवाणी ने पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए लोक एवं जनजातीय संगीत संग्रह के 20 केन्द्र स्थापित किए हैं।

भूकंपरोधी मकान

*138. **श्री रामपाल सिंह :**
डॉ. अशोक पटेल :

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गढ़वाल, उत्तर प्रदेश जैसे भूकंप प्रवण क्षेत्रों में भूकंपरोधी मकान बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अनुमानतः कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इस संबंध में सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर केंद्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी मूलतः राज्य सरकार की होती है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में भूकम्प प्रवण गढ़वाल क्षेत्र में मकानों के पुनर्निर्माण में मदद देने की बात है तो उसके लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :

1. सरकार द्वारा लघु, मध्यम और दीर्घकालीन कार्य योजनायें बनाने तथा मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्रवाई योजना बनाने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया था। कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और कार्रवाई योजना समुचित कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेज दी गयी है।

2. आवास और नगर विकास निगम (हडको) ने क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण/मरम्मत तथा सुधार/रीट्रोफिटिंग के लिए 100 करोड़ रुपए का उदार ऋण देने और साथ ही क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचों का पुनर्निर्माण करने के लिए 20 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। हडको ने 1970 में अपनी स्थापना से लेकर 31.10.1999 तक गढ़वाल के भूकम्पग्रस्त क्षेत्रों में मकान बनाकर 15711 लोगों को बसाने के लिए 23.57 करोड़ रुपए की ऋण सहायता से 2 आवास की स्कीमें मंजूर की हैं।

3. हडको ने मकानों और आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण हेतु 2 आदर्श ग्राम और एक आदर्श बस्ती को भी अंगीकार किया है। हडको ने मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक अंगीकृत गांव के लिए 35 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

4. गढ़वाल के भूकम्प प्रवण इलाकों/क्षेत्रों में हडको ने 12 निर्मित केन्द्र कायम किये हैं और इन निर्मित केन्द्रों की स्थापना के लिए अब तक 1.35 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है तथा इसके अलावा अतिरिक्त निर्मित केन्द्रों एवं 2 चल केन्द्रों के लिए और भी सहायता दी जाएगी।

5. हडको ने आपदारोधी प्रौद्योगिकी से 10 आदर्श मकानों का पहले ही निर्माण कर दिया है तथा 5 अन्य मकान निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार ने कार्रवाई योजना पर अब तक अमल शुरू नहीं किया है। यद्यपि हडको ने 100 करोड़ रुपए के उदार ऋण की पेशकश की है लेकिन राज्य सरकार ने चमोली के भूकम्प प्रभावित लोगों के पुनर्वास की कोई योजना पेश नहीं की है।

जन्म/मृत्यु दर

*139. **श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष का जन्म-दर और मृत्यु दर का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा जन्म और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विधान द्वारा जन्म-दर पर अंकुश लगाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) जन्म और मृत्यु-दरों को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सभा में दिसम्बर, 1992 में संविधान (79वां संशोधन) विधेयक 1992 प्रस्तुत किया गया जिससे एक कानून बनाने की व्यवस्था है कि यदि किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं तो उस व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य के विधान मंडल के किसी भी सदन के लिए चुने जाने के लिए तथा सदस्य होने के लिए अयोग्य कर दिया जायेगा। यह विधेयक भविष्य प्रभावी होगा।

विवरण-I

क्र.	राज्य/संघ	जन्म दर			मृत्यु दर			शिशु मृत्यु दर			बाल (0-4) मृत्यु दर		
सं.	राज्य क्षेत्र	1996	1997	1998*	1996	1997	1998*	1996	1997	1998*	1994	1995	1996
बड़े राज्य													
1.	आंध्र प्रदेश	22.8	22.5	22.3	8.4	8.3	8.8	65	63	66	17.0	19.1	17.8
2.	असम	27.6	28.2	27.7	9.6	9.9	10.1	74	76	78	24.7	24.7	24.0
3.	बिहार	32.1	31.7	31.1	10.2	10.0	9.4	71	71	67	24.9	20.3	27.9
4.	गुजरात	35.7	25.6	25.3	7.6	7.6	7.8	61	62	64	22.2	19.9	20.4
5.	हरियाणा	28.8	28.3	27.6	8.1	8.0	8.1	68	68	69	22.3	22.7	23.4
6.	कर्नाटक	23.0	22.7	22.0	7.6	7.6	7.9	53	53	58	18.6	18.2	16.6
7.	केरल	18.0	17.9	18.2	6.2	6.2	6.4	14	12	16	3.4	4.3	3.8
8.	मध्य प्रदेश	32.3	31.9	30.6	11.1	11.0	11.2	97	94	97	34.8	33.3	33.5
9.	महाराष्ट्र	23.4	23.1	22.3	7.4	7.3	7.6	48	47	49	14.4	14.9	13.1
10.	उड़ीसा	27.0	26.5	25.7	10.8	10.9	11.1	96	96	98	31.6	32.2	30.6
11.	पंजाब	23.7	23.4	22.4	7.4	7.4	7.7	51	51	54	15.7	14.9	15.2
12.	राजस्थान	32.4	32.1	31.5	9.1	8.9	8.8	85	85	83	27.4	29.3	31.4
13.	तमिलनाडु	19.5	19.0	18.9	8.0	8.0	8.4	53	53	53	13.4	14.5	12.6
14.	उत्तर प्रदेश	34.0	33.5	32.4	10.3	10.3	10.5	85	85	85	33.0	30.8	21.4
15.	पश्चिम बंगाल	22.8	22.4	21.3	7.8	7.7	7.5	55	55	53	19.8	18.6	18.1
अन्य राज्य													
1.	अरुणाचल प्रदेश	21.9	21.4	21.9	5.5	5.8	5.9	54	47	44			
2.	गोवा	14.4	14.2	14.2	7.4	7.7	8.1	15	19	23			
3.	हिमाचल प्रदेश	23.0	22.6	22.5	8.0	8.1	7.7	52	53	64	16.0	17.2	17.6
4.	जम्मू एवं कश्मीर	अप्राप्त	अप्राप्त	19.8	अप्राप्त	अप्राप्त	5.4	अप्राप्त	अप्राप्त	45			
5.	मणिपुर	19.6	19.7	19.0	5.8	5.9	5.3	28	30	25			
6.	मेघालय	30.4	30.2	29.2	8.9	8.8	9.0	48	54	52			
7.	मिजोरम	15.1	15.0	15.8	3.7	4.8	5.6	25	19	23			
8.	नागालैंड	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त			
9.	सिक्किम	20.0	19.8	20.9	6.5	6.5	6.1	47	51	52			
10.	त्रिपुरा	18.4	18.3	17.6	6.5	6.8	6.1	49	51	49			
संघ राज्य क्षेत्र													
1.	अं व नि. द्वीप समूह	18.5	18.6	17.7	4.8	5.1	4.6	27	33	30			
2.	चंडीगढ़	17.5	18.8	17.9	4.3	4.2	4.1	45	40	32			
3.	दादरा व नगर हवेली	28.9	28.2	34.1	9.2	8.2	7.7	71	63	61			
4.	दमण एव दीव	21.6	24.0	21.5	9.0	5.9	7.0	43	38	51			
5.	दिल्ली	21.6	21.1	19.4	5.7	5.4	5.3	44	35	36			
6.	लक्षद्वीप	23.4	22.9	22.9	6.3	6.2	6.2	36	36	30			
7.	पांडिचेरी	18.1	18.4	18.0	7.1	8.0	7.8	25	22	21			
	अखिल भारत	27.5	27.2	26.4	9.0	8.9	9.0	72	71	72	23.9	24.2	23.9

स्रोत : नमूना पंजीयन प्रणाली/भारत के महारजिस्ट्रार

* : अनन्तिम

विवरण-II

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए गए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्नलिखित के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी उपायों की परिकल्पना है :

(I) परिवार नियोजन की विधियों का प्रचार-प्रसार जिनमें पुरुष और महिला दोनों का बन्ध्यकरण, बच्चों के जन्म में अन्तर रखने की विधियां नामतः आई.यू.डी. निवेशन, मुख सेव्य गोलियां और कन्डोम शामिल हैं।

(II) ग्राम स्तर पर एकीकृत सेवा प्रदाय की व्यवस्था करके गर्भनिरोधकों की अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना।

(III) छोटे परिवार के लाभों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण कार्यक्रम।

(IV) मातृ एवं बाल स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रभावकारी उपाय किए जा रहे हैं जिससे शिशु मृत्यु-दर में काफी कमी हुई है और जिससे जन्म-दर में कमी होने की आशा है।

(V) नवजात परिचर्या, रोग प्रतिरक्षण, विटामिन "ए" रोग निरोधक का वितरण और अतिसार और तीव्र श्वसनीय संक्रमण का उपयुक्त उपचार जैसे शिशु जीवन-रक्षा संबंधी उपचार।

(VI) गर्भवती महिलाओं का शुरू में ही पंजीकरण, नियमित रूप से प्रसव-पूर्व जांचों, पोषणिक परामर्श और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने, रक्ताल्पता का पता लगाने और उसका उपचार करने, टेटनस टीकाकरण और सुरक्षित प्रसव जैसे सुरक्षित मातृत्व संबंधी उपचार।

(VII) चिकित्सीय गर्भ समापन सेवाओं को सुविधामय बनाना।

प्रमुख संचारी और गैर-संचारी रोगों के निवारण और उनकी रोकथाम करने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट कार्यक्रम नियमित रूप से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा

*140. श्री बाजू बन रियान :
श्रीमती कृष्णा बोस :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बालिकाओं के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कालेज स्तर तक शिक्षा निःशुल्क करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी योजनाओं की क्रियाविधि क्या है और राज्यों तथा विश्वविद्यालयों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) देश में महिला साक्षरता को प्रोत्साहन देने हेतु क्या रणनीति अपनाई गई है; और

(घ) अब तक राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) इस समय "शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति" की एक नई योजना तैयार की जा रही है।

(ग) भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही महिलाओं को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रयास का महत्वपूर्ण अंश रहा है। भारत सरकार ने प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आरंभ किया जिसमें महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान किए जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मिशन ने एक ऐसी कार्यनीति अपनाई है जिसमें निम्नलिखित प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया है :

- एक ऐसा वातावरण तैयार करना जहां महिलाओं में ज्ञान तथा जानकारी प्राप्त करने की आकांक्षा जगे जिससे उन्हें शक्ति संपन्न बनाया जा सके ताकि वे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें।
- महिलाओं में आत्मविश्वास की ऐसा भावना भरना कि यदि वे एकजुट होकर कार्य करें तो यह परिवर्तन संभव है।
- इस संदेश का प्रसार करना कि महिला शिक्षा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध अभियान का एक अंग है।
- लड़कियों की दुर्दशा पर प्रकाश डालना तथा इस मुद्दे का निराकरण करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनिक किए जाने की जरूरत पर विशेष बल देना।

(घ) वर्ष 1991 की जनगणना तथा 1997 के अंत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार राज्यवार महिला साक्षरता दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। दिए गए आंकड़ों को देखने से यह ज्ञात होता है कि इन छः वर्षों में महिला साक्षरता दर 39.29 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	साक्षरता दर (प्रतिशत) 1991 की जनगणना के अनुसार	साक्षरता दर (प्रतिशत) रा.प्र.स.सं. 1997 के अनुसार
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	32.72	43
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.69	48
3.	असम	43.03	66
4.	बिहार	22.89	34
5.	दिल्ली	66.69	76
6.	गोवा	67.09	79
7.	गुजरात	48.64	57

1	2	3	4
8.	हरियाणा	40.47	42
9.	हिमाचल प्रदेश	52.13	70
10.	जम्मू व कश्मीर	+	48
11.	कर्नाटक	44.34	50
12.	केरल	86.13	90
13.	मध्य प्रदेश	28.85	41
14.	महाराष्ट्र	52.32	63
15.	मणिपुर	47.60	66
16.	मेघालय	44.85	74
17.	मिजोरम	78.60	95
18.	नागालैण्ड	54.75	77
19.	उड़ीसा	34.68	38
20.	पंजाब	50.41	62
21.	राजस्थान	20.44	35
22.	सिक्किम	46.69	72
23.	तमिलनाडु	51.33	60
24.	त्रिपुरा	49.65	67
25.	उत्तर प्रदेश	25.31	41
26.	पश्चिमी बंगाल	46.56	63
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अ. और नि. द्वीपसमूह	65.46	94
2.	चण्डीगढ़	72.34	74
3.	दादर और नगर हवेली	26.98	30
4.	दमन और दीव	59.40	73
5.	लक्षद्वीप	72.89	93
6.	पांडिचेरी	65.63	86
	भारत	39.29	50

+ वर्ष 1991 में जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं हुई थी।

रोगियों को अपर्याप्त सुविधाएं

1193. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली का केन्द्रीय हड्डी रोग विज्ञान संस्थान देश में एकमात्र हड्डी रोगविज्ञान संस्थान है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या संस्थान में रोगियों को आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त फिजीयोथेरेपी सुविधा उपलब्ध है;

(ग) यदि नहीं, तो संस्थान की सुविधाओं में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक संस्थान में वर्ष-वार कितने रोगियों का उपचार किया गया/आपरेशन किया गया;

(ङ) क्या डाक्टरों का वही दल बाह्य रोगियों और आपातकालीन रोगियों दोनों का ही उपचार करता है;

(च) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) केन्द्रीय अस्थि विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल केन्द्र सरकार के अधीन एकमात्र अस्थि विज्ञान संस्थान है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) सुविधाओं में समय-समय पर सुधार लाया जाता है।

(घ) उपचार/आपरेशन किए गए रोगियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	बा.रो.वि.रोगी	आपातकालीन रोगी	मुख्य ओ.टी.रोगी
1996	16,03,738	12,112	1,365
1997	15,48,178	13,503	1,415
1998	15,01,999	14,444	1,264

(ङ) जी, हाँ।

(च) और (छ) यह पद्धति अखिल भारतीय स्तर पर है। एक ही यूनिट उसी यूनिट में कार्यरत कार्यकर्त्ता के अलग-अलग सेटों के साथ आपातकालीन तथा बाह्य रोगी विभाग के रोगियों को देखती है।

डॉक्टरों द्वारा मांग-पत्र देना

1194. डॉ0 जयन्त रंगपी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कार्यरत चिकित्सकों ने अपनी एसोसिएशन के माध्यम से एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हाँ, तो एसोसिएशन ने कौन से प्रमुख मुद्दे उठाए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कार्य कर रहे डाक्टरों ने मांगों का कोई चार्टर प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, सेवारत डाक्टर संघ और सेवारत डाक्टर्स संगठन को संयुक्त कार्रवाई परिषद्, जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, की विषय निर्वाचन समिति से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इन एसोसिएशनों की मांगों और उन पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा डाक्टर्स एसोसिएशन की मांगों और उन पर की गयी कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

मांगें	की गई कार्रवाई	वर्तमान स्थिति
1. डायनामिक एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना का कार्यान्वयन	पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश अन्य मंत्रालयों के परामर्श से विचाराधीन रही है। इसने 14,300-18,300/- रुपये के वेतनमान में समयबद्ध पदोन्नति प्राप्त करने के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों के लिए 13 वर्ष और विशेषज्ञों के लिए 7 वर्ष का प्रस्ताव किया है। ब्यौरा पताका "क" पर देखा जा सकता है।	रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। इस मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
2. केन्द्रीय स्वास्थ्य की संवर्ग पुनरीक्षा	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की पुनर्संरचना 1982 में की गयी थी। 1991 में टिक्कू समिति की सिफारिशें कार्यान्वित की गईं जिसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के पदोन्नति अवसरों में वृद्धि की गयी। पहले यह निर्णय किया गया था कि इस मुद्दे को डी.ए.सी.पी. पर निर्णय लेने के बाद उठाया जाएगा। अब संवर्ग पुनरीक्षा करने के लिए संवर्ग पुनरीक्षा में अपेक्षित अनुभव रखने वाले एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गयी है।	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की संवर्ग पुनरीक्षा करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की गई।
3. तदर्थ आधार पर एस.ए.जी. और एच.ए.जी. पदों में वृद्धि।	परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है जो इसकी संवर्ग पुनरीक्षा के साथ-साथ जांच करेंगे।	परामर्शदाता इस पहलू को भी देख रहे हैं।
4. वार्षिक भत्ते को लागू करने की तारीख में परिवर्तन करके उसे 1.7.98 से बदल कर 1.8.97 करना।	इस मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से दो बार परामर्श किया था। तथापि, उन्होंने वार्षिक भत्ते को लागू करने की तारीख में परिवर्तन करके उसे 1.7.98 से बदलकर 1.8.97 करने के हमारे अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया।	कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं।
5. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।. लेकिन इसे कुछ यूनिटों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया। सी.सी.ए./एफ.ए. से अनुरोध किया गया था कि वे आगे विलम्ब किए बिना इन निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु तत्काल उपाय करें। इसने दिनांक 24.9.99 के आदेश संख्या जैड. 16023/2/95-सी.एच.एस.-5 के तहत सभी भागीदार यूनिटों से भी अनुरोध किया था कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 33 प्रतिशत पात्र अधिकारियों और अगले वित्तीय वर्ष में अन्य 33 प्रति. पात्र अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन स्वीकृत करें। ब्यौरे पताका "ख" पर देखे जा सकते हैं।	सी.एच.एस. प्रभाग द्वारा कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं।
6. अध्यापन विशेषज्ञों (केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यापन संकाय के बीच असमानता।	प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के संकाय संघ के अभ्यावेदन की एक प्रति अग्रेषित की थी। इस मामले की इस मंत्रालय में जांच की गयी और यह पाया गया कि यह मांग औचित्यपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया उत्तर पताका "ग" पर देखा जा सकता है।	कोई कार्रवाई नहीं।

डायनामिक एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (डी.ए.सी.पी. योजना)

पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 52.15 में भिन्न-भिन्न क्षेणियों के डाक्टरों के लिए एक डायनामिक एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन तंत्र की सिफारिश की है जो इस प्रकार है :

वेतनमान	रेजीडेन्सी अवधि		
	जी.डी.एम.ओ.	विशेषज्ञ	अति विशेषज्ञ
2200-4000 रुपये	04	-	-
3000-4500 रुपये	05	02	-
3700-5000 रुपये	04	04	04
4500-5700 रुपये	00	00	-

इस समय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 1996 के अनुसार है जो नीचे दिए गए हैं :

वेतनमान	रेजीडेन्सी अवधि	
	जीडीएमओ	विशेषज्ञ
8000-13500 रुपये (संशोधन पूर्व 2200-4000 रु0)	04	-
10000-15200 रुपये (संशोधन पूर्व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का 3000-4500 रुपये और विशेषज्ञ ग्रेड II का 3000-5000 रुपये)	06	02
12000-16500 रुपये (संशोधन पूर्व 3700-5000 रु0)	ग्रेड 'क' की 14 वर्ष वशर्ते वरिष्ठ ड्यूटी पदों के 15 प्रतिशत तक सीमित हो।	06
14300-18300 रु0 (संशोधन पूर्व 4500-5700)	00	00

यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उप संवर्गों के डाक्टर एम.बी. बी.एस. के बाद समान समयावधि के उपरांत 14,300-18,300 रुपये के ग्रेड में पहुंच जाएं, यह मंत्रालय सिद्धांततः निम्नलिखित रूप में डी.ए.सी. पी. के लिए सहमत हुआ है।

वेतनमान	रेजीडेन्सी अवधि		
	जीडीएमओ	विशेषज्ञ	अति विशेषज्ञ
8000-13500 रु॰	04	-	-
10000-15200 रु॰	05	02	-
12000-16500 रु॰	04	05	05
14300-18300 रु॰	00	00	00

डी.ए.सी.पी. से संबंधित मामला हमारी सिफारिशों के साथ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया था। सचिवों की समिति की सिफारिशों पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह मामला संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मुद्दे की जांच करने के लिए मई, 1999 में इस मंत्रालय को वापस भेज दिया। हमने दिनांक 7.6.99 को गृह/रक्षा/रेलवे मंत्रालयों को लिखा उसके बाद 30.6.99 और 6.8.99 को अनुस्मारक भेजे गये जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे वित्तीय निहितार्थों का उल्लेख करते हुए अपनी टिप्पणियां भेजें। निदेशक (सीएचएस) स्तर पर टेलीफोन से संपर्क करने के बावजूद अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों को दूसरा अनुस्मारक भेजा जा रहा है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा डाक्टरों को आवासीय टेलीफोन :

1. पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि सभी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन प्रदान किए जा सकते हैं।

2. वित्त मंत्रालय के दिनांक 2 अप्रैल, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-7 (3) 8-ई (समन्वय)/87 में यथानिहित आवासीय टेलीफोन संबंध सामान्य अनुदेश इस प्रकार हैं :

(i) सचिवालय और मुख्यालय कार्यालयों में 3700-5000 रुपये और इससे ऊपर के वेतनमान वाले अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

(ii) सचिवालय से बाहर फील्ड अधिकारियों के मामले में 3700-5000 रुपये और इससे ऊपर के वेतनमान वाले अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन प्रदान करने के प्रस्तावों की जांच की जाएगी और उनके संबंध में संबंधित वित्तीय सलाहकार द्वारा मेरिट के आधार पर निर्णय किया जाएगा।

(iii) उपसचिव के रैंक से नीचे के समूह 'क' अधिकारियों के लिए आवासीय टेलीफोन की व्यवस्था ऐसे अधिकारियों की संख्या के 25 प्रतिशत तक सीमित रखना जारी रखी जाएगी।

3. पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश पर वित्त प्रभाग से परामर्श करके विचार किया गया था और वित्त मंत्रालय के दिनांक 2 अप्रैल, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-7 (3) 8-ई (समन्वय)/87 के उपबंधों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों पर लागू किया गया है, अब 12000-16500 (उप सचिव का वेतनमान) के वेतनमान वाले और उससे ऊपर के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी आवासीय टेलीफोन के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त 12000-16500 रुपए के वेतनमान के नीचे कार्य कर रहे 25 प्रतिशत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों को वरीयता के क्रम में आवासीय टेलीफोन प्रदान किए जाएंगे।

4. हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के संबंध में इन आदेशों की कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। हमने सी.सी.ए./एफ.ए. से अनुरोध किया है कि वे और आगे विलम्ब किए बिना इन निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कदम उठाएं।

5. हमने भी दिनांक 24.9.99 के आदेश संख्या जैड 16023/2/95-सी. एच.एस. (पार्ट) के द्वारा सभी भागीदार यूनिटों से अनुरोध किया था कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम से कम 33 प्रतिशत पात्र अधिकारियों और अगले वित्तीय वर्ष में अन्य 33 प्रतिशत को आवासीय टेलीफोन मंजूर करें।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के उपसंवर्ग के अध्यापन उपसंवर्ग को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में उनके सहकर्मियों के समान मानने की आवश्यकता संबंधी नोट

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का गठन मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों और कुछ अन्य संगठनों के अधीन विभिन्न पदों का प्रबंध करने की दृष्टि से वर्ष 1963 में किया गया था। इस समय यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और इसके नियंत्रणाधीन संगठनों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डाक विभाग, आसाम राइफल्स आदि जैसी विभिन्न भागीदार यूनिटों की आवश्यकता को पूरा करती है। इस सेवा का गठन इसके अधीन विभिन्न पदों पर तैनाती करने हेतु बेहतर चिकित्सीय और जन-स्वास्थ्य कार्मिकों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था।

2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली संसद के एक अधिनियम के जरिए सृजित किया गया एक स्वायतशासी संस्थान है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

(क) भारत में सभी मेडिकल कालेजों एवं अन्य संबद्ध संस्थानों के लिए एक उच्चस्तरीय आयुर्विज्ञान शिक्षा का निदर्शन करने के लिए इसकी सभी शाखाओं में स्नातकपूर्व एंव स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा में शिक्षण के पैटर्न विकसित करना;

(ख) स्वास्थ्य गतिविधियों की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु सर्वोच्च स्तर की शिक्षा सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करना; और

(ग) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था।

नवम्बर, 1982 में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की पुनर्संरचना किए जाने से पूर्व कोई विशिष्ट उप संवर्ग नहीं थे और इसकी केवल धाराएं थी अर्थात् विशेषज्ञ और सामान्य ड्यूटी। अध्यापन और गैर-अध्यापन पदों के बीच कोई सुस्पष्ट भेद नहीं था। तीसरे वेतन आयोग ने निम्नलिखित जुड़वां उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सेवा की एक नए सिरे से जांच करने के लिए व्यापक सिफारिशें की :

(i) सहज और सफल संवर्ग प्रबंध;

(ii) सेवा के अधिकारियों की व्यावसायिक और वैयक्तिक संतुष्टि।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों और अन्य प्रशासकीय महत्व को देखते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की पुनर्संरचना की गई और इसे चार उपसंवर्गों नामतः अध्यापन, गैर-अध्यापन, जन स्वास्थ्य और सामान्य ड्यूटी चिकित्सा-अधिकारी में विभाजित किया गया।

ऐसा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए किया गया। चूंकि अध्यापन, गैर-अध्यापन और जन स्वास्थ्य उप संवर्ग के पदों के भर्ती नियम एक जैसे हैं इसलिए उन्हें एक समान माना जाता है और उनके एक जैसे वेतनमान और पदोन्नति के अवसर हैं। उनके पदोन्नति के अवसर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप सवंर्ग के अधिकारियों से बेहतर हैं।

स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों के वेतन और भत्तों के बारे में इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गठित एक समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय किया जाता है जबकि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के वेतन और भत्ते केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से पूर्व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय के वेतनमान केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन अध्यापन उप संवर्ग से अधिक हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान/स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अध्यापन उप संवर्ग के संकाय के वेतनमानों के संबंध में एक तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है :

चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों से पूर्व

पद	एआईआईएमएस/ वेतनमान	सीएचएस अध्यापन वेतनमान
सहायक प्रोफेसर	रुपये 1800-2400	रुपये 1100-1800
सहायक प्रोफेसर	रुपये 2100-2625	रुपये 1500-1800
अपर प्रोफेसर	विद्यमान नहीं था।	शून्य
प्रोफेसर	रुपये 2500-3200	रुपये 1800-2250
निदेशक प्रोफेसर	शून्य	रुपये 2250-2500 रुपये 2500-2750
प्रतिष्ठित प्रोफेसर (अ.भा.आयु.सं.में 6 पद)/अपर स्वा. सेवा महानिदेशक (के.स्वा.से. में)	रुपये 3350 (नियत)	रुपये 3000 (नियत)
निदेशक/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	रुपये 3500 (नियत)	रुपये 3500 (नियत)

चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद

पद	अ.भा.आयु.सं./ स्वा.आयु.शि.एवं अनु.सं.	के स्वा.से. अध्यापन
1	2	3
सहायक प्रोफेसर	रु0 3500-125-4500	रु0 3000-5000
एसोसिएट प्रोफेसर	रु0 4100-125-5300	रु0 3700-5000

1	2	3
अपर प्रोफेसर	रु0 5100-150-6300	शून्य
प्रोफेसर	रु0 5900-200-7300	रु0 4500-5700
निदेशक प्रोफेसर	शून्य	रु0 5900-6700
प्रतिष्ठित प्रोफेसर (अ.भा.आयु.सं.में 6 पद)	रु0 7300-100-7600	रु0 7300-7600
अपर स्वा.से. महानिदेशक (के.स्वा.से.में)		
निदेशक/स्वा.से. महानिदेशक	रु0 8000 (नियत)	रु0 8000 (नियत)

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पेंशनधारियों को केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ

1195. श्री राधा मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने पेंशनभोगियों को चिकित्सा भत्ते के रूप में प्रतिमाह एक सौ रुपये देने संबंधी केन्द्र सरकार के निर्णय से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पेंशनभोगियों को भी लाभान्वित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार में पेंशनधारियों को 100/-रु0 प्रतिमास का चिकित्सा भत्ता प्रदान करने के संबंध में पेंशन तथा लोक कल्याण विभाग के का.ज्ञा.सं. 45/57/97-पी एवं पी डब्ल्यू (सी) दिनांक 19.12.1997 के संदर्भ में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पेंशनधारियों पर यह लागू नहीं होता क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय चिकित्सा अधिकारी अनुकूलन कार्यक्रम

1196. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुनर्वास परिषद ने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार, विशेषतः महाराष्ट्र के परंभनी जिले में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में पिछले तीन महीनों के दौरान सरकार द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिनांक 30 जुलाई, 99 से 2 दिसम्बर, 99 तक 19 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में इस कार्यक्रम को चलाया गया है।

महाराष्ट्र में विभिन्न जिलों से चिकित्सा अधिकारियों के लिए कार्यक्रम चलाने हेतु दो एजेंसियों का चयन किया गया है। परभनी जिले को बाद में शामिल किया जाएगा।

(ग) पिछले तीन माह के दौरान 698 पी.एच.सी. डाक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है।

एड्स का फैलना

1197. श्री समर चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंत चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे चिकित्सा उपकरण एड्स फैलाने में सहायक घटकों में से एक हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. थंगमुगम) : (क) और (ख) जी, नहीं। विसंक्रमित चिकित्सा उपकरण एच.आई.वी./एड्स नहीं फैला सकते। सभी स्वास्थ्य चिकित्सा परिचर्या केन्द्रों के चिकित्सा और परा चिकित्सा कार्यकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे उपयुक्त रूप से विसंक्रमित उपकरणों का इस्तेमाल करें।

समेकित बाल विकास सेवाएं

1198. श्री बाजू बन रियान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितनी समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं हैं;

(ख) किशोर बालिका योजना के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या समेकित बाल विकास योजना और शैशव देखभाल और विद्यालय पूर्व शिक्षा को वांछित परिणाम नहीं मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन योजनाओं की समीक्षा करने और इन योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) जी नहीं। अध्ययनों से पता चला है कि आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में गैर आई.सी.डी.एस. क्षेत्रों की तुलना में पोषाहारीय और स्वास्थ्य का दर्जा तथा स्कूलों में नामांकन का स्तर जैसे सामाजिक संसूचक बेहतर हैं।

(घ) गुणात्मक निवेशों को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	संचालित आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	209
2.	अरुणाचल प्रदेश	45
3.	असम	107
4.	बिहार	323
5.	गोवा	11
6.	गुजरात	203
7.	हरियाणा	114
8.	हिमाचल प्रदेश	72
9.	जम्मू और कश्मीर	113
10.	कर्नाटक	185
11.	केरल	120
12.	मध्य प्रदेश	355
13.	महाराष्ट्र	271
14.	मणिपुर	32
15.	मेघालय	30
16.	मिजोरम	21
17.	नागालैण्ड	41
18.	उड़ीसा	281
19.	पंजाब	110
20.	राजस्थान	191
21.	सिक्किम	5
22.	तमिलनाडु	431
23.	त्रिपुरा	31
24.	उत्तर प्रदेश	560
25.	पं. बंगाल	294
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	5
27.	चण्डीगढ़	3
28.	दिल्ली	28
29.	दादरा एवं नगर हवेली	1
30.	दमन एवं दीव	2
31.	लक्षद्वीप	1
32.	पाण्डिचेरी	5
	योग :	4200

विवरण-II

किशोर बालिका स्कीम की लाभार्थियों तथा स्वीकृत ब्लाकों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	ब्लाकों की कुल संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	37	67810
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	-
3.	असम	10	-
4.	बिहार	74	11854
5.	गोवा	1	416
6.	गुजरात	15	-
7.	हरियाणा	4	11491
8.	हिमाचल प्रदेश	1	3651
9.	जम्मू और कश्मीर	2	3150
10.	कर्नाटक	23	39866
11.	केरल	13	15547
12.	मध्य प्रदेश	48	65146
13.	महाराष्ट्र	39	20208
14.	मणिपुर	1	-
15.	मेघालय	1	3600
16.	मिजोरम	1	1955
17.	नागालैण्ड	1	-
18.	उड़ीसा	24	42614
19.	पंजाब	3	-
20.	राजस्थान	24	3934
21.	सिक्किम	1	240
22.	तमिलनाडु	33	23241
23.	त्रिपुरा	1	-
24.	उत्तर प्रदेश	99	-
25.	पं. बंगाल	41	29388
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1	100
27.	चण्डीगढ़	1	141
28.	दिल्ली	3	2599
29.	दादरा एवं नगर हवेली	1	500
30.	दमन एवं दीव	1	1280
31.	लक्षद्वीप	1	-
32.	पाण्डिचेरी	1	1359
	योग :	507	350090

स्ट्रेचरों की कमी

1199. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में स्ट्रेचरों, पहिये वाली कुर्सियों आदि की भारी कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है और इन्हें मरीजों की आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) दिल्ली में अस्पतालों की सेवाओं में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्ट्रेचरों/व्हील चेयरों संबंधी स्थिति की समीक्षा की जाती है और जब कभी अपेक्षित होता है, मरम्मत/प्रतिस्थापना किया जाता है।

लोक संस्कृति

1200. श्री बसुदेव आचार्य : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की लोक संस्कृति को बनाए रखने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) देश की लोक संस्कृति का परिरक्षण करना सरकार की स्थायी नीति है जिसको विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, इनमें से जनजातीय/लोक कला एंव संस्कृति का प्रोन्नयन व प्रसार नामक स्कीम प्रमुख है। इस स्कीम के अन्तर्गत जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के परिरक्षण व प्रोन्नयन में लगे स्वैच्छिक संगठनों एवं व्यष्टियों को सहायता प्रदान की जाती है।

प्रसारण योजना

1201. डा. वी. सरोजा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीधा घरेलू प्रसारण (डीटीएच) को अनुमति प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केबल ऑपरेटर सीधे घरेलू प्रसारण की इस योजना के विरुद्ध हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) सरकार का संसद में प्रस्तुत करने के लिए एक नया प्रसारण विधेयक बनाने का विचार है जिसमें डीटीएच सहित निजी प्रसारण के सभी पहलुओं को शामिल किया जायेगा।

[हिन्दी]

प्रौढ़ शिक्षा के लिए एजेन्सियों को सहायता

1202. श्री ब्रजमोहन राम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्वयंसेवी एजेन्सियों को सहायता" योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी एजेन्सियों और उनके लिए नियत स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या साक्षरता कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के साथ-साथ इन स्वयंसेवी एजेन्सियों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों को प्रदान की गई निधियों की राज्यवार और वर्षवार सूची सामान्य जानकारी के लिए संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जी, हाँ। अभिनिर्धारित बाह्य एजेंसियों द्वारा स्वैच्छिक एजेंसियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) मूल्यांकन एजेंसियों तथा मूल्यांकित की गई एजेंसियों की एक सूची विवरण-II, III और IV के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 के व्यय विवरण

1996-97

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम व पता	जारी की गई राशि (रुपयों में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश		
1.	आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल	16,35,000
		73,300
		5,00,000

1	2	3
2.	राज्य संसाधन केन्द्र, हैदराबाद	13,82,909
		15,49,499
असम		
3.	राज्य संसाधन केन्द्र, गुवाहाटी	6,99,727
	असम शिक्षा विज्ञान और कला सम्पदा केन्द्र	12,49,000
बिहार		
4.	एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (ए.डी.आर.आई.)	3,75,000
		3,68,000
		1,10,724
		10,00,000
		4,00,000
		2,36,842
		3,00,000
		3,61,431
		8,00,000
		10,77,000
5.	जय प्रकाश सेवा सदन, पटना	56,200
6.	पुस्तकालय सेवा सदन	25,510
7.	वैशाली समाज कल्याण	49,140
		27,405
8.	बाल एवं महिला ग्रामीण विकास संस्थान	2,78,300
9.	शिल्प औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान	54,000
10.	ग्राम स्वराज अभियान संस्थान	42,680
11.	राज्य संसाधन केन्द्र, दीपायतन	15,00,000
		12,54,157
12.	अल्पसंख्यक कल्याण संस्थान	25,251
13.	दरोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण औद्योगिक केन्द्र	1,20,120
14.	राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विद्यापीठ	66,000
15.	ईस्ट एण्ड वैस्ट एजूकेशन सोसायटी	1,00,000
16.	आर्य समाज बभनगामा	1,69,680
17.	वैशाली शांति समाज कल्याण संस्थान	13,306
18.	निर्माण भारती	46,776
19.	संजय प्रसाद सिंह ग्रामीण निगरानी समिति	25,800
20.	सेवाश्रम	94,900
21.	समता ग्राम सेवा संस्थान	1,44,000
पंजाब		
22.	क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, चण्डीगढ़	5,00,000
		4,00,000
दिल्ली		
23.	राज्य संसाधन केन्द्र, जामिया	7,99,636
	मिलिया इस्लामिया	64,079
		19,20,000
		5,00,000
24.	विजन इंडिया चेरिटेबल ट्रस्ट, अशोक रोड़	24,98,400
25.	जागोरी, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II	4,35,150
26.	सदभावना ट्रस्ट बी-64, दूसरी मंजिल, सर्वोदय एंक्लेव	13,04,050
27.	साउथ एशियन नेटवर्क फॉर आल्टरनेटिव	21,45,420
	मीडिया (एस.ए.एन.ए.एम.) मुनीरिका ग्राम	21,45,420
28.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली	4,37,074
29.	ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप	4,80,000
30.	सेन्टर फॉर मीडिया स्टडीज	3,96,750
गुजरात		
31.	श्रीमती बालाजोशी एजूकेशन ट्रस्ट	1,30,000
32.	गुजरात स्टेट क्राइम प्रिवेंशन ट्रस्ट	2,77,677
		63,600
33.	गुजरात विद्यापीठ	7,31,987
हरियाणा		
34.	विज्ञान, शिक्षा और कला संसाधन केन्द्र	2,00,000
		2,00,000
हिमाचल प्रदेश		
35.	राज्य संसाधन केन्द्र, शिमला	3,02,198
		3,00,000
जम्मू और कश्मीर		
36.	जम्मू और कश्मीर निराश्रय और विकलांग कल्याण परिषद	8,00,000

1	2	3
37.	राज्य संसाधन केन्द्र, कश्मीर विश्वविद्यालय	4,87,607
		90,660
	कर्नाटक	
38.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र	2,88,095
		18,00,000
39.	भारत विकास सेवा (अन्तर्राष्ट्रीय)	31,368
	केरल	
40.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, केरल	9,55,535
		15,00,000
		10,00,000
	मध्य प्रदेश	
41.	अभिव्यक्ति जनशिक्षा एवं संस्कृति समिति	6,00,000
		11,40,000
		2,30,000
42.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, इन्दौर	17,63,668
	भारतीय ग्रामीण महिला संघ	5,00,000
43.	अक्षर यात्रा अभियान समिति, बिलासपुर	2,25,000
44.	मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल, समिति	5,00,000
	महाराष्ट्र	
45.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुम्बई	3,00,000
46.	राज्य संसाधन केन्द्र शिक्षा संस्थान, पुणे	14,50,000
		13,76,700
		4,39,705
		1,00,000
47.	साक्षरता इक समिति साइस, ग्रेटर मुम्बई	2,39,400
48.	महाराष्ट्र राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	10,00,000
		17,71,988
	मेघालय	
49.	राज्य संसाधन केन्द्र, पूर्वोत्तर पर्वतीय	5,85,000
	विश्वविद्यालय, शिलांग	3,50,000
	उड़ीसा	
50.	ग्राम मंगल पाठागार	1,70,722
51.	यूथ एसोसिएशन फॉर	5,08,918
	रूरल रिकन्स्ट्रक्शन (वाई.ए.आर.आर.)	

1	2	3
52.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, उड़ीसा	11,18,164
		10,00,000
		3,32,343
		2,39,986
	राजस्थान	
53.	राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा परिषद्	13,77,343
	(राज्य संसाधन केन्द्र)	5,00,000
		14,49,083
	तमिलनाडु	
54.	सोसायटी फॉर एजूकेशन विलेज	1,49,549
	एक्शन एण्ड इम्प्रूवमेंट	
55.	पंजाब एसोसिएशन	17,795
		17,651
56.	बिमेन्स इंडिया एसोसिएशन	2,50,636
		1,99,097
57.	सतत शिक्षा बोर्ड, तमिलनाडु	2,13,806
		1,12,088
		8,98,853
		4,56,838
		18,00,000
58.	आनन्द बेलालर संगम	51,614
		66,259
59.	कांग्रेसन ऑफ दी सिस्टर्स ऑफ दी,	28,333
	क्रास, चौनाद	1,57,592
60.	यंग वीमेन्स क्रिश्चयन एसोसिएशन, चेन्नई	8,733
61.	तमिलनाडु सांइस फोरम, चेन्नई	1,32,050
	त्रिपुरा	
62.	भारत ज्ञान विज्ञान समिति	4,73,000
	(राज्य संसाधन केन्द्र)	
	पश्चिम बंगाल	
63.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन	18,00,000
	केन्द्र, कलकत्ता	5,93,096
		1,26,283
		15,00,000
64.	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	4,38,750

1	2	3
	उत्तर प्रदेश	
65.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति	2,33,690
		31,030
		1,21,500
		1,92,430
		82,480
		1,92,430
		97,200
66.	दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान	1,86,200
		26,355
67.	सुमन तकनीकी संस्थान	8,712
		44,300
		37,000
		35,440
68.	आदर्श सेवा समिति	45,275
		29,671
		1,84,200
		1,47,400
69.	निशात शिक्षा समिति	27,955
		37,319
		74,600
		54,900
70.	ग्रामीण सेवा मण्डल	77,140
71.	आजाद सेवा समिति	1,30,585
		23,492
		97,500
		1,04,000
		24,395
		1,21,880
72.	विवेकानन्द संस्थान	23,583
		1,06,970
		3,47,500
73.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र	1,25,925
74.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति	20,585
		64,750
		12,823
		68,500
75.	कानपुर ग्राम विकास सेवा संस्थान	3,76,000
76.	सृजन उत्तर प्रदेश	17,350
77.	श्रीराम शरण स्मारक सेवा संस्थान	26,965
78.	खादी ग्रामोद्योग निकेतन	77,715
79.	सरदार पटेल लोक कल्याण समिति	1,13,300
		73,400
		90,600
80.	अशोक संस्थान	3,04,000
		1,76,300
81.	संघन क्षेत्र विकास समिति	9,641
82.	वनवासी सेवा आश्रम	1,73,125
83.	नव चेतना विकास समिति	28,875
84.	ग्रामीण समाज कल्याण संस्थान	35,406
85.	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, इलाहाबाद	3,00,000
86.	राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता भवन	17,41,152
87.	अभियान लोधू थोक अतर्रा, बांदा	52,200
88.	ग्रामीण विकास एवं शिक्षण संस्थान	1,00,000
89.	जी.बी.पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस	1,21,000
90.	सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण, ग्रामीण विकास तथा शैक्षिक सोसाइटी संस्थान	28,745
91.	दलित मानव उत्थान संस्थान	58,263
92.	रूरल लिटीगेशन एंड एन्टाइटलमेंट केन्द्र	2,45,000
		1,22,500
		1,22,500
		48,500
93.	देवी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	40,500

विवरण-II

1997-98 के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों को जारी की गई निधियों की राज्यवार सूची

1997-98

क्र.सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	जारी की गई राशि
1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	आन्ध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसायटी, हैदराबाद	5,00,000
2.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता भवन, हैदराबाद	35,01,185
	असम	
3.	राज्य संसाधन केन्द्र, रा.सा.मि., असम, गुवाहाटी	19,12,000

1	2	3
4.	सदाऊ असम ग्राम्य पुथीभरल संस्था, असम	2,97,895
5.	अलकनन्दा मानव कल्याण संघ, असम	32,500
6.	बारखोतरी उन्नयन समिति, मुकालमुआ, असम	6,87,355
7.	राज्य संसाधन केन्द्र असम ज्ञान विज्ञान समिति असम	2,00,000
8.	जालुगुटी अग्रगामी महिला समिति, मोरी गाँव, असम	1,50,000
	बिहार	
9.	विवेक बिहार संस्थान, पटना बिहार	80,500
10.	दीपायतन, बिहार राज्य संसाधन केन्द्र, पटना	32,95,376
11.	एशियन डवलपमेंट रिसर्च संस्थान, वैशाली	61,60,990
12.	ग्राम स्वराज्य अभियान संस्थान, वैशाली	42,685
13.	बाल एवं महिला ग्रामीण विकास संस्थान, वैशाली बिहार	1,78,295
	दिल्ली	
14.	राज्य संसाधन केन्द्र, दिल्ली	25,88,858
15.	साउथ एशियन नेटवर्क फार आल्टरनेटिव मीडिया (एस.ए.एन.ए.एम.) मुनीरका, नई दिल्ली	7,50,000
16.	राष्ट्रीय विज्ञान, तकनीकी एवं विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	26,75,197
17.	डा॰ ए.वी. बालिका मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली	2,20,000
18.	सतत प्रौढ़ शिक्षा एवं विस्तार यूनिट, सामाजिक विज्ञान स्कूल, जवाहर लाल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	66,000
19.	विजन इंडिया चेरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली	20,00,000
20.	पटेल शिक्षा समिति, नई दिल्ली	76,000
21.	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली	8,48,029
22.	सदभावना ट्रस्ट, दिल्ली	7,00,000
23.	जागोरी, साउथ एक्सटेंशन-11, नई दिल्ली	2,00,000
	गुजरात	
24.	श्रीमती वी.के. बालजोशी एजूकेशन ट्रस्ट, मेहसाना	1,64,671
25.	गुजरात स्टेट क्राइम प्रिवेंशन ट्रस्ट	3,78,074
26.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	4,00,000
27.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	1,25,000
	हरियाणा	
28.	राज्य संसाधन केन्द्र, रोहतक	9,00,000
	हिमाचल प्रदेश	
29.	राज्य ज्ञान विज्ञान केन्द्र, राज्य संसाधन केन्द्र, शिमला	10,40,884
	जम्मू और कश्मीर	
30.	जम्मू और कश्मीर राज्य संसाधन केन्द्र कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	12,90,660
	कर्नाटक	
31.	राज्य संसाधन केन्द्र, मैसूर, कर्नाटक	35,55,834
	केरल	
32.	राज्य संसाधन केन्द्र, केरल	4,00,000
	मध्य प्रदेश	
33.	राज्य संसाधन केन्द्र अभिव्यक्ति, भोपाल	21,85,000
34.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, इन्दौर	41,00,000
35.	मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल समिति, भोपाल	5,00,000
36.	इन्दौर स्कूल ऑपफ सोशल वर्क, इन्दौर	39,625
37.	जिला साक्षरता समिति, बिलासपुर द्वारा संपूर्ण साक्षरता अभियान, साक्षरोत्तर अभियान और सतत शिक्षा की आधारी समेकित परियोजना	2,25,000
	महाराष्ट्र	
38.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुम्बई	20,000
39.	भारतीय शिक्षा संस्थान (राज्य संसाधन केन्द्र) पुणे	43,88,950
40.	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	12,50,000
41.	टाटा प्रबंधन संस्थान, मुम्बई	82,500
42.	सा.ओ.आर.ओ. फॉर लिटरेसी, मुम्बई	2,12,000
43.	जन कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम हेतु संसाधन संगठन समिति	1,04,153
44.	जिला संसाधन एकक, पुणे	2,32,000
45.	जिला संसाधन एकक, उत्तरी मुम्बई	2,32,000
	मणिपुर	
46.	दक्षिण पूर्व ग्रामीण विकास संगठन, मणिपुर	33,000

1	2	3
मेघालय		
47.	राज्य संसाधन केन्द्र, शिलांग पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	16,50,000
उड़ीसा		
48.	युवा एवं समाज विकास केन्द्र, भुवनेश्वर	31,170
49.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, उड़ीसा भुवनेश्वर	26,10,618
50.	भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति, उड़ीसा, भुवनेश्वर	1,40,500
51.	प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत शिक्षा हेतु क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़	21,74,750
राजस्थान		
52.	राज्य संसाधन केन्द्र, जयपुर	25,00,000
तमिलनाडु		
53.	अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, मद्रास	22,19,947
54.	स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	60,000
उत्तर प्रदेश		
55.	ग्रामीण विकास समिति, इलाहाबाद	3,36,420
56.	गिरी विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ	1,52,430
57.	ग्रामीण समाज कल्याण संस्था, मुजफ्फरनगर	25,290
58.	नव चेतना विकास समिति, सीतापुर	2,11,750
59.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति, सहारनपुर	2,25,212
60.	खादी ग्रामोद्योग निकेतन, नैनीताल	78,995
61.	राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता भवन, लखनऊ	36,85,868
62.	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, लखनऊ	2,00,000
63.	श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान, बदायूँ	1,67,156
64.	सुमन तकनीकी संस्थान, एटा जिला	18,206
65.	अशोक संस्थान, गाजीपुर जिला (उ०प्र०)	5,77,977
66.	आजाद सेवा समिति, शामली उ०प्र०	1,48,469
67.	आदर्श सेवा समिति, मुजफ्फरनगर	36,655
68.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	2,79,387
69.	ग्रामीण सेवा मण्डल, सराय मंसूर, इलाहाबाद	1,58,240
70.	देवी ग्रामोद्योग सेवी संस्थान, कडल कबीरा जिला जिला नैनीताल, उ०प्र०	44,350
71.	रूरल लिटीगेशन एण्ड एन्टाइटलमेंट केन्द्र, देहरादून (उ०प्र०)	2,94,000
72.	समाज उत्थान एवं अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	3,14,982
73.	सृजन उत्तर प्रदेश नेकपुर सिविल लाइन, बदायूँ (उ०प्र०)	41,029
74.	दलित मानव उत्थान संस्थान, इलाहाबाद (उ०प्र०)	90,722
75.	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, बिकापुर, फैजाबाद	1,36,682
76.	कनकपुर ग्राम विकास सेवा संस्थान, जिला, इलाहाबाद	2,61,419
77.	निशात शिक्षा समिति, हल्द्वानी, नैनीताल	43,979
78.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ	24,300
79.	सरदार पटेल लोक कल्याण समिति, भादेडाडू जिला बान्दा, उ०प्र०	22,493
80.	डा० अम्बेडकर समाज सेवा मण्डल, ग्राम बेस्की, जिला इलाहाबाद, उ०प्र०	2,59,614
81.	श्री महिला उद्योग समाज उत्थान समिति वृंदावन, जिला मथुरा, उ०प्र०	36,815
त्रिपुरा		
82.	राज्य संसाधन केन्द्र भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति, मेलाराष्ठ, अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा	4,00,000
पश्चिम बंगाल		
83.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, बंगाल सोशल सर्विस लीग, कलकत्ता	34,50,000
84.	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	2,71,250

विवरण-III

स्वैच्छिक एजेंसी प्रभाग

वर्ष 1998-99 के लिए व्यय विवरण

1998-99

क्र.सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	जारी की गई राशि	जोड़
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
1.	राज्य संसाधन केन्द्र-साक्षरता हाऊस, आन्ध्र महिला सभा, हैदराबाद	12,59,806	
2.	राज्य संसाधन केन्द्र, औरंगाबाद	12,00,000	

1	2	3	4
3.	राज्य संसाधन केन्द्र, आन्ध्र प्रदेश	16,60,000	
4.	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, औरंगाबाद	8,00,000	
5.	राज्य संसाधन केन्द्र, हैदराबाद	5,00,000	55,59,806
	असम		
6.	राज्य संसाधन केन्द्र, असम शिक्षा विज्ञान केन्द्र	5,00,000	
7.	राज्य संसाधन केन्द्र, असम	14,65,264	
8.	राज्य संसाधन केन्द्र, असम	4,00,000	23,65,264
	बिहार		
9.	राज्य संसाधन केन्द्र, एशियन विकास अनुसंधान	13,00,000	
10.	दिपायतन, बिहार	13,00,000	
11.	एशियन विकास अनुसंधान संस्थान, बिहार	2,23,801	
12.	राज्य संसाधन केन्द्र, दिपायतन, पटना	5,00,677	
13.	राज्य संसाधन केन्द्र एशियन विकास अनुसंधान संस्थान	4,50,000	
14.	राज्य संसाधन केन्द्र, एशियन विकास अनुसंधान संस्थान	9,00,000	
15.	राज्य संसाधन केन्द्र दिपायतन	16,60,000	
16.	राज्य संसाधन केन्द्र, एशियन विकास अनुसंधान संस्थान	7,60,000	
17.	राज्य संसाधन केन्द्र, एशियन विकास अनुसंधान संस्थान	5,00,000	
18.	राज्य संसाधन केन्द्र, एशियन विकास अनुसंधान संस्थान	5,00,000	80,94,478
	दिल्ली		
19.	जगोरी, सी-54 साउथ एक्सटेंशन-II	1,40,000	
20.	राज्य संसाधन केन्द्र, जा॰मि॰इ॰	1,11,000	
21.	राज्य संसाधन केन्द्र दिल्ली	7,66,529	
22.	पटेल एजूकेशनल सोसायटी, बौला कुआं	2,50,000	
23.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, 10-बी, आई.पी. इस्टेट,	22,450	
24.	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, 17-बी, इन्द्रप्रस्थ स्टेट	1,10,541	
25.	राज्य संसाधन केन्द्र, दिल्ली	10,40,990	
26.	राष्ट्रीय प्रौढ़ संस्था संस्थान	11,225	
27.	जागौरी, सी-54 साउथ एक्सटेंशन-II	67,955	
28.	राज्य संसाधन केन्द्र, दिल्ली	4,00,000	29,20,690
	गुजरात		
29.	श्रीमती बालजोशी एजूकेशनल ट्रस्ट, गुजरात	88,700	
30.	राज्य संसाधन केन्द्र भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद	1,25,000	
31.	राज्य संसाधन केन्द्र, गुजरात	15,71,001	
32.	राज्य संसाधन केन्द्र, गुजरात	4,00,000	19,71,001
	हरियाणा		
33.	राज्य संसाधन केन्द्र (अनुसंधान) 42/29 चाणक्यपुरी, रोहतक	5,00,000	
34.	राज्य संसाधन केन्द्र (अनुसंधान) 74/22 किशनपुरा, रोहतक	827	
35.	राज्य संसाधन केन्द्र (अनुसंधान) 74/21 चाणक्यपुरी, रोहतक	2,50,000	
36.	राज्य संसाधन केन्द्र, रोहतक	2,07,500	9,58,327
	हिमाचल प्रदेश		
37.	राज्य संसाधन केन्द्र राज्य ज्ञान विज्ञान केन्द्र शिवालिक सदन, शिमला	5,00,000	
38.	राज्य संसाधन केन्द्र, राज्य ज्ञान विज्ञान केन्द्र	2,99,688	
39.	राज्य संसाधन केन्द्र, शिमला	1,57,500	9,57,188
	जम्मू और कश्मीर		
40.	जम्मू और कश्मीर संसाधन केन्द्र कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	4,14,434	
41.	राज्य संसाधन केन्द्र, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	10,00,000	
42.	राज्य संसाधन केन्द्र, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर	4,00,000	18,14,434
	कर्नाटक		
43.	98-2 कालगरी रोड धारवाड़ी 580008 कर्नाटक	31,368	
44.	राज्य संसाधन केन्द्र, मैसूर	13,00,000	
45.	राज्य संसाधन केन्द्र, मैसूर	7,00,000	
46.	राज्य संसाधन केन्द्र, मैसूर	4,00,000	24,31,368

1	2	3	4
	केरल		
47.	राज्य संसाधन केन्द्र, केरल टैगोर नगर	8,50,000	
48.	राज्य संसाधन केन्द्र, केरल	10,33,691	
49.	राज्य संसाधन केन्द्र, केरल	11,50,000	
50.	राज्य संसाधन केन्द्र, केरल	4,00,000	34,33,691
	मध्य प्रदेश		
51.	राज्य संसाधन केन्द्र, ए.ई.एम.पी. भारतीय ग्रामीण महिला संघ	13,00,000	
52.	राज्य संसाधन केन्द्र, अभिव्यक्ति मध्य प्रदेश, भोपाल	8,50,000	
53.	प्रौढ़ शिक्षा, राज्य संसाधन केन्द्र भारतीय ग्रामीण महिला संघ	1,80,000	
54.	प्रौढ़ शिक्षा, राज्य संसाधन केन्द्र भारतीय ग्रामीण महिला संघ	9,00,000	
55.	राज्य संसाधन केन्द्र अभिव्यक्ति, भोपाल	10,81,077	
56.	राज्य संसाधन केन्द्र, इन्दौर	7,60,000	
57.	राज्य संसाधन केन्द्र, इन्दौर	5,00,000	
58.	राज्य संसाधन केन्द्र, इन्दौर	4,00,000	59,71,077
	महाराष्ट्र		
59.	महाराष्ट्र प्रौढ़ शिक्षा राज्य संस्थान (आर.आर.सी.)	14,60,680	
60.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	752	
61.	भारतीय शिक्षा संस्थान, राज्य संसाधन केन्द्र जे.पी. नायक पंथ कोटारूढ़, पुणे	1,63,750	
62.	भारतीय शिक्षा संस्थान, राज्य संसाधन केन्द्र जे.पी. नायक, पथ कोटारूढ, पुणे	20,00,000	
63.	प्रौढ़ शिक्षा महाराष्ट्र राज्य संस्थान प्रादेशिक संसाधन केन्द्र, औरंगाबाद	9,52,678	
64.	राज्य संसाधन केन्द्र, पुणे	9,60,000	
65.	राज्य संसाधन केन्द्र, पुणे	5,00,000	
66.	राज्य संसाधन केन्द्र, औरंगाबाद	4,00,000	64,37,860
	मेघालय		
67.	एन.ई.एच.यू. राज्य संसाधन केन्द्र	12,00,000	
68.	राज्य संसाधन केन्द्र, एन.ई.एच.यू.	4,00,000	16,00,000
	मणिपुर		
69.	ग्रामीण विकास संस्था, भवन वनगगीनंग बाजार, मणिपुर	2,12,900	
70.	वागजिंग महिला एवं बालिका संस्था	7,52,500	9,65,400
	उड़ीसा		
71.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, उड़ीसा	11,00,000	
72.	राज्य संसाधन केन्द्र, उड़ीसा	9,00,000	
73.	राज्य संसाधन केन्द्र, भुवनेश्वर	4,00,000	24,00,000
	पंजाब		
74.	पंजाब पिछड़ी जाति विकास बोर्ड 1070-बी, चंडीगढ़	1,33,000	
75.	प्रादेशिक संसाधन केन्द्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	10,49,646	
76.	प्रादेशिक संसाधन केन्द्र, चंडीगढ़	5,25,000	
77.	प्रादेशिक संसाधन केन्द्र, चंडीगढ़	4,00,000	21,07,646
	राजस्थान		
78.	राज्य संसाधन केन्द्र, राजस्थान	5,00,000	
79.	राज्य संसाधन केन्द्र, राजस्थान	10,08,872	
80.	राज्य संसाधन केन्द्र, जयपुर	16,60,000	31,68,872
	तमिलनाडु		
81.	राज्य संसाधन केन्द्र, तमिलनाडु सतत शिक्षा बोर्ड, अड्डयार, चेन्नई	13,00,000	
82.	राज्य संसाधन केन्द्र, चेन्नई	5,00,000	
83.	राज्य संसाधन केन्द्र, तमिलनाडु	4,03,397	
84.	अनौपचारिक शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र शिक्षा सं. 1 प्रथम गली, चेन्नई	9,00,000	
85.	राज्य संसाधन केन्द्र, तमिलनाडु	7,60,000	38,63,397
	त्रिपुरा		
86.	राज्य संसाधन केन्द्र, त्रिपुरा	2,32,000	
87.	राज्य संसाधन केन्द्र, भारत ज्ञान विज्ञान समिति	2,00,000	
88.	राज्य संसाधन केन्द्र, त्रिपुरा	2,00,000	6,32,000

1	2	3	4
	उत्तर प्रदेश		
89.	राज्य संसाधन केन्द्र, उ०प्र० साक्षरता हाउस	5,00,000	
90.	प्रादेशिक संसाधन केन्द्र, इलाहाबाद	2,00,000	
91.	ग्रामीण सेवा मंडल, इलाहाबाद	95,424	
92.	महिला विद्या प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	1,69,120	
93.	संजय अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	1,24,587	
94.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति, सहारनपुर	9,942	
95.	राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता हाउस, लखनऊ	13,00,000	
96.	राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता हाउस, लखनऊ	5,69,761	
97.	निशांत शिक्षा समिति, नैनीताल	74,675	
98.	पी.एल.सी. निशांत शिक्षा समिति	9,913	
99.	देवी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	32,007	
100.	देवी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	9,641	
101.	प्रादेशिक संसाधन केन्द्र, इलाहाबाद	1,82,500	
102.	राज्य संसाधन केन्द्र, लखनऊ	16,60,000	
103.	गंतव्य हिमाद्री क्रिस्टन मिरर	1,47,200	
104.	अशोक संस्थान	44,175	
105.	आर.एल.ई.के. देहरादून	24,500	
106.	आर.एल.ई.के. देहरादून	49,000	
107.	गिरि देव अध्ययन संस्थान, लखनऊ	1,25,000	
108.	श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान, बचायूं	29,725	
109.	भारतीय सेवा शिक्षण संस्थान, चक्रोत, इलाहाबाद	2,23,984	55,81,154
	पश्चिम बंगाल		
110.	प्रौढ़ शिक्षा, राज्य संसाधन केन्द्र, पश्चिम बंगाल	5,00,000	
111.	प्रौढ़ शिक्षा, राज्य संसाधन केन्द्र, पश्चिम बंगाल	10,50,792	
112.	राज्य संसाधन केन्द्र, पश्चिम बंगाल	16,60,000	32,10,792
	कुल	6,65,18,147	

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों के दौरान मूल्यांकन एजेंसी तथा मूल्यांकित की गई एजेंसी की सूची

क्र० सं०	मूल्यांकन एजेंसी का नाम	मूल्यांकित की गई एजेंसी का नाम
1.	राज्य संसाधन केन्द्र, लखनऊ	भारतीय शिक्षण सेवा संस्थान, इलाहाबाद
2.	गोविन्द बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद	जिला बांदा, अभियान युवा विकास पटेल समिति
		जिला वाराणसी वैरागी संस्थान मानव केन्द्र टेरेसा स्कूल मोर्या निकेतन शास्त्री निकेतन
		जिला जालौन संस्कृत परासर जिला गोंडा, आर.वी. संस्थान
3.	गिरी विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ	आजाद सेवा समिति वी.बी. इन्टर कालेज रोड शामली, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
		देवी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, गांव कछलकोरा, पी.ओ. भुवाली, जिला नैनीताल, उत्तर प्रदेश
		दिशा सामाजिक संगठन, सुल्तानपुर विलकाना, जिला सहारनपुर, उ०प्र०
		ग्रामीण समाज कल्याण समिति, गाँव खेड़ा अफगान ब्लाक नाकुद, जिला सहारनपुर, उ०प्र०
		ग्रामीण समाज कल्याण संस्थान गांव खेड़ा तागन, पी.ओ. नवला जिला-मुजफ्फरनगर उ०प्र०
		खादी ग्रामोद्योग निकेतन महुआ दावरा, पो.ओ. जासपुर, जिला नैनीताल (उ०प्र०)
		नव चेतना विकास समिति, गाँव पो.ओ. मेनासीसरिया जिला सीतापुर (उ०प्र०)
		निशांत शिक्षा समिति, अस्थाना नई बस्ती हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उ०प्र०)
		सर्वोदय शिक्षा सदन समिति, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद उ०प्र०
		सुमन तकनीकी संस्थान, गंज धुनदवार, जिला एटा, (उ०प्र०)
4.	प्रबंध स्कूल, भरतियार विश्वविद्यालय	राज्य संसाधन केन्द्र, मैसूर
5.	गिरी विकास संस्थान, लखनऊ	राज्य संसाधन केन्द्र, दिल्ली राज्य संसाधन केन्द्र, लखनऊ

क्र० सं०	मूल्यांकन एजेंसी का नाम	मूल्यांकित की गई एजेंसी का नाम
6.	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	राज्य संसाधन केन्द्र, दीपायतन राज्य संसाधन केन्द्र, भुवनेश्वर
7.	भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद	राज्य संसाधन केन्द्र, पुणे राज्य संसाधन केन्द्र, औरंगाबाद
8.	जे.एन.यू., दिल्ली	राज्य संसाधन केन्द्र, इन्दौर राज्य संसाधन केन्द्र, अहमदाबाद
9	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	राज्य संसाधन केन्द्र, जयपुर राज्य संसाधन केन्द्र, जम्मू और कश्मीर
10.	राज्य ससाधन केन्द्र पूर्वोत्तर हिल, विश्वविद्यालय	बांगजिंग महिला एवं बालिका संस्था
11.	राज्य संसाधन केन्द्र, दिल्ली	पटेल शिक्षा संस्था, नई दिल्ली बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली
12.	राज्य संसाधन केन्द्र, एशियन विकास अनुसंधान संस्थान (ए.डी.आर.आई) पटना, बिहार	1997 में बिहार के 11 गैर सरकारी संगठन
13.	राज्य संसाधन केन्द्र दीपायतन, बिहार	1997 में 12 गैर सरकारी संगठन

नवोदय और केन्द्रीय विद्यालय

1203. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थानवार कितने नवोदय विद्यालय हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्राथमिकता के आधार पर राज्यों के उन जिलों में नवोदय अथवा केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का है जहां पर ये विद्यालय नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) हिमाचल प्रदेश के किन-किन जिलों में ये विद्यालय नहीं हैं और जिनकी स्थापना के लिए संसद सदस्यों की सिफारिशें मिली हैं; और

(ङ) ये विद्यालय कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है और ये विद्यालय राज्यवार कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार 30 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अभी तक 408 जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख) और (ग) देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रयत्न किया जाता है बशर्ते कि जब तक समिति, स्थायी जगह पर सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा और वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर स्वयं का विद्यालय परिसर निर्मित नहीं कर लेती तब तक जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रारंभिक स्थापना के लिए उपयुक्त अस्थायी स्थान के साथ उचित निःशुल्क 30 एकड़ भूमि का प्रावधान हो। फिलहाल केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय-बिलासपुर व उना नवोदय नवोदय विद्यालय-कुल्लू।

(ङ) नए जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का स्थान/समय राज्य सरकार से उचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर है। हाल में नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

नवोदय विद्यालयों हेतु संस्वीकृति प्राप्त जिलों की सूचना

अण्डमान व निकोबार

1. कार निकोबार
2. साउथ अण्डमान

आन्ध्र प्रदेश

3. अदिलाबाद
4. अनन्तपुर
5. चित्तूर
6. कुडप्पा
7. ईस्ट गोदावरी
8. गुन्टूर
9. करीमनगर
10. खम्माम
11. कृष्णा
12. कुर्नूल
13. महबूबनगर
14. मेडक
15. नलगोण्डा
16. नेलोर
17. निजामाबाद
18. प्रकाशम्
19. रंगा रेड्डी
20. श्रीकाकुलम
21. विशाखापतनम
22. विजीयानगरम
23. वारांगल
24. वेस्ट गोदावरी

अरुणाचल प्रदेश

25. चांगलांग
26. डिबंग वैली
27. ईस्ट कामेंग
28. लोहित
29. लोअर सुबानसिरी
30. टावांग
31. टीराप
32. अपर सुबानसिरी

असम

33. बारपेटा
34. कचार
35. डाररंग
36. डिब्रूगढ़
37. गोलपाड़ा
38. गोलाघाट
39. हैलकांडी
40. जोरहाट
41. कामरूप
42. कारबी-ऐंगलौंग
43. करीमनगर
44. कोकराझार
45. लखिमपुर

46. मोरीगाँव
47. नलबाड़ी
48. शिवसागर
49. सोनीतपुर
50. तिनसुकिया

बिहार

51. अररिया
52. औरंगाबाद
53. बांका
54. बेगुसराय
55. झझुआ
56. भागलपुर
57. भोजपुर
58. बोकारो
59. बक्सर
60. छपरा
61. दरभंगा
62. देवघर
63. धुमका
64. गरवा
65. गया
66. गिरीडीह
67. गोडा
68. गोपालगंज
69. गुमला
70. हिजारी बाग
71. जमुई
72. जहानाबाद
73. कटियार
74. खगडिया
75. किशनगंज
76. लोहारडागा
77. मधेपुरा
78. मधुबनी
79. मोतीहारी
80. मुंगेर
81. मुजफ्फरपुर
82. नालंदा
83. नवादा
84. पलामू
85. पटना
86. पूर्णिया
87. रॉची
88. सहरसा
89. साहिबगंज
90. समस्तीपुर
91. सारण
92. शेखपुरा
93. सीतामढी
94. सिवान
95. सुपोल
96. वैशाली
97. पश्चिमी चम्पारण
98. पश्चिमी सिंहभूम

चंडीगढ़

99. चंडीगढ़

दादरा व नगर हवेली

100. सिली

दमन व दीप

101. दमन
102. दीव

दिल्ली

103. दिल्ली
104. जफरकलांम

गोवा

105. कानाकोना
106. बालपोयी ,

गुजरात

107. अमरेली
108. भरूच
109. जामनगर
110. जूनागढ
111. खेडा
112. कच्छ
113. मेहसाना
114. पंचमहल
115. राजकोट
116. साबरकंठा
117. सूरत
118. सुरेन्द्र नगर
119. बडोदरा
120. भावनगर
121. गांधी नगर

हरियाणा

122. भिवानी
123. फरीदाबाद
124. गुडगांव
125. हीसार
126. जींद
127. कैथल
128. करनाल
129. कुरुक्षेत्र
130. महेन्द्रगढ
131. पंचकुला
132. रिवाडी
133. रोहतक
134. सिरसा
135. सोनीपत
136. पानीपत

हिमाचल प्रदेश

137. बिलासपुर
138. चम्बा
139. हमीरपुर
140. कांगडा
141. किन्नौर
142. मंडी
143. शिमला
144. सिरमौर
145. सोलन
146. उना

जम्मू व कश्मीर

147. अनन्तनाग
148. बडगांव
149. बारामुल्ला
150. डोडा
151. जम्मू
152. कारगिल
153. कथुआ
154. कुपवाडा
155. लेह
156. पूंछ
157. पुलवामा
158. राजौरी
159. श्रीनगर
160. ऊधमपुर

कर्नाटक

161. बंगलौर (आर.)
162. बंगलौर (उ यू.)
163. बेलगांव
164. बेल्लारी
165. बीदर
166. बीजापुर
167. चिकमंगलूर
168. चित्रदुर्ग
169. धारवाड
170. गुलबर्गा
171. हसन
172. कुडुगू
173. कुलार
174. मांडया
175. मैसूर
176. नार्थ किनारा
177. कोपल
178. शिमोंगा
179. द. किनारा
180. टुमकुर
181. सदाग
182. रायचूर

केरल

183. एलेपी
184. कालीकट
185. कानानोर
186. इरनाकुलम
187. इडुक्की
188. कासरगोड
189. कुल्लम
190. कोट्टायम
191. मालापुरम
192. पी. थिटा
193. पालघाट
194. त्रिचूर

लक्षद्वीप

195. मिनीकोय

मध्य प्रदेश

196. बालघाट
197. बस्तर
198. बेतूल
199. भीण्ड
200. भोपाल
201. बिलासपुर
202. छतरपुर
203. छिन्दवाड़ा
204. दमोह
205. दतिया
206. देवास
207. धार
208. दुर्ग
209. गुना
210. ग्वालियर
211. इुसंगाबाद
212. इन्दौर
213. जबलपुर
214. झबुआ
215. खंडुवा
216. खरगॉव
217. मांडला
218. मंदसौर
219. मुरैना
220. नरसिंहपुर
221. पन्ना
222. रायगढ़
223. रायपुर
224. राजसीन
225. राजगंड
226. राजनंदगॉव
227. रतलाम
228. रीवा
229. सागर
230. सरगुजा
231. सतना
232. सिहोर
233. सिवनी
234. शहडोल
235. शाजापुर
236. शिवपुरी
237. सीधी
238. टीकमगढ़
239. उज्जैन
240. विदिशा

महाराष्ट्र

241. अहमदनगर
242. अकोला
243. अमरावती
244. औरंगाबाद
245. बीड
246. भैडारा
247. बुलधाना
248. चंद्रपुर
249. धुले
250. गदचीरोली
251. जलगॉव
252. जालना
253. कोल्हापुर
254. लातूर
255. नागपुर
256. नानदेड़
257. नासिक
258. ओसमानाबाद
259. परभानी
260. रायगोड
261. रतनागिरी
262. सांगली
263. सतारा
264. सिंधुदुर्ग
265. सोलापुर
266. थाणे
267. वर्धा
268. यावतमल

मणिपुर

269. बिष्णुपुर
270. चंदेल
271. चुराचांदपुर
272. ईम्फाल
273. सेनापटी
274. तामेंगलॉग
275. थूबाल
276. उखरूल

मेघालय

277. ईस्ट गारो हिल्स
278. ईस्ट खासी हिल्स
279. जयन्तिया हिल्स
280. साऊथ गारो हिल्स
281. वेस्ट गारो हिल्स
282. वेस्ट खासी हिल्स

मिजोरम

283. आइजॉल
284. छिमटुईपुई
285. लुगंलुई

नागालैंड

286. कोहिमा
287. फेक
288. तुयेनसांग
289. वोखा

उड़ीसा

290. अंगुल
291. बालासोर
292. बोलानगीर
293. कटक
294. ढेनकानाल
295. गंजाम
296. कालाडांडी
297. केन्द्रपाड़ा
298. क्योनझार
299. कोरापुट
300. मयूरभंज
301. नवाफदे
302. फुलबनी
303. संबलपुर
304. सुन्दरगढ़
305. पुरी

पाण्डीचेरी

306. करैकाल
307. माहे
308. पाण्डीचेरी
309. यनाम

पंजाब

310. अमृतसर
311. भटिण्डा
312. फरीदकोट
313. फतेहगढ़
314. फिरोजपुर
315. गुरदासपुर
316. होशियारपुर
317. जालंधर
318. कपुरथला

319. पटियाला
320. रोपड़
321. संगरूर

राजस्थान

322. अजमेर
323. अलवर
324. बंसवाड़ा
325. बरान
326. बारमेर
327. भरतपुर
328. भीलवाड़ा
329. बीकानेर
330. बुन्दी
331. चित्तोरगढ़
332. चुरू
333. दौसा
334. धौलपुर
335. डुंगरपुर
336. गंगानगर
337. जयपुर
338. जैसलमेर
339. झालावाड जालौर
340. झालावाड
341. झुनझुनी
342. जोधपुर
343. कोटा
344. नागौर
345. पाली
346. राजसमंद
347. सीकर
348. सिराडी
349. सवाई माधोपुर
350. टोंक

सिक्किम

351. उत्तर सिक्किम
352. दक्षिण सिक्किम
353. पश्चिम सिक्किम

त्रिपुरा

354. उत्तर त्रिपुरा
355. दक्षिण त्रिपुरा
356. पश्चिम त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश

357. आगरा
358. अलीगढ़
359. इलाहाबाद
360. अल्मोडा
361. आजमगढ़
362. बदायू
363. बहराइंच
364. बलिया
365. बाराबंकी
366. बरेली
367. बस्ती
368. भदोई
369. बिजनौर
370. बुलन्दशहर
371. चमोली
372. देवरिया
373. एटा
374. इटावा
375. फैजाबाद
376. फरूखाबाद
377. फिरोजाबाद
378. गाजियाबाद
379. गाजीपुर
380. गोडा
381. गोरखपुर
382. हमीरपुर
383. हरदोई
384. हरिद्वार
385. जौनपुर
386. झांसी
387. कानपुर
388. ललितपुर
389. मैनपुरी
390. मथुरा
391. मऊ
392. मेरठ
393. मिर्जापुर
394. मुजफ्फरनगर
395. नैनीताल
396. पिथौरागढ़
397. रायबरेली
398. सिद्धार्थ नगर
399. सीतापुर
400. सुल्तानपुर
401. टिहरी गढ़वाल
402. उन्नाव
403. उत्तरकाशी
404. प्रतापगढ़
405. जालौन
406. महाराजगंज
407. पीलीभीत
408. कानपुर देहात

[अनुवाद]

चंडीगढ़ में टी.वी. कार्यक्रम बनाने का केन्द्र

1204. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्य योजना के अनुसार चंडीगढ़ में टी.वी. कार्यक्रम बनाने वाले केन्द्र को 1995 तक लागू हो जाना था;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) उक्त केन्द्र के कब तक चालू हो जाने की उम्मीद है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) चण्डीगढ़ स्थित टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र में विलम्ब, मुख्य रूप से चण्डीगढ़ प्रशासन से स्थल के दखल और भवन योजना के अनुमोदन में देरी के कारण रहा।

(ग) और (घ) भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है और इस परियोजना के वर्ष 2000-2001 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर/बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर

1205. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान हिमाचल प्रदेश में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर/बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर प्रोजेक्ट लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रोजेक्टवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में इन ट्रांसमीटरों को कब तक लगाए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश में 1998-99 के दौरान 2 अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर और 7 अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर तथा 1997-98 के दौरान 1 अति शक्ति ट्रांसमीटर चालू किए जा चुके हैं। वर्तमान में, 1 उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर, 1 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 9 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाएं राज्य में कार्यान्वयनाधीन हैं और नौवीं योजना के दौरान चरणों में पूरी किए जाने हेतु अनुसूचित हैं। 1997-98 और 1998-99 के दौरान हिमाचल प्रदेश में चालू की गयी अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं एवं वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क. 1997-98 के दौरान चालू की गयी ट्रांसमीटर परियोजनाएं

1. अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कोटखाई

ख. 1998-99 के दौरान चालू की गयी ट्रांसमीटर परियोजनाएं

अल्पशक्ति ट्रांसमीटर

1. सुजानपुर
2. सुन्दर नगर

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

1. परवानो
2. चौपाल
3. निचार
4. पिरभायानू
5. उदयपुर
6. कारसोग
7. बंजार

ग. हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन ट्रांसमीटर परियोजनाएं

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

1. शिमला (डीडी-2)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

1. मण्डी (डीडी-2)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

1. आशापुरी
2. आवाहदेवी
3. बिजली महादेव
4. चौरी खास
5. डलहौजी
6. जतिनगिरी
7. काजा
8. नेहरी
9. तिस्सा

मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए संस्थान

1206. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए संस्थाएं स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष कर मुंबई में ऐसी और संस्थाएं स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनकी कब तक स्थापना हो जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद की स्थापना मानसिक मंदता के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए किया गया है। अन्य कार्यकलापों के अतिरिक्त यह देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से मानसिक रूप से मंद बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण देता है। राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:

1. विशेष शिक्षा केन्द्र, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश
2. मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए आदर्श स्कूल, नई दिल्ली
3. अंकुर मूल्यांकन तथा हस्तक्षेप केन्द्र, नई दिल्ली
4. एन.आई.एम.एच. क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई
5. एन.आई.एम.एच. क्षेत्रीय केन्द्र, कलकत्ता

(ग) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, सरकार मानसिक रूप से मंद बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र समेत देश में बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठनों को सहायता देता है।

[अनुवाद]

कार्यवाही हेतु लंबित शिकायतें

1207. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, उद्यान विज्ञान निदेशालय, हुडको और सम्पदा निदेशालय से संबंधित अलग-अलग कितनी शिकायतें कार्यवाही हेतु लंबित हैं;

(ख) उन शिकायतों/पत्रों पर कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इनको कब तक अन्तिम रूप दिए जाने कि संभावना है;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सरकारी कालोनियों और मकानों का उचित रख-रखाव करने में विफल हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) इन संगठनों के बारे में कार्रवाई हेतु लंबित शिकायतों की संख्या निम्नलिखित अनुसार है:

डी. डी. ए.	1148
सी.पी.डब्ल्यू.डी.	21
हडको	शून्य
सम्पदा निदेशालय	शून्य

(ख) सतर्कता विभाग में प्राप्त होने वाली काफी शिकायतें गुमनाम/झूठनाम की होती हैं और इनमें पूरी जानकारी नहीं होती है जिसके परिणामस्वरूप शिकायतों की विषय-वस्तु के सत्यापन में काफी समय लगता है। इसके अलावा काफी मामलों में शिकायतें पुरानी घटनाओं के बारे में होती हैं और ऐसे मामलों में गलती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान में और रिकार्ड इकट्ठा करने में पदस्थ व्यक्तियों के स्थानांतरण के कारण मुख्य रूप से समय लगता है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि जांच-पड़ताल यथाशीघ्र पूरी हो जाए।

सी.पी.डब्ल्यू.डी.- कोई विलम्ब नहीं होता है। शिकायतें मोटे तौर पर सामान्य रख-रखाव और अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों से सम्बन्धित है। रख-रखाव एक सतत प्रक्रिया है और शिकायतें धन (फंड) उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त समय में दूर कर दी जाती है। जहां तक अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों से सम्बन्धित मामलों का संबंध है इन पर कार्रवाई की जाती है और पात्र मामलों में प्रतीक्षा सूची में उनकी बारी आने पर नियुक्तियां दी जाती हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर सरकारी कालोनियों एवं क्वार्टरों का रख-रखाव किया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में एच.पी.टी. को एच.पी.टी. में परिवर्तित करना

1208. श्री राजो सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बिहार के शेखपुरा में दूरदर्शन के कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाला बनाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो इस पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है तथा इस परियोजना को पूरा करने हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है; और

(ङ) इस उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) बिहार में जमशेदपुर और पटना (डीडी-2) में मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना करने की स्कीमें इस समय कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रिक्त आरक्षित पद

1209. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 नवम्बर, 1999 को स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के के लिए आरक्षित कितने पद उनके मंत्रालय तथा उनके प्रत्येक उपक्रम में रिक्त पड़े हैं;

(ख) ये पद किस तारीख से रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) मंत्रालय

अनुसूचित जाति-257

अनुसूचित जनजाति-161

अन्य पिछड़ा वर्ग-490

नैशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन

अनुसूचित जाति-10

अनुसूचित जनजाति-9

अन्य पिछड़ा वर्ग-22

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जब कभीः

(I) सम्बन्धित भर्ती करने वाले प्राधिकारी/प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी से प्राप्त नामांकन/सिफारिश प्राप्त होगी।

(II) जब कभी नई भर्ती से रोक हटेगी

विवरण

मंत्रालय (सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों सहित) नैशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कारपोरेशन

वर्ष	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु.जा.	अनु. जनजा.	अन्य पिछड़ा वर्ग
1982	9	3	-	-	-	-
1983	7	1	-	-	-	-
1984	32	12	-	-	-	-
1985	11	2	-	-	-	-
1986	13	6	-	-	-	-
1987	15	6	-	-	-	-
1988	5	3	-	-	-	-
1989	8	5	-	-	-	-
1990	14	3	-	-	-	-
1991	7	7	-	-	-	-
1992	9	6	-	-	-	-
1993	9	2	-	-	-	-
1994	5	7	10	-	-	-
1995	9	9	66	-	-	-
1996	8	5	47	-	-	-
1997	32	38	149	10	9	22
1998	33	30	173	-	-	-
1999	31	16	45	-	-	-

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टी.वी. टॉवर

1210. **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में गौरेला में टी.वी. टॉवर का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर कितना व्यय किया गया;

(ग) यदि नहीं, तो इसके पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस टॉवर को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हाँ।

(ख) अब तक चुक किया गया व्यय 51.39 लाख रुपए है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गरीबी उपशमन योजनाएं

1211. **श्री दिनशा पटेल** : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकार द्वारा कितनी गरीबी उपशमन योजनाएं शुरू की गई हैं और उनका योजना-वार, राज्य-वार बजटीय आवंटन कितना है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कितनी योजनाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है और इनका बजटीय आवंटन कितना होगा?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) यह मंत्रालय इस समय अर्थात् 1.12.97 से लागू स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक एक संयुक्त कार्यक्रम चला रहा है। इससे पूर्व नेहरू रोजगार योजना, गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं तथा प्रधानमंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नामक 3 योजनाएं चलाई जा रही थी।

नेहरू रोजगार योजना, गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं और प्रधानमंत्री का समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नामक पहले की 3 योजनाओं के लिए वर्ष 1996-97 और 1997-98 का बजटीय आवंटन तथा वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का बजटीय आवंटन क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना नामक नई संयुक्त स्कीम को इस मंत्रालय द्वारा प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 176.35 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

विवरण-I

पहले के शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के तहत केन्द्रीय राशियों के नियतन का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	ने.रो.यो.		पीएमआई यूपीईपी		यूपीएसपी	
		1996-97	1997-98@	1996-97	1997-98@	1996-97	1997-98@
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	443.85	248.02	866.13	372.70	208.85	88.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	28.20	45.53	95.80	-	-	-
3.	असम	135.70	110.97	314.79	-	11.00	-
4.	बिहार	454.80	178.61	443.04	-	135.70	-
5.	गोआ	11.39	14.83	58.56	38.73	16.50	5.50
6.	गुजरात	77.72	76.61	315.55	221.81	96.35	50.85
7.	हरियाणा	84.75	59.99	103.68	69.57	26.85	8.65
8.	हिमाचल प्रदेश	60.15	28.14	82.64	58.09	11.00	5.50
9.	जम्मू और कश्मीर	62.70	43.46	128.55	90.36	-	-
10.	कर्नाटक	147.72	135.04	343.12	241.19	63.30	-
11.	केरल	149.25	92.88	186.24	100.03	65.30	48.40
12.	मध्य प्रदेश	396.95	371.35	437.78	293.75	116.15	97.25
13.	महाराष्ट्र	608.20	312.30	512.91	360.54	44.35	-
14.	मणिपुर	47.60	43.65	68.43	-	11.00	5.50
15.	मेघालय	29.30	29.53	42.63	-	14.50	11.00
16.	मिजोरम	21.85	31.81	27.79	-	16.50	11.00
17.	नागालैंड	-	-	123.18	-	-	-
18.	उड़ीसा	90.05	71.48	145.54	-	20.40	23.35
19.	पंजाब	103.60	83.67	270.55	116.42	16.45	8.65
20.	राजस्थान	271.25	208.28	447.18	192.42	71.40	39.95
21.	सिक्किम	22.70	17.15	36.73	-	5.50	5.50
22.	तमिलनाडु	478.00	223.31	647.00	397.70	216.90	189.85
23.	त्रिपुरा	21.75	34.21	27.37	-	16.50	11.00
24.	उत्तर प्रदेश	1025.45	519.33	884.32	621.61	368.95	127.90
25.	प. बंगाल	179.00	99.39	390.49	-	178.95	52.75
26.	अंडमान नि. द्वी. समूह	15.00	9.38	30.00	14.85	-	-
27.	चंडीगढ़	9.35	7.18	-	-	18.30	18.30
28.	दादरा नगर हवेली	6.07	5.23	-	-	9.15	9.15
29.	दमन व दीव	12.65	9.59	-	-	9.15	18.30
30.	दिल्ली	-	-	-	-	11.00	-
31.	पांडिचेरी	-	9.05	30.00	-	-	5.50
	योग	4995.00	3119.97	7060.00	3189.77	1780.00	841.85
					*0.30		
					3190.07		

एनआरवाई - नेहरू रोजगार योजना
पीएमआई यूपीईपी - प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
यूपीएसपी - गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं
@ - 30.11.1997 तक
* - 1997-98 में एच एस एम आई को 0.30 लाख रु. जारी किए।

विवरण-II

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान केन्द्रीय राशियों के नियतन का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1997-98 के दौरान नियतन	1998-99 के दौरान नियतन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	839.66	1364.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	50.99	65.01
3.	असम	540.38	823.08
4.	बिहार	506.09	779.22
5.	गोआ	20.94	34.40
6.	गुजरात	521.86	788.28
7.	हरियाणा	86.87	134.79
8.	हिमाचल प्रदेश	50.54	74.94
9.	जम्मू व कश्मीर	63.54	72.31
10.	कर्नाटक	736.46	1114.08
11.	केरल	202.99	377.09
12.	मध्य प्रदेश	927.18	1511.77
13.	महाराष्ट्र	1402.22	2043.29
14.	मणिपुर	122.95	191.12
15.	मेघालय	73.24	118.45
16.	मिजोरम	69.63	125.64
17.	नागालैंड	53.33	84.16

1	2	3	4
18.	उड़ीसा	223.11	360.44
19.	पंजाब	68.33	135.22
20.	राजस्थान	329.91	620.52
21.	सिक्किम	20.51	30.98
22.	तमिलनाडु	919.56	1479.77
23.	त्रिपुरा	93.98	157.74
24.	उत्तर प्रदेश	1181.03	1988.42
25.	प. बंगाल	518.63	822.00
26.	अंडमान नि. द्वीप समूह	72.66	116.43
27.	चंडीगढ़	48.42	80.98
28.	दादरा नगर हवेली	12.50	37.67
29.	दमन और दीव	50.05	63.92
30.	दिल्ली	32.70	183.61
31.	पांडिचेरी	22.66	67.39
	कुल	9862.92	15847.00

[हिन्दी]

"हेपटाइटीस" का टीका

1212. **श्री भीम दाडाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.जी.एच.एस. के सभी औषधालय "हेपटाइटीस" का टीका देते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी औषधालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) से (घ) जी, नहीं। हैपेटाइटिस की वैक्सीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में नियमित आधार पर नहीं दी जाती क्योंकि इसे रोग प्रतिरक्षण की विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। हैपेटाइटिस वैक्सीन उन डॉक्टरों और पैरा चिकित्सा स्टाफ को दी जाती है जो सुभेद्य रोगियों के सीधे संपर्क में आते हैं।

तथापि, उपर्युक्त वैक्सीन की जब सरकारी अस्पताल के विभागाध्यक्ष द्वारा सलाह दी जाती है तो उसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को दिया जाता है।

[अनुवाद]

फिल्म उद्योग को उद्योग का दर्जा

1213. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाचे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म उद्योग को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस निर्णय को क्रियान्वित किए जाने से क्या प्रभाव होगा;

(ग) चालू वर्ष के दौरान क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है;

(घ) फिल्म उद्योग द्वारा कौन-कौन से मुख्य मुद्दे उठाए गए; और

(ङ) सरकार द्वारा उन पर क्या निर्णय लिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) सरकार ने फिल्म उद्योग के समग्र विकास को सुगम बनाने के उद्देश्य से इसे उद्योग का दर्जा देने का निर्णय किया था। इस निर्णय के अनुसरण में सरकार ने फिल्म निर्माण और अन्य संबंधित कार्यकलापों को संस्थागत एवं बैंक वित्त-पोषण हेतु पात्र बनाने संबंधी मामले की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। सरकार ने फिल्म उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं तथा अन्य विभिन्न मुद्दों पर फीड-बैक प्राप्त हेतु विभिन्न मंच भी स्थापित किए हैं। विचार-विमर्श का मुख्य मुद्दा फिल्म क्षेत्र के लिए वित्तीय लाभ था।

इन कार्रवाईयों के परिणामस्वरूप, वर्ष 1999-2000 के बजट में मनोरंजन सॉफ्टवेयर के निर्यात संबंधी व्यापर में लगी कम्पनियों के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की नई धारा नामतः 80 एचएचएफ के लाभ लागू किए गए हैं।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय ने मनोरंजन क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के सभी लाभ उपलब्ध कराने और उसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में इसकी पूर्ण क्षमता का दोहन करने को संभव बनाने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :

(1) फिल्मों, टेलीविजन तथा संगीत उद्योग के लिए व्यावसायिक उपस्करों पर सीमा शुल्क की दरें, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए निर्धारित शुल्क ढांचे के समान होनी चाहिए;

(2) रंगीन फिल्म की कच्ची सामग्री पर सीमा शुल्क तथा प्रतिलाभ शुल्क को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इसका निर्माण भारत में नहीं किया जाता है;

(3) पूर्व-रिकार्डिड वीडियो कैसेटों पर उत्पाद-शुल्क के भुगतान से छूट को पूर्व-प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए;

(4) नकली कैसेट डिस्कों (सीडी) के निर्माताओं को अनुचित मूल्य लाभ से वंचित करने के उद्देश्य से कम्पेक्ट डिस्कों पर भी पूर्व-रिकार्डिड कैसेटों की तरह उत्पाद-शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए;

(5) देश में स्थित सिनेमाहालों तथा बहुविधि प्रतिष्ठानों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1क के लाभ प्रदान किए जाने चाहिए;

(6) वर्ष 1999-2000 के लिए बजट में घोषित नई धारा 80 एच. एच.एफ. के लाभ, मनोरंजन साफ्टवेयर के निर्यात में लगे मालिकों, व्यक्तियों आदि को भी पूर्व-प्रभाव से दिनांक 1.4.89 से लागू किए जाने चाहिए।

विश्व बैंक से सहायताप्राप्त परियोजनाएं

1214. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी परियोजनाएं पश्चिम बंगाल में शुरू की जा रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अभ्युक्तियां
1.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का शत-प्रतिशत (100%) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सभी जिलों को, कुष्ठ रोगियों को निःशुल्क बहुऔषधि उपचार प्रदान करने के लिए, विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत लाया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य को निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है :

वर्ष	नकद	वस्तु	कुल (रुपए लाख में)
1996-97	95.00	196.15	291.15
1997-98	98.00	242.85	340.85
1998-99	113.80	207.85	321.65

उपर्युक्त के अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल की सभी जिला कुष्ठ रोग सोसायटियों को निम्नलिखित निधियां भी उपलब्ध कराई गई हैं :

वर्ष	राशि (लाख रुपए में)
1996-97	243.70
1997-98	362.56
1998-99	139.00

2.	संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	देश में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम विश्व बैंक से प्राप्त 604.86 करोड़ रुपए (142.2 मिलियन अमेरिकी डालर) के उदार शर्तों वाले ऋण की सहायता से चरणबद्ध ढंग से चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में, यह कार्यक्रम पहले ही कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, मालदा, मुर्शिदाबाद एवं नाडिया जिलों में कार्यान्वित किया जा चुका है। बांकुरा, वर्धमान, वीरभूम, जलपाईगुड़ी, मेदनीपुर, उत्तरी 24 परगना एवं दक्षिणी 24 परगना के जिलों में सन् 2000 तक सेवा प्रदानगी शुरू हो जाने की संभावना है और उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाकी बचे सभी जिलों को संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा।
3.	राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना	5 वर्षों की अवधि वाला 701 करोड़ रुपए की विश्व बैंक सहायता प्राप्त स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना-11 जून, 1996 में 207 अस्पतालों (सुन्दरवन क्षेत्र के डी. एच./एसडीएच/एसजीएच/आरएच/पीएचसीयों) सहित पश्चिम बंगाल के सभी जिलों/राज्य के दार्जिलिंग गोरखा हिल काउन्सिल में शुरू

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अभ्युक्तियां
		किया गया है। परियोजना के मुख्य आपूर्तियों का प्रापण, अस्पताल अधिकारियों/स्टाफ की सभी श्रेणियों के लोगों का चिकित्सीय/गैर-चिकित्सीय प्रशिक्षण, रेफरल पद्धति, एचएमआईएस/आईसी, चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन आदि शामिल हैं। नवम्बर, 1999 तक लगभग 133 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।
4.	आठवीं भारत जनसंख्या परियोजना (आईपीपी-VIII)	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आठवीं भारत जनसंख्या परियोजना (आईपीपी-VIII) कलकत्ता में 6 अगस्त, 1993 से 92.59 करोड़ रुपए की कुल लागत से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना की अवधि 30 जून, 2001 तक है। इस परियोजना का उद्देश्य उप केन्द्रों, स्वास्थ्य प्रशासनिक एकक एवं प्रसूति गृहों की स्थापना करके नगर के स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्तर में सुधार लाना है। अब तक इस राज्य को 91.47 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान राशि जारी की गई।
5.	वृहत् मलेरिया नियंत्रण परियोजना	सितम्बर, 1997 से शुरू की गई विश्व बैंक सहायता प्राप्त वृहत् मलेरिया नियंत्रण परियोजना में कलकत्ता सहित 19 शहरों और सात राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र शामिल हैं। 1999-2000 के दौरान कलकत्ता नगर निगम को सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों के लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं जिनमें से अब 15 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं।
6.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम भारत में विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जाने वाली एक शत-प्रतिशत (100%) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है और पश्चिम बंगाल इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पश्चिम बंगाल के लिए निधियों का आबंटन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है : 1997-98 100 लाख रुपए 1998-99 350 लाख रुपए 1999-2000 724.97 लाख रुपए
7.	प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	नौवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने हेतु 1997-98 में शुरू किया जाने वाला प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है और इस प्रकार वर्ष 2000-2001 तक पश्चिम बंगाल सहित देश के सभी जिलों को कवर करेगा। प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का वित्त-पोषण भारत सरकार, विश्व बैंक, यूरोपियन कमीशन, यू एन एफ पी ए और युनिसेफ आदि मिलकर संयुक्त रूप से करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य को उपलब्ध कराई सहायता (नकद एवं सामग्री) का ब्यौरा इस प्रकार है : 1996-97 - 2066.99 लाख रुपए (सी एस एस एम कार्यक्रम के तहत प्रदत्त, जो कि प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल नहीं है।) 1997-98 - 2754.92 लाख रुपए (सी एस एस एम बजट के अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई सहायता सहित। सी एस एस एम कार्यक्रम अब प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है।) 1998-99 - 2991.15 लाख रुपए 1999-2000 - 477.60 लाख रुपए (केवल नकद सहायता) सामग्री के रूप में की गई सप्लाई को मार्च, 2000 में समायोजित कर लिया जाएगा। (आंकड़े अनन्तिम)

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति की सूची में राजभर जाति

1215. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश की "राजभर" जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में राजभर समुदाय को शामिल करने से सम्बन्धित मामला अनुसूचित जातियों की सूची में इस समुदाय को शामिल करने का औचित्य देते हुए ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 13.07.1997 को उत्तर प्रदेश सरकार को वापस भेज दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में संशोधन

1216. श्री मोहन रावले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई और स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. वणमुगम) : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 1999 उस राज्य के विधानमण्डल में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व भारत सरकार का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जुलाई, 1999 में महाराष्ट्र सरकार से गृह मंत्रालय में प्राप्त हुआ। तदुपरान्त महाराष्ट्र सरकार ने इस मंत्रालय को भी उक्त बिल की एक प्रति केंद्रीय खाद्य मानक समिति से इसकी पुष्टि कराने के लिए भेजी। चूंकि इस विषय पर इस मंत्रालय में प्राप्त विभिन्न समितियों और संगठनों की रिपोर्टों/सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए स्वयं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के विविध उपबंधों की पूर्ण रूप से समीक्षा करने का विचार है, इसलिए तदनुसार गृह मंत्रालय के जरिए महाराष्ट्र सरकार को स्थिति से अवगत कराया गया। महाराष्ट्र सरकार ने अब सूचना दी है कि वह इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का निर्णय जानकार प्रसन्न है और इस विषय पर विमर्श में भागीदारी के लिए इच्छा व्यक्त की है। केंद्र सरकार इसका स्वागत करती है।

स्कूली बस्तों का बोझ

1217. श्री सानथुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूली बच्चों पर अपने बस्तों का बहुत ज्यादा भार लाद दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस भार को कम करने हेतु स्कूली शिक्षा/अध्ययन की वर्तमान प्रणाली को बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (घ) स्कूल के बच्चों पर शैक्षिक बोझ को कम करने के तरीके और साधनों पर सरकार को सलाह देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रो० यशपाल की अध्यक्षता में वर्ष 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति गठित की गई। इस समिति ने "लर्निंग विदआउट वर्डन" नाम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पहले ही पाठ्यक्रम समीक्षा की एक प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसमें मुख्य विषयों में से एक विषय स्कूल के बच्चों पर पाठ्यचर्या और पुस्तकों के बोझ को कम करना है।

अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में संशोधन

1218. श्री श्रीपाद येसो नाईक :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 नवम्बर, 1999 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में सेंटर रिबाइजेज ओ.बी.सी. लिस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में संशोधन करने से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में प्रत्येक राज्य से प्राप्त सुझाव क्या हैं; और

(ङ) अन्य पिछड़ा वर्ग की संशोधित सूची में शामिल की गई अन्य जातियों/उप जातियों के राज्यवार नाम क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) उक्त समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विषरोधी दवाइयां

1219. श्री जी.एस.बसवराज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विषरोधी दवाइयों की उपलब्धता के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंशरोधी दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की विषरोधी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (घ) सर्परोधी सीरम ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य जिला प्राधिकरणों और जन स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए वितरित किया जाता है। यह आशा की जाती है कि देश के सभी अस्पताल इस बहुसंयोजक सर्प विषरोधी सीरम का पर्याप्त स्टॉक रखते हैं। देश में विष रोधी सीरम के मुख्य विनिर्माता है :- हैफकिन इन्स्टीट्यूट, मुम्बई, सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे, किंग इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, चेन्नई और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसोली।

सी.एस.सी. मादीपुर-पश्चिमपुरी व्यावसायिक कम्प्लेक्स

1220. श्रीमती निशा चौधरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.एस. मादीपुर-पश्चिमपुरी योजना के अंतर्गत ग्यारह इकाइयों की कई बार नीलामी की गई पर जनता की कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई;

(ख) यदि हाँ, तो इन इकाइयों के आंबटन/निपटान के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार इन इकाइयों के आबंटन के लिए छूट देने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन इकाइयों का प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभान्वितों, अनुसूचित जाति/विकलागों, विधवाओं को आरक्षित मूल्य पर बिना बारी के आबंटन का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हाँ,तो आरक्षित मूल्य पर इन इकाइयों के बिना बारी के आवंटन हेतु डी.डी.ए. कार्यालय को प्राप्त सांसदों द्वारा अनुशंसित आवेदनों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हाँ।

(ख) नीति के अनुसार ये दुकानों नीलामी के जरिए आबंटित की जा सकती हैं।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) ये इकाइयां, आवेदन पत्र आमंत्रित करने के पश्चात भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार आरक्षित कीमत आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग, विधवाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/भूतपूर्व सैनिकों, भूमि अधिग्रहीत श्रेणियों को कंम्प्यूटर ड्रा के आधार पर आबंटित की जाती हैं।

(च) और (छ) इन दुकानों के बिना बारी श्रेणी के तहत आबंटन के लिए संसद सदस्यों से कोई सिफारिश संभवतः दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुई है। बिना बारी के आबंटन के लिए निर्धारित प्रक्रिया है, जो उच्च अधिकार प्राप्त समिति करती है जिसमें शहरी विकास मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल शामिल हैं।

कलाकारों की नियुक्ति

1221. श्री कृष्णम राजू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्गन एक पाश्चात्य संगीत विद्युत की बोर्ड वाद्य बजाने वाले विशेषज्ञ कलाकारों की नियुक्ति करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके चयन हेतु क्या प्रतिक्रिया निर्धारित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार में ऐसा कोई पद नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना इकाइयों का दर्जा बढ़ाया जाना

1222. श्री अमर राय प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सभी इकाइयों का दर्जा "इकाइयों" से बढ़ाकर "औषधालयों" करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय यह प्रस्ताव किस स्थिति में है;

(ग) इन इकाइयों को कब तक औषधालयों का दर्जा दिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) और (ख) संसाधनों की तंगी के कारण सभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनिटों का यूनिटों से दर्जा बढ़ाकर औषधालय बनाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) पर बताई गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय उर्वरक निगम

1223. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम का जोधपुर स्थिति मुख्य कार्यालय और क्वास, मोडनगढ़, नागोर हनुमानगढ़ स्थिति शाखाएं घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की जांच की है और भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ अधिकारियों को आरोपित किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जोधपुर मुख्यालय सहित फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० (एफसीआई) के जोधपुर स्थित जोधपुर खनन संगठन ने गत तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार लाभ दर्ज किया है :

वर्ष	लाभ
1996-97	0.78 करोड़ रुपए
1997-98	1.26 करोड़ रुपए
1998-99	3.58 करोड़ रुपए

(ग) से (ङ) पिछले दिनों हाल ही में किसी अधिकारी के विरुद्ध सी.बी.आई. की कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है। तथापि सी.बी.आई. ने जोधपुर खनन संगठन के एक अधिकारी के विरुद्ध एक शिकायत के संबंध में वर्ष 1986 में एक मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की थी। परंतु आरोप सिद्ध नहीं हुए थे और इसलिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

[हिन्दी]

दूरदर्शन टी.वी. टावर, पीतमपुरा को प्राप्त शिकायतें

1224. **श्री अशोक प्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पहली जनवरी, 1999 से 15 नवम्बर, 1999 के दौरान संसद सदस्यों से पीतमपुरा टी.वी. टावर के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक तथाकथित उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, पीतमुरा में तैनात एक सहायक अभियंता के खिलाफ माननीय सदस्य से 28.11.99 को प्रसार भारती में एक शिकायत प्राप्त हुई है। जिसमें आरोप है कि (1) दिल्ली सरकार के एक अधिकारी को आवंटित सरकारी आवास में वह अनधिकृत रूप से रह रहा है; (2) वह गलत तरीके से मकान किराया भत्ते का दावा कर रहा है; और (3) वह नियमित रूप से कार्यालय नहीं आ रहा है।

(ग) मामले की जांच के आदेश पहले ही दिए गए हैं।

[अनुवाद]

भाण्डागारों की कमी

1225. **श्रीमती श्यामा सिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के औरंगाबाद जिले के किसान राज्य में भांडागारों के काम न करने के कारण उर्वरक प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के वर्तमान भांडागारों को चालू करने अथवा नए भांडागारों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) यूरिया एक मात्र ऐसा उर्वरक है जो भारत सरकार के मूल्य, संचलन और वितरण के नियन्त्रणाधीन है। राज्यों को यूरिया की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत समेकित आधार पर आवंटित की जाती है। बिहार में यूरिया की समेकित उपलब्धता पर्याप्त है तथा औरंगाबाद में यूरिया की कमी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शेयरों का विनिवेश

1226. श्री के. मुरलीधरण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान लेटेक्स लि., त्रिवेन्द्रम के शेयरों का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ग) जी, हाँ। सरकार ने हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड में सरकार द्वारा धारित 49 प्रतिशत इक्विटी की जनता के लिए विनिवेश करने का निर्णय लिया है।

महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों हेतु बजट

1227. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के लिए बजट आंबटन तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा झुग्गियों में रहने वाले लोगों के कल्याण पर खर्च किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि झुग्गियों में रह रहे इन लोगों की स्थिति उनको दी गई वित्तीय सहायता के बावजूद वैसी की वैसी है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) उन योजनाओं के अन्तर्गत, जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए वित्तीय सहायता सामान्य रूप से राज्य को मुहैया की जाती है तथापि, महाराष्ट्र सरकार को भेजा गया है तथा सूचना सभा पटल पर रखी जाएगी।

जिला अंधता नियंत्रण समितियों की निगरानी

1228. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अंधता नियंत्रण के लिए जिला अंधता नियंत्रण समितियों के कार्यकलापों पर निगरानी रखी जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में मोतियाबिंद के कितने आपरेशन किए गए और अब तक उन पर कितना धन खर्च हुआ;

(ङ) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गैर सरकारी संगठन कहां तक भूमिका निभाते हैं;

(च) क्या गैर सरकारी संगठन आपरेशन के बाद रोगियों की देखभाल का कार्य करते हैं;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मोतियाबिंद के राज्यवार कितने आपरेशन किये गये और उन्हें मोतियाबिंद के इन आपरेशनों को करने के लिए कितनी धनराशि प्राप्त हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हाँ।

(ख) कार्यकलापों की प्रत्येक प्रमुख राज्य के राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम सैल द्वारा नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है। केन्द्रीय स्तर पर एक कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना पद्धति है। इसके अतिरिक्त एक केन्द्रीय अनुवीक्षण दल विभिन्न जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियों के कार्यकलापों का अनुवीक्षण करने हेतु उनका दौरा करता है।

(ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम एक चल रहा कार्यक्रम है और इसे देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) विवरण संलग्न हैं (विवरण I, II और III)

(ङ) गैर सरकारी संगठन इस कार्यक्रम में पर्याप्त रूप से अंशदान दे रहे हैं और कुल मोतियाबिंद आपरेशनों में से लगभग एक तिहाई मोतियाबिंद आपरेशन उनके द्वारा किए जाते हैं।

(च) जी, हाँ।

(छ) आपरेशन किए गए रोगियों का इलाज आपरेशन के बाद की अवधि के दौरान आपरेशन स्थल पर किया जाता है। रोगियों को बाद में 4-6 सप्ताह के बाद अनुवर्ती जांच के लिए बुलाया जाता है।

(ज) विवरण IV और V संलग्न हैं।

विवरण-I

1996-99 के दौरान की गई मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
विश्व बैंक परियोजना राज्य			
आंध्र प्रदेश	275,163	295,735	340,478
मध्य प्रदेश	212,954	254,138	287,201

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
महाराष्ट्र	357,407	389,701	404,738
उड़ीसा	60,641	74,713	22,164
राजस्थान	136,103	157,243	176,955
तमिलनाडु	296,847	329,773	373,690
उत्तर प्रदेश	370,690	419,865	472,029
अन्य राज्य			
अरुणाचल प्रदेश	360	437	475
असम	17,813	26,366	11,634
बिहार	127,450	124,586	135,491
दिल्ली	54,964	64,150	37,270
गोवा	4,093	4,767	4,133
गुजरात	248,681	274,243	291,030
हरियाणा	70,063	78,505	87,757
हिमाचल प्रदेश	9,813	13,075	12,652
जम्मू व कश्मीर	6,332	7,109	21,805
कर्नाटक	134,553	165,000	172,569
केरल	50,140	59,358	65,728
मणिपुर	541	567	583
मेघालय	933	897	1,053
मिज़ोरम	238	392	556
नागालैंड	430	373	324
पंजाब	119,354	126,182	123,174
सिक्किम	563	948	675
त्रिपुरा	5,249	6,504	6,165
पश्चिम बंगाल	144,000	146,405	169,397
अण्डमान व निकोबार	358	277	402
चंडीगढ़	3,103	3,717	3,342
दादरा व नगर हवेली	226	188	286
दमण व दीव	273	240	261
लक्षद्वीप	18	22	-
पांडिचेरी	5,056	4,632	5,033
अन्य	8,127	4,509	5,498
कुल	2,722,536	3,034,617	3,234,548

विवरण-II

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटी को सहायता अनुदान की समिति

(लाख रुपये में)

राज्य	1996-97 के दौरान सहायता अनुदान	1997-98 के दौरान सहायता अनुदान	1998-99 के दौरान सहायता अनुदान
विश्व बैंक परियोजना राज्य			
आंध्र प्रदेश	135.00	257.00	364.00
मध्य प्रदेश	301.00	455.00	408.00
महाराष्ट्र	123.00	313.00	362.00
उड़ीसा	111.00	204.00	220.00
राजस्थान	117.00	243.00	289.00
तमिलनाडु	108.00	219.00	316.00
उत्तर प्रदेश	285.00	564.00	599.50
उपयोग	1,180.00	2,255.00	2,558.50
अन्य राज्य			
अरुणाचल प्रदेश	0.00	5.00	4.00
असम	6.00	85.50	57.50
बिहार	54.00	167.50	184.50
दिल्ली	0.00	11.50	13.50
गोवा	0.00	3.50	0.15
गुजरात	27.00	125.50	114.15
हरियाणा	3.00	54.50	63.50
हिमाचल प्रदेश	6.00	29.50	49.50
जम्मू व कश्मीर	0.00	19.00	39.50
कर्नाटक	81.00	159.00	196.00
केरल	9.00	54.50	75.50
मणिपुर	6.00	8.50	9.15
मेघालय	3.00	17.50	15.15

राज्य	1996-97 के दौरान सहायता अनुदान	1997-98 के दौरान सहायता अनुदान	1998-99 के दौरान सहायता अनुदान
मिज़ोरम	9.00	5.00	9.15
नागालैंड	0.00	2.50	7.15
पंजाब	18.00	52.50	51.50
सिक्किम	0.00	0.00	12.00
त्रिपुरा	6.00	12.50	13.15
पश्चिम बंगाल	12.00	54.00	135.50
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	3.00	4.00
चंडीगढ़	3.00	3.00	7.00
दादरा व नगर हवेली	0.00	3.00	3.00
दमण व दीव	0.00	0.00	4.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	0.00	0.00	3.00
उपयोग	243.00	876.50	1,071.55
महायोग	1,423.00	3,131.50	3,630.05

विवरण-III

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम
पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय

(लाख रुपये में)

राज्य	किया गया व्यय (1996-97)	किया गया व्यय (1997-98)	किया गया व्यय (1998-99)
विश्व बैंक परियोजना			
आंध्र प्रदेश	220.86	277.63	83.48
मध्य प्रदेश	337.12	429.09	162.84
महाराष्ट्र	200.85	164.35	357.21
उड़ीसा	63.02	59.26	105.48
राजस्थान	215.30	18.37	312.25
तमिलनाडु	98.47	496.07	821.24
उत्तर प्रदेश	838.94	226.35	91.41
उपयोग	1974.56	1671.12	1933.91
अन्य राज्य			
अरुणाचल प्रदेश	11.18	1.41	2.50
असम	12.31	3.19	-
बिहार	3.12	58.33	56.94
दिल्ली	5.76	0.18	6.08
गोवा	16.36	7.34	7.16
गुजरात	9.97	13.89	32.58
हरियाणा	11.33	0.00	14.66
हिमाचल प्रदेश	0.00	20.14	15.48
जम्मू व कश्मीर	96.81	0.00	-
कर्नाटक	81.15	11.96	23.08
केरल	13.38	97.69	38.17
मणिपुर	1.35	6.31	6.31
मेघालय	5.18	1.43	5.50
मिज़ोरम	5.24	4.96	10.71
नागालैंड	0.00	10.25	10.72
पंजाब	4.86	3.00	-
सिक्किम	16.79	11.61	4.82
त्रिपुरा	17.92	10.47	19.50
पश्चिम बंगाल	19.86	36.41	37.90
अण्डमान व निकोबार	3.40	1.50	2.32
चंडीगढ़	0.00	0.49	0.62
दादरा व नगर हवेली	0.91	1.14	0.91
दमण व दीव	1.29	4.00	
लक्षद्वीप	1.50	1.17	0.18
पांडिचेरी	0.00	0.95	0.55
उपयोग	339.67	307.82	296.69
महायोग	2314.23	1978.94	2230.60

विवरण-IV

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1996-99 के दौरान विभिन्न राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की गई मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
विश्व बैंक परियोजना राज्य				
आंध्र प्रदेश	96,599	100,00	113,180	309,779
मध्य प्रदेश	72,951	86,930	76,440	236,321
महाराष्ट्र	44,763	39,498	36,010	120,271
उड़ीसा	17,851	19,402	24,510	61,763
राजस्थान	42,981	53,022	54,067	150,070
तमिलनाडु	216,611	226,540	237,312	680,463
उत्तर प्रदेश	176,942	145,361	162,637	484,940
अन्य राज्य				
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	2,474	5,758	3,455	11,687
बिहार	46,722	41,963	42,054	130,739
दिल्ली	5,971	11,437	13,535	30,943
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	109,469	106,220	131,725	347,414
हरियाणा	19,528	25,499	26,165	71,192
हिमाचल प्रदेश	1,931	2,426	2,944	7,301
जम्मू व कश्मीर	718	853	835	2,406
कर्नाटक	10,240	17,517	21,874	49,631
केरल	10,037	17,490	26,658	54,185
मणिपुर	0	0	0	0
मेघालय	185	63	48	296
मिज़ोरम	0	99	101	200
नागालैंड	0	0	0	0
पंजाब	22,349	13,889	15,224	51,462
सिक्किम	0	0	153	153
त्रिपुरा	11	111	0	122
पश्चिम बंगाल	35,848	48,292	43,325	127,465
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	206	518	724
दादरा व नगर हवेली	272	71	0	343
दमन व दीव	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0
कुल	934,453	962,647	1,032,770	2,929,870

विवरण-V

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1996-99 के दौरान विभिन्न राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया गया व्यय

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
विश्व बैंक परियोजना राज्य				
आंध्र प्रदेश	9,676,810	14,100,887	24,549,453	48,327,150
मध्य प्रदेश	17,276,118	23,912,512	29,122,724	70,311,354
महाराष्ट्र	8,652,721	12,361,697	13,316,178	34,330,596
उड़ीसा	4,297,182	6,513,480	9,682,217	20,492,879
राजस्थान	6,558,807	10,552,638	12,050,648	29,162,093
तमिलनाडु	3,021,655	4,021,151	8,911,121	15,953,927
उत्तर प्रदेश	24,584,611	42,469,064	27,672,387	94,726,062
अन्य राज्य				
अरुणाचल प्रदेश	0	3,470	0	3,470
असम	406,649	953,607	1,055,833	2,416,089
बिहार	1,911,074	6,640,545	5,235,590	11,787,209
दिल्ली	41,250	189,800	344,925	575,975
गोवा	0	0	1,500	1,500
गुजरात	2,273,125	5,875,780	2,554,877	10,703,782
हरियाणा	885,858	968,556	2,695,054	4,549,468

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
हिमाचल प्रदेश	134,475	249,665	492,200	876,340
जम्मू व कश्मीर	46,400	56,775	72,575	175,750
कर्नाटक	3,284,169	5,943,850	10,146,638	19,374,657
केरल	1,136,085	1,926,176	4,080,955	7,143,216
मणिपुर	23,882	3,365	1,140	27,787
मेघालय	34,881	3,500	7,995	46,376
मिज़ोरम	93,809	0	0	93,809
नागालैंड	0	0	0	0
पंजाब	1,044,870	1,556,950	1,333,256	3,935,076
सिक्किम	0	0	0	0
त्रिपुरा	46,950	124,650	142,825	314,425
पश्चिम बंगाल	1,556,520	3,276,775	6,576,532	11,409,827
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	72,250	113,952	186,202
दादरा व नगर हवेली	33,300	15,600	0	48,900
दमन व दीव	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0
कुल	87,020,601	139,792,743	160,160,574	386,973,918

[हिन्दी]

पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम

1229. **श्री रामदास आठवले** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम के तहत रोजगार कार्यालय में अल्पसंख्यकों के नाम पंजीकृत करने के संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए चलाए जा रहे रोजगार कार्यक्रमों की क्या स्थिति है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ठोस अपशिष्ट का निपटान

1230. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु एक उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने की अनुशंसा की है;

(ख) यदि हाँ, तो ये अनुशंसाएं क्या हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ऐसे अपशिष्ट के लाभकारी निपटान के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी विकसित की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो एक वर्ष में कितनी मात्रा में अपशिष्ट का निपटान किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी हाँ।

(ख) प्रथम श्रेणी शहरों में कचरा प्रबंधन पर, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति ने सिफारिश की है कि शहरी विकास मंत्रालय के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए एक टैक्नोलॉजी मिशन का गठन किया जाए। यह मिशन विभिन्न स्थानीय निकायों के कार्य निष्पादन की निगरानी करेगा, कचरे की प्रोसेसिंग व निपटान के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों के बारे में मार्ग दर्शन करेगा, विभिन्न सरकारी स्रोत्रों तथा वित्तीय संस्थाओं से धन का जुगाड़ कराके तकनीकी और वित्तीय सहायता देगा, जनजागृति कार्यक्रमों के लिए सामग्री तैयार करेगा, प्रशिक्षण जरूरत नियत निष्पादक संकेतकों (बेंच मार्क परफारमेन्स इंडिकेटर्स) का निर्धारण करेगा और देश भर में कचरा निपटान के तरीकों में सुधार पर सतत व गहन ध्यान देगा। तथापि इस मामले में विभिन्न मंत्रालयों और योजना आयोग से परामर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि समितिकृत सिफारिश के आधार पर टैक्नोलोजी मिशन का गठन न किया जाए। इसकी बजाए शहरी विकास मंत्रालय के पास मौजूदा उपलब्ध संसाधनों से केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग रंग संगठन सलाहकार की अध्यक्षता में 18.8.99 को एक प्रौद्योगिकी सलाहकार दल का गठन किया गया। जिसमें कुछ राज्य सरकारों, नगर निगमों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं और जो कचरा निपटान प्रबंधन के कुछ विशिष्ट पहलुओं यथा संगत प्रौद्योगिकी वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन विकास निजी क्षेत्र की भागीदारी और जन चेतना पर ध्यान देगा।

(ग) मंत्रालय को कम्पोस्टिंग, सेनिटरी लैंडफिल आदि जैसी पहले से मौजूद तथा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में अनुसंशित प्रौद्योगिकियों के अलावा किसी अन्य नवीनतम विकसित प्रौद्योगिकी की जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अतिरिक्त कर्मचारी

1231. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री राजैया मल्याला :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के हैदराबाद क्षेत्र में कुछ स्नातकोत्तर अध्यापक अतिरिक्त पाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अतिरिक्त अध्यापकों और कर्मचारियों के समायोजन हेतु संगठन की वर्तमान नीति क्या है;

(घ) क्या यह नीति केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) जी, हाँ। हैदराबाद क्षेत्र में कुल सात स्नातकोत्तर अध्यापक, तीन भौतिक विज्ञान, एक गणित, दो जीव विज्ञान तथा एक इतिहास अध्यापक आवश्यकता से अधिक हो गये हैं। विभिन्न कारणों, जैसे कतिपय विषय (विषयों) को समाप्त करना/अनुभागों में कमी करना आदि के कारण किसी स्कूल की आवश्यकताओं के संदर्भ में ही शिक्षक आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं। जो शिक्षक आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं उन्हें उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक स्वयं क्षेत्र के अन्दर समायोजित कर दिया जाता है। शेष आवश्यकता से अधिक शिक्षकों को क्षेत्र से बाहर, जहां भी रिक्तियां उपलब्ध होती हैं, स्थानांतरित कर दिया जाता है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी शासी बोर्ड के अनुमोदन से आवश्यकता से अधिक शिक्षकों की तैनाती के लिए अपनी नीति एवं मानदंड तैयार किए हैं। भारत सरकार ने इस संबंध में स्वायत्त संस्थाओं के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं की है।

छात्रवृत्ति

1232. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा चिकित्सा विज्ञान आदि के क्षेत्रों में स्नातकोत्तर, डाक्टरेट और डाक्टरेट उपरान्त अध्ययन हेतु प्रतिवर्ष कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की गई;

(ख) ऐसी छात्रवृत्तियां देने वाले देश कौन-कौन से हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी छात्रवृत्ति देने के लिए कुल कितनी राशि व्यय की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय छात्रवृत्ति योजना के अधीन भारतीय नागरिकों को केवल भारत में पोस्ट एम.बी. बी.एस./बी.डी.एस./एम.एस.सी. (अर्थात गैर चिकित्सीय छात्रों के मामले में पी.एच.डी. छात्र) पाठ्यक्रमों और भिन्न-भिन्न नैदानिक/गैर-नैदानिक विषयों में पोस्ट-डॉक्टरल पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

उपर्युक्त योजना के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई नई छात्रवृत्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। तथापि, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय छात्रवृत्ति योजना के अधीन 1994-95 के छात्रों पर 9.42 लाख रुपये की रकम खर्च की गई है, और इसे 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के वर्षों के दौरान उपयोग में लाया गया।

[हिन्दी]

अतिरिक्त मंजिल का निर्माण

1233. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की पुरानी इमारतों में अतिरिक्त मंजिल बनाने से संबंधित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस संबंध में किसी क्षेत्र को अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) इस मामले में मास्टर प्लान 2001 में किए गए उपांतरण संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

(ख) और (ग) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 23.7.1998 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार 110 मामलों में अनुमति दी है :

(I) सहकारी समूह आवास समितियां	1
(II) अन्य रिहायशी क्षेत्र	109

दिल्ली नगर निगम ने भी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत 3026 मामलों में अनमुति प्रदान की है।

एनडीएमसी ने पुराने निर्मित भवनों में अतिरिक्त मंजिलों के लिए 26.11.99 तक ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है।

विवरण

पंजीकरण संख्या डीएल-3304/98

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं0 454 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 1998/श्रावण 1, 1920

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय
(शहरी विकास विभाग)
(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1998

का.आ. 623 (अ) - यतः, भवन निर्माण उप नियम 1983 पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है,

यतः, एकीकृत भवन निर्माण उप नियम तथा दिल्ली की मास्टर प्लान-2001 में तज्जन्य उपांतरणों की, विशेषकर प्रो. वी.के. मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आलोक में दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद् तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विस्तृत जांच की गई है।

यतः, दिल्ली मास्टर प्लान-2001, में प्रस्तावित उपांतरणों के बारे में सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा 20.5.98 को सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए थे।

यतः, ये नोटिस दिनांक 24.5.98 के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे।

यतः, मंत्रालय में प्राप्त 290 आपत्तियों/सुझावों की नगर निगम और ग्राम नियोजन संगठन के मुख्य नियोजक की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर परिषद् के प्रतिनिधि भी शामिल थे, ने जांच की तथा समिति की रिपोर्ट दिनांक 17.7.1998 को सरकार को प्राप्त हो गई है।

और यतः, मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में उपांतरण करने का निर्णय लिया है।

अतः, अब, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के खण्ड 11 ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से दिल्ली मास्टर प्लान-2001 के अनुलग्नक के अनुसार उपांतरण करती है।

[संख्या के-12016/5/79-डीडी1ए/Vए/1बी]

सुरेन्द्र मोहन, डेस्क अधिकारी

1989 जी I/98

अनुलग्नक

उपांतरण

1. भारत के राजपत्र दिनांक 1.8.90 के पृष्ठ 159 (दायीं ओर) तथा दिनांक 15.5.95 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, रिहायशी भूखण्ड-प्लाटबद्ध आवास (001) की तालिका और पाद टिप्पणी का निम्नलिखित प्रकार से उपांतरण किया गया है :

क्र. सं.	प्लाट का क्षेत्र (वर्गमीटर)	अधिकतम ग्राऊण्ड कवरेज (प्रतिशत)	फर्शी क्षेत्र अनुपात	रिहायशी मकानों की सं.	अधिकतम ऊंचाई (मी.)
1.	32 से कम	75	225	1	12.5
2.	32 से 50 तक	75	225	2	12.5
3.	50 से 100 तक	75	225	3	12.5
4.	100 से 250 तक	66.66	200	3	12.5
5.	250 से 500 तक	50	150	3 (4)	12.5
6.	500 से 1000 तक	40	120	6 (8)	12.5
7.	1000 से 1500 तक	33.33	100	6 (8)	12.5
8.	1500 से 2250 तक	33.33	100	9 (12)	12.5
9.	2250 से 3000 तक	33.33	100	12 (16)	12.5
10.	3000 से 3750 तक	33.33	100	15 (20)	12.5
11.	3750 से अधिक	33.33	100	18 (24)	12.5

टिप्पणी

दिनांक 15.5.95 की अधिसूचना द्वारा स्वीकृत एफ.ए.आर. (फर्शी क्षेत्र अनुपात) बेसमेंट सहित से अधिक, उपर्युक्त तालिका के अनुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर शुल्क की अनुमति होगी, और/या भवन निर्माण उप-नियमों में निर्दिष्ट दरों पर या समय-समय पर सरकार द्वारा यथा संशोधित आदेशों के अनुसार विकास प्रभार लिए जाएंगे।

(ii) 250 वर्गमीटर से अधिक के प्लाटों के प्रसंग में, जो 24 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर या उसके सामने पड़ते हैं (क) एफ.ए.आर. का विस्तार अधिकतम ग्राउण्ड फ्लोर कवरेज तक किया जाएगा, (ख) अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर होगी, तथा (ग) रिहायशी मकानों की संख्या वह होगी, जो कोष्ठक में दी गई हैं।

(iv) (क) बेसमेंट :

(1) प्लाटबद्ध के विकास में यदि बेसमेंट का निर्माण हो गया है, तो उसे एफ.ए.आर. में शामिल नहीं किया जाएगा।

(2) बेसमेंट का क्षेत्रफल ग्राउण्ड फ्लोर के कवरेज से अधिक नहीं होगा और यह ग्राउंड फ्लोर के नीचे होगा। तथापि, बेसमेंट के क्षेत्रफल को भीतरी आंगन तथा शाफ्ट के नीचे बढ़ाया जा सकता है।

दिनांक 15.5.95 की अधिसूचना की शेष सभी पाद-टिप्पणी अर्थात् (i) और (v) से (xi) यथावत रहेंगी।

2. दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ संख्या 160 (बायीं ओर) पर रिहायशी फ्लाट-समूह आवास (002) के नीचे निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्द्धन किये जाते हैं :

अधिकतम एफ.ए.आर.	167
अधिकतम ऊंचाई	33 मीटर

टिप्पणी

अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर शुल्क और/या अतिखित एफ.ए.आर. के लिए विकास प्रभार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर लिया जाएगा।

अन्य नियंत्रण

(i) प्रति हैक्टेयर 175 रिहायशी मकानों की दर से आवास घनत्व की अनुमति होगी, जिसमें 15 प्रतिशत की घट-बढ़ हो सकती है। इसका उल्लेख, क्षेत्र के लिए निर्धारित सकल रिहायशी घनत्व को ध्यान में रखकर; क्षेत्रीय नक्शे/विन्यास में करना होगा। स्वीकृति के स्तर पर घनत्व में अधिकतम घट-बढ़ 5 प्रतिशत की होगी।

बंगला क्षेत्र (भाग डिवीजन प) तथा सिविल लाइन्स क्षेत्र (भाग डिवीजन ग) के प्रसंग में समूह आवास कालोनियों में रिहायशी घनत्व विस्तृत नक्शे के आधार पर नियत किया जाएगा।

(iv) सामुदायिक/मनोरंजन हाल, क्रैच, पुस्तकालय, वाचनालय तथा सोसाइटी कार्यालय जैसी सामुदायिक आवश्यकताओं के लिए अधिकतम 400 वर्गमीटर तक अतिरिक्त एफ.ए.आर. की अनुमति दी जाएगी।

रिहायशी प्लाट-ग्रुप हाऊसिंग (002) के नीचे के भाग में अनुमत्य गतिविधियों के अन्तर्गत पृष्ठ 155 (बांए ओर) पर क्रैच तथा डे-केअर सेंटर के अधीन प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

सामुदायिक/मनोरंजन हाल, पुस्तकालय, वाचनालय और सोसाइटी कार्यालय के लिए ग्राउण्ड फ्लोर पर इनकी अनुमति दी गई है।

3. दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र में पृष्ठ 166 (बाएं हाथ पर) व्यवसायिक गतिविधियों के अधीन उपबन्ध को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

रिहायशी प्लाटों तथा फ्लैटों में किसी भी मंजिल पर निम्नलिखित शर्तों के अनुसार व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

आवास के एक भाग, जो एफ.ए.आर. का अधिकतम 25 प्रतिशत या 100 वर्गमीटर इनमें से जो भी कम हो, को व्यवसायिक कौशल पर आधारित सेवाएं मुहैया कराने के लिए गैर ध्वनि-प्रदूषण वाली गतिविधियों के लिए रिहायशी कार्यों से अलग उपयोग किया जा सकता है।

फार्म हाऊस (135)

4. दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ 164 (आर.एच. एस.) पर सारणी को निम्नलिखित द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा :

(i) फार्म हाऊस का न्यूनतम आकार	0.8 हेक्टेयर
(ii) अधिकतम ग्राउण्ड कवरेज	5 प्रतिशत
(iii) अधिकतम एफ.ए.आर.	5 (अधिकतम 500 वर्गमीटर की शर्त पर फार्म का आकार कितना भी हो)
(iv) मंजिलों की संख्या	2
(v) अधिकतम ऊंचा	8 मीटर

बेसमेंट सहित सभी निर्माण, यदि कोई हो, को एफ.ए.आर. में शामिल किया जाएगा।

भूस्वामियों को ले-आऊट प्लान के अनुसार परिचालन नेटवर्क पर आधारभूत आवश्यकताओं के लिए मुफ्त में भूमि देनी होगी। इससे उनको कुल क्षेत्र पर एफ.ए.आर. में लाभ प्राप्त होगा।

दिनांक 1.8.90 की भारत सरकार की गजट अधिसूचना के द्वारा उपर्युक्त अनुमत्य के अलावा अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर शुल्क और/या विकास प्रभार समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

1234. श्री नेपाल चन्द्र दास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश सीमा के निकट असम के करीमगंज में स्थापना हेतु स्वीकृत आकाशवाणी केन्द्र को स्थापित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) करीमगंज में रेडियो स्टेशन स्थापित करने हेतु कोई स्कीम अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् का कार्यकरण

1235. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण की समीक्षा के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावित समीक्षा कराए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(I) इसके संगम ज्ञापन और कुछ विशिष्ट परियोजनाओं में यथानिर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा अपनी स्थापना से अब तक किए गए कार्य में कोटिपरक और मात्रात्मक प्रगति की समीक्षा करना।

(II) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद और इसके क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यकरण की जांच करना।

(III) ऐसी सिफारिशें करना और उपचारी उपाय सुझाना जो परिषद् के भावी कार्यकरण के सम्बन्ध में आवश्यक हैं।

(ग) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के संगम ज्ञापन और नियमों के नियम 15 के अनुसारण में इस समीक्षा का प्रस्ताव है।

भोपाल गैस पीड़ित

1236. श्री इन्नान मोल्लाह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भोपाल गैस पीड़ितों का पुनर्वास पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उन पीड़ितों के लाभ के लिए अब तक सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रमों की संख्या क्या है; और

(घ) दुर्घटना के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध चल रहे मामलों की वर्तमान विधिक स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) भोपाल गैस पीड़ितों का पनुर्वास एक कार्रवाई योजना के माध्यम से किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। कार्रवाई योजना का परिव्यय चरणबद्ध रूप में 163 करोड़ रुपए से बढ़कर 258 करोड़ रुपए हो गया है और भारत सरकार ने अपना पूरा भाग (शेयर) 193.50 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। कार्रवाई योजना के अन्तर्गत योजनाओं में नए अस्पतालों और डिस्पेंसरियों का निर्माण, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्वार्टरों और स्कूलों का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था और वृक्षारोपण आदि शामिल हैं।

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा दायर किया है। मुकदमा जारी है और अब तक 53 अभियोजन गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है।

[हिन्दी]

अलवर दूरदर्शन केन्द्र

1237. डॉ0 जसवन्त सिंह यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के अलवर में वर्तमान में कितने दूरदर्शन केन्द्र हैं;

(ख) फिलहाल कितने दूरदर्शन केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ग) नए दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र को स्थापित करने के क्या मानदण्ड हैं; और

(घ) भविष्य में राज्यों के किन स्थानों में नए दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) अलवर जिले में दो टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित हैं।

(ख) दोनों ट्रांसमीटर कार्यरत हैं।

(ग) टी.वी. ट्रांसमीटरों के स्थान का निर्णय करने सम्बन्धी मानदण्ड में शहरी एवं ग्रामीण लोगों के लिए परिणामी कवरेज की सीमा, जनजातीय, पर्वतीय, दूरवर्ती और सीमा क्षेत्रों को सेवा का प्रावधान, स्थान का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व तथा आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे विभिन्न कारक शामिल हैं।

(घ) वे ट्रांसमीटर परियोजनाएं जो वर्तमान में राजस्थान में कार्यान्वयनाधीन हैं, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

राजस्थान में कार्यान्वयनाधीन ट्रांसमीटर परियोजनाएं

1. उ. श. ट्रां. (4)
   अजमेर
   बाड़मेर (स्थायी)
   जयपुर (डीडी 2)
   जोधपुर (डीडी 2)

2. अ. श. ट्रां. (16)

बाली

भरतपुर

भीणमल

किशनगढ़ (अजमेर)

किशनगढ़-बास (अलवर)

कुशलगढ़

मकराना

नागर

नासिराबाद

नवलगढ़

पिरवा

सगवारा

संचोर

सोजट

तारानगर

विजयनगर

3. अ. अ. श. ट्रां. (3)

कोटरा

लक्ष्मणगढ़

तिबी

उ. श. ट्रां. : उच्च शक्ति ट्रांसमीटर।

अ. श. ट्रां. : अल्प शक्ति ट्रांसमीटर।

अ. अ. श. ट्रां. : अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर।

उच्च और व्यावसायिक शिक्षा हेतु ऋण

1238. डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च और व्यावसायिक शिक्षा हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए हाल ही में कोई ऋण योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना कब से शुरू है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ देने हेतु योजना के विकेन्द्रीकरण का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दूरदर्शन केन्द्र, हरियाणा

1239. श्री रतन लाल कटारिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणवी संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए सरकार का विभिन्न राज्यों, विशेषकर हरियाणा में नए दूरदर्शन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) वर्तमान में हरियाणा के हिसार में एक स्टूडियो परियोजना सहित विभिन्न राज्यों में 17 स्टूडियो परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इनकी स्थान-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्टूडियो परियोजनाएं
1.	आन्ध्र प्रदेश	वारंगल
2.	बिहार	रांची (संवर्धित)
3.	हरियाणा	हिसार
4.	केरल	त्रिचूर
		कालीकट
5.	मध्य प्रदेश	इन्दौर
		ग्वालियर
		जगदलपुर
6.	उड़ीसा	भवानीपटना
7.	पंजाब	पटियाला
8.	राजस्थान	उदयपुर
9.	सिक्किम	गंगटोक
10.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
		मदुरई
11.	उत्तर प्रदेश	मथुरा
12.	दिल्ली	दिल्ली (संवर्धित)
		(दूरदर्शन भवन)
13.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़

आकाशवाणी भुज का उच्च शक्ति प्राप्त ट्रांसमीटर

1240. श्री रामनायडु दग्गुबाटि : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ जिले में रहने वाले लोगों विशेषकर भुज क्षेत्र में रहने वाले लोग सीमा पार के ट्रांसमिशन को सुनना अधिक पंसद करते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आकाशवाणी/दूरदर्शन में लोक कार्यक्रम शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) आकाशवाणी के श्रोता अनुसंधान एकक ने भुज क्षेत्र में आकाशवाणी श्रोताओं के निर्धारण के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, आकाशवाणी, भुज द्वारा प्रसारित लोक संगीत कार्यक्रम और ग्रामीण कार्यक्रम श्रोताओं में लोकप्रिय हैं जिसकी केन्द्र में श्रोताओं से प्राप्त फीडबैक से पुष्टि की गयी है।

(ग) आकाशवाणी, भुज गुजराती, कच्छी, सिंधी, हिन्दी और अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारित करता है। स्थानीय/ग्रामीण और लोक जन समूह की अनुकूलतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधे से अधिक कार्यक्रम ग्रामीण जन समूह के लिए संगीत/लोक गीत/फीचर से संबंधित कार्यक्रम हैं जिनमें केन्द्र के सेवा क्षेत्र के दूर-दराज वाले क्षेत्रों में रिकार्ड किए गए कार्यक्रम शामिल हैं। गाम जो चोरा, जय भारती, रंग कटोरी (लोक/भक्तिमय संगीत), बहार और आंके मिली खुशी थाई केन्द्र द्वारा प्रसारित कुछ लोकप्रिय कार्यक्रम हैं। दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद भी कुछ लोक कार्यक्रम प्रसारित करता है जिसे भुज क्षेत्र को कवर करने वाले उच्च शक्ति ट्रांसमीटर केन्द्रों द्वारा रिले किया जाता है।

बंगलौर में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय

1241. डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणाकुमारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या इस कार्य हेतु आवंटित की गई धन-राशि को नियमानुसार पूर्णरूप से उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

अस्पतालों में उचित उपचार न किया जाना

1242. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से बाहर के मरीजों का राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उचित उपचार नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को कितनी शिकायतें मिलीं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ग) डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली और दिल्ली से बाहर से आने वाले सभी रोगियों का अच्छी तरह उपचार किया जा रहा है। प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच-पड़ताल की जाती है और आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

बिहार में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर

1243. श्री राजो सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय कितने कम शक्ति/उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में विशेषतः पूर्णिया में, ऐसे और अधिक दूरदर्शन के ट्रांसमीटर स्थापित करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में और अधिक क्षेत्र को कब तक दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) इस समय बिहार में 5 उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर और 45 अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर कार्यरत हैं।

(ख) से (घ) फिलहाल, पूर्णिया जिले में टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है। फिलहाल, दूरदर्शन राज्य की 94.2 प्रतिशत आबादी तक पहुंच रहा है। राज्य के और अधिक क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए बिहार में निम्नलिखित डीडी-1 ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं :

1. जमशेदपुर में उच्च शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर।

2. ब्रहरवा, चतरा, रामनगर और रोसेरा में एक-एक अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर।

उपर्युक्त परियोजनाओं को 9वीं योजना अवधि के दौरान चरणों में पूरा किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

यूरिया की कमी

1244. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यूरिया और अन्य उर्वरकों की कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश को यूरिया का वर्षवार कितना आबंटन किया गया;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में यूरिया का कितना उत्पादन किया गया तथा कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ङ) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे यूरिया का आयात किया गया तथा वे एजेंसियां कौन-कौन सी हैं जिन्हें आयात की अनुमति दी गई;

(च) यूरिया के आयात के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं; और

(छ) आन्ध्र प्रदेश में यूरिया की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी, नहीं। देश में यूरिया और अन्य बड़े उर्वरक पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं।

(ग) और (छ) यूरिया, विनियंत्रित उर्वरक प्रत्येक फसल मौसम की शुरूआत से पहले आंकलित मांग के लिए आन्ध्र प्रदेश समेत सभी राज्यों को आबंटित किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश को आबंटित किए गए यूरिया की मात्रा निम्नानुसार थी :

वर्ष	(मात्रा लाख मी. टन में)
1996-97	22.18
1997-98	22.23
1998-99	23.57

चालू वर्ष में यूरिया की मांग को राज्य की आवश्यकता के अनुसार स्वदेशी उत्पादकों के आबंटन तथा आयातों से पूरी की जाएगी।

(घ) गत तीन वर्षों में यूरिया के उत्पादन एवं आयात निम्न प्रकार थे :

(मात्रा लाख मी. टन में)

वर्ष	उत्पादन	आयात
1996-97	156.20	23.28
1997-98	185.95	23.89
1998-99	192.91	5.56

(ङ) यूरिया के आयात सरणीबद्ध किए जाते हैं जिसे तीन नामित सरणीबद्ध एजेंसियों अर्थात् मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि० (एमएमटीसी), स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एससीटी) और इंडियन पोटाश लि० (आईपीएल) के जरिए किया जाता है। यूरिया का आयात निम्नलिखित देशों से किया गया :

(i) स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल (सीआईएस)

(ii) लीबिया

(iii) जर्मनी

(iv) बंगलादेश

(v) इण्डोनेशिया

(vi) रोमानिया

(vii) कुवैत

(viii) कतर

(ix) सऊदी अरेबिया

(x) यूनाइटेड स्टेट अमीरात

(xi) ईरान

(च) नामित सरणीकृत एजेंट ख्यातिप्राप्त आपूर्तिकर्ताओं के विश्वव्यापी/सीमित निविदाओं के माध्यम से प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के आधार पर यूरिया का आयात करता है।

[हिन्दी]

भूमि का उपयोग

1245. श्री नवल किशोर राय :
श्री जे.एस. बराड़ :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक आदर्श शहर के निर्माण के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में अधिकतर महानगरों में आदर्श शहर बसाने से अधिक भूमि का उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन शहरों के चहुंमुखी विकास कार्य हेतु किन-किन उपायों पर विचार किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) एक आदर्श शहर के निर्माण के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) महानगरों के लिए भूमि की आदर्श सीमा दर्शाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ङ) शहरी विकास राज्य का विषय है। शहरों के विकास के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को इस मंत्रालय की केंद्र प्रवर्तित मेगा सिटी स्कीम के जरिए बढ़ाया जाता है, जिसमें 40 लाख और अधिक की आबादी वाले 5 मेगा शहरों में शहरी अवस्थापना विकास परियोजना के लिए धन मुहैया कराया जाता है।

इसके अलावा इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों को विचारार्थ "शहरी विकास आयोजना प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन" विशानिर्देश भी परिचालित किए हैं, जिनमें सरलीकृत आयोजना तकनीक, मानदंड और मानक, संसाधन जुटाव और भूमि एकत्रीकरण निजी क्षेत्र की भागीदारी के वैकल्पिक मानक, मानव शक्ति विकास आदि का ब्यौरा दिया गया है।

[अनुवाद]

ओलम्पिक 2000

1246. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओलंपिक 2000 के लिए भारतीय दल को पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार भारतीय दल को कब तक अंतिम रूप दे देगी ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हाँ।

(ख) पदक जीतने की संभावना और मानदण्डों के अनुसार, पात्रता के आधार पर, भारत के इस समय ओलंपिक्स खेल, 2000 में एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, हाकी (पुरुष एवं महिला), निशानेबाजी, टेनिस और भारोत्तोलन (महिला) में भाग लेने की आशा है। पात्रता-चक्र (क्वालीफाईंग राऊंड) में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर, इनके अतिरिक्त अन्य खेल विधाओं को भी शामिल किया जा सकता है। अब तक भारत ने हाकी (पुरुष) के लिये अर्हता प्राप्त की है।

संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के परामर्श से, ओलंपिक खेल, 2000 के लिए संभावित खिलाड़ियों को भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों की सहायता से, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए अपेक्षित उपस्कर, वैज्ञानिक समर्थन तथा अन्य सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) आगामी ओलंपिक खेल, सितंबर, 2000 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाने हैं। भारतीय ओलपिंक संघ (आई.ओ.ए.), जो सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों का शीर्ष निकाय है, भारतीय दल में शामिल किए जाने वाले खिलाड़ियों के नाम, खेलों के प्रारंभ होने से कम से कम तीन मास पूर्व भेजेगा। सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, पदक जीतने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा प्रस्तावित दल की जांच की जायेगी/अंतिम रूप दिया जाएगा।

[अनुवाद]

समाज विज्ञान संगठनों को सहायता

1247. श्री राजैया मल्याला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् से नियमित रूप से वित्तीय सहायता या अनुदान प्राप्त कर रहे आंध्र प्रदेश के संगठनों/संस्थाओं के नाम क्या हैं और इनकी संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष संस्था-वार प्राप्त सहायता राशि कितनी है; और

(ग) ऐसे संगठनों/संस्थाओं की पहचान के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद् द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में तीन संस्थान और भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद् का एक क्षेत्रीय केन्द्र है जो भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। ये निम्न प्रकार हैं :

अनुसंधान संस्थान

1. सार्वजनिक उद्यम संस्थान, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद।

2. आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केन्द्र, निजामिया प्रेक्षण परिषद्, बेगमपेट, हैदराबाद।

3. सामाजिक विकास परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय भवन संख्या 1 उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर हैदराबाद।

क्षेत्रीय केन्द्र

1. भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद्, दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र उस्मानिया विश्वविद्यालय पुस्तकालय, हैदराबाद-500007

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों और क्षेत्रीय केन्द्र को जारी निधियां निम्न प्रकार हैं :

अनुसंधान संस्थान

(रुपए लाख में)

	1996-97		1997-98		1998-99	
	योजनेतर	योजना-गत	योजनेतर	योजना गत	योजनेतर	योजना गत
1. सार्वजनिक उद्यम संस्थान	10.60	2.20	9.25	5.80	9.01	7.68

2. आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केन्द्र	9.80	2.00	8.60	5.60	8.34	7.70
3. सामाजिक विकास परिषद	7.50	0.90	6.55	3.60	6.43	5.30
क्षेत्रीय केन्द्र						
1. दक्षिणी क्षेत्रीय केन्द्र	8.60	-	7.25	1.45	6.99	2.20

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कोई अनुसंधान संस्था यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, सहायता प्राप्त करने की पात्र होगी:

(i) वह इस अर्थ में अखिल भारतीय स्वरूप की होनी चाहिए कि उसकी सुविधाएं देश के सभी भागों के छात्रों और समाज विज्ञानियों के लिए खुली है और उसके संकाय का अखिल भारतीय आधार पर चयन किया गया है;

(ii) वह कम से कम पांच वर्षों से अस्तित्व में होनी चाहिए सिवाय उन मामलों में जिनमें भारत सरकार और कोई राज्य सरकार इस योजना के अन्तर्गत विकास और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई नया अनुसंधान संस्था स्थापित करने पर सहमत हो;

(iii) बशर्ते कि परिषद् विशेष और उपयुक्त मामलों में इस अवधि को तीन वर्षों तक कम कर सकती है और इसके अतिरिक्त बशर्ते कि भारत सरकार के पूर्ण अनुमोदन से इस अवधि को तीन वर्षों से भी कम किया जा सकता है;

(iv) वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त करने की पात्र नहीं होनी चाहिए;

(v) वह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत अथवा सार्वजनिक न्यास के रूप में अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा स्थापित होनी चाहिए; और

(vi) उसके कर्मचारियों की विशिष्टता और व्यावसायिक क्षमता, उसके अनुसंधान उत्पाद की मात्रा और कोटि, व्यवसाय में उसके प्रकाशनों और उसकी स्थिति के आधार पर परिषद् द्वारा उसे समाज विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थान मान लिया जाना चाहिए।

2. जब कोई अनुसंधान संस्था इन नियमों के अन्तर्गत सहायता अनुदान के लिए आवेदन करेगी तब परिषद् एक निरीक्षण समिति नियुक्त करेगी यदि वह संतुष्ट हो कि वहां पर ऐसी एक संस्था की आवश्यकता है और उसमें आवश्यक क्षमता अथवा संभावित क्षमता है तथा इन नियमों के अन्तर्गत सहायता की पात्र है। परिषद् निरीक्षण समिति की रिपोर्ट को इस पर अपनी सिफारिशों सहित भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी और उस अनुसंधान संस्था को भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाएगी।

बेलूर एवं हेलबिद मंदिर

1248. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में बेलूर एवं हेलबिद मंदिरों की तत्काल मरम्मत किये जाने की जरूरत है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मंदिरों की पारदर्शी फाइबर छत बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो मरम्मत कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) कर्नाटक में बेलूर एवं हेलबिद स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारक संरक्षण की अच्छी हालत में हैं। स्मारकों की मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है जो उनकी संरक्षण जरूरतों के अनुसार की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र

1249. डॉ0 बलिराम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने दूरदर्शन केन्द्र हैं और ये किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) राज्य में अगले तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां पिछले तीन वर्षों से इन केन्द्रों का निर्माण कार्य चल रहा है; और

(घ) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) मौजूदा केन्द्रों का ब्यौरा विवरण-I के कॉलम-1 में दिया गया है।

(ख) विवरण-I के कॉलम-2 में वे स्थान दिए गए हैं जहां पर अगले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन केन्द्रों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) सभी जिलों में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है।

विवरण-I

मौजूदा दूरदर्शन केन्द्र	कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन केन्द्र
(1)	(2)
स्टूडियो	स्टूडियो
इलाहाबाद	मथुरा
बरेली	
लखनऊ	
मऊ	
गोरखपुर	
वाराणसी	
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	*उच्च शक्ति ट्रांसमीटर*
आगरा	बांदा
इलाहाबाद	लखीमपुर
बरेली	आगरा (डी.डी.2)
गोरखपुर	इलाहाबाद (डी.डी.2)
कानपुर	गोरखपुर (डी.डी.2)
लखनऊ	लखनऊ (डी.डी.2)
मऊ	मसूरी (डी.डी.2)
मसूरी	वाराणसी (डी.डी.2)
वाराणसी	
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	*अल्प शक्ति ट्रांसमीटर*
अकबरपुर	अल्मोड़ा
अलीगढ़	धूनाघाट
अमरोहा	नरोरा
अयदामा	तालबेहट
औरेया	कर्वी
बहराइच	दूधिनगर
बलिया	कोसी
बलरामपुर	खेतीखाम
बांदा	गोपेश्वर
बस्ती	कालागढ़
चंपावत	बिधुना
छिबरामऊ	डाक पत्थर
कासगंज	
काशीपुर	

(1)	(2)
कोठद्वार	
लखीमपुर	
लालगंज (प्रतापगढ़)	
लालगंज (रायबरेली)	
ललितपुर	
मड़ोचा	
मड़रोनी	
मैनपुरी	
मथुरा	
मऊ रानीपुर	
मुरादाबाद	
मुहम्मदाबाद	
नैनी डांडा	
नैनीताल	
नान पारा	
नौगढ़	
न्यू टिहरी	
ओबरा	
उरई	
पौड़ी	
पीलीभीत	
पिथौरागढ़	
पूरनपुर	
रायबरेली	
रामपुर	
रासरा	
राठ	
रुदौली	
सम्भल	
शाहजहांपुर	
सिकन्दरपुर	
सीतापुर	
सुल्तानपुर	
टनकपुर	
तिरवा	
आजमगढ़ (डी.डी.2)	

(1)	(2)
कानपुर (डी.डी.2)	
लखनऊ (डी.डी.2)	
मऊ (डी.डी.2)	
रामपुर (डी.डी.2)	
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	*अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर*
अल्मोड़ा	चमोली
बागेश्वर	सिराकोटा/वैकुण्ठ
बसोट	मानेश्वर
भटियारी	मनीला
चौखटिया	रुद्रप्रयाग
देवप्रयाग	नौगांवखाल
धारचुला	केदारनाथ
डीडीहाट	बद्रीनाथ
गज्जा	दुगड्डा
गांडियाल	अरोडी
गोपेश्वर	ओखीमट
जोशीमठ	खुबिया नांगल
करणीखाल	
कर्णप्रयाग	
कौसानी	
मानिकपुर	
मनकापुर	
मुनस्यारी	
नंदप्रयाग	
पोखरी	
प्रतापनगर	
राजगढ़	
रानीखेत	
साडिया	
थराली	
उत्तरकाशी	
ठाकुरद्वारा (डी.डी.2)	
ट्रांसपोजर	*ट्रांसपोजर*
चुर्क	मसूरी (डी.डी.2)
मसूरी	
श्रीनगर	

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में वे परियोजनाएं जिन पर पिछले तीन वर्षों से कार्य चल रहा है

1. स्टूडियो

   मथुरा

2. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

   बांदा

3. अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

   अल्मोड़ा

   करवीं

   नरोरा

   तलबेडट

   कोसी

   धूनाघाट

   खेतीखान

   दूधीनगर

4. अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

   मनिला

   सिराकोटा (वैकुण्डधाम)

   बद्रीनाथ

   चमोली

   नौगावखाल

   रुद्रप्रयाग

   मानेश्वर

नशे की लत

1250. **श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान नशे की दवाइयां लेने और उसकी लत लगने के मामलों में तीन गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान और जागरूकता-कार्यक्रम शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) देश में नशीली दवा दुरुपयोग की सीमा से संबंधित किसी देशव्यापी सर्वेक्षण अथवा राष्ट्रीय आंकड़ा आधार की कमी के कारण, देश में नशीली दवा का दुरुपयोग करने वालों/व्यसनियों की संख्या निर्धारित करना कठिन है। तथापि, किए गए विभिन्न अध्ययन और विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध कराई गई सूचना देश में नशीली दवा दुरुपयोग तथा व्यसन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, यद्यपि कोई निश्चित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

अभिजात समूह दबाव, उत्सुकता, औद्योगिकीकरण/शहरीकरण, पारंपरिक, संयुक्त परिवार प्रथा का टूटना तथा नशीली दवा की उपलब्धता आदि कुछ स्पष्ट कारण हैं जिसने शराब-खोरी तथा नशीली दवा दुरुपयोग जैसे सामाजिक कुसंमजन और विचलन के प्रति व्यक्तियों को संवेदनशील बना दिया है।

(ग) और (घ) नशीली दवा दुरुपयोग को मनोवैज्ञानिक-सामाजिक जिसे समुदाय व्यवस्था में चिकित्सीय समस्या के रूप में स्वीकार करते हुए, जिसे समुदाय व्यवस्था में अच्छी तरह निपटाया जा सकता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शराबखोरी एवं नशीली दवा (ड्रग) दुरुपयोग की रोकथाम की योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत जागरूकता सृजन, निवाराणात्मक शिक्षा, परामर्श तथा उन व्यसनियों की नशामुक्ति, पुनर्वास तथा उत्तरवर्ती देखभाल संबंधी समुदाय आधारित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1998-99 के अन्त तक मंत्रालय ने देशभर में 422 केन्द्रों (193 परामर्श तथा जागरूकता केन्द्र और 229 पुनर्वास-व-उपचार केन्द्र) को चलाने के लिए 339 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय जनता में सूचना का प्रसार करने के लिए प्रसार माध्यमों, इलेक्ट्रानिक और प्रिंट का उपयोग कर रहा है।

पुराने संग्रहालय

1251. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सौ वर्ष पुराने ऐसे संग्रहालयों की संख्या कितनी है जो खस्ता हाल हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन संग्रहालयों के जीर्णोद्धार हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अमरीका के साथ समझौता ज्ञापन

1252. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ने अमरीकी कम्पनी मौनसेण्टो के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मौनसेण्टों को संस्थान में अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ने सोसायटी ऑफ इन्नोवेशन एंड डेवलपमेंट और मेसर्स मोन्सान्टो एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई (जो कि मोन्सान्टो कम्पनी (यू.एस.ए.) द्वारा पूर्ण रूप से अधिकृत मोन्सान्टो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एक सहोदर कम्पनी है) से त्रिपक्षीय समझौता किया है।

(ख) और (ग) मसर्स मोन्सान्टो एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (एम.ई.पी.एल.) ने संस्थान उद्योग तालमेल हेतु नवाचार एवं विकास सोसाइटी के माध्यम से भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा सुझाए गए भवन में एक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला स्थापित की है। समझौता ज्ञापन में प्रस्तावित अनुसंधान कार्य को अंजाम देने के लिए संयुक्त समिति द्वारा विचार और स्वीकृत किया जाएगा जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के संकाय तथा एम.ई.पी.एल. के प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के अध्यक्ष शामिल हैं। सभी परियोजनाओं को संस्थान की जैव-नैतिकता समिति स्वीकृत करेगी। फील्ड परीक्षण आदि सहित अनुसंधान संबंधी संभावित व्यावहारिक अनुप्रयोगों को एम.ई.पी.एल. द्वारा तभी हाथ में लिया जाएगा जब भारत सरकार के संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमति मिल जाए तथा सभी निर्धारित विनियमों का अनुपालन किया जाए।

[हिन्दी]

उर्वरक इकाइयों का बंद रहना

1253. श्री रामजीवन सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितनी उर्वरक फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं;

(ख) उक्त कारखानों को कब तक फिर से चालू करने की संभावना है;

(ग) सरकार ने विशेष कर बिहार में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सरकार ने बन्द पड़े कारखानों के कार्मिकों के पुनर्वास के लिए क्या योजना तैयार की है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) बिहार राज्य में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच.एफ.सी.) के बरौनी एकक तथा पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि० (पी.पी.सी.एल.) के अमझोर एकक के प्रचालन उत्पादन की उच्च लागत के कारण क्रमशः जनवरी, 1999 तथा अप्रैल, 1999 से निलम्बित हैं। एच.एफ.सी. तथा इसके बरौनी एकक के लिए पुनर्वास प्रस्ताव सरकार को तथा अन्तिम स्वीकृति हेतु औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन

बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने हैं। अमझोर एकक के प्रचालनों का पुनः शुरू होना पी.पी.सी.एल. के पुनर्गठन प्रस्ताव पर सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है।

इस समय यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिस पर मूल्य वितरण तथा संचलन नियंत्रण है। प्रत्येक राज्य के लिए यूरिया की मांग का आकलन राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाता है और निर्माताओं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्राएं दर्शाते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस प्रकार आंकलित आवश्यकता तथा घरेलू स्रोतों से संभावित उपलब्धता के बीच के अन्तर को आयातित यूरिया की आपूर्ति से पूरा किया जाता है।

नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा कोई आवंटन नहीं किया जाता है। अतः नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की मांग तथा आपूर्ति बाजार शक्तियों द्वारा तय की जाती है।

(घ) बन्द कारखानों के कार्यबल की वेतन एवं मजदूरी तथा इन संयंत्रों के संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बजटीय स्रोतों की बाधाओं के भीतर प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

महानगर के आसपास के कस्बे

1254. **श्री लक्ष्मण सेठ :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरों में तथा आसपास के कस्बों को विकसित करने के लिए एक योजना की रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) देश में शहरी जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) नए शहरीकृत कस्बों के विकास के लिए 9वीं योजना में प्रारंभिक धनराशि के रूप में 100 करोड़ रुपये के नियतन के लिए योजना आयोग को एक स्कीम भेजी गई थी। स्कीम का उद्देश्य, 9वीं और 10वीं योजना के दौरान 100 आदर्श नए शहरीकृत कस्बों का विकास करना है ताकि महानगरों/बड़े शहरों में भीड़-भाड़ को कम किया जा सके तथा आर्थिक विकास के संचालन के रूप में अनुषंगी कस्बे (सैटेलाइट टाउन) बनाए जा सकें। धन की कमी के कारण योजना आयोग ने स्कीम को मंजूरी नहीं दी है। अतः इस समय ऐसी कोई स्कीम नहीं चल रही है।

(ग) सरकार एक ओर तो परिवार कल्याण स्कीमों के जरिए आबादी नियंत्रण उपायों पर बल दे रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में मेगा शहरों की ओर पलायन (इससे भी आबादी बढ़ती है) के संबंध में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत, जवाहर ग्राम समृद्धी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम, इंदिरा आवास योजना, समग्र आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि जैसी स्कीमें शुरू करने संबंधी कई कदम उठा रही हैं।

छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की केंद्र प्रवर्तित स्कीम, जो 6ठीं योजना (1979-80) में शुरू की गई थी, अब भी चल रही है। इसका उद्देश्य (i) आर्थिक विकास तथा रोजगार के क्षेत्रीय केंद्रों के रूप में उभरने की क्षमता रखने वाले छोटे तथा मझोले कस्बों की अवस्थापना सुविधाओं में सुधार करना तथा टिकाऊ सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सृजन में सहायता करना तथा ग्रामीण और छोटे शहरी क्षेत्रों के लोगों के बड़े शहरों तथा कस्बों की ओर रोजगार के लिए पलायन करने के लिए प्रोत्साहन कम करना, और (ii) एक क्षेत्रीय आयोजना की अवधारणा के ज़रिए गांवों, कस्बों तथा शहरों के बीच आपसी कार्यात्मक संबंधों का लाभ उठाते हुए आर्थिक विकास और रोजगार अवसरों को विकेंद्रीकृत करना तथा छितरे शहरीकरण को बढ़ावा देना।

अंधता पर नियंत्रण

1255. **श्री एच.जी. रामुलू :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में वर्ष 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कितनी राशि जारी की गई तथा कितनी व्यय की गई;

(ख) उक्त कार्यक्रम के तहत 1999-2000 के दौरान कितनी राशि की मांग की गई है;

(ग) कर्नाटक में अंधता दर की प्रतिशतता क्या है;

(घ) सरकार द्वारा अंधता का प्रतिशत कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) कर्नाटक को 1999-2000 के दौरान उक्त कार्यक्रम के तहत अब तक कितनी राशि जारी की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक सरकार को 1998-99 के दौरान 52.50 लाख रुपए जारी किए गए थे। इस राशि में इस राज्य द्वारा 1998-99 में 23.08 लाख रुपए का उपयोग किया गया। इसके अलावा 1998-99 के दौरान विभिन्न जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियों को 196 लाख रुपए जारी किए गए जिसमें से 1998-99 में 178 लाख रुपये खर्च किए गए।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान कर्नाटक राज्य को 48 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।

(ग) कर्नाटक राज्य में दृष्टिहीनता की व्यापकता 1.29% आंकलित की गई थी जैसा कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण 1989 से पता चलता है।

(घ) दृष्टिहीनता की घटनाओं में कमी लाने के लिए संघ सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. मेडिकल कालेजों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र परिचर्या के लिए आधारभूत ढांचे की स्थापना करना।

2. कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों को शुरू करने के लिए जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियों और गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देना।

3. नेत्र सर्जनों एवं अन्य संबद्ध कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

4. प्रभावित जनता में जनजागरूकता एवं अभिप्रेरणा पैदा करना।

5. नेत्र संबंधी उपकरणों एवं उपभोज्यों की आपूर्ति करना।

(ङ) वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य सरकार को 39 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कर्नाटक राज्य में विभिन्न जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियों को 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

चक्रवात की पूर्व चेतावनी

1256. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के किसी भाग में बाढ़, चक्रवात और प्राकृतिक आपदा की संभावना के बारे में लोगों को पूर्व चेतावनी देने के लिये पूर्वानुमान लगाने वाला कोई संयंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

केरल में दूरदर्शन रिले केन्द्र

1257. **श्री ए.सी. जोस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में दूरदर्शन रिले केन्द्रों का वर्तमान स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को राज्य में नये रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) केरल के विभिन्न भागों में नए टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। समग्र नेटवर्क योजना बनाते समय इन अनुरोधों पर विधिवत रूप से विचार किया जाता है तथा इन अनुरोधों को तकनीकी/वित्तीय बाध्यताओं के अधीन समायोजित किया जाता है।

विवरण

केरल में मौजूदा टी.वी. ट्रांसमीटर

उ.श.ट्रां. (उच्च शक्ति ट्रांसमीटर)

1. कोचीन
2. त्रिवेन्द्रम
3. कालीकट

अ.श.ट्रां. (अल्प शक्ति ट्रांसमीटर)

1. अदूर
2. अट्टापाड़ी
3. कन्नानोर
4. कन्नानोर (डी.डी.-2)
5. चंगनचोरी
6. चेंगान्नूर
7. इदुक्की
8. कल्पेट्टा
9. कान्हनगढ़
10. कासरगोड
11. कायमकुलम
12. मलियापुरम
13. पालघाट
14. पथनमथिट्टा
15. पुनालुर
16. शोरनपुर
17. तेल्लीचेरी
18. थोडुपुजा
19. त्रिचूर

20. कालीकट (डी.डी.-2)

21. कोचीन (डी.डी.-2)

22. त्रिवेन्द्रम (डी.डी.-2)

अ.अ.श.ट्रां (अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर)

1. देवीकोलम

2. कंजीरापल्ली

[हिन्दी]

हिन्दी विश्वविद्यालय

1258. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने के लिए वर्धा में हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी उपलब्धियां हासिल की गई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हिन्दी भाषा तथा साहित्य के संवर्धन तथा विकास के लिए 29 दिसम्बर, 1997 को लागू हुए महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 के तहत महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय (एम.जी.ए.एच.वी.) की स्थापना वर्धा (महाराष्ट्र) में की गई। विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय ने हिन्दी के संवर्धन तथा विकास के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यकलाप आरम्भ किए। विश्वविद्यालय द्वारा आरम्भ किए गए विभिन्न कार्यकलापों में अन्य कार्यकलापों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं :

(i) हिन्दी भाषा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु योजना, कार्यनीति आदि को तैयार करना।

(ii) हिन्दी भाषा, भाषा विज्ञान, साहित्य आदि के शिक्षण, अनुसंधान तथा अध्ययन की आलोचनात्मक समीक्षा।

(iii) हिन्दी के विदेशी शिक्षकों को होने वाली कठिनाइयों का सर्वेक्षण।

(iv) हिन्दी भाषा के विदेशी छात्रों के लिए नेटवर्क का सृजन।

(v) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में हिन्दी पुस्तकों के अनुवाद कार्य के लिए योजनाओं को तैयार करना।

(vi) हिन्दी के संवर्धन तथा विकास की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए इंटरनेट पर एक साइबर कैम्पस खोलने संबंधी योजना को तैयार करना।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया जाना

1259. **श्री वानवे राव साहेब पाटील**
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1997 से अन्य पिछड़ा वर्ग में अपनी जातियों को शामिल करने हेतु कितने अभ्यावेदन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उन जातियों में से कितनी जातियों को उक्त श्रेणी में शामिल करने हेतु आयोग द्वारा सिफारिश की गई है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिनांक 1.4.1997 से अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में 155 जातियों/समुदायों (उप-जातियों/पर्यायों सहित) को शामिल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं।

(ख) सूचना सभा पटल पर रखी जाएगी।

[हिन्दी]

एड्स की रोकथाम

1260. **श्री अमीर आलम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स सोसायटी ने देश के विशेषकर ग्रामीण इलाकों में एड्स की रोकथाम और नियंत्रण से संबंध कार्य को सुव्यवस्थित तथा त्वरित बनाने का आह्वान किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो देश की आम जनता के बीच एड्स विषाणु के फैलाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हाँ।

(ख) संघ सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं :

1. केन्द्र और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबन्ध क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

2. एच.आई.वी./एड्स के बारे में उच्च जोखिम का व्यवहार करने वाले समूहों और आम जनता में जागरूकता पैदा करना।

3. यौन संचारित रोगों का नियंत्रण और कंडोम को बढ़ावा देना।

4. रक्त बैंकों का उपयुक्त लाईसेंसिंग और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देकर रक्त निरापदता और रक्त के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना।

5. निगरानी और निदान के लिए क्षमता बढ़ाना; और

6. एच.आई.वी./एड्स के रोगियों के नैदानिक प्रबन्ध में प्रशिक्षण देना।

[अनुवाद]

बिहार को हुडको से सहायता

1261. श्रीमती कान्ति सिंह : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार सरकार द्वारा संस्तुत/भेजी गई उन योजनाओं, जिनके लिए हुडको से सहायता प्राप्त हुई, का ब्यौरा क्या है;

(ख) अभी तक हुडको द्वारा अनुमोदित योजनाओं और दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और उनके संबंध में क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है; और

(ग) वर्ष 1999-2000 के लिए निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में हुडको सहायता के लिए विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त योजनाओं के विवरण इस प्रकार हैं :

वर्ष	योजनाओं की सं0	परियोजना लागत	ऋण राशि (लाख रुपए में)
1996-97	18	3343.36	2167.61
1997-98	10	4716.38	2969.22
1998-99	14	1389.83	1162.60
1999-2000 (31.10.99 तक)	1	160.54	68.00
योग	43	9610.11	6367.43

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुडको ने राज्य में 11363.58 लाख रुपए की परियोजना लागत से 55 योजनाएं स्वीकृत की हैं और 6917.97 लाख के हुडको ऋण प्रदान किए गए हैं जिनके विवरण इस प्रकार हैं :

वर्ष	योजनाओं की सं0*	परियोजना लागत	ऋण राशि (लाख रुपए में)
1996-97	28	7644.88	3942.28
1997-98	4	617.66	464.61
1998-99	19	2705.36	2325.52
1999-2000 (31.10.99 तक)	4	315.68	185.56
	55	11363.58	6917.97

*योजनाओं में पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रस्तुत योजनाएं भी शामिल हैं।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान 30.11.99 तक हुडको ने बिहार राज्य में आवास योजनाओं के लिए 64.26 करोड़ रुपए नियत किए हैं जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

श्रेणी	धनराशि (करोड़ रुपए में)
ई डब्ल्यू एस (ग्रामीण)	2.00
ई डब्ल्यू एस (शहरी)	2.00
निम्न आय वर्ग	10.00
मध्यम आय वर्ग	17.00
उच्च आय वर्ग तथा अन्य	18.80
लाभकारी	14.26
योग	64.06

अलग-अलग परियोजना प्रस्ताव के गुणवगुण के आधार पर हुडको शहरी अवस्थापना का वित्तपोषण करता है और पहले से कोई राज्य-वार नियतन नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय में स्थानांतरण

1262. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों को फालतू घोषित कर बड़े पैमाने पर उनका अंतक्षेत्रीय स्थानांतरण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो श्रेणी-वार, केन्द्रीय विद्यालय-वार और क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ शिक्षकों को विद्यालयों में समतुल्य पद प्राप्त नहीं हुए;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन्हें समतुल्य पद पर रखने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

शहरों को "धरोहर" का दर्जा

1263. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में शहरों को "धरोहर (हेरीटेज)" का दर्जा देने और उनको आदर्श शहरों के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) किन-किन शहरों को यह दर्जा दिये जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना को कार्यान्वयन हेतु कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों की मांग और आपूर्ति

1264. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय उर्वरकों की मांग और आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों की कीमतों में प्रति वर्ष वृद्धि की गई;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उर्वरकों, विशेषकर "डी ए पी" और यूरिया की कीमतें कम किए जाने और इनकी आपूर्ति बढ़ने के लिए 1999-2000 के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) यूरिया एकमात्र उर्वरक है, जिस पर भारत सरकार का मूल्य, वितरण और संचलन नियंत्रण है। केवल यूरिया की ही मांग का आंकलन और आवंटन किया जाता है। अन्य सभी उर्वरक नियंत्रणमुक्त हैं और इनमें से राज्य सरकार डी ए पी तथा एम ओ पी की मांग का अनुमान लगाती हैं। देश में प्रमुख उर्वरकों अर्थात् यूरिया, डी ए पी और एम ओ पी की मांग और आपूर्ति के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II, III में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया के अधिकतम खुदरा मूल्य में निम्नानुसार दो बार वृद्धि की गयी थी :

(अधिकतम खुदरा मूल्य रुपये प्रति मी. टन में)

वर्ष	से	तक
1996-97 (21.2.97)	3320	3660
1998-99 (28.1.99)	3660	4000

यूरिया के मूल्य में यह वृद्धियां संतुलित पोषक उपयोग तथा वित्तीय स्थिरता के हित में की गई थी।

नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के लिए सरकार द्वारा कोई अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित नहीं किए जाते। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट तथा सिंगल सुपर फास्फेट को छोड़कर इन उर्वरकों के लिए निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा प्रशासित रियायत योजना के तहत निर्धारित किए जात हैं। इन उर्वरकों के निर्देशात्मक मूल्यों में खरीफ 1997 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान देश में यूरिया और डी ए पी की आपूर्ति पर्याप्त है। दोनों उर्वरक किसानों को उच्च सबसीडाइज्ड दरों पर उपलब्ध हैं और इनके मूल्यों में और कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण I

1999-2000 के दौरान राज्य-वार यूरिया की मांग और आपूर्ति दर्शाने वाला विवरण पत्र

(000 टन)

क्र. सं.	राज्य	खरीफ, 1999		रबी, 1999-2000	
		अनुमानित आवश्यकता/ मांग	उपलब्धता/ आपूर्ति	अनुमानित आवश्यकता/ मांग	उपलब्धता/ आपूर्ति 31.10.99 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1000.00	1148.64	1101.50	341.87
2.	कर्नाटक	600.00	651.39	396.00	136.96
3.	केरल	70.00	68.44	60.00	19.91
4.	तमिलनाडु	360.00	408.91	510.00	144.26
5.	गुजरात	600.00	653.44	690.00	128.58
6.	मध्य प्रदेश	675.00	730.26	700.00	336.54
7.	महाराष्ट्र	1100.00	1285.92	730.00	253.98
8.	राजस्थान	450.00	537.70	650.00	178.96
9.	गोवा	4.20	21.7	2.20	0.04
10.	हरियाणा	580.00	662.08	800.00	294.22
11.	पंजाब	1055.00	1083.54	1124.00	339.79
12.	उत्तर प्रदेश	2400.00	2756.08	2700.00	788.96
13.	हिमाचल प्रदेश	30.00	33.96	22.00	2.98
14.	जम्मू और कश्मीर	60.00	52.89	44.96	11.82
15.	दिल्ली	13.00	15.27	20.00	4.76
16.	बिहार	725.00	861.05	650.00	280.40
17.	उड़ीसा	300.00	375.85	120.00	81.27
18.	पश्चिम बंगाल	450.00	533.61	675.00	118.53
19.	असम	60.00	90.82	65.00	33.87
20.	त्रिपुरा	10.00	8.06	13.00	2.29
21.	मणिपुर	24.00	26.52	7.50	0.72
22.	मेघालय	3.00	3.56	2.75	0.18
23.	नागालैण्ड	0.50	1.40	0.50	0.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.50	1.42	0.35	0.00
25.	मिजोरम	0.50	1.45	0.50	0.00
26.	सिक्किम	0.65	1.18	0.55	0.00
	अन्य	47.92	13.80	12.06	2.79
	समस्त भारत	10619.27	12009.99	11098.87	3507.68

विवरण II

1999-2000 के दौरान राज्य-वार डीएपी की मांग और आपूर्ति दर्शाने वाला विवरण पत्र

(000 टन)

क्र. सं.	राज्य	खरीफ, 1999		रबी, 1999-2000	
		सम्भावित आवश्यकता/ मांग	उपलब्धता/ आपूर्ति	सम्भावित आवश्यकता/ मांग	उपलब्धता/ आपूर्ति 31.10.99 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	440.00	486.97	300.00	105.07
2.	कर्नाटक	280.00	304.57	85.00	29.73
3.	केरल	6.00	6.47	6.00	2.82
4.	तमिलनाडु	110.00	134.88	120.00	51.67
5.	गुजरात	300.00	267.43	240.00	50.31
6.	मध्य प्रदेश	300.00	347.77	340.00	145.28
7.	महाराष्ट्र	315.00	387.07	220.00	83.60
8.	राजस्थान	210.00	293.45	200.00	122.94
9.	गोवा	0.00	0.60	0.40	0.00
10.	हरियाणा	130.00	230.03	270.00	223.43
11.	पंजाब	200.00	437.31	420.00	252.06
12.	उत्तर प्रदेश	425.00	672.50	700.00	482.17
13.	हिमाचल प्रदेश	0.50	0.44	0.50	0.44
14.	जम्मू और कश्मीर	25.00	15.10	27.33	3.21
15.	दिल्ली	2.50	3.58	10.30	1.44
16.	बिहार	150.00	240.80	200.00	111.69
17.	उड़ीसा	70.00	78.07	25.00	10.97
18.	पश्चिम बंगाल	170.00	211.94	270.00	96.62
19.	असम	20.00	21.17	15.00	8.37
20.	त्रिपुरा	1.80	0.00	0.00	0.00
21.	मणिपुर	4.00	0.00	0.55	0.00
22.	मेघालय	1.00	0.00	0.80	0.00
23.	नागालैण्ड	0.50	0.00	0.49	0.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.00	0.13	0.00
25.	मिजोरम	0.60	0.00	0.65	0.00
26.	सिक्किम	0.45	0.00	0.45	0.00
	अन्य	6.26	3.48	4.34	0.57
	समस्त भारत	3168.65	4143.63	3456.94	1782.37

विवरण III

1999-2000 के दौरान राज्य-वार एमओपी की मांग और आपूर्ति दर्शाने वाला विवरण पत्र

(000 टन)

क्र. सं.	राज्य	खरीफ, 1999		रबी, 1999-2000	
		सम्भावित आवश्यकता/ मांग	उपलब्धता/ आपूर्ति	सम्भावित आवश्यकता/ मांग	उपलब्धता/ आपूर्ति 31.10.99 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	80.00	143.03	115.00	49.68
2.	कर्नाटक	135.00	171.39	95.00	34.21
3.	केरल	80.00	84.41	65.00	16.46
4.	तमिलनाडु	160.00	167.58	184.00	45.10
5.	गुजरात	40.00	63.96	55.00	23.81
6.	मध्य प्रदेश	45.00	43.99	20.00	13.78
7.	महाराष्ट्र	125.00	148.43	125.00	28.38
8.	राजस्थान	4.00	3.37	4.00	1.78
9.	गोवा	0.80	0.53	0.50	0.02
10.	हरियाणा	5.00	5.28	5.00	1.38
11.	पंजाब	20.00	35.79	20.00	5.33
12.	उत्तर प्रदेश	60.00	109.17	90.00	67.64
13.	हिमाचल प्रदेश	0.20	0.20	4.00	0.00
14.	जम्मू और कश्मीर	1.50	0.49	6.69	0.03
15.	दिल्ली	0.10	0.07	0.28	0.00
16.	बिहार	50.00	55.00	80.00	27.00
17.	उड़ीसा	50.00	49.51	40.00	12.01
18.	पश्चिम बंगाल	120.00	124.06	225.00	72.26
19.	असम	33.00	26.02	45.00	7.71
20.	त्रिपुरा	2.30	0.97	2.50	0.00
21.	मणिपुर	1.30	0.05	0.25	0.00
22.	मेघालय	0.25	0.06	0.25	0.00
23.	नागालैण्ड	0.10	0.00	0.12	0.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.09	0.00
25.	मिजोरम	0.30	0.14	0.40	0.00
26.	सिक्किम	0.15	0.00	0.10	0.00
	अन्य	23.71	3.72	3.44	0.70
	समस्त भारत	1037.72	1237.22	1186.62	407.28

यूरिया का आयात

1265. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से मैसर्स कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को 28:28 जटिल उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए 75,000 टन यूरिया का आयात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार ने यह भी अनुरोध किया है कि आयातित यूरिया का उपयोग करने की अनुमति केवल उनके विनियंत्रित 28:28 जटिल उर्वरकों के चालू उत्पादन के लिए दी जाए और न कि उसकी सीधी बिक्री करने के लिए दी जाए; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) मिश्रित उर्वरकों (28 : 28 : 0) के निर्माण के लिए 75,000 टन यूरिया के आयात की अनुमति मै. कोरामण्डल फर्टिलाइजर्स लि० को मई, 1999 में दी गई थी।

अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण

1266. श्री चन्द्र नाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ ने सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों के काम न करने के कारणों का पता लगाने के लिए नवम्बर 1997 में एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) समिति की रिपोर्ट/सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) अनुशंसाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) समिति की स्वीकृत अनुशंसाएं केन्द्र सरकार के अस्पतालों में अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सम्बद्ध अस्पतालों में अपनायी/कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली, द्वारा गठित चन्द्रशेखरन समिति की अनुशंसायें

अनुशंसा

1. अपेक्षित उपस्करों का निर्धारण जैसे वास्तविक जरूरत मूल्य निर्धारण, सही विनिर्देशन, प्रकाशित अथवा कार्मिक सम्पर्क के जरिए वास्तविक उपयोगकर्ताओं से प्राप्त रिपोर्टों, और तमाम मंडगे उपस्करों के प्रापण से पूर्व लागत-सार्थक विश्लेषण से पूर्व विशिष्ट नीतिगत दिशा निर्देशों का प्रतिपादन कर लिया जाना चाहिए।

2. न केवल वरिष्ठ स्टाफ-सदस्यों, खासकर अधिवर्शिता के कगार वाले सदस्यों, वरन् संकाय के कनिष्ठ सदस्यों जो किसी उपस्कर के वास्तविक उपयोग करने वाले हों, को उपस्कर के चयन में संलग्न व्यक्तियों में होना चाहिए। कभी-कभी चयन समिति की सहायता करने हेतु बाहरी विशेषज्ञों को सम्मिलित करना और भी समुचित होगा।

3. खरीद-संविदा की शर्तों में अधिमानतः 5 से 7 वर्षों तक की अवधि के लिए जरूरी अतिरिक्त पुरजों की सप्लाई करने के साथ विक्रयोतर सर्विस की शर्त रहनी चाहिए। समिति संतोष के साथ उल्लेख करती है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल अपनी निविदाओं में एक उपयुक्त शर्त जोड़कर ऐसी प्रक्रिया की शुरूआत कर रहा है।

4. आयातित उपस्करों के विषय में क्रेता की अग्रिम देनदारी को आशोधित करके 90 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। कुछ अत्याधुनिक मदों, उदाहरणार्थ जिनके लिए बहुत-से सप्लायर नहीं हैं, के संदर्भ में अल्पतर अग्रिम राशि के भुगतान हेतु बातचीत करने की कोशिशों में कुछ कठिनाइयां आड़े आ सकती हैं। लेकिन अधिकांश अन्य सामानों के संदर्भ में ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा, एम्स के वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा व्यक्त एक विचार है कि तथाकथित आधुनिक उपस्करों का बाजार अब विक्रेता का बाजार नहीं रह गया और यह कि क्रेता संभवतः इसीलिए इस मामले में कुछ हद तक मोल-तोल कर सकते हैं।

5. क्रय संविदा और अनुरक्षण संविदा में सप्लाई न करने अथवा अतिरिक्त पुरजों की सप्लाई में विलम्ब करने अथवा निर्धारित अवधि में मरम्मत-कार्य पूरा नहीं करने के खिलाफ संविदा करने वाली फर्मों पर संभवतः अवरोधक प्रभाव डालने वाली उपयुक्त दण्डात्मक शर्तें निहित होनी चाहिए। टूट-फूट को दूर करने संबंधी मौजूदा शर्तों से प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है। इस संबंध में समिति के ध्यान में कोई मामला नहीं आया है कि क्या संबंधित फर्म में ऐसे नुकसानों के लिए कभी दावा किया गया।

6. चूककर्ता फर्मों को ब्लैक लिस्ट करने संबंधी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा निर्गत आदेश सुनिश्चित व सुस्पष्ट होने चाहिए ताकि यह बताया जा सके कि संबंधित संविदा की शर्तों के अधीन पहले से ही अग्रिम राशि का भुगतान पा चुके उपस्कर की संस्थापना सप्लायर फर्म द्वारा करवाई जानी चाहिए और ब्लैक लिस्ट करने में लिखने का मामला उक्त फर्म से नए उपस्कर/भंडार सामग्रियों की खरीद पर ही लागू होना चाहिए।

7. प्रत्येक उपस्कर के लागबुक का रख-रखाव उपयोगकर्ता विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जिसकी किसी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अथवा उनके द्वारा व्यावसायिक दृष्टि से नामजद किए हुए अर्हता प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्येक तीन महीने बाद जांच-पड़ताल की जानी चाहिए। लागबुक के प्रपत्र में निम्नलिखित सूचना रहनी चाहिए: 1. उपस्कर का नाम। 2. एकसैशन संख्या। 3. विनिर्देशनों के निर्धारण की तिथि। 4. आदेश की तिथि। 5. संस्थापना की तिथि। 6. उपस्कर को संचालित करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम। 7. किए परीक्षणों की संख्या-परीक्षण एकसैसन की संख्या। 8. परीक्षण करने की तिथि। 9. उपयोगकर्ता/संचालक का नाम। 10. किस अवस्था में यह पाया गया - कार्यरत अथवा अकार्यरत। 11. यदि कोई दोष हो, तो निर्धारण का समय और तारीख। 12. रिपोर्टिंग की तारीख और समय। 13. मरम्मत की तारीख और समय। 14. लागत-लाभ अनुपात निर्धारण करने के लिए तकनीकी अंकेक्षण की तारीख। यह लागबुक प्राधिकृत पर्यवेक्षक द्वारा देखी जानी चाहिए।

8. किसी भी उपस्कर का संस्थापना और मानकीकरण आपूर्तिकर्ता से कराया जाना चाहिए और सामग्री प्राप्त करने से पहले सक्रिय कार्य क्षेत्र स्थितियों में स्पष्ट रूप से परीक्षण जांच कराई जानी चाहिए।

9. पुराने पड़ चुके उपस्कर जिनके फालतू पुर्जे/अन्य सामान प्राप्त करने में कठिनाई आती है, उपहार स्वरूप मिलने पर भी स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए।

10. इंजीनियरिंग कर्मचारियों को, जो आवश्यक आधारभूत ढांचे, अर्थात् स्थान, भवन, बातानुकूलन/विद्युत प्रणाली आदि से सम्बन्धित सभी कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, प्रत्येक अस्पताल से सम्बद्ध किए जाने चाहिए और वे संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के प्रति जवाबदेह होने चाहिए।

11. उपकरणों के अधिग्रहण, उपकरणों के संस्थापन के लिए आधारभूत ढांचे की तैयारी और उनके संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता के बीच ठीक-ठीक समय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

12. प्रत्येक अस्पताल में एक जैव-चिकित्सीय अभियांत्रिकी विभाग होना चाहिए जिसमें विधिवत प्रशिक्षित कार्मिक हों और वे सीधे चिकित्सा अधीक्षक के अधीन कार्य कर रहे हों। सभी अस्पतालों में एक उपयुक्त पर्यवेक्षक के अधीन निम्नलिखित दो सदस्यीय अनुरक्षण कर्मशाला बनाई जानी चाहिए : (i) यांत्रिकी कर्मशाला (ii) विद्युत कर्मशाला (iii) बढ़ईगिरी कर्मशाला (iv) संयुक्त रूप से ग्लास बलोवर कर्मशाला, उपकरण के सही कार्यकरण के लि अनिवार्य छोटे किस्म के सभी कार्यों की ऐसी कर्मशालाओं द्वारा देखरेख की जायेगी। यह बात इन अस्पतालों के विभिन्न एककों के अनुसंधान एवं विकास को सहायता देने के अतिरिक्त उपकरणों के उच्च लागत सार्थक निवारक रख-रखाव सुनिश्चित करेगी।

13. तत्काल मरम्मत करने के लिए प्रत्येक अस्पताल के विभागाध्यक्षों के विवेक पर उचित रूप से पर्याप्त लगभग 50,000/- रुपये की अग्रदाय राशि रखी जानी चाहिए।

14. उन मशीनों, जो अपना जीवन काल समाप्त हो जाने अथवा अन्य कारणों अर्थात् मरम्मत आदि के महंगे होने के कारण इस्तेमाल के योग्य नहीं है, को बेकार ठहराने के बारे में निर्णय एक विधिवत् अर्हता प्राप्त समिति द्वारा बार-बार बैठकें करके किया जाना चाहिए न कि इस समय की तरह जैसा कि समिति द्वारा पाया गया है।

15. चिकित्सीय और नैदानिक उपकरणों और/अथवा अतिरिक्त पुरजों के आयात के लिए सिंगल विंडो क्लिएरेंस का निर्धारण उस संबंध में पर्याप्त उपबंध करके किए जाने चाहिए। जैसा कि अग्रिम लाइसेंसिंग पद्धति के मामले में है ऐसे आयात को उच्चाधिकार प्राप्त समिति जिसमें भारत सरकार के भिन्न-भिन्न मंत्रालयों और पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, विदेश व्यापार महानिदेशालय आदि जैसे विभागों के प्रतिनिधि और संबंधित वित्तीय सलाहकार, जिन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना होगा, सम्मिलित होते है, द्वारा विधिवत अधिकृत किया जाना चाहिए। यदि एक बार संबंधित अस्पताल में सदस्यों की एक उपयुक्त रूप से नियुक्त उच्च समिति जरूरतों का आकलन कर लेती है और उनके बारे में ऐसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति को सूचित कर देती है तो समिति की सिफारिश का तुरन्त अनुपालन किया जाना चाहिए और निर्णय की सूचना संबंधित अस्पताल को दी जानी चाहिए जो कम से कम विलम्ब करते हुए उपकरणों/अतिरिक्त पुरजों को प्राप्त करने के लिए आगे कार्रवाई करेगा। किसी विशेष उपकरण/अतिरिक्त पुरजे के लिए किसी छूट अधिसूचना के जारी करने की किसी आवश्यकता की दशा में राजस्व विभाग/विदेश व्यापार महानिदेशालय को तुरन्त विचार करना चाहिए और यह प्रासंगिक समय पर उस संबंध में सरकार के दिशा निर्देशों के अध्यधीन उसे तुरन्त जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए।

16. किसी विशेष उपकरण के संबंध में सभी पत्राचार/नोटों को अलग से एक स्वतः पूर्ण फाइल में डील किया जाना चाहिए और उन्हें एक कालानुक्रम से उस फाइल पर समुचित ढंग से रखा जाना चाहिए।

17. प्रत्येक अस्पताल में एक पृथक स्टोर्स ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए और इसका प्रधान व्यावसायिक रूप से योग्य व्यक्ति होना चाहिए उसे अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

18. चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उपकरणों के प्रापण तथा उनके नियमित रख-रखाव के संबंध में लागू होने वाले सरकारी/आन्तरिक आदेशों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिसके लिए अन्य कार्यों के साथ-साथ विभिन्न विभागों/स्टोर्स का अप्रत्याशित निरीक्षण किया जा सकता है।

19. प्रत्येक वर्ष किसी नियत दिवस (दिवसों) को सभी उपकरणों के वार्षिक/द्विवार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन तथा उनके रिकार्डों के उचित अनुरक्षण की प्रत्येक अस्पताल में व्यवस्था की जानी चाहिए।

20. करार की शर्तों एंव ए/टी में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि फारेन प्रिंसिपल द्वारा अपने भारतीय एजेंट को बदलकर उपकरण की सप्लाई करने की दशा में संबंधित अस्पताल को यथासमय सूचित किया जाना चाहिए इसके अलावा इस करार में यह व्यवस्था होनी

चाहिए कि फारेन प्रिंसिपल यह सुनिश्चित करेगा कि फारेन प्रिंसिपल की बाध्यताएं और कर्त्तव्य स्वतः ही नए भारतीय एजेंट को अंतरित हो जानी चाहिए। जिनके न हो सकने पर फारेन प्रिंसिपल नए भारतीय एजेंट की ओर से भूलचूकों के लिए स्वतः ही उत्तरदायी होगा।

21. खरीद अनुरक्षण की निर्धारित प्रक्रियाओं से हटकर होने वाले मामले औचित्यपूर्ण कारणों के बिना पाए जाते हैं, तो उत्तरदायी व्यक्तियों से लागू अनुशासनिक नियमों के तहत निपटा जाना चाहिए और पर्याप्त तथा समय पर दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

22. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दो अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को प्रदत्त वित्तीय शक्तियां बढ़ाने का पर्याप्त औचित्य है। उपस्करों/सामान के प्रापण के लिए 50,000 रुपए की वर्तमान सीमा जिसके लिए अस्पताल प्राधिकारियों को दिल्ली सरकार से संपर्क करना होता है, को बढ़ाकर एक लाख रुपया करना ही चाहिए। इसके अलावा विश्वसनीय पंजीकृत फर्मों/कम्पनियों तक सीमित, सीमित निविदा आमंत्रण के जरिए उपस्करों की खरीद के कार्य को संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

नेशनल रीकन्स्ट्रक्शन कोर

1267. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना नेशनल रीकन्स्ट्रक्शन कोर योजना का प्रसार देश के सभी जिलों तक करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है और अभी तक राज्य-वार कितने जिले इससे लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) इस योजना का क्रियान्वयन सभी जिलों में करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हाँ।

(ख) वर्तमान अनुमोदित योजना, एक प्रायोगिक परियोजना है जो प्रथम वर्ष में 80 जिलों और द्वितीय वर्ष में 120 जिलों में कार्यान्वित की जानी है। प्रथम वर्ष के दौरान, कार्यान्वयन हेतु पता लगाये गए जिलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश के सभी जिलों में योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना (प्रथम वर्ष) के कार्यान्वयन हेतु पता लगाये गए जिलों की सूची

राज्य	जिला
आन्ध्र प्रदेश	1. हैदराबाद
	2. करीम नगर
	3. विशाखापत्तनम
	4. ईस्ट गोदावरी
असम	5. कछार (सिलचर)
	6. गुवाहाटी
	7. एन.सी. हिल्स
बिहार	8. गुमला
	9. दुमका
	10. हजारीबाग
	11. जहानाबाद
	12. नवादा
	13. नालन्दा
	14. पटना
	15. सीतामढ़ी
	16. किशनगंज
गुजरात	17. अहमदाबाद
हरियाणा	18. नारनौल (महेन्द्रगढ़)
हिमाचल प्रदेश	19. सिरमौर (नाहन)
	20. ऊना
कर्नाटक	21. बीदर
	22. शिमोगा
	23. बीजापुर
केरल	24. कसारगौड
	25. वायनाड
मध्य प्रदेश	26. छत्तरपुर
	27. टीकमगढ़
	28. सिवनी
	29. जबलपुर
	30. शहडोल
	31. सरगुजा
	32. झाबुआ
	33. ग्वालियर
	34. भोपाल
	35. कांकर
महाराष्ट्र	36. मुम्बई
	37. बीड

राज्य	जिला
	38. अमरावती
	39. सिन्धुदुर्ग
	40. गढ़चिरोली
पंजाब	41. गुरदासपुर
उड़ीसा	42. कालाहाण्डी
	43. कोरापुट
	44. बोलनगीर
	45. नौपाड़ा
	46. फुलबनी
	47. भुवनेश्वर
	48. मयूरभंज
राजस्थान	49. भरतपुर
	50. झालावाड़
	51. सीकर
	52. जयपुर
तमिलनाडु	53. रामनाथपुरम
	54. कन्याकुमारी
	55. चेन्नई
	56. कांचीपुरम
	57. त्रिपुरापल्ली
उत्तर प्रदेश	58. पीलीभीत
	59. लखनऊ
	60. मेरठ
	61. मथुरा
	62. टिहरी गढ़वाल
	63. ललितपुर
	64. कानपुर
	65. बांदा
जम्मू व कश्मीर	66. ऊधमपुर
	67. लेह
मणिपुर	68. बिशनपुर
पश्चिम बंगाल	69. मालदा
	70. साउथ दीनाजपुर (नार्थ)
	71. बांकुरा
	72. कलकत्ता
मेघालय	73. वेस्ट गोरो हिल्स (तुरा)
नागालैण्ड	74. कोहिमा
सिक्किम	75. गंगटोक
अरुणाचल प्रदेश	76. लोहित
दिल्ली	77. अलीपुर
	78. महरौली
मिजोरम	79. लुन्गेली
त्रिपुरा	80. धरमनगर

केरल से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाएं

1268. **श्री टी. गोविन्दन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल से समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं का प्रकाशन किए जाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक को केरल से प्रकाशित समाचारपत्रों तथा अन्य पत्रिकाओं के शीर्षकों को सत्यापित करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1997, 1998 तथा 1999 (29.11.99 तक) के दौरान शीर्षक सत्यापन के लिए प्राप्त तथा निपटाए गए आवेदनों की संख्या निम्न अनुसार है :

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	सत्यापित शीर्षक	
		स्वीकृत	अस्वीकृत
1997	689	403	286
1998	714	346	368
1999	827	476	351

(घ) कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

सांस्कृतिक केन्द्र

1269. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक सांस्कृतिक केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सांस्कृतिक केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने का विचार है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) राज्यों में सांस्कृतिक परिसर सहित बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना करने की स्कीम के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय को सांस्कृतिक परिसर के निर्माण-कार्य की बाबत, राज्य सरकार की अनुशंसा पर, 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। रायगढ़ (महाराष्ट्र) में सांस्कृतिक परिसर स्थापित करने हेतु कोई भी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण

1270. **श्री जी.एम. बनातवाला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए मान्यता प्राप्त विशेष रूप से तकनीकी, इंजीनियरिंग और फार्मेसी शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मान्यता प्राप्त संस्थानों के नाम क्या हैं जिनमें सीटें आरक्षित रखी जाती हैं तथा प्रत्येक विभाग में प्रत्येक राज्य के लिए कितनी-कितनी सीटें आरक्षित रखी जाती हैं; और

(घ) वह प्रक्रिया क्या है जिसके अंतर्गत इन सीटों को भरा जाता है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) वर्ष 1999-2000 के लिए तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु डिग्री तथा डिप्लोमा स्तरों पर आरक्षित सीटों के आवंटन की राज्यवार तथा संकाय-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है। संस्थानवार आवंटन संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है जो अंततः भारत सरकार को सीट उपलब्ध कराते हैं।

(घ) लाभप्राही राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को दिए गए नियमों तथा विनियमों और अनुदेशों/दिशानिर्देशों के अनुरूप, अर्थात, योग्यता के आधार पर या फिर संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर, छात्रों को मनोनीत करते हैं। इन मनोनीत छात्रों को, उनके लिए आरक्षित सीटों वाले राज्यों/के.शा. प्रदेशों द्वारा निर्धारित अर्हता शर्तों को पूरा करने के बाद, उन्हें राज्य प्राधिकारियों द्वारा निर्णीत संस्थानों में दाखिला दिया जाता है। भारत सरकार न तो छात्रों के मनोनयन और न ही विशिष्ट संस्थानों में उनके वास्तविक दाखिलों में हस्तक्षेप करती है।

विवरण I

वर्ष 1999-2000 के लिए डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रत्येक राज्य/के.शा. प्रदेश हेतु विषय/संकाय-वार आरक्षित सीटों को दर्शानेवाला विवरण

	ऑटोमोबाइल	वैमानिकी	वास्तुकला	बायो-रासायनिक	बायो-मेडिकल	निर्माण	कम्प्यूटर	रसायन	सिविल
1. पश्चिम बंगाल	1	-	-	1	-	1	-	-	-
2. त्रिपुरा	-	-	2	-	-	1	8	5	-
3. मिजोरम	-	-	5	-	-	-	27	-	30
4. मणिपुर	-	-	4	-	-	-	21	2	-
5. नागालैंड	-	-	2	-	-	-	10	2	25
6. अरुणाचल प्रदेश	-	-	3	-	-	-	16	2	38
7. असम	-	1	5	-	-	-	-	-	-
8. मेघालय	-	-	6	-	-	-	20	-	10
9. सिक्किम	-	-	4	-	-	-	8	1	10

	ऑटोमोबाइल	वैमानिकी	वास्तुकला	बायो-रासायनिक	बायो-मेडिकल	निर्माण	कम्प्यूटर	रसायन	सिविल
10. बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. हिमाचल प्रदेश	1	–	–	–	–	–	–	11	–
13. जम्मू व कश्मीर	–	–	1	–	–	–	–	–	–
14. पंजाब	–	–	–	–	–	–	3	–	–
15. चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16. हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17. दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	19	–
18. राजस्थान	–	–	–	–	–	–	2	–	–
19. मध्य प्रदेश	2	–	–	–	1	–	–	–	–
20. गुजरात	1	–	–	–	–	–	–	–	–
21. दमन व दीव	–	–	2	–	–	–	4	3	1
22. दादर तथा नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	5	–	5
23. गोवा	1	–	–	–	1	–	–	2	–
24. महाराष्ट्र	–	1	–	–	–	–	–	–	–
25. उड़ीसा	1	–	–	–	–	–	–	–	–
26. आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27. कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28. केरल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29. तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30. पांडिचेरी	1	–	2	–	1	1	–	–	–
31. लक्षद्वीप	–	–	2	–	–	–	9	–	5
32. अंडमान और निकोबार	–	–	4	–	–	–	10	–	10

	सिरामिक्स	विद्युत	इलेक्ट्रॉनिकी	पर्यावरण	खाद्य प्रौ०	जीवो. इंजी.	इंस्ट्रूमेंटेशन	सूचना सेवा	धर्म प्रौद्यो.
1. पश्चिम बंगाल	–	3	–	1	–	2	–	–	–
2. त्रिपुरा	–	–	16	–	–	–	2	–	–
3. मिजोरम	–	22	32	–	–	–	–	–	–
4. मणिपुर	–	28	21	–	–	–	–	–	–
5. नागालैंड	–	15	16	–	–	–	–	–	–
6. अरुणाचल प्रदेश	–	39	16	–	–	–	–	–	–
7. असम	–	–	–	–	1	–	–	–	1
8. मेघालय	–	10	30	–	–	–	–	–	1
9. सिक्किम	–	3	6	–	–	–	–	–	–
10. बिहार	–	1	1	–	–	–	3	–	–
11. उत्तर प्रदेश	1	–	4	1	–	–	6	–	–
12. हिमाचल प्रदेश	–	–	9	–	–	–	9	–	–
13. जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	–	–	1	1	1
14. पंजाब	–	3	2	–	–	–	–	–	–
15. चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16. हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17. दिल्ली	–	–	–	–	1	–	–	–	–
18. राजस्थान	–	–	–	1	–	–	2	–	–
19. मध्य प्रदेश	1	–	5	–	1	–	–	–	1
20. गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	–	1
21. दमन व दीव	–	1	4	–	–	–	–	–	–
22. दादरा तथा नगर हवेली	–	9	–	–	–	–	–	–	–
23. गोवा	–	–	–	1	–	6	7	1	–
24. महाराष्ट्र	1	–	–	–	–	–	–	–	–
25. उड़ीसा	–	–	1	–	–	4	–	–	1
26. आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27. कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28. केरल	–	–	–	–	–	–	–	–	1
29. तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30. पांडिचेरी	–	–	2	2	–	–	3	–	–
31. लक्षद्वीप	–	8	11	–	–	–	–	–	–
32. अंडमान और निकोबार	–	14	20	–	–	–	–	5	–

	मैकेनिकल	धातु-विज्ञान	खनन	मेटेरियल इंजी	ऑयल टेक	प्रोडेक्शन	पॉलीमर	फार्मेसी	पेंटिंग
1. पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. त्रिपुरा	–	1	–	–	–	2	1	–	–
3. मिजोरम	5	–	–	–	–	–	–	–	–
4. मणिपुर	16	–	–	–	–	–	–	6	–
5. नागालैंड	28	–	–	–	–	–	–	1	–
6. अरुणाचल प्रदेश	30	2	–	–	–	–	–	2	–
7. असम	–	1	1	–	–	3	–	–	1
8. मेघालय	2	–	–	–	–	–	–	2	–
9. सिक्किम	6	–	–	–	–	–	–	–	–
10. बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	1
11. उत्तर प्रदेश	–	–	1	–	–	–	–	–	–
12. हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	7	–	13	–
13. जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	1	–
14. पंजाब	–	2	–	–	–	–	–	–	–
15. चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16. हरियाणा	–	–	1	1	–	10	–	–	–
17. दिल्ली	–	1	1	–	–	–	1	–	–
18. राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19. मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	2	–	–	–
20. गुजरात	–	–	2	–	1	–	–	–	–
21. दमन व दीव	4	–	–	–	–	–	–	2	–
22. दादर तथा नगर हवेली	6	–	–	–	–	–	–	3	–
23. गोवा	–	1	–	–	–	1	1	–	–
24. महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25. उड़ीसा	–	–	–	–	–	4	–	–	–
26. आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	1	–	–	–	–
27. कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28. केरल	–	–	1	–	–	–	–	–	–
29. तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30. पांडिचेरी	–	1	1	–	–	2	1	1	–
31. लक्षद्वीप	11	–	–	–	–	–	–	–	–
32. अंडमान और निकोबार	8	–	–	–	–	–	–	5	–

	प्लास्टिक	पावर	पैट्रो-केमिकल	प्रिंटिंग	पेट्रोलियम	रबड़ टेक्नो.	टेक्सटाईल	टेलीकम्यू.	वाटर मैने.	कुल सीटें
1. पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
2. त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39
3. मिजोरम	–	–	–	–	–	–	1	–	–	121
4. मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98
5. नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99
6. अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	150
7. असम	–	–	–	–	–	–	2	–	–	19
8. मेघालय	1	–	–	–	–	1	3	–	–	81
9. सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38
10. बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
11. उत्तर प्रदेश	1	–	–	–	–	–	–	–	–	15
12. हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	2	–	56
13. जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	–	–	6	–	–	6
14. पंजाब	–	1	–	–	–	–	–	–	–	11
15. चंडीगढ़	–	1	–	–	–	–	–	–	–	0
16. हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
17. दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
18. राजस्थान	–	–	–	–	–	–	5	–	1	5
19. मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
20. गुजरात	1	–	1	1	–	–	–	–	–	8
21. दमन व दीव	–	–	–	–	1	–	–	2	–	21
22. दादरा तथा नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28
23. गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24
24. महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
25. उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
26. आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
27. कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	1	–	–	0
28. केरल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
29. तमिलनाडु	–	–	1	1	–	–	3	–	–	0
30. पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21
31. लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	2	–	1	46
32. अंडमान और निकोबार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 के लिए डिप्लोमा स्तर पाठ्यक्रमों में विषय/संकाय वार प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए आरक्षित सीटों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

	आटोमोबाईल	वास्तुकला	ब्यूटी कल्चर	बिल्डिंग कन्स.	केमिकल	कम्प्यूटर	कासमेटोलोजी	सिनेमेथेग्राफी
1. पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-
2. त्रिपुरा	1	-	-	-	2	2	-	-
3. मिजोरम	2	-	-	-	-	-	-	-
4. मणिपुर	-	-	2	-	-	-	2	1
5. नागालैंड	8	5	-	-	-	-	-	-
6. अरुणाचल प्रदेश	5	9	-	-	5	10	-	-
7. असम	-	-	2	-	-	-	-	1
8. मेघालय	-	-	-	-	2	-	-	-
9. सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-
10. बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-
11. उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
12. हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	5	-	-	-
13. जम्मू व कश्मीर	2	-	-	-	1	-	-	-
14. पंजाब	-	-	-	-	..	-	-	-
15. चंडीगढ़	-	-	-	-	2	2	-	-
16. हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-
17. दिल्ली	-	-	-	1	-	-	-	-
18. राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-
19. मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
20. गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	1
21. दमन व दीव	1	-	-	-	-	1	-	-
22. दादरा व नगर हवेली	2	-	-	-	5	4	-	-
23. गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-
24. महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-
25. उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-	-
26. आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
27. कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-
28. केरल	-	-	-	-	-	-	-	-
29. तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-
30. पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-
31. लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-
32. अंडमान व निकोबार	-	2	-	-	-	-	-	-

	सिविल	कमर्शियल प्रिंट/आर्ट	कस्टगर डिजाइन	सीरेमिक्स	इलेक्ट्रीकल	इलेक्ट्रोनिक्स	फिशरिज़	फाउंड्री	फूड
1. पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. त्रिपुरा	–	–	–	–	–	3	–	–	–
3. मिजोरम	–	2	–	–	4	4	–	–	–
4. मणिपुर	–	5	5	–	8	4	–	–	–
5. नागालैंड	–	–	2	–	5	20	–	–	–
6. अरुणाचल प्रदेश	55	–	–	–	32	–	–	–	–
7. असम	–	–	6	–	–	3	1	–	–
8. मेघालय	–	2	–	–	–	8	–	–	–
9. सिक्किम	10	–	–	–	14	3	–	–	–
10. बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	1	–
12. हिमाचल प्रदेश	–	–	1	–	–	–	–	–	–
13. जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	–	1	–	–	–
14. पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15. चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16. हरियाणा	–	–	2	–	–	–	–	1	–
17. दिल्ली	–	–	2	–	–	–	–	–	1
18. राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19. मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20. गुजरात	–	–	–	–	–	–	2	1	1
21. दमन व दीव	–	1	–	–	2	1	–	–	–
22. दादरा व नगर हवेली	–	1	–	–	–	3	–	1	–
23. गोवा	–	–	–	–	–	–	–	1	–
24. महाराष्ट्र	–	–	–	2	–	–	–	–	–
25. उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26. आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27. कर्नाटक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28. केरल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29. तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30. पांडिचेरी	–	1	–	–	–	2	–	–	–
31. लक्षद्वीप	6	–	–	–	11	6	–	–	–
32. अंडमान व निकोबार	–	1	–	–	–	8	–	–	–

	फेब्रिकेशन	होम साईस	इंटीरियर डिजा.	इन्स्ट्रूमेंटेशन	लेदर	लाई.साईस	माईनिंग	मेके.	मैनमेड फाईबर
1. पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2. त्रिपुरा	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3. मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. मणिपुर	-	-	-	-	-	2	1	-	-
5. नागालैंड	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6. अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	30	-
7. असम	-	1	2	-	1	1	-	-	2
8. मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	3	-
10. बिहार	-	-	-	-	1	-	-	-	-
11. उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-	4	-	-
12. हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. हरियाणा	-	2	2	-	-	-	-	-	-
17. दिल्ली	2	-	-	-	1	-	-	-	-
18. राजस्थान	-	-	-	-	2	-	-	-	-
19. मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. गुजरात	-	-	-	-	2	-	6	-	-
21. दमन व दीव	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. दादरा व नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. केरल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. पांडिचेरी	2	-	-	-	-	-	-	-	-
31. लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	11	-
32. अंडमान व निकोबार	-	-	-	-	-	1	-	-	-

	प्लास्टिक	शिपबिल्डिंग	सॉफ्ट व टीवी	टेक्सटाईल	टूल डिजा.	वाटर रिसोर्सेस	कुल
1. पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	1
2. त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	10
3. मिजोरम	–	–	–	–	–	–	13
4. मणिपुर	–	–	–	–	–	–	30
5. नागालैंड	–	–	–	–	–	–	45
6. अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	4	–	–	188
7. असम	–	–	2	–	–	–	24
8. मेघालय	–	–	–	3	–	–	21
9. सिक्किम	–	–	–	–	–	–	30
10. बिहार	–	–	–	–	–	–	3
11. उत्तर प्रदेश	–	1	–	–	–	–	8
12. हिमाचल प्रदेश	–	–	–	4	–	–	19
13. जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	–	–	4
14. पंजाब	–	–	–	–	–	–	0
15. चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	4
16. हरियाणा	–	–	–	–	–	–	8
17. दिल्ली	–	–	–	9	–	1	19
18. राजस्थान	–	–	–	–	–	–	3
19. मध्य प्रदेश	–	1	–	–	–	–	1
20. गुजरात	–	–	–	–	3	–	26
21. दमन व दीव	1	–	–	1	–	–	10
22. दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	24
23. गोवा	1	–	–	1	–	–	4
24. महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	2
25. उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	3
26. आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	0
27. कर्नाटक	–	2	–	–	–	–	2
28. केरल	–	–	–	–	–	–	0
29. तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	0
30. पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	9
31. लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	35
32. अंडमान व निकोबार	–	–	1	1	–	–	22

[हिन्दी]

सहायक स्वास्थ्य प्रणाली हेतु राशि

1271. श्री सुरेश चन्देल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायक स्वास्थ्य प्रणाली हेतु राज्य-वार कितनी राशि आंबटित की गई; और

(ख) नौवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक केन्द्रों के स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुखम) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना को "सहायक स्वास्थ्य प्रणाली" नामक कोई विशिष्ट योजना नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए राज्य क्षेत्र की निधियां राज्य सरकारों को बुनियादी न्यूनतम सेवाएं और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता परिव्यय के अधीन उपलब्ध होती है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के बारे में नौवीं योजना (1997-2002) के लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-नौवीं योजना का लक्ष्य	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-नौवीं योजना का लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	372	220
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	107	76
4.	बिहार	428	511
5.	गोवा	5	1
6.	गुजरात	68	71
7.	हरियाणा	16	39
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	0	4
10.	कर्नाटक	0	26
11.	केरल	0	100
12.	मध्य प्रदेश	206	307
13.	महाराष्ट्र	61	135
14.	मणिपुर	0	0
15.	मेघालय	0	6
16.	मिजोरम	0	0
17.	नागालैंड	21	9
18.	उड़ीसा	0	108
19.	पंजाब	0	14
20.	राजस्थान	0	51
21.	सिक्किम	0	2
22.	तमिलनाडु	0	237
23.	त्रिपुरा	40	13
24.	उत्तर प्रदेश	0	621
25.	पश्चिम बंगाल	170	342
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0
27.	चंडीगढ़	2	0
28.	दादरा व नगर हवेली	1	2
29.	दमण व दीव	0	0
30.	दिल्ली	24	8
31.	लक्षद्वीप	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0
	अखिल भारत	1521	2903

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन

1272. श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 1995 में सरकार द्वारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अध्यापकों के संशोधित वेतनमान देश भर में लागू नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो किन राज्यों में इन वेतनमानों को लागू नहीं किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा संशोधित वेतनमानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और बकाया राशि के वितरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को दिनांक 1.1.1996 से विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन की योजना को कार्यान्वित करने के लिए कतिपय निधारित

शर्तों के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों को योजना के कार्यान्वयन के लिए पहले ही आवश्यक वित्तीय सहायता जारी कर दी गई है। अन्य राज्यों द्वारा बनाई गई योजनाओं की उनके परामर्श से शीघ्र जांच की जा रही है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा की गई अनियमितताएं

1273. श्री रामसागर रावत :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वर्ष 1998 और 1999 के दौरान स्टेशनरी की सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की खरीद में अनियमितताएं बरतने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) अस्पताल के प्राधिकारियों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों और ऊंची दरों पर वस्तुओं की आपूर्ति, पुरानी दवाओं, गॉज क्लॉथ और पट्टियाँ आदि की पूर्ति करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या वही आपूर्तिकर्ता दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य सरकारी अस्पतालों/सरकारी संगठनों को अब भी वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) जी, हाँ। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस संस्थान के कुछ पदाधिकारियों के परिसरों की 5 मार्च, 1999 की तलाशी ली थी। उसने संस्थान के एक भण्डार अधिकारी और मैसर्स राजीव एन्टरप्राइजिज के मालिक श्री राजीव रस्तोगी को इस अरोप पर गिरफ्तार किया कि आपूर्तिकर्ता मैसर्स राजीव एन्टरप्राइजेज को सीधे-सीधे अथवा नेशनल कन्ज्यूमर को-आपरेटिव फेडरेशन के जरिए आर्डर देकर और घटिया माल स्वीकार करके उस फर्म के प्रति अनुचित अनुग्रह प्रदर्शित किया गया। इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए भंडार अधिकारी को 5.3.99 से निलंबित कर दिया गया है। संस्थान ने अपने दिनांक 20 मई, 1999 के परिपत्र द्वारा मैसर्स राजीव एन्टरप्राइजेज और मैसर्स सन बीम हैन्डलूम्स और इन फर्मों से संबद्ध दूसरी फर्मों को क्रय करने के विचार से सप्लायरों की सूची से तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है। दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पताल निर्धारित खरीद प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकृत खरीद समितियों के माध्यम से दवाइयों, उपस्करों, भंडारों तथा लेखन सामग्रियों आदि भी खरीद करते हैं।

कृषि भूमि की बिक्री

1274. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डाऊ टू लूज यूअर होम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या दिल्ली में कृषि भूमि प्लाटों के रूप में बेची गई है जिसके परिणामस्वरूप सैनिक फार्म और अनंत राम डेरी जैसी अनधिकृत कालोनियां बन रही हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो अनधिकृत कब्जों/निर्माण से इस भूमि को खाली कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, हाँ। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि जैसे ही किसी खाली प्लाट की फर्जी दस्तावेजों के जरिये बिक्री का पता चला उस मामला जांच के लिये दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपा गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को कहा गया है कि वे इस कृत्य में डीडीए स्टाफ की संभावित मिली भगत के बारे में भी जांच पड़ताल किया करे।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में टी.वी. टावर

1275. श्री महेश्वर सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के बिजली महादेव और श्रीगढ़ में टी.वी. टावर की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस टावर के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) श्रीगढ़ में टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए वर्तमान में कोई स्कीम नहीं है। तथापि, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में बिजली महादेव में एक अति अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

(ग) और (घ) बिजली मडादेव में अति अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु स्थल का कब्जा ले लिया गया है और पोरटा केबिन के निर्माण संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस परियोजना के वर्ष 2000-2001 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

भारत-रूस सहयोग

1276. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-रूस सहयोग स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आरंभ किए गए संयुक्त कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा दीर्घकालीन समेकित कार्यक्रम के तहत किसी नई परियोजना का अनुमोदन किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए समेकित दीर्घावधि सहयोग कार्यक्रम (आई.एल.टी.पी.) भारत एवं रूस के बीच सहयोग का एक कार्यक्रम है, जो अभी जारी है। इस कार्यक्रम पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए तथा यह वर्ष 2000 तक मान्य है।

(ख) और (ग) आई.एल.टी.पी. संयुक्त परिषद् के 8वें सत्र के दौरान 71 परियोजनाओं को जारी रखने हेतु अनुमोदित किया गया तथा जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रतिरक्षाविज्ञान, पदार्थविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, लेजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कैटेलिसिस, एक्सीलरेटर्स, कम्प्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, सैद्धान्तिक एवं अनुप्रयुक्त मैकेनिक्स, गतिष, भू-विज्ञान, रेडिया भौतिकी एवं तारा भौतिकी, रासायनिक विज्ञान और जीवविज्ञान के क्षेत्रों में 22 नई परियोजनाओं को शामिल किया गया।

नर्सिंग भत्ता

1277. श्री अशोक ना. मोडोल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 22.12.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3671 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जालमा कुष्ठ संस्थान, ताजगंज, आगरा के उपचर्या कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर पर नर्सिंग भत्ता नहीं दे रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) केन्द्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान, आगरा के नर्सिंग स्टॉफ को नर्सिंग भत्ता बढ़ी हुई दरों पर दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध न होना

1278. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर मरीजों से दवाइयां और अन्य वस्तुएं बाहर से लेने को कहते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के संबंध में प्रतिवर्ष ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ग) सरकार ने अस्पतालों में मरीजों को दवाएं और अन्य संबंधित वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों ने सूचित किया है कि आमतौर पर अस्पताल फार्मूलरी के अनुसार रोगियों को अनिवार्य और जीवन रक्षक औषधों के साथ-साथ दवाइयां सप्लाई की जाती हैं।

(ख) इन अस्पतालों ने सूचित किया है कि कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) जीवन रक्षक और अनिवार्य दवाइयों की खरीद के लिए आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए संभव सीमा तक अग्रिम धन उपलब्ध रहता है। इसके अतिरिक्त गरीबी की रेखा से नीचे के रोगियों को राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि से उपयुक्त सहायता दी जाती है।

निजी अस्पतालों में उपचार

1279. श्री सानसुमा खुंगुरबैसीमुथियारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उन निजी अस्पतालों का ब्यौरा क्या है जहां सरकारी कर्मचारी/वेतनभोगी अपनी पंसद से किसी भी तरह का उपचार करा सकते हैं;

(ख) सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को अदायगी की जाने वाली दरों का ब्यौरा क्या है और अदायगी के लिए दावा करने की प्रक्रिया क्या है; और

(ग) दिल्ली और देश के अन्यत्र हिस्सों में और भी अस्पतालों को शामिल करने तथा योजना में और सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ग) सूचना संकलित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

1280. श्री नामदेव इरबाजी ढिवाये : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चालू केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत, प्राप्त उपलब्धियों का वर्षवार, योजना-वार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में और विदर्भ में इनके कार्यान्वयन में लगे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों हेतु इन्हें कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित नई योजनाएं तैयार करने के लिए की गई पहल का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टी.वी. कार्यक्रमों के बीच विज्ञापन

1281. श्री जी.एस. बसवराज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कार्यक्रमों, फिल्मों और धारावाहिकों आदि के प्रसारण के समय दूरदर्शन पर कई विज्ञापन बार-बार दिखाये जाते हैं जिसके कारण इन कार्यक्रमों में दर्शकों की रुचि कम हो जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इन विज्ञापनों के प्रसारण को कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) कार्यक्रम में विज्ञापनों की कोई निर्धारित सीमा नहीं है। तथापि, दर्शकों की रुचि को बनाए रखने के लिए प्रसारकों को विज्ञापन समय तथा कार्यक्रम समय के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है उन्होंने सूचित किया है कि विज्ञापनों का अत्यधिक उपयोग नहीं किया जाता है तथा इनका प्रसारण विज्ञापन समय तथा कार्यक्रम समय के बीच संतुलन बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए एक विशेषज्ञ अन्तराल में ही किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और रखरखाव) नियम

1282. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अस्पतालों और नर्सिंग होमों ने चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और रखरखाव) नियमों को लागू करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अस्पतालों और नर्सिंग होमों को उक्त नियमों को कड़ाई से लागू करने हेतु कोई निदेश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. थणमुगम) : (क) से (घ) देश के अस्पतालों और नर्सिंग होमों को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और निपटान) नियमावली, 1998 के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कदम उठाने अपेक्षित होते हैं। उक्त नियमावली का अनुसूची VI के अनुसार अस्पतालों को इन नियमों का अनुपालन करना जरूरी होता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी स्वास्थ्य सचिवों से 10 सितम्बर, 1998 को इन नियमों को लागू करने का अनुरोध किया गया था। इन नियमों के मुख्य उपबन्धों के बारे में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों को 20 अक्टूबर, 1998 को पुनः बताया गया।

प्राप्त सूचना के अनुसार 19 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने निर्धारित प्राधिकरण स्थापित कर लिए हैं। जैव चिकित्सा अपशिष्ट पैदा करने वाली संस्था जिसमें अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, औषधालय आदि शामिल हैं, के प्रत्येक पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे अपशिष्ट का मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निपटान किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए पदाधिकारी को निर्धारित तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित प्राधिकरण को आवेदन करना होता है जिसे यह सुनिश्चित करना होता है कि आवेदनकर्ता के पास नियमानुसार जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटान हेतु आवश्यक क्षमता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन से सिनिरेरिया मारिटिमा के बारे में पत्र

1283. श्रीमती निशा चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जर्मनी से आयात की जा रही होम्योपैथी औषधि सिनिरेरिया मारिटिमा के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में इस औषधि के मौजूदा स्टाक को नष्ट करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. थणमुगम) : (क) और (ख) जी, हाँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जर्मन फेडरल इन्स्टीट्यूट फार ड्रग्स एण्ड मेडिकल डिवाइसेज से प्राप्त एक रैपिड एलर्ट नोटिस भेजा है जो अन्य देशों में साथ भारत में वितरित सिनरेरिया मेरिटिमा स्थवहे आई. ड्राप्स के कुछ विनिर्दिष्ट बैचों के बारे में है। इसमें निम्नलिखित दोष बताए गए हैं :

(i) जर्मन विनिर्माता डॉ० विल्लमर स्थवहे जीएमबीएच एण्ड कम्पनी के पास विसंक्रमित चिकित्सीय उत्पादों के उत्पादन हेतु विनिर्माणन

प्राधिकार नहीं है और विनिर्माणन प्रक्रिया से बेहतर निर्माण पद्धतियों (जीएमपी) के अनुसार अपेक्षाएं पूरा नहीं होती;

(ii) उत्पादन की निर्जीवाणुता की गारंटी नहीं दी जा सकती;

(iii) विनिर्माता के बयान के मुताबिक लगभग 10 प्रतिशत परीक्षित नमूने निर्जीवाणुता के मानदण्ड को पूरा नहीं करते थे।

तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी सूचित किया है कि आयातकर्त्ता देशों से किसी प्रतिकूल औषधीय प्रतिक्रियाओं की सूचना विनिर्माता को नहीं मिली है।

(ग) और (घ) यद्यपि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सूचित किया है कि जब तक विधि मान्य विनिर्माण प्रतिक्रिया कायम नहीं की जाती तब तक विनिर्माता ने तत्कालिक रूप से उत्पादन बन्द कर दिया है और उसने आयातक देशों में बिक्रीकर्ता को वितरण कार्य बन्द करने के अनुदेश देने समेत तत्कालिक रूप से वितरण को बन्द कर दिया है, औषधि महानियंत्रक (भारत) ने सभी पत्तन अधिकारियों को सुग्राही बना दिया है कि वे औषधि के और अधिक आयात को रोक दें और औषधि की निकासी के लिए लम्बित और बाजार में मौजूद औषधों के सभी बैचों को फिर से निर्यात करने हेतु आयातकों को अनुदेश दें। सभी राज्य औषधि नियंत्रकों को सलाह दी गई है कि वे औषधि के उपयोग को बन्द करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसा पर अमल करें।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

1284. डॉ0 वी. सरोजा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि चिकित्सकों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत कार्यवाही की जाती है; जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें इस अधिनियम से अलग रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) लाभ के लिए प्रदान की गई सभी सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के तहत कवर किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13 नवम्बर, 1995 के अपने फैसले में इस अधिनियम के उपबन्धों को कायम रखा था और इसे स्पष्ट किया था कि कुछ भी शुल्क लिए बगैर सेवाएं प्रदान करने वाले डाक्टर और अस्पताल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (1) (ओ) के अन्तर्गत सेवा के दायरे में नहीं आते। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित उपभोक्ता न्यायालयों में दायर हल्की-फुल्की अथवा उत्पीड़क शिकायतें, उक्त अधिनियम की धारा 26 के उपबन्धों के अनुसार अधिनिर्णित की जाती हैं।

(ग) उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सूचना दी है कि उनके पास डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमों पर न्याय करने हेतु कोई अन्य तंत्र स्थापित करने का विचार नहीं है और यह भी कि ऐसे मामलों में अधिनिर्णय करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबन्ध पर्याप्त हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों की सूची

1285. श्री रामशकल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जनजातियों की सूची में कितनी जातियाँ शामिल हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मिर्जापुर जिले के कोल, वियार, खरवाड़, पानिका, गोंड, वर्धवार जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) संविधान के अनुच्छेद 342 के प्रावधानों के अनुसार, जनजातियां अथवा जनजातीय समुदाय, न कि जाति, अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाते हैं। 8 आदेशों के माध्यम से 587 समुदाय अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(ख) और (ग) अनुसूचित जनजातियों की सूची में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तथा मिर्जापुर जिलों के कोल, पानिका, खारवार, गोंड (गोंड वर्धवार नहीं) और बियार (वियार नहीं) समुदायों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल आपूर्ति

1286. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से पेयजल आपूर्ति हेतु कोई योजनाएं स्वीकृति के लिए प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक स्वीकृति प्राप्त/लंबित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इस हेतु कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हाँ।

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के केंद्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत गुजरात के 14 कस्बों के लिए 1559.53 लाख रुपये की परियोजना लागत वाली 14 जल आपूर्ति स्कीमें मंजूर की गई हैं। इन स्कीमों के

ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत 960 करोड़ रुपये की लागत वाली सलाया, कुटियाना, देवगढ़-बीरया तथा रानवाव नामक 4 जल आपूर्ति स्कीमें संसाधनों की कमी के कारण तथा एक स्कीम के लिए राज्य सरकार द्वारा तकनीकी स्पष्टीकरण न भेजने के कारण अभी मंजूर नहीं की गई हैं।

(ग) 1998-99 के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात सरकार को कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी। 1999-2000 के दौरान अब तक 261.28 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं।

विवरण

राज्य : गुजरात स्थिति 2.12.99

क. मंजूर परियोजनाएँ (लाख रुपए में)

क्र. सं.	कस्बे का नाम	जिला	आबादी (1991 की जनगणना के अनुसार)	मंजूरी की तारीख माह/वर्ष	परियोजना लागत	प्रति व्यक्ति लागत (रु. में)	केन्द्रीय अंश	जारी धन भारत सरकार द्वारा	जारी धन राज्य द्वारा	सितम्बर, 99 तक
1	धर्मपुर*	वलसाड	16584	मार्च, 94	54.00	325.62	27.00	I- 71.08	-	58.37
2.	बंतवा*	जूनागढ़	15394	मार्च, 94	38.50	250.10	19.25	(1993-94)	-	45.46
3.	धरोल	जामनगर	17060	मार्च, 94	132.60	777.26	66.30	II- 87.24	508.32	126.44
4.	ओखा पोर्ट*	जामनगर	13342	मार्च, 94	14.60	109.43	7.30	(1994-95)	-	25.76
5.	जोडिया	जामनगर	12083	मार्च, 94	110.25	912.44	55.13	III-27.30	-	78.19
6.	मंदारदा*	जूनागढ़	13142	मार्च, 94	49.00	312.85	24.50	(1995-96)	-	43.47
7.	बरवाला	अहमदाबाद	13485	जनवरी, 96	90.94	674.38	45.47	IV-70.00	-	46.40
8.	सूरजकांडी	जामनगर	14325	जनवरी, 96	18.20	127.05	9.10	(1996-97)	-	-
9.	खेराल	मेहसाना	17867	अप्रैल, 99	223.26	1249.57	111.63	V- 261.28	-	-
10.	खेडब्रह्मा	साबरकंठा	17231	अप्रैल, 99	258.13	1486.45	128.07	(1999-2000)	-	-
11.	विश्वादर	जूनागढ़	16884	अप्रैल, 99	159.20	942.90	79.60	-	-	-
12.	अदित्याना	जूनागढ़	15634	अप्रैल, 99	170.93	1093.32	85.47	-	-	-
13.	चिखली	नवासारी	18072	जून, 99	113.32	627.05	56.66	-	-	-
14.	वनथाली	जूनागढ़	16335	जून, 99	128.60	787.27	64.30			
	कुल		183031		1559.53		779.765	516.80	508.32	424.09

* चल रही स्कीमें।

ख. सीपीएचईओ में जांच अधीन स्कीमें

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	आबादी	परि. लागत	अभिव्यक्ति
1.	सालया	जामनगर	19363	384.27	जांच की गई। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।
2.	कुटियाना	जूनागढ़	17434	175.56	धन न होने के कारण लंबित
3.	देवगढ़बरिया	दाहोद	17608	188.88	-- वही --
4.	रानवाव	जूनागढ़	19601	211.45	-- वही --
			74012	960.16	

[अनुवाद]

महासागर विकास कार्यक्रम

1287. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री ब्रज मोहन राम :

क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास महासागर विकास कार्यक्रम संबंधी कुछ प्रस्ताव विचारार्थ पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की अलग-अलग अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने महासागर विकास पर वर्षवार कुल कितना व्यय किया; और

(घ) महासागर के व्यापक संसाधनों का दोहन करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) वर्तमान में सरकार के अधीन कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महासागर विकास विभाग द्वारा समुद्र विकास कार्यक्रमों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया वर्षवार व्यय निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
योजना	44.99	83.96	87.58
गैर-योजना	19.38	16.83	19.03
कुल	64.37	100.79	106.61

(घ) समुद्र तल से संसाधनों के दोहन के लिए किए जा रहे कुछ प्रमुख प्रयासों में शामिल हैं :

बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम, समाज के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए समुद्री निर्जीव संसाधनों के अन्वेषण हेतु प्रमुख अनुसंधान एवं विकास प्रयासों में से एक है। बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम सरकार द्वारा क्रियान्वित एक बहुविधात्मक, बहुसंस्थागत कार्यक्रम है। यह, मध्य हिन्द महासागर बेसिन खान स्थल की लगभग 6000 मीटर गहराई से मैंगनीज पिण्डिका दोहन के लिए क्षमता प्रदर्शन हेतु सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों के विकास के लक्ष्य वाली राष्ट्रीय महत्व की भविष्यगत दीर्घावधि परियोजना है। पिछले 15 वर्षों के दौरान, निश्चित उद्देश्यों सहित मध्य हिन्द महासागर बेसिन के भारतीय खान स्थल में चरणबद्ध ढंग से व्यवस्थित ग्रिड प्रतिचयन और सर्वेक्षण आरंभ किए गए। इससे प्राप्त विस्तृत आंकड़ों से बेसिन की स्थलाकृति और संसाधन संभावना पर नई अन्तर्दृष्टि उपलब्ध हुई। इन सर्वेक्षणों के आधार पर प्रचुर संसाधन संभाव्यताओं और भुगतता का अनुमान लगाया गया। इसके अतिरिक्त खान स्थल व खनन पथों के सीमांकन तथा संसाधन संभावनाओं पर अनुमान सुधार के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में डीप-टो स्थलाकृति और 5 किलोमीटर X 5 किलोमीटर पर निकट ग्रिड सर्वेक्षण करने की योजना है।

केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा आवश्यक यंत्रीकरण सहित संग्राहक मॉडयूल आधारित सुदूर प्रचालनीय क्रॉलर, उत्थापन मॉडयूल और नियंत्रण मॉडयूल आधारित एक बकेट-इन-पाईप युक्त 100 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली एक अन्तर्जल खनन प्रणाली का अभिकल्पन व निर्माण किया गया तथा तट बेसिन के उथले जल में इसका परीक्षण किया गया। भारतीय समुद्र में इस प्रौद्योगिकी के प्रत्यक्षण के लिए नई अभिकल्पनाएं व विकास प्रयास आरम्भ किए गए।

भारत ने 1996 में, भारतीय समुद्र की 500 मीटर गहराई तक उथला संस्तर खनन प्रौद्योगिकी प्रत्यक्षण हेतु आरम्भिक प्रयासों सहित चरणबद्ध ढंग से प्रौद्योगिकियों की स्थापना के लिए बहुधात्विक पिण्डिका विकास कार्यक्रम को पुनः अभिमुख किया। इस खनन प्रौद्योगिकी के सफल विकास से भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सल्फाईड, फास्फोराईट, प्लेजर निक्षेप और अन्य समुद्र संस्तर खनिजों के अन्वेषण में अनुप्रयोग किए जा सके।

भारत ने राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई तथा सीजेन विश्वविद्यालय, जर्मनी की सहभागिता से समुद्र संस्तर उत्खनन प्रौद्योगिकी पर एक संयुक्त विकासात्मक कार्यक्रम तैयार किया है। उथला संस्तर उत्खनन प्रौद्योगिकी विकास के आरंभिक चरण में सीजेन विश्वविद्यालय में उपलब्ध क्रालर का कटिंग सिस्टम, मेनीपुलेटर, पंप प्रणाली और अन्य सहायक साज-सामान का परिशोधन किया गया है ताकि भारतीय समुद्र की 500 मीटर गहराई से उथला संस्तर उत्खनन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जा सके। अपेक्षित अवसंरचना को भारत में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया है ताकि क्रालर और उसकी उप-प्रणालियों के कार्य निष्पादन समुच्चयन, जांच और मूल्यांकन तथा उथला संस्तर उत्खनन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जा सके। साथ ही, दोनों संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से 6000 मीटर की गहराई में कार्य करने वाले गहरा समुद्र, उत्खनन मॉड्यूल के विकास के लिए एक विस्तृत इंजीनियरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ऐसे उत्खनन माड्यूलों के समुच्चय से, भविष्य की व्यापक प्रचालन जरूरतों के आधार पर, इष्टतम आकार का एक उत्खनन परिसर स्थापित किया जा सकता है।

समुद्र संस्तर उत्खनन के अतिरिक्त, अंतर्जल कार्यक्रमों के लिए सुदूर संचालित वाहन/लघु पनडुब्बियों के अत्यधिक अनुप्रयोग को देखते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान अंतर्जल निरीक्षण और छायांकन, गहरा समुद्र उत्खनन माड्यूल की उप-प्रणालियों के अनुरक्षण एवं मरम्मत, अनुसंधान और वस्तु प्राप्ति आदि के लिए 6000 मीटर तक की गहराई पर कार्य करने के लिए अध्ययन आरंभ किए गए हैं।

उत्खनन प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के सहायक कार्य के रूप में, 6000 मीटर की गहराई पर कार्य के लिए मानव रहित पनडुब्बी के अभिकल्प विकास और परीक्षण हेतु मद्रासागर विकास विभाग/राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान तथा रूसी विज्ञान अकादमी के बीच एक संयुक्त सहयोग कार्यक्रम शुरू किया गया है।

बहुधात्विक पिण्डिकाओं से तांबा, निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज प्रमुख धातुएं प्राप्त की जाती हैं। काफी समय पश्चात वर्ष 1995 में पिण्डिकाओं से धातुओं की प्राप्ति को देखते हुए निष्कर्ष धातुकर्म कार्यक्रम संचालित किया गया ताकि मैंगनीज से भी यौगिक प्राप्त किया जाए और 4 धातु की प्राप्ति हो सके। 1997 के आरंभ में बैच स्केल प्रक्रिया विकास के निष्कर्षों का पुनरीक्षण किया गया और 40 दिन तक निरंतर प्रतिदिन 5:0 कि.ग्रा. पिण्डिकाएं प्रसंस्करण की क्षमता सहित निरंतर संचालित प्रायोगिक संयंत्र में सल्फर डाई-ऑक्साइड, अमोनिया, लीचिंग प्रसंस्करण विकसित करने का निर्णय लिया गया था।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी.ए.आर.सी.), मुम्बई तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर ने कॉपर निकल तथा कोबाल्ट के निष्कर्षण हेतु प्रक्रिया प्राचलों का विकास किया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की अभिकल्पना की है।

निरन्तर चलने वाले इस प्राम्भिक संयत्रं को मैसर्ज हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में स्थापित किया जा रहा है। प्रक्रिया प्राचलों के इष्टतमीकरण एवं बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक संयंत्र अभिकल्पित करने हेतु प्रक्रिया प्रचालों पर आवश्यक आंकड़ा प्राप्त करने के लिए, लगभग 100 टन पिण्डिकाओं को पांच बैचों में संसाधित किया जाएगा। इन आंकड़ों एवं अन्य उपलब्ध सूचना से भावी वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए एक विस्तृत तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता विश्लेषण किया जाएगा जो प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रचालनों की विशाल मात्रा पर भावी परियोजनाएं तय करेगा।

विस्तृत गहरा समुद्र संस्तर खनन कार्यकलापों के समुद्री पर्यावरण पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रारम्भ किया गया है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय

1288. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के प्रबंधन के लिए बहुत ही कम वार्षिक अनुदान राशि मंजूर की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान पुस्तकालय के लिए दिये गये अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुधार हेतु सलाह देने के लिए सरकार द्वारा कुछ समितियां गठित की गई थीं; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रत्येक समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उनमें से सरकार द्वारा कौन-सी स्वीकृत की गई या रद्द की गई और इसके औचित्य क्या हैं ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) विगत 3 वर्षों के दौरान जारी निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

	1996-97	1997-98	1998-99
योजनागत	150	207	200
योज्येतर	412	608	676

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के कार्यकरण के अल्पकालिक व दीर्घकालिक पहलुओं की जांच करने के लिए सरकार ने 27 अप्रैल, 1994 को प्रोफेसर सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। समिति ने 29 नवम्बर, 1995 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। संस्कृति विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा इन सिफारिशों पर विचार किया गया। की गई सिफारिशों और सरकार द्वारा उनके संबंध में दी गयी स्वीकृति संबंधी विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में सतीश चन्द्र समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

क्र.सं.	समिति की सिफारिशें	की गई कार्रवाई
1.	*प्रशासनिक एवं संगठनात्मक पहलू* पुस्तकालय का स्तर संलग्न कार्यालय का हो ताकि सभी शक्तियां विभाग में निहित होने के स्थान पर निर्णय लेने संबंधी शक्तियां पुस्तकालय के कार्मिकों को प्रदान की जा सकें।	अस्वीकृत, क्योंकि यह व्यवहार्य नहीं हैं और दिल्ली के बाहर स्थित कार्यालय के लिए एकल फाइल प्रणाली कार्य नहीं कर सकती है।
2.	समिति ने सिफारिश की है कि पुस्तकालय प्रणाली पर पूर्व समितियों की सिफारिशें तत्काल कार्यान्वित की जाएं। यदि इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (संस्कृति विभाग) के पुस्तकालय व सूचना प्रभाग को सुदृढ़ करने की जरूरत पड़ती है, तो इसे कार्यरूप दिया जाए ताकि इस समिति और अन्य समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके।	विभाग ने इसको आशोधित रूप में स्वीकार कर लिया है। पुस्तकालय एवं सूचना प्रभाग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इसको नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है।

क्र.सं.	समिति की सिफारिशें	की गई कार्रवाई
3.	समिति ने सिफारिश की है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक सलाहकार समिति गठित की जाए, जिसमें संसद सदस्य, सुविख्यात विद्वान एवं प्रसिद्ध पुस्तकालयविद् शामिल होंगे, जो नीति संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श के लिए उपयोगी मंच प्रदान करेगी।	स्वीकृत व कार्यान्वित।
4. (1)	निदेशक को एक सुविख्यात विद्वान होना चाहिए और यह आवश्यक नहीं है कि वह पुस्तकालयविद् हो।	स्वीकृत। आशोधनाधीन भर्ती नियमों में इस सिफारिश को शामिल किया जाएगा।
(2)	सरकार एक खोज समिति गठित कर सकती है, जिसमें प्रख्यातशिक्षाविद् शामिल हों, जोकि भारत के राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।	
5.	निदेशक और प्रधान पुस्तकालय व सूचना अधिकारी के बीच सीमा-निर्धारण संबंधी प्राधिकार को स्पष्टरूप से परिभाषित किया जाए। इस सीमा-निर्धारण को सुकर बनाने के लिए एक दस्तावेज तैयार करने की बाबत संस्कृति विभाग में एक कार्य दल गठित किया जाए।	स्वीकृत नहीं, क्योंकि यह कार्य निदेशक पर छोड़ा जाना चाहिए जो कि विभागाध्यक्ष है।
6.	राष्ट्रीय पुस्तकालय में बदतर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की प्रशासनिक समस्याओं का अनुवीक्षण करने के लिए उप सचिव के स्तर का एक प्रशासनिक अधिकारी नियमित अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदासीन किया जाना चाहिए।	अस्वीकृत। प्रशासनिक अधिकारी के दो पद हैं और वरिष्ठ अधिकारी का एक पद है। (यह पद लंबे समय से खाली पड़ा है) इस पद का उप सचिव के पद के लिए स्तरोन्नयन करने का पर्याप्त औचित्य नहीं होगा। इस स्थिति की 5 वर्ष पश्चात् समीक्षा की जा सकती है।
7.	*कार्यात्मक पहलू*	
(1)	राष्ट्रीय पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में कार्य करना बंद कर देना चाहिए। विश्व के अन्य वृहत पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में कार्यरत नहीं है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के विकल्प के रूप में राज्य-केन्द्रीय पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पुस्तकालयों का प्रमुख कार्य राष्ट्र के बौद्धिक निर्गत को संग्रहीत व परिरक्षित करना है और सामग्री को उन अध्यंताओं और अन्य उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना है जोकि अन्य सार्वजनिक या विशिष्टीकृत पुस्तकालयों में ऐसे संसाधन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऋण के आधार पर पुस्तक लेने वाले उपभोक्ताओं को विधिवत् नोटिस देने के पश्चात् "व्यक्तियों के लिए पुस्तकों की सुलभता" नामक कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, सांस्थानिक एवं अंतर-पुस्तकालय ऋण सुविधा को जारी रखा जाए।	सिद्धांततः स्वीकृत। सरकार का मत है कि यद्यपि, राष्ट्रीय पुस्तकालय की भूमिका में सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में इसके कार्यकरण की परिकल्पना नहीं की गयी है, तथापि राष्ट्रीय पुस्तकालय के साथ स्थानीय नागरिकों के भावनात्मक जुड़ाव के कारण यह भूमिका राज्य केंद्रीय पुस्तकालय को अंतरित करने में कठिनाई होगी। इसको धीरे-धीरे कार्यान्वित किया जा सकता है।
7(2)	कई मामलों में पुस्तकालय वितरण अधिनियम के अन्तर्गत पुस्तकें नहीं भेजी जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप देश की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित सभी पुस्तकें सभी चारों निःक्षेपण पुस्तकालयों में प्राप्त नहीं हो रही हैं। अतः समिति ने सिफारिश की है कि अधिनियम की खामियों को दूर किया जाए और राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा अन्य पुस्तकालयों के अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये पहल करना आवश्यक है कि प्रकाशक सभी प्रकाशित पुस्तकों की एक-एक प्रति चार प्रापक पुस्तकालयों को अवश्य भेजें। पंजीकृत डाक-व्यय, जोकि प्रकाशक पर भार है, को समाप्त किया जाए। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि मासिक आधार पर भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ-ग्रंथ सूची का मुद्रण करके प्रचार किया जाए अथवा पुस्तक का नाम, लेखक, कीमत आदि का ब्यौरा देने वाला परिपत्र	सिफारिश पुस्तक वितरण अधिनियम में संशोधन के लिए स्वीकृत।

क्र.सं.	समिति की सिफारिशें	की गई कार्रवाई
	प्रकाशित किया जाए। अन्य 3 निःक्षेपण पुस्तकालयों को संलग्न क्षेत्रों से पुस्तकालयों के अधिग्रहण पर केंद्रित करना चाहिए।	
7(3)	समिति ने मौजूदा प्रणाली में आधुनिकीकरण व स्तरोन्नयन के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। इसमें उपलब्ध सामग्री आदि के स्टाकिंग व परिरक्षण के लिए कंप्यूटर सुविधाओं व वैज्ञानिक विधियों का स्तरोन्नयन शमिल है। आधुनिकीकरण स्कीम की समीक्षा तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा की जा सकेगी जिसमें राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा अन्य निःक्षेपण पुस्तकालयों के सदस्य होंगे।	स्वीकृत।
8.	*अनुषंगी मुद्दे*	
	केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय का इस समय विलय नहीं होना चाहिए। चूंकि केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय उस तरह की किन्हीं समस्याओं का सामना नहीं कर रहा है जैसा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय अनुभव कर रहा है, विलय से संक्रामक रोग फैलेगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि विलय पांच वर्षों के पश्चात् ही होना चाहिए।	एक समिति 5 वर्षों के पश्चात् स्थिति की समीक्षा करे।
9.	समिति ने सिफारिश की है केन्द्रीय संदर्भ पुस्कालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों की एक समान प्रोसेसिंग होनी चाहिए ताकि समय की बचत हो सके और पुस्तकों की प्राप्ति और उनकी अधिप्राप्ति तथा जनता को उनकी उपलब्धता के बीच समय-अंतराल से बचा जा सके।	स्वीकृत।
10.	समिति ने सिफारिश की है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथसूची का जल्द प्रकाशन करने के लिए भारत सरकार मुद्रणालय से इसे प्रकाशित कराने की प्रथा खत्म की सकती है और भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथसूची निजी प्रकाशकों के माध्यम से प्रकाशित करायी जा सकती है। जल्द प्रकाशन प्रकाशकों के लिए एक पुरस्कार होगा जो अपनी पुस्तकों को पुस्तक प्रदाय अधिनियम के अंतर्गत भेजते हैं।	स्वीकृत नहीं। विद्यमान नियमों के ढांचे के भीतर जहां कहीं आवश्यक हो, समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के प्रयास किये जायेंगे।
11.	समिति ने सिफारिश की है कि जबकि बाल पुस्तकालय की संकल्पना अत्यंत प्रशंसनीय है, इसे राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंतर्गत कार्य करने की आवश्यकता नहीं है और इसे राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए जिसे बाल पुस्तकालय संचालित करने के लिए फर्नीचर आदि सहित सभी सामग्रियां प्रदान की जा सकती हैं।	स्वीकृत।
12.	समिति ने सिफारिश की है कि समाचार पत्र संग्रह को बेलवेदरे भेज दिया जाय, क्योंकि निःशुल्क समाचार पत्र प्रदान करना राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य नहीं है। समिति ने यह भी महसूस किया कि एस्प्लानेड स्थित वर्तमान स्थान पर समाचार पत्रों का संपूर्ण संग्रह प्रदूषण से नष्ट हो जायेगा। उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि पुराने समाचार पत्रों के संग्रह की सुरक्षा करने के लिए उसका माइक्रो फिल्म तैयार किया जाना चाहिए।	स्वीकृत।
13.	एस्प्लानेड स्थित स्थान का प्रयोग जनता में पुस्तकालय के प्रति चेतना बढ़ाने हेतु स्थायी प्रदर्शनी हॉल के रूप में किया जा सकता है।	स्वीकृत।
14.	समिति ने सिफारिश की है कि पुस्तकालय को समवर्ती सूची के अंतर्गत एक विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे केन्द्र सरकार पर काफी बोझ पड़ेगा।	स्वीकृत।

[हिन्दी]

साक्षरता दर

1289. श्री अजीत सिंह :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991 के दौरान पंजीकृत साक्षरता का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या साक्षरता के वर्तमान प्रतिशत में कई गुणा वृद्धि हो गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या साक्षरता का उपरोक्त प्रतिशत इस संबंध में किए गए सर्वेक्षण/अध्ययन पर आधारित है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सर्वेक्षण तथा अनुमानों के आधार पर साक्षरता दर संबंधी तथ्यों का पता लगाने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, देश की साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत थी।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने वर्ष 1991 के पश्चात देश में साक्षरता कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रव्यापी नमूना सर्वेक्षण के 53वें दौर के आंकड़ों को प्रकाशित किया है। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार वर्ष 1997 के अन्त में देश की साक्षरता दर 62 प्रतिशत थी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

महानगरों में मलिन बस्तियाँ

1290. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण शहरी आबादी को स्वास्थ्य विकार से बचाव हेतु महानगरों में मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार एवं विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही स्लम वासियों की समस्याओं पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाता रहा है। 1956 में गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1956 लागू किया गया।

1972 में न्यूनतम मूल सुविधाएं मुहैया कराकर स्लम वासियों के रहन-सहन में सुधार के लिए शहरी गन्दी बस्ती के पर्यावरणीय सुधार की केन्द्रीय योजना (ई.आई.यू.एस.) को आरम्भ किया गया। 1974 में ई.आई.यू.एस. के दायरे को बढ़ाया गया और इस स्कीम को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बना दिया गया और अप्रैल, 1974 में इसे राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत ला दिया गया। आरम्भ में अर्थात् 1972 में ई.आई.यू.एस. के तहत अनुमत्य प्रति व्यक्ति सहायता 120 रुपये निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर 1995 में 800 रुपये कर दिया गया।

शहरी स्लम सुधार के विकास के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए अगस्त, 1996 में राष्ट्रीय स्लम सुधार विकास कार्यक्रम नामक एक योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा वार्षिक आधार पर निधियों का आवंटन किया जाता है और वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को इसे जारी किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का उपयोग वास्तविक सुविधाओं अर्थात जलापूर्ति, बरसाती पानी की नालियों, सामुदायिक अवस्थापना, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य, देखभाल, स्कूल पूर्व शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जैसी सामाजिक सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। इसमें आश्रय उन्नयन के लिए भी व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान क्रमशः 250.01, 290.99 तथा 353.57 करोड़ रुपए दिए गए। वर्ष 1999-2000 के लिए योजना आयोग द्वारा 385.08 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। इसमें से नवम्बर, 1999 तक वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को 238.59 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

क्षयरोगी

1291. श्री चन्द्रकान्त खैरे :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय रोगियों की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत के पास ट्यूबरकुलोसिस के उपलब्ध एकमात्र टीके (बी.सी.जी.) से इस रोग की रोकथाम नहीं होती;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिका ने टीका के रूप में बी.सी.जी. का प्रयोग वर्षों पहले बन्द कर दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में पिछले तीन वर्षों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचित क्षयरोग के रोगियों की प्रवृत्ति कुल मिलाकर स्थिर रही है। बी.सी.जी. वैक्सीन से वयस्कों को पूरी-पूरी सुरक्षा नहीं मिलती, लेकिन बच्चों में होने वाले पल्मोनरी क्षयरोग में समग्र सुरक्षा (लगभग 27 प्रतिशत) का अल्प स्तरीय बचाव प्राप्त होता है। इसके अलावा, बी.सी.जी. वैक्सीन से बच्चों में मिलियरी और मेनिन्जिल प्रकार के क्षयरोग से सुरक्षा मिलती है (80 प्रतिशत)।

(ग) क्षयरोग नियंत्रण हेतु नेमी कार्यनीति के रूप में बी.सी.जी. टीकाकरण की अनुशंसा संयुक्त राज्य अमरीका में नहीं की जाती, इसलिए बी.सी.जी. वैक्सीन को बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का विचार है कि क्षयरोग (क्षयरोग मेनिंगजाइटिस और मिलियरी क्षयरोग) के आरम्भिक प्रकारों की रोकथाम करने में व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के महत्व की दृष्टि से भारत में कार्यक्रम के अन्तर्गत शिशुओं को बी.सी.जी. का टीका लगाना जारी रखना चाहिए।

स्कूलों का समय

1292. **श्री अधीर चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवम्बर, 1999 को "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "अर्ली स्कूल बैड फॉर किड्स सेज् डॉक्टर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्कूलों को जाने का समय जल्दी होने के कारण छात्रों पर खासतौर से सर्दियों में, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) शिक्षा समवर्ती सूची में है और स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य सरकारों का विषय है जबकि केन्द्रीय सरकार सुसाध्यकारक और सहयोगी के रूप में कार्य करती है। राज्य/संघ राज्य सरकारें स्कूल के रोजमर्रा के प्रशासन से संबंध रखती है। चूंकि देश के विभिन्न भागों में जलवायु भिन्न-भिन्न है, स्कूल-समय सहित विभिन्न प्रशासनिक ब्यौरों के बारे में निर्णय लेना राज्य/संघ राज्य सरकारों के सीमा-क्षेत्र में है।

जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंद्ध अन्य स्कूलों के समय का संबंध है, इन स्कूलों के समय के संबंध में कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन को आय

1293. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दूरदर्शन पर प्रसारित सर्वाधिक लोकप्रियता और आय अर्जन करने वाले कार्यक्रमों/धारावाहिकों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन धारावाहिकों के माध्यम से सरकार ने कितनी आय अर्जित की ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

वर्ष	धारावाहिक/कार्यक्रम का नाम	राजस्व (करोड़ रुपयों में)
1996-97	चित्रहार	32.29 रुपये
1997-98	चित्रहार	35.10 रुपये
1998-99	जय हनुमान	24.60 रुपये

[अनुवाद]

गुजरात में टीका केन्द्र

1294. **श्री विन्ना पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में पीला ज्वर के दो और टीका केन्द्र खोलने की स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक निपटाये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हाँ।

(ख) गुजरात सरकार ने राज्य के पश्चिम क्षेत्र में तीन टीकाकरण केन्द्रों (जामनगर, पोरबंदर और कांदला) के अतिरिक्त अहमदाबाद और गांधीनगर में दो और पीत ज्वर टीकाकरण केन्द्र खोलने का अनुरोध, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया है कि दूसरे क्षेत्रों के लोगों के लिए मौजूदा टीकाकरण केन्द्रों में पहुंचना कठिन होता है।

(ग) इस प्रस्ताव को मार्च, 1999 में स्वीकृति प्रदान की गई और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी विकास संस्थान

1295. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद में राष्ट्रीय शहरी विकास संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) शहरी अवस्थापना, म्यूनिसिपल प्रशासन, शहरी वित्त,

शहरी पर्यावरण आदि के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के शोध कार्यक्रम तथा प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए तथा साथ ही शहरी विकास के लिए राष्ट्रीय आंकड़ों के संग्रह केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की तर्ज पर राष्ट्रीय शहरी विकास संस्थान स्थापित करने के लिए 9वीं योजना के दौरान 10 करोड़ रुपये मुहैया कराने के लिए योजना आयोग को एक प्रस्ताव भेजा गया था।

इस प्रस्ताव के उत्तर में योजना आयोग का विचार था कि जो समस्याएं क्षेत्रीय केन्द्रों के समक्ष आई हैं वे राष्ट्रीय केन्द्रों के लिए भी आएंगी और यह इच्छा व्यक्त की गई कि अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए केवल मौजूदा संस्थानों में ही सुधार किया जाए।

[हिन्दी]

'लोक जुम्बिश' परियोजना

1296. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में शुरू की गई "लोक जुम्बिश" परियोजना का निष्पादन क्या रहा है;

(ख) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान राज्य को इस परियोजना के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार धन के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) स्वीडिश इण्टरनेशनल डेवलपमेंट अथारिटी के सहयोग से वर्ष 1992 में लोक जुम्बिश परियोजना राजस्थान में आरंभ की गई थी जिसका उद्देश्य जनता की सहभागिता तथा उनकी भागीदारी के जरिए सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करना है।

इस योजना के अन्तर्गत 75 ब्लाक शामिल किए गए हैं। इसने 8675 गांवों में पर्यावरण निर्माण कार्यकलापों को आरंभ किया और 6954 गांवों में स्कूल मानचित्रण कार्य को पूरा किया है। इसके अन्तर्गत 529 नए प्राथमिक स्कूल खोले गए तथा 268 प्राथमिक स्कूलों को स्तरोन्नत किया गया। सहज शिक्षा कार्यक्रम नामक एक अभिनव तथा सफल अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम 5010 केन्द्रों में फैला है।

इस परियोजना ने परिष्कृत शिक्षण के न्यूनतम स्तरों के आधार पर पहली से पांचवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकें तैयार करके शिक्षा की गुणात्मकता में उल्लेखनीय सुधार किया है; इसने प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को शैक्षिक पर्यवेक्षण तथा नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए संवेदनशील ब्लाक तथा संसाधन समूहों की भी स्थापना की है।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान भारत सरकार ने 32.66 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की है और वर्ष 1998-99 के दौरान इस परियोजना को लागू करने के लिए भारत सरकार तथा स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथारिटी के अंशदान की 37.50 करोड़ रुपये की धनराशि लोक जुम्बिश परिषद् को प्रदान की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निर्माताओं/एजेंसियों पर प्रसारण संबंधी बकाया राशि

1297. श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का विचार प्रसारण संबंधी बकाया राशि का भुगतान न करने वाले निर्माताओं और ऐसी एजेंसियों के कार्यक्रमों का प्रसारण रोकने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी राशि बकाया है तथा इसकी वसूली न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने बकाया राशि की वसूली करने के और दूरदर्शन का स्पष्ट रूपेण कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हाँ। दूरदर्शन का प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समझौता केवल एजेंसियों के जरिए होता है। प्रमुख चूककर्ता एजेंसियां जो अपनी बकाया देय राशि नहीं दे पायी उनके कार्यक्रमों को बन्द कर दिया गया है और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। अन्य चूककर्ता एजेंसियों को बकाया देय राशि का किस्तों में भुगतान करने को कहा गया है और जब तक बकाया देय राशि का भुगतान नहीं हो जाता है तक तक एजेंसियों को प्रसारण शुल्क का अग्रिम भुगतान करने पर उनके कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी गयी है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रसार भारती बकाया देय राशि वसूलने के लिए बैंक गारन्टी भुनाने, एजेंसियों का प्रत्यापन रद्द करने, मध्यस्थता और कानूनी कार्यवाही आदि सहित संविदात्मक प्रावधानों का सहारा लेता है।

दूरदर्शन ने उनके क्रियाकलाप के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली है और धारावाहिकों, कार्यक्रमों, घटनाक्रमों आदि की कार्यवाही में शामिल कार्य प्रणाली को सरल बनाने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं।

विवरण

दिनांक 7.12.1999 को चूककर्ता एजेंसियों के विरुद्ध बकाया राशि

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	राशि (लाख रुपए में)
1.	एड फेक्टर एडवरटाइजिंग	7
2.	एलाएंस एडवरटाइजिंग	8
3.	ए.बी.सी.एल.	2635*
4.	वी.वाई. पाध्या	13
5.	विधान एडवरटाइजिंग	12
6.	चैत्र एडवरटाइजिंग	3
7.	क्लेरिऑन एडवरटाइजिंग	30
8.	कन्सेप्ट एडवरटाइजिंग	156
9.	कोरम कम्यूनीकेशंस	12
10.	कोन्ट्रेक्ट एडवरटाइजिंग	25
11.	क्रेयन्स एडवरटाइजिंग	12
12.	सिनेमा विज़न	10
13.	दिश्टी इंडिया	499*
14	एन्टरप्राइज़ एडवरटाइजिंग	45
15.	एवरेस्ट एडवरटाइजिंग	45
16.	फेम कम्युनिकेशन	110
17.	गोल्ड वीडियो	8
18.	एच.टी.ए.	120
19.	हंस विजन	160
20.	हीरो पब्लिसिटी	1
21.	जटियार	6
22.	जटियार पब्लिकेशन	34
23.	जया एडवरटाइजिंग	87
24.	जोसलिन कम्युनिकेशन	42
25.	के.एल.आई.	56
26.	क्राइन स्कोप	70
27.	लिन्टास	150
28.	मेगना विजन	108
29.	मुद्रा कम्युनिकेशन	55
30.	मल्टीचैनल	2432*
31.	निम्बस	762*
32.	एन.एफ.डी.सी.	1000
33.	ओ एण्ड एम	38
34.	प्लस चैनल	1385*
35.	प्राइम टाइम मीडिया	105
36.	पी.एन.सी.	152
37.	प्रोमिनेन्ट	172
38.	स्ट्राकोन इण्डिया	170
39.	टी.एस.ए.	137
40.	टी. सरकार	90
41.	टी.एन.ई.	293
42.	ट्राइटन एडवरटाइजिंग	36
43.	यू.टी.वी.	889
44.	यूनीवर्सल	88
45.	वर्ल्डकॉम एम/एम	23
46.	आनन्द एडवरटाइजिंग	140*
47.	मीडिया एशिया	146*

*ब्याज शामिल है।

[हिन्दी]

निजी सस्थानों के लिए अलग सैल

1298. श्री रामपाल सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों को धोखा देने के उद्देश्य से स्थापित निजी संस्थानों द्वारा किये जा रहे दिग्भ्रमण एवं गैर-कानूनी विज्ञापनों से निपटने के लिए शिक्षा विभाग में अलग से सेल बनाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) शिक्षा विभाग में एक कदाचार निवारण कक्ष स्थापित किया गया है। शिक्षा विभाग के अधीन राष्ट्रीय संस्थाओं में भी ऐसे कक्ष स्थापित किए गए हैं। भ्रामक और अवैध विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए एक कार्यनीति की रूपरेखा बनाई है।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक स्मारक

1299. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में विशेष रूप से राजधानी में स्थिति ऐतिहासिक स्मारकों के रख-रखाव पर उचित ध्यान दे रही है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐतिहासिक स्मारकों के रख-रखाव नहीं होने के कारण पर्यटकों का आकर्षण बुरी तरह प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कदम उठाने का है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हाँ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐतिहासिक स्मारकों पर व्यय की गई कुल धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरचनात्मक संरक्षण पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राज्यवार किया गया व्यय

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 (रुपये)	1997-98 (रुपये)	1998-99 (रुपये)
1.	आन्ध्र प्रदेश	58,38,700	83,93,000	84,98,038
2.	असम	26,52,137	31,82,729	12,78,037
3.	अरुणाचल प्रदेश	72,344	-	-
4.	बिहार	87,00,000	1,38,67,300	60,91,473
5.	दिल्ली	2,64,00,000	2,61,00,000	3,41,98,128
6.	दमन एवं दीप	2,58,51,600	23,70,132	15,91,791
7.	गोवा	23,02,918	32,91,000	24,56,771
8.	गुजरात	55,01,659	59,18,855	72,95,718
9.	हरियाणा	80,84,601	81,13,353	73,20,093
10.	हिमाचल प्रदेश	62,55,924	42,51,424	81,83,658
11.	जम्मू एवं कश्मीर	64,00,000	73,79,000	77,99,992
12.	कर्नाटक	1,00,00,000	1,67,44,275	1,71,12,209
13.	केरल	12,52,004	45,78,000	54,00,329
14.	मध्य प्रदेश	1,22,42,312	1,43,44,901	1,42,17,372
15.	महाराष्ट्र	57,00,000	81,47,000	1,53,01,025
16.	मेघालय	1,260	-	98,781
17.	नागालैण्ड	2,09,619	2,19,518	14,70,828
18.	उड़ीसा	93,84,269	37,51,680	50,78,001
19.	पांडिचेरी	3,10,031	2,58,464	5,68,633
20.	पंजाब	51,59,075	76,38,670	37,42,972
21.	राजस्थान	70,00,000	1,73,00,000	1,22,00,000
22.	सिक्किम	3,38,000	14,87,186	24,995
23.	तमिलनाडु	80,00,000	1,00,77,240	88,10,025
24.	त्रिपुरा	5,00,537	6,98,952	5,83,476
25.	उत्तर प्रदेश	1,70,18,058	2,83,57,890	3,17,09,672
26.	पश्चिम बंगाल	61,31,000	97,91,000	69,64,453

सांस्कृतिक नीति

1300. श्री बाजू बन रियान : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सांस्कृतिक नीति की जांच के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार ने लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) देश की लोक संस्कृति का परिरक्षण करना सरकार की स्थायी नीति है जिसको विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, इनमें से जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति, का प्रोन्नयन व प्रभार नामक स्कीम प्रमुख है। इस स्कीम के अन्तर्गत जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के परिरक्षण व प्रोन्नयन में लगे स्वैच्छिक संगठनों एवं व्यष्टियों को सहायता प्रदान की जाती है।

रसायन और उर्वरक के रुग्ण एकक

1301. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रसायन और उर्वरक के रुग्ण एककों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ये एकक एकक-वार किस तारीख में घाटे में चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन एककों के पुनरुद्धार के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र के रुग्ण रसायन तथा उर्वरक इकाइयों का विवरण निम्नलिखित है:

कम्पनी का नाम	इकाई तथा उसका स्थान	किस वर्ष से हानि हो रही है	बी.आई.एफ.आर. द्वारा किस दिन से रुग्ण घोषित किया गया
फर्टिलाईजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि॰ (एफ.सी.आई)	सिन्दरी (बिहार) रामागुंडम (आ.प्र.) तल्चर (उड़ीसा) गोरखपुर (उ॰प्र॰)	1961	6.11.1992 12.11.1992
हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कार्पोरेशन लि॰ (एच.एफ.सी.)	बरौनी (बिहार) दुर्गापुर (पश्चिम बं॰) हल्दिया (पश्चिम बं॰) नामरूप (असम)	1978	12.11.92
प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लि॰ (पी.डी.आइ.एल)	सिन्दरी (बिहार) नोएडा (उ॰प्र॰) बड़ोदा (गुजरात)	1978	17.12.1992
इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि॰ (आई.डी.पी.एल.)	ऋषिकेश (उ. प्र.) हैदराबाद (आं॰ प्र॰) गुड़गांव (हरियाणा) चेन्नई (तमिलनाडु) मुजफ्फरपुर (बिहार)	1979-80	12.8.1992
हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि॰ (एच.ए.एल)	पिंपरी, पुणे (महाराष्ट्र)	1993-94	31.3.1997
बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि॰ (बी.सी.पी.एल.)	पानीहाटी (पश्चिम बं.) मानिकतला (पश्चिम बं.) कानपुर (उ.प्र.) मुम्बई (महाराष्ट्र)	1981-82 (1996-97 को छोड़कर)	14.1.1993
बंगाल इम्युनिटी लि॰ (बी.आई.एल.)	बड़ा नगर (पश्चिम बं.) देहरादून (उ.प्र.)	1984-85	9.3.1993
स्मिथ स्ट्रेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि॰ (एस एस पी एल)	कलकत्ता (पश्चिम बं॰)	1980-81 (1985-86 को छोड़कर)	21.12.1992

उपर्युक्त रुग्ण केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त, पांच संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम भी रुग्ण हैं, तथा बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत हैं, ये हैं : हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन लि० (एच.एफ.एल.), हैदराबाद, आं.प्र., सर्वन पेस्टिसाइड्स कार्पोरेशन (स्पेक), हैदराबाद, आं.प्र., उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० (यू.पी.डी.पी.एल.) लखनऊ, उ.प्र., उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि० (ओ.डी.सी.एल.), भुवनेश्वर, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० (एम.ए.पी.एल.) नागपुर, महाराष्ट्र।

(ग) से (ङ) आई.डी.पी.एल., बी.आई.एल., एच.ए.एल., बी.सी.पी.एल. तथा एस.एस.पी.एल. का मामला रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनःनिर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास भेजा गया है। इन कम्पनियों का भविष्य (बी.सी.पी.एल. के अलावा) जिसमें पुनरुद्धार भी शामिल है, बी.आई.एफ.आर. के साथ विचार विमर्श तथा उसके निर्णय पर निर्भर करेगा, बी.सी.पी.एल. के मामले में बी.आई.एफ.आर. द्वारा संस्वीकृत पुनर्वास पैकेज का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एच.एफ.सी. के नामरूप संयंत्र का पुनरुद्धार सरकार द्वारा अनुमोदित हो गया है तथा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। एच.एफ.सी. तथा एफ.सी.आई. के शेष संयंत्रों के लिए संशोधित व्यापक पुनर्वास प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता आधार पर सरकार में सक्षम प्राधिकारी के पास तथा इसके बाद संस्वीकृति के लिए बी.आई.एफ.आर. के पास प्रस्तुत किया जाना है। राहत तथा छूट की सम्भावनाओं के साथ पी.डी.आई.एल. का पुनरुद्धार पैकेज जुलाई, 1997 में बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत किया गया था जिससे कम्पनी को अपना कार्यनिष्पादन सुधारने में सहायता मिली। हालांकि, उत्प्रेरकों के लिए आदेशों की कमी तथा जॉब आदेशों के अभाव के कारण पी.डी.आई.एल. को 1998-99 से पुनः घाटा होना आरंभ हो गया है क्योंकि पुनरुद्धार योजना को बनाते समय परिकल्पित नई परियोजनाओं में देरी हुई।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी परियोजना

1302. डॉ० जसवंत सिंह यादव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना में शामिल उनके भागों सहित उन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) परियोजना का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सफलता प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी प्रक्षेत्र दिल्ली और संलग्न तीन राज्यों हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का 30,242 वर्ग कि.मी. क्षेत्र शामिल है, ब्यौरा इस प्रकार है :

दिल्ली उप-क्षेत्र	1483 वर्ग कि.मी.
हरियाणा उप-क्षेत्र फरीदाबाद, रेवाड़ी, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत और पानीपत के 6 जिले	13413 वर्ग कि.मी.
राजस्थान उप-क्षेत्र अलवर जिले की छह तहसीलों, अलवर, रायगढ़, बहरोड़, मुण्डावर, किशनगढ़ और तिजारा का क्षेत्र	4493 वर्ग कि.मी.
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर के 3 जिलों का क्षेत्र	18853 वर्ग कि.मी.

इसके अलावा सदस्य राज्यों के अनुरोध पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने सिद्धान्ततः हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तीन उप-क्षेत्रों से अतिरिक्त उसके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल करने का भी इस शर्त के साथ अनुमोदन कर दिया है, कि उन क्षेत्रों के विस्तार का संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरी सावधानी से निर्धारण किया जाए, ताकि कुल क्षेत्र 80,000 वर्ग कि.मी. हो जाए।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को एन.सी.आर. के लिए क्षेत्र योजना तैयार करने और उस योजना को सदस्य राज्यों तथा संबंधित केन्द्रीय और राजकीय एजेंसियों से क्रियान्वित करने का अधिदेश प्राप्त है। तदनुसार, बोर्ड ने जनवरी, 1989 में एन.सी.आर. हेतु एक क्षेत्र योजना घोषित की थी जिसके उद्देश्य हैं :

(i) दिल्ली पर आबादी के दबाव को कम करना; और

(ii) समूचे क्षेत्र का संतुलित एवं सुसंगत विकास करना।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड क्षेत्र योजना में निर्धारित विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का जोरदार तरीके से क्रियान्वयन कर रहा है।

इन नीतियों का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में सड़कों, रेलों और दूरसंचार के यथोचित ढांचे आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन के सामाजिक ढांचे के साथ-साथ उद्योगों, थोक व्यापार एवं वाणिज्य का आर्थिक ढांचे का सृजन करना है, ताकि दिल्ली में भीड़ बढ़ाने वाली गतिविधियों को अन्यत्र विस्थापित किया जा सके।

इनके लिए सदस्य राज्यों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों रेल, भूतल परिवहन, विद्युत एवं दूरसंचार द्वारा विभिन्न विकास परियोजनायें चलाई जा रही हैं। एन.सी.आर. परियोजना बोर्ड इन परियोजनाओं के लिए राज्यों को ऋण सहायता दे रहा है और इस प्रक्रिया में वह इस क्षेत्र के विभिन्न भागों में बड़ी औद्योगिक संपदाओं का नेटवर्क सृजन करने में कामयाब हो सका है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निकट भविष्य में पूंजी निवेश हेतु उभरते हुए कुछ संभावित शहरी केन्द्र उत्तर प्रदेश के प्रेटर नौएडा, राजस्थान के भिवाड़ी और हरियाणा के धारूहेड़ा, बावल, मानेसर और कोंडली है और इन्हें बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है।

क्षेत्र में विभिन्न आधारभूत ढांचों के नेटवर्क के विकास को भी बोर्ड बढ़ावा दे रहा है। प्रमुख शहरी केन्द्रों को परस्पर जोड़ने वाले अनेक क्षेत्रीय एक्सप्रेस मार्गों की एक योजना बनाई जा रही है और इसके लिए साध्यता अध्ययन या तो पूरे हो गये हैं या किये जा रहे हैं ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ ये परियोजनाएं प्रारंभ हो सकें।

उर्वरक इकाइयों का नुकसान

1303. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री जे.एस. बराड़ :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्र गत कुछ वर्षों से घाटे में चले रहे है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान नए उर्वरक संयंत्र शुरू किए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के कितने उर्वरक संयंत्र हैं;

(च) इनमें से कितने संयंत्र गत तीन वर्षों से लाभ कमा रहे हैं; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को इनसे कितना लाभ/हानि हुई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क), (ख) और (च) हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उर्वरक उपक्रमों ने हानि उठाई है, फिर भी इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों के लाभ/हानि के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं।

गत तीन वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों के लाभ/हानि (-)

(रुपए करोड़ में)

क्र॰ सं॰	कम्पनी का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
01.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ सी आई)	(-) 538.00	(-) 735.60	(-) 838.39
02.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि॰ (एच एफ सी)	(-) 532.64	(-) 647.83	(-) 514.49
03.	पारादीप फास्फेट्स लि॰ (पी पी एल)	(-) 60.63	(-) 105.53	(-) 57.87 (अनंतिम)
04.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि॰ (एम एफ एल)	12.10	(-) 55.35	(-) 25.74
05.	पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि॰ (पी पी सी एल)	(-) 08.28	(-) 53.40	(-) 87.49
06.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि॰ (फैक्ट)	61.78	53.94	(-) 48.26
07.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि॰ (पी डी आई एल)	31.82	6.09	(-) 15.85
08.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि॰ (एन एफ एल)	11.20	189.01	41.15
09.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰ (आर सी एफ)	76.88	189.37	105.64

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में कोई नई उर्वरक परियोजनाएं शुरू नहीं की गई हैं। गत तीन वर्षों के दौरान प्रारम्भ किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों /सहकारी समितियों की विस्तार परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं:

क्र॰ सं॰	नाम	स्थान	उत्पाद क्षमता (लाख टन प्रति वर्ष)	
1	2	3	4	5
1.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि॰ (इफको) की आंवला विस्तार परियोजना	आंवला (उ॰प्र॰)	यूरिया	7.26
2.	इफको की फूलपुर विस्तार परियोजना	फूलपुर (उ॰प्र॰)	यूरिया	7.26
3.	इफको की कलोल विस्तार परियोजना	कलोल (गुजरात)	यूरिया	1.50
4.	इफको की काण्डला चरण-II विस्तार परियोजना	काण्डला (गुजरात)	डी ए पी एन पी के	3.70 2.27
5.	एन एफ एल की विजयपुर विस्तार परियोजना	विजयपुर (म॰प्र॰)	यूरिया	7.26
6.	एम एफ एल की पुनरुद्धार परियोजना	चेन्नई (तमिलनाडु)	यूरिया एन पी के	0.76 1.84

(ङ) मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों के पास बड़े आकार की 32 उर्वरक इकाइयां हैं।

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों से जो लाभांश प्राप्त किए हैं उनके ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं:

(रु॰ करोड़ में)

क्र॰ सं॰	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1.	फैक्ट	17.27	17.27	-
2.	एन एफ एल	-	-	49.88
3.	आर सी एफ	15.31	28.07	25.52

तकनीकी संस्थाएं

1304. श्री अशोक प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितनी तकनीकी संस्थाएं स्थापित की गई;

(ख) क्या सरकार द्वारा राज्यों में नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संस्थाओं की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चार राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी संस्थान स्थापित किए हैं- (i) भारतीय प्रबंध संस्थान, कालीकट, केरल (1997-98), (ii) भारतीय प्रबंध संस्थान, इन्दौर, मध्य प्रदेश (1998-99), (iii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, (1998-99), और (iv) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (1999-2000)।

इस समय, केन्द्रीय स्तर पर और ऐसे तकनीकी संस्थान स्थापित करने को कोई प्रस्ताव नहीं है।

उर्वरक उत्पादन

1305. श्री रामदास आठवले : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश में प्रत्येक उर्वरक संयंत्र में उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) प्रत्येक राज्य को राज्यवार उर्वरक की कुल कितनी मात्रा का आबंटन किया गया;

(ग) क्या उर्वरकों की कमी के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है; और

(घ) इस संबंध में किसानों को उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) उर्वरक पोषकों का एकक-वार उत्पादन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) इस समय यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिस पर मूल्य, वितरण और संचलन नियंत्रण है। नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के मामले में, केन्द्र सरकार द्वारा कोई आबंटन नहीं किया जाता है। अतः नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की मांग और आपूर्ति को बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

1998-99 के दौरान राज्यवार यूरिया का आंबटन विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) यूरिया का सांविधिक बिक्री मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसी तरह नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरक किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचे जाते हैं। तदनुसार निर्माताओं/आयातकर्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वहनीय मूल्य पर किसानों को उर्वरक बेचने में समर्थ बनाने की दृष्टि से उन्हें सबसिडी/रियायत का भुगतान किया जाता है। उत्पादन तथा आयातों की लागत पर निर्भर करते हुए सबसिडी/रियायत का स्तर समय-समय पर घटता-बढ़ता रहता है।

विवरण-I

1998-99 के दौरान पोषकों के रूप में एकक-वार उर्वरक का उत्पादन

संयंत्र का नाम	नाइट्रोजन औद्योगिक नाइट्रोजन को छोड़कर	000 मी टन फासफेट
I. सार्वजनिक क्षेत्र		
एनएफएल, नागल-I	55.5	-
एनएफएल, नागल-II	178.8	-
एनएफएल, भटिन्डा	231.7	-
एनएफएल, पानीपत	246.4	-
एनएफएल, विजयपुर	393.2	-
एनएफएल, वियजपुर विस्तार	396.5	-
योग (एनएफएल)	1502.1	-
फैक्ट, उद्योग मण्डल	69.3	31.6
फैक्ट, कोचीन-I	84.2	-
फैक्ट, कोचीन-II	116.0	116.0
योग (फैक्ट)	269.5	147.6
आरसीएफ, ट्रोम्बे	5з.2	43.2
आरसीएफ, ट्रोम्बे-4	50.0	50.0
आरसीएफ, ट्रोम्बे-5	123.8	-
योग (आरसीएफ)	650.0	-
एफसीआई, सिन्दरी	877.0	103.2
एफसीआई, गोरखपुर	102.6	-
एफसीआई, रामगुन्डम	0.0	-
एफसीआई, तलचर	42.2	-
योग (एफसीआई)	31.6	-
एचएफसी, नामरूप-I	176.4	-
एचएफसी, नामरूप-II	0.0	-
एचएफसी, नामरूप-III	0.0	-
एचएफसी, दुर्गापुर	52.8	-
एचएफसी, बरौनी	0.0	-
योग (एचएफसी)	11.6	-
एमएफएल, चेन्नई	64.4	-
सेल, राऊरकेला	243.8	133.8
एनएलसी, नवेली	23.1	-
पीपीएल, पारादीप	31.2	-
एचसीएल, खेतरी	140.4	359.7
पीपीसीएल, अमजोर	-	1.0
पीपीसीएल, सलादीपुरा	-	13.7
उप उत्पाद यूनिट	-	6.5
एसएसपी यूनिट	25.1	-
	-	4.0
II. सहकारी उपक्रम		
इफको, कलोल	225.6	-
इफको, कांडला	193.8	500.2
इफको, फूलपुर	261.7	-
इफको, फूलपुर विस्तार	384.3	-
इफको, आंवला	391.7	-

संयंत्र का नाम	नाइट्रोजन औद्योगिक नाइट्रोजन को छोड़कर	000 मी टन फासफेट
इफको, आंवला विस्तार	385.5	-
योग (इफको)	1842.6	500.2
कृभको, हजिरा	697.6	-
योग सहकारी क्षेत्र	2540.2	500.2
III. निजी क्षेत्र		
जीएसएफसी, बड़ोदरा	229.3	76.6
सीएफएल, विजाग	83.6	112.2
एसएफसी, कोटा	180.9	-
डीआईएल, कानपुर	337.1	-
जेडआईएल, गोवा	189.1	75.0
एसपीआईसी, तुतीकोरिन	375.0	261.4
एमसीएफ, मंगलौर	194.9	78.7
ईआईडी-पैरी, इनोर	33.1	41.4
जीएनएफसी, भरौच	372.3	30.2
डीएफपीसीएल, तलओजा	40.7	40.7
टीएसी, तुतीकोरिन	15.8	-
पीएनएफ, नांगल	0.0	-
एचएलएल, हलदीया	41.5	106.2
आईजीसीएल, जगदीशपुर	469.2	-
जीएसएफसी, सिक्का	94.4	241.1
एनएफसीएल, काकीनाडा-I	316.8	-
एनएफसीएल, काकीनाडा-II	240.9	-
जीएफसीएल, काकीनाडा	115.8	287.6
सीएफसीएल, गाडेपन	440.1	-
टीसीएल, बबराला	404.1	-
ओसीएफ, शाहजहांपुर	409.7	-
उप उत्पाद यूनिट	2.0	-
एसएसपी यूनिट	-	519.8
योग सार्वजनिक क्षेत्र	4586.3	1870.9
कुल योग (सार्वजनिक+सहकारी+निजी क्षेत्र)	10479.5	3140.6

विवरण-II

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा राज्यवार मूल्यांकित आवश्यकता और यूरिया का वास्तविक आबंटन

(000 मी.टन)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खरीफ, 1998		रबी, 1998-99	
	मूल्यांकित	वास्तविक आबंटन	मूल्यांकित	वास्तविक आबंटन
आन्ध्र प्रदेश	960.00	1150.64	1050.00	1206.54
कर्नाटक	590.00	682.45	360.00	426.55
केरल	72.00	95.82	65.00	72.68
तमिलनाडु	375.00	436.38	525.00	594.86
पाण्डीचेरी	10.00	11.87	13.00	13.79
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.57	0.61	0.50	0.57
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	600.00	651.33	700.00	704.43
मध्य प्रदेश	700.00	795.46	780.00	794.36
महाराष्ट्र	1125.00	1211.28	650.00	730.75
राजस्थान	485.00	599.68	800.00	794.48
गोवा	4.50	4.86	2.00	2.00
दमन और दीव	0.25	0.28	0.10	0.11
दादर और नागर हवेली	1.82	2.00	0.35	0.23
हरियाणा	600.00	646.92	760.00	889.33
पंजाब	1000.000	1016.59	1050.00	1139.32
उत्तर प्रदेश	2225.00	2693.76	2730.00	3116.80
हिमाचल प्रदेश	30.00	29.77	22.00	19.11
जम्मू और कश्मीर	75.00	80.82	45.00	57.77
दिल्ली	13.50	16.53	30.00	35.21
चण्डीगढ़	0.30	0.33	0.50	0.55
बिहार	700.00	869.25	630.00	831.98
उड़ीसा	325.00	430.41	145.00	198.62
पश्चिमी बंगाल	460.00	566.47	600.00	657.32
असम	50.00	54.68	50.00	63.58
त्रिपुरा	12.00	11.87	13.00	11.11
मणिपुर	23.00	26.38	7.50	10.51
मेघालय	3.00	3.31	3.00	3.42
नागालैण्ड	0.50	0.62	0.55	1.10
अरुणाचल प्रदेश	0.35	0.46	0.50	0.99
मिजोरम	0.40	0.73	0.50	1.28
सिक्किम	0.50	0.54	0.55	0.93
टी बोर्ड (एन.ई.)	37.00	40.70	40.00	44.00
योग : अखिल भारत	10479.69	12132.80	11074.05	12424.28

सांस्कृतिक संगठन

1306. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने सांस्कृतिक संगठनों को उनके कार्यालयों के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन संगठनों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) यद्यपि, संस्कृति विभाग के पास सांस्कृतिक संगठनों के कार्यालयों के निर्माण-कार्य की बाबत सहायता देने की कोई स्कीम नहीं है, तथापि यह विभाग उनके कार्यालयों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक पुस्तकालयों सहित उनके भवनों के निर्माण-कार्य के लिए सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

आई.सी.डी.एस. परियोजना

1307. श्री बसुदेव आचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) परियोजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार का कोई विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हाँ।

(ख) गुणात्मक निवेशों को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेबीज़ के कारण मौतें

1308. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेबीज़ के कारण भारत में विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा अधिक मौतें होती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस समस्या पर कारगर ढंग से अंकुश लगाने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी कार्य योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या गली के कुत्तों की संख्या में कमी करने के लिए राज्य सरकारों और नगर पालिका निकायों को कोई निर्देश जारी किये गये हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. बणमुगम) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान रेबीज के कारण हुई मौतों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	मौतें
1996	281
1997	365
1998	365

(ख) से (ङ) छठी योजना की अवधि के दौरान, रदनक (केनाइन) रेबीज पर नियंत्रण के लिए 16 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीमित पैमाने पर एक कार्यक्रम चलाने को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक से दो रदनक रेबीज नियंत्रण एकक आबंटित किए गए। ऐसे एकक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पशुपालन विभाग द्वारा चुने गए शहरी क्षेत्रों में चलाए जाने थे। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित पर विचार किया गया है :

- सभी पालतू कुत्तों के लाइसेंसिंग, अनिवार्य टीकाकरण,
- आवारा कुत्तों को खत्म करना,
- अन्य पालतू पशुओं द्वारा काटे जाने के बाद उपचार, और
- कार्य क्षेत्र में बिना टीका लगाए गए कुत्तों के प्रवेश को रोकना।

नेहरू युवा केन्द्र

1309. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आंध्र प्रदेश में विशेषकर हैदराबाद और सिकन्दराबाद में कार्य कर रहे नेहरू युवा केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना व्यय मंजूर किया गया/खर्च किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों की गतिविधियां बढ़ाने हेतु आबंटन राशि में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) आंध्र प्रदेश में 23 नेहरू युवा केन्द्र कार्यरत हैं। हैदराबाद में एक नेहरू युवा केन्द्र है तथा सिकंदराबाद में कोई नेहरू युवा केन्द्र नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों को आवंटित धनराशि निम्नानुसार है :

वर्ष	1996-97	1997-98	1998-99
रकम (रुपये)	65,30,858	75,88,802	1,26,83,020

(ग) और (घ) वर्ष 1998-99 में प्रति केन्द्र 96,000/- रुपये का आवंटन रखा गया था; 1999-2000 में, यह 1,08,000/- रुपये प्रति केन्द्र था जिसे 2000-2001 के दौरान और अधिक बढ़ाए जाने की आशा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मलेरिया के कारण मौतें

1310. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को क्रियान्वित न करने के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में हजारों लोगों की मलेरिया से मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों को आवंटित की गई कुल धनराशि में से कितनी धनराशि उक्त अवधि के दौरान खर्च की गई;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों द्वारा शेष धनराशि का उपयोग इस कार्यक्रम की जगह दूसरे कार्यक्रमों के लिए किया गया है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार की प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. थणमुगम) : (क) और (ख) वर्ष 1977 में राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अन्तर्गत संशोधित कार्य योजना को अपनाने के बाद वर्ष 1984 से देश में प्रति वर्ष मलेरिया की घटनाओं को 2 से 3 मिलियन के बीच रोका जा सका है जबकि वर्ष 1976 में इन रोगियों की संख्या 6.47 मिलियन थी। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान मलेरिया से हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	रिपोर्ट की गई मौतों की संख्या
1996	1010
1997	879
1998	658

(ग) से (छ) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित श्रेणी-II योजना है जिसकी लागत में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के हिस्से का अनुपात 50 : 50 है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता सिर्फ सामग्री रूप में है। तथापि, दिसम्बर, 1994 से उत्तर-पूर्वी राज्यों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्र द्वारा राज्यों को रिलीज की गई धनराशि उनके द्वारा खर्च की जा चुकी है।

कला और संस्कृति का उन्नयन

1311. श्री नवल किशोर राय :
श्री जे.एस. बराड़ :

क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता से कला और संस्कृति का उन्नयन करने में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके अलग-अलग कार्यकरण और उनके कार्य-क्षेत्र क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा कितनी वार्षिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है;

(घ) क्या उक्त संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा करने की कोई व्यवस्था की गई है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ङ) मांगी गयी सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मॉरीशस में विश्व हिन्दी सचिवालय

1312. डॉ0 अशोक पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए मॉरीशस में विश्व हिन्दी सचिवालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो समझौते की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) जी, हाँ। मारीशस में विश्व हिन्दी सचिवालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार और मारीशस सरकार के बीच 20 अगस्त, 1999 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। समझौता ज्ञापन की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत गणराज्य की सरकार और मारीशस गणराज्य की सरकार के बीच मारीशस में विश्व हिन्दी सचिवालय की स्थापना करने से संबद्ध समझौता ज्ञापन

जबकि भारत गणराज्य की सरकार और मरीशस गणराज्य की सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकारी पक्ष कहा गया है, के बीच यह सहमति हुई है कि निम्नलिखित विश्व हिन्दी सम्मेलनों में पारित और दोहराए गए संकल्पों के अनुसरण में मारीशस में एक विश्व हिन्दी सचिवालय की स्थापना की जाए;

I. 1975, नागपुर, भारत

II. 1976, महात्मा गांधी संस्थान, मोका, मारीशस

III. 1983, नई दिल्ली, भारत

IV. 1983, महात्मा गांधी संस्थान, मोका, और

V. 1996, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनीडाड और टोबागो।

अतः अब संविदाकारी पक्षों ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :

अनुच्छेद-एक

विश्व हिन्दी सचिवालय की स्थापना संविदाकारी पक्षों के संयुक्त प्रयासों के जरिए मारीशस के प्रदेश में इसके अंतर्गत तथा निर्दिष्ट शर्तों पर की जाए।

अनुच्छेद-दो

सचिवालय का अधिकृत पता मारीशस में किसी स्थान पर होगा इसकी संरचना इस प्रकार होगी :

(क) एक अधिशासी मंडल, जिसकी संरचना संविदाकारी पक्षों के बीच परस्पर परामर्श के जरिए निर्धारित की जाएगी,

(ख) एक महासचिव, जिसको कार्यपालक शक्तियां प्राप्त होंगी, और

(ग) आवश्यक व्यावसायिक, प्रशासनिक और तकनीकी सहायक कर्मचारी।

अनुच्छेद-तीन

प्रारंभ में सचिवालय किराए के किसी परिसर में कार्य कर सकता है। सचिवालय के उपयुक्त भवन के लिए भू-खंड मारीशस की सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। सचिवालय भवन के निर्माण संबंधी डिजाइन और वित्त पोषण के लिए भारत सरकार उत्तरदायी होगी।

अनुच्छेद-चार

अन्य बातों के साथ-साथ, सचिवालय के उद्देश्य इस प्रकार होंगे :

I. एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का संवर्धन करना और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को अधिकृत भाषा के रूप में मान्यता दिलाने की दिशा में कार्य करना।

II. हिन्दी भाषा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियों, सामूहिक विचार-विमर्श के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन और इसी प्रकार के अन्य क्रियाकलापों का भी आयोजन करना।

III. विश्व भर में हिन्दी को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उत्कृष्ट विद्वानों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करना।

IV. विश्व भर के विश्वविद्यालयों में जहां ये पीठ अभी मौजूद नहीं हैं, हिन्दी पीठ की स्थापना करना।

V. मल्टी मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए और हिन्दी के लेखकों, कवियों, विद्वानों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और हिन्दी के संवर्धन में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से संबद्ध डाटा बैंक के रूप में कार्य करने के लिए प्रलेखन केन्द्र की स्थापना करना।

VI. अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय (मुद्रित तथा दृश्य-श्रव्य दोनों प्रकार के) स्थापना करना।

VII. चुनिंदा स्थानों पर विश्वव्यापी हिन्दी पुस्तक मेलों और कम्प्यूटर प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

VIII. इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे सभी आकस्मिक, प्रांसगिक और सहायक सभी प्रकार के कार्य करना।

अनुच्छेद-पांच

सचिवालय को प्रभवी रूप से कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए इसे सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी जिनमें इसके समुचित प्रचालन, अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र और भाषा-प्रयोगशाला की स्थापना के लिए बुनियादी सुविधा शामिल होगी।

अनुच्छेद-छह

सचिवालय को चलाने की लागत मारीशस तथा भारतीय सरकारें संयुक्त रूप से वहन करेंगी। आवर्ती बजट की लागत मारीशस और भारत बराबर-बराबर वहन करेंगे।

अनुच्छेद-सात

भारत का हाईकमीशन और मारीशस की सरकार के उपयुक्त मंत्रालय के बीच पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा इस समझौता ज्ञापन में

समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि वह संशोधन इस समझौता ज्ञापन की भावना के विपरीत न हो। पूर्वोल्लिखित अभिलेख मारीशस गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच हुई सहमति को निरूपित करता है।

आज..... मैं एक हजार नौ सौ निन्यानबे के ..... .मास के ..... वें दिन ( ) दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

मारीशस गणराज्य की सरकार की ओर से

दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं

1313. श्री नवल किशोर राय :
श्री जे.एस. वराड़ :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्य भागों से लोग प्रतिवर्ष औसतन बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली आते हैं और यहीं बस जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रतिवर्ष लोगों को आने वाली इस भीड़ के कारण उत्पन्न नागरिक सुविधाओं की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा कोई विस्तृत योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं और इसके लिए वार्षिक रूप से कितने अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) स्लम वासियों का जीवन स्तर सुधारने के लिये, सरकार अपनी सीमाओं के अन्दर तीन सूत्री कार्यनीति, यथा—स्लम समूह का अन्यत्र पुनर्वास, यथा स्थल सुधार तथा स्लमों का पर्यावरण सुधार का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान दिल्ली नगर निगम (स्लम व झुग्गी झोपड़ी विभाग) ने क्रमशः 30.48 करोड़ रुपये तथा 41.04 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अवधारणा से भी निकट भविष्य में यह समस्या हल्की होने की आशा है।

चक्रवात के कारण महामारी

1314. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में आंत्रशोथ, हैजा और अन्य महामारियों के लक्षणों का पता चला है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. वणमुगम) : (क) उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में अतिसार के लक्षणों वाले छुट-पुट रोगियों की सूचना दी गई है। किसी रोग के महामारी के रूप में फैलने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में 1 से 24 नवम्बर, 1999 के बीच 8,33,325 व्यक्ति अतिसार के विकारों से, 181 व्यक्ति सांप के काटने से, 12,27,019 व्यक्ति छोटे-छोटे रोगों से, 512 व्यक्ति मलेरिया से और 313 व्यक्ति ज्वर से पीड़ित हुए। 60 व्यक्ति हैजे से पीड़ित हुए और ठीक हो गए। कोई भी व्यक्ति हैजे से नहीं मरा।

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए निम्नलिखित उपचारी उपाय किए गए :

(i) पीने के पानी के स्रोतों के विसंक्रमण के लिए सभी गांवों और परिवारों की ब्लीचिंग पाउडर की पर्याप्त मात्रा, हेलोजन और क्लोरिन की गोलियां वितरित की गई हैं। कुओं को विसंक्रमित करने का पहला और दूसरा दौर पूरा कर लिया गया है। 80 प्रतिशत की कवरेज सहित तीसरा और चौथा दौर चल रहा है।

(ii) आसानी से उपलब्धता और उपयोग के लिए सभी उपकेन्द्रों, पंचायतों, आंगनवाड़ी केन्द्रों और ग्राम स्तर के स्वयंसेवकों के पास ओ.आर.एस. के पैकेटों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई गई है।

(iii) प्रभावित क्षेत्रों के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों पर अतिसार रोधी औषधों, मलेरिया-रोधी औषधों और दवाइयों की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति की गई है।

(iv) सभी जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आई.वी.फ्लूयड और सेट भी उपलब्ध कराये गये हैं।

(v) सभी प्रभावित गांवों में अतिसारीय रोगों और छोटी-छोटी बीमारियों के निवारक पहलुओं के बारे में सूचना, शिक्षा व संचार संबंधी गहन कार्य-कलाप चलाए गए हैं।

(vi) राज्य सरकार के चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त 749 डॉक्टर, 469 अर्ध-चिकित्सा-कार्मिक, 103 चलते-फिरते दलों को लगाया है।

(vii) चिकित्सा राहत संबंधी कार्यकलापों में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए दिल्ली से उड़ीसा के लिए 21 डॉक्टरों के एक दल को भेजा गया। भुवनेश्वर में स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एककों और राष्ट्रीय हैजा व आंत्रशोध संस्थान, कलकत्ता की सेवाओं को स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया है और उनका जन स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान से 4 कीटविज्ञानियों और महामारी विज्ञानियों का एक दल 3.11.99 को भुवनेश्वर पहुंचा और स्थिति का मूल्यांकन किया। उन्होंने किसी महामारी के निवारण/नियंत्रण के लिए उठाए जाने के लिए आवश्यक जन स्वास्थ्य संबंधी उपायों के बारे में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को परामर्श दिया।

जन स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलापों की समीक्षा करने और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सहायता करने के लिए 8 से 13 नवम्बर, 1999 तक 4 वरिष्ठ जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक उच्च स्तरीय दल ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

(viii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने आई.वी.फ्लुएडों, ओ.आर.एस. एण्टी - बायोटिक्स, क्लोरोजन गोलियों, अतिसाररोधी, बाल रोग औषधों, सर्पदंशरोधी सीरम इत्यादि सहित लगभग 600 मीट्रिक टन चिकित्सा राहत मदें पहुंचाई। 2 लाख लीटर फिनाईल और 350 मीट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर की भी आपूर्ति की गई। मलेरिया-रोधी संबंधी कार्यकलापों के लिए उपचारी प्रयोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में डी.डी.टी., मालाथियन और औषधों की आपूर्ति की गई है।

[अनुवाद]

यूरिया का आयात

1315. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
डॉ0 रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरिया, फास्फेट, एम.ओ.पी. तथा डी.ए.पी. उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा आयात की गई तथा इनका मूल्य क्या था;

(ख) इन उर्वरकों का आयात किन-किन देशों से किया गया तथा उक्त अवधि के दौरान आयात किए गए उर्वरकों की मात्रा कितनी थी;

(ग) इन उर्वरकों को आयात हेतु किन-किन उर्वरक इकाइयों को अनुमति दी गई तथा इस संबंध में कौन-कौन से मानदण्ड निर्धारित किए गए; और

(घ) देश में आवश्यक यूरिया तथा अन्य उर्वरकों की मात्रा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिस पर सांविधिक मूल्य संचलन और वितरण नियंत्रण है। यूरिया का आयात सरणीबद्ध करके सरकार के खाते में किया जाता है। गत तीन वर्षों में लागत एवं भाड़ा मूल्य सहित यूरिया के आयात इस प्रकार थे :

वर्ष	मात्रा (लाख मी.टन)	लागत एवं भाड़ा मूल्य (रु. करोड़ में)
1996-97	23.28	1701.75
1997-98	23.89	1296.57
1998-99	5.56	240.00

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश-वार यूरिया का आयात निम्न प्रकार रहा :

(मात्रा लाख मी. टन में)

क्र. सं.	देश का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1.	बंगलादेश	1.44	0.26	-
2.	सीआईएस	6.84	9.80	1.92
3.	कुवैत	3.86	3.91	0.49
4.	लीबिया	2.14	0.80	-
5.	कतर	2.95	3.02	1.03
6.	रोमानिया	1.60	1.23	-
7.	साऊदी अरेबिया	2.98	2.14	0.26
8.	यू ए ई	1.47	2.10	0.36
9.	इंडोनेशिया	-	0.34	-
10.	जर्मनी	-	0.29	-
11.	ईरान	-	-	1.50
	योग	23.38	23.89	5.56

डी ए पी और एम ओ पी नियंत्रणमुक्त उर्वरक हैं। इनके आयात असरणीबद्ध हैं और निजी व्यापार खाते में किए जाते हैं। इन आयातों के मूल्य और स्रोतों का ब्यौरा विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार गत तीन वर्षों में डी ए पी और एम ओ पी के आयात इस प्रकार थे :

(मात्रा लाख मी. टन में)

	1996-97	1997-98	1998-99
डी ए पी	5.34	14.60	21.05
एम ओ पी	10.21	19.00	25.70

(ग) वर्ष 1997-98 में मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नामक दो उर्वरक कम्पनियों को यूरिया के आयात की अनुमति दी गई थी तथा 1998-99 में दुबारा एम.एफ.एल. को कम्पलैक्स ग्रेड उर्वरकों के निर्माण की अनुमति दी गई थी। आयातों की अनुमति दी गई जिससे उत्पादन लागत में सुधार हुआ और परिणामस्वरूप इन कम्पनियों के प्रचालनों में व्यवहार्यता आई।

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान यूरिया जो एक मात्र नियंत्रित उर्वरक है, की आंकलित मांग और मुख्य नियंत्रणमुक्त उर्वरकों अर्थात् डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. की अनुमानित मांग इस प्रकार है :

यूरिया	217.18
डी.ए.पी.	66.26
एम.ओ.पी.	22.25

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में विभिन्न समुदायों को शामिल किया जाना

1316. डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से उनकी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में विभिन्न समुदायों को शामिल करने के लिए अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रियाबद्ध किए जाते हैं।

विवरण

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावों की संख्या
1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	10
2.	आन्ध्र प्रदेश	76
3.	अरुणाचल प्रदेश	46
4.	असम	89
5.	बिहार	51
6.	चंडीगढ़	9
7.	दादर व नगर हवेली	5
8.	दमन व दीव	1
9.	दिल्ली	20
10.	गोवा	13
11.	गुजरात	32
12.	हरियाणा	57
13.	हिमाचल प्रदेश	40
14.	जम्मू व कश्मीर	13
15.	कर्नाटक	45
16.	केरल	87
17.	लक्षद्वीप	-
18.	मध्य प्रदेश	85
19.	महाराष्ट्र	105
20.	मणिपुर	23
21.	मेघालय	27
22.	मिजोरम	8
23.	नागालैंड	6
24.	उड़ीसा	95
25.	पांडिचेरी	13
26.	पंजाब	17
27.	राजस्थान	44
28.	सिक्किम	7
29.	तमिलनाडु	101
30.	त्रिपुरा	38
31.	उत्तर प्रदेश	94
32.	पश्चिम बंगाल	38
	कुल	1295

भारतीय ओलम्पिक संघ

1317. श्री भोडन रावले : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेल कौन-कौन से हैं जिनके खिलाड़ी देश में बहुत कम मिलते हैं;

(ख) क्या उक्त खेलों की फैडरेशनें केवल कागजों पर काम कर रही हैं तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारों से नियमित अनुदान भी प्राप्त कर रही हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) भारतीय ओलंपिक संघ (आई.ओ.ए.) ने अपने सदस्यों के रूप में 30 राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सम्बद्ध किया है और 21 अन्य राष्ट्रीय खेल परिसंघों को मान्यता प्रदान की है। देश में प्रत्येक खेलविधा में खिलाड़ी उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग:) भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को मान्यता प्रदान की जाती है। मान्यता प्राप्त परिसंघ संबंधित खेल विधाओं के संवर्धन के लिए मुख्यतया उत्तरदायी होते हैं।

राष्ट्रीय खेल परिसंघ खेलों के विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए, दीर्घकालीन विकास योजनाएँ (एल.टी.डी.पी.) तैयार करते हैं। दीर्घकालीन विकास योजना की संरचना और कार्यान्वयन की निगरानी एक समिति द्वारा की जाती है जिसमें संबंधित खेल परिसंघ, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को उसकी दीर्घकालीन विकास योजनाओं के आधार पर केन्द्रीय सरकार से सहायता संवितरित की जाती है।

[अनुवाद]

युवकों को रोजगार

1318. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1999-2000 के दौरान शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है; और

(ग) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) यह मंत्रालय 1.12.97 से स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले युवकों सहित शहरी निर्धनों को स्व-रोजगार तथा मजदूरी रोजगार के अवसर मुहैया कराना है।

(ख) और (ग) एस.जे.एस.आर.वाई. के अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण राज्यों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। सरकार द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टों तथा समय-समय पर बैठकों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है।

बैंगलूर में लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम

1319. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बैंगलूर में "इलीवेटेड लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

फाइलेरिया से पीड़ित लोग

1320. डॉ० जयन्त रंगपी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पहचान किए गए फाइलेरिया से पीड़ित लोगों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या देश में फाइलेरिया के प्रकोप का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस रोग को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, दमण और दीव, लक्षद्वीप फाइलेरिया के स्थानिककारी वाले राज्य हैं। देश में फाइलेरिया की व्याप्तता के बारे में सर्वेक्षण राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के अतिरिक्त राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की 27 सर्वेक्षण यूनिटों, 206 फाइलेरिया नियंत्रण यूनिटों और 199 क्लिनिकों के द्वारा किए जाते हैं।

वर्ष 1996, 1997 और 1998 के राज्यवार परजीवी विज्ञान संबंधी ब्यौरे विवरण-I, II, और III में दिए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम ने 7 राज्यों, नामतः बिहार, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के 13 चुने हुए जिलों में वर्ष में एक बार दी जाने वाली सामूहिक (सिंगल डोज़ एनुअल मास) औषध चिकित्सा की एक परियोजना 1997 में आरम्भ की है।

इसके अतिरिक्त फाइलेरिया नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं :

- मच्छर पैदा होने वाले स्थानों में लार्वानाशी का प्रयोग करते हुए लार्वारोधी आवर्ती उपाय।
- माइक्रोफाइलेरिया वाहकों का पता लगाकर और डि-ईथाइल कर्बामाजिन (डीईसी) के उपचार से परजीवी-रोधी उपाय।
- जन-जागरूकता के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप।
- रेफरल सेवाओं के द्वारा तीव्र और चिरकारी फाइलेरिया का उपचार।
- जैव विज्ञानी कारकों, विशेष रूप में लार्वानाशी मछलियों के द्वारा मच्छर प्रजनन पर जैव विज्ञानी नियंत्रण।

विवरण-I

राज्यवार परजीवीविज्ञान संबंधी विवरण

सभी नियंत्रण यूनिटों और क्लिनिकों द्वारा एकत्र आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1996 में माइक्रोफाइलेरिया दर (प्रतिशत) और रोग दर (प्रतिशत)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जांची गई संख्या	मानव के लिए पॉजीटिव (एमएफ) संख्या	संक्रमित व्यक्ति (एमएफ) दर	रोग लक्ष्यपुक्त संख्या	रोग दर प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	196844	3924	2.0	2497	1.27
2.	असम	13902	27	0.19	14	9.10
3.	बिहार	278760	837	0.30	2325	1.01
4.	गोवा	-	-	-	-	-
5.	गुजरात	56268	72	0.12	60	0.10
6.	कर्नाटक	96750	724	0.74	3205	3.31
7.	केरल	73265	735	1.00	976	1.33
8.	मध्य प्रदेश	85612	255	0.29	873	1.01
9.	महाराष्ट्र	596370	15386	2.58	3452	0.58
10.	उड़ीसा	28850	963	3.34	2732	0.36
11.	तमिलनाडु	836768	3612	0.43	1115	0.13
12.	उत्तर प्रदेश	90854	608	0.67	1162	1.28
13.	पश्चिम बंगाल	70780	243	0.34	287	0.41
14.	पॉण्डिचेरी	63592	1351	2.12	3030	0.47
15.	अं.व.नि. द्वीपसमूह	10496	98	0.93	-	-
16.	दमण एवं दीव	9762	10	0.10	23	0.24
17.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	
	योग :	2508873	28845	1.15	21742	0.87

विवरण-II

राज्यवार परजीवीविज्ञान संबंधी विवरण

सभी नियंत्रण यूनिटों और क्लिनिकों द्वारा एकत्र आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1997 में माइक्रोफाइलेरिया दर (प्रतिशत) और रोग दर (प्रतिशत)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जांची गई संख्या	मानव के लिए पाजीटिव (एम.एफ.) संख्या	संक्रमित व्यक्ति (एम.एफ.) दर	रोग लक्ष्ययुक्त संख्या	रोग दर प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	243408	5768	2.37	5367	2.20
2.	असम	0	0	0	0	0
3.	बिहार	69832	450	0.64	1965	2.81
4.	गोवा	27897	33	0.10	0	0
5.	गुजरात	64850	193	0.30	57	0.09
6.	कर्नाटक	26344	290	1.10	2085	7.91
7.	केरल	124415	1066	0.87	1597	1.33
8.	मध्य प्रदेश	39895	51	0.13	188	0.41
9.	महाराष्ट्र	762570	17818	10.97	3026	0.40
10.	उड़ीसा	3266	76	2.33	617	18.89
11.	तमिलनाडु	1131476	3597	0.51	1886	0.16
12.	उत्तर प्रदेश	31357	330	1.27	2199	7.01
13.	पश्चिम बंगाल	6453	279	4.32	80	1.24
14.	पांण्डिचेरी	2309	17	0.74	19	0.82
15.	अं.व.नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
16.	दमण एवं दीव	14430	35	0.24	27	0.18
17.	लक्षद्वीप	0	-	-	-	-
	योग :	2548502	30003	1.13	19113	0.75

विवरण-III

राज्यवार परजीवी विज्ञान संबंधी विवरण

सभी नियंत्रण यूनिटों और क्लीनिकों द्वारा एकड़ आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1998 में माइक्रोफाइलेरिया दर (प्रतिशत) और रोग दर (प्रतिशत)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जांची गई संख्या	मानव के लिए पाजीटिव संख्या	संक्रमित व्यक्ति (एमएफ दर)	राग लक्ष्ययुक्त संख्या	रोग दर प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	265611	5359	2.00	12412	4.6
2.	असम	0	0	0	0	0
3.	बिहार	84738	561	0.66	1792	2.11
4.	गोवा	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	83326	348	0.42	53	0.06
6.	कर्नाटक	28849	230	0.80	2019	7.00
7.	केरल	111990	1371	1.23	158	1.39
8.	मध्य प्रदेश	43114	33	0.08	140	0.32
9.	महाराष्ट्र	632062	9705	1.53	1568	0.24
10.	उड़ीसा	2656	36	1.35	203	7.64
11.	तमिलनाडु	1047742	23771	0.22	1625	0.15
12.	उत्तर प्रदेश	71087	548	0.77	3669	5.16
13.	पश्चिम बंगाल	8602	318	3.70	804	9.35
14.	पांण्डिचेरी	2797	84	3.00	08	0.29
15.	अं.ब.नि. द्वीपसमूह	14071	53	0.38	0	0
16.	दमण एवं दीव	11395	14	0.12	38	0.33
17.	लक्षद्वीप	0	-	-	-	-
	योग :	2408039	21031	0.87	25879	1.07

सफाई परियोजनाओं का विकास

1321. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक देशों ने सफाई और अंतसंबंधित परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी अपनी इच्छा दर्शाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सहायता किन-किन राज्यों को उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) निम्नलिखित देशों ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सफाई कार्य और उससे जुड़ी विकास परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता देने की रुचि दिखायी है :

1. *फ्रांस*

- विशाखापतनम के लिए जल आपूर्ति और सीवरेज की समेकित परियोजना-98 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक।
- बंगलौर की जल आपूर्ति तथा सीवरेज व्यवस्था में सुधार-50 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक।
- रिठाला (दिल्ली) में 40 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र की स्थापना-45 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक।
- कलकत्ता में कचरा निपटान प्रबंध के लिए साध्यता अध्ययन - 1.4 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक।
- भुवनेश्वर में कचरा निपटान प्रबंध के लिए साध्यता अध्ययन - 199 मिलियन फ्रेंच फ्रैंक।

2. *आस्ट्रेलिया*

- बंगलौर के लिए जल आपूर्ति तथा सीवरेज मास्टर प्लान - 6.5 मिलियन आस्ट्रेलियन डालर।
- गंगटोक जल आपूर्ति तथा पर्यावरण जवासफाई परियोजना।
- शिलांक पर्यावरणजन्य सफाई मास्टर प्लांट परियोजना।

3. *जर्मनी*

- कोचीन में कचरा निपटान प्रबंध के लिए डब्ल्यू ए.एस., जर्मनी द्वारा प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना - 25 करोड़ रुपये।

विदेशी सहायता के प्रस्तावों पर संबंधित राज्य सरकार तथा नगर निगम के साथ बातचीत की जाती है। बातचीत पूरी होने पर, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संबंधित देश के साथ एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

सांस्कृतिक कोष

1322. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के संबंध में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय संस्कृति कोष शुरू किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 23 सितम्बर, 1999 को स्पष्ट किया कि सरकार जैसा उपयुक्त समझे कार्रवाई कर सकती है, बशर्ते कि यह विधि द्वारा अनुमत्य हो। इसके बाद सरकार ने भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई पर भारत के विद्वान महान्यायवादी से सलाह मांगी है।

(घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मानव संसाधन विकास सम्बन्धी स्थायी संसदीय समिति की 10वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना दिनांक 29 मार्च, 1997 की अधिसूचना जारी की गई। भारत सरकार निधि की संचित राशि में 19.5 करोड़ रुपये का अंशदान करेगी। अब तक संस्कृति विभाग द्वारा 6 करोड़ रुपए संस्वीकृत किये गये हैं और वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 में 2-2 करोड़ रुपये की तीन किस्तें वितरित की गयी हैं। स्कीम की मुख्य विशेषताएं हैं :

(i) इसका प्राथमिक उद्देश्य समुदाय की साझेदारी से हमारी मूर्त आर अमूर्त विरासत का परिरक्षण और संवर्धन करना तथा संसाधन जुटाने में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना और इस तरह संस्कृति सम्बन्धी प्रयासों के सम्बन्ध में संसाधनों की कमी को दूर करना है।

(ii) अगस्त, 1998 से राष्ट्रीय संस्कृति निधि में किये जाने वाले वित्तीय अंशदानों पर कर में 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है।

(iii) दाता विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए अपनी वरीयता दे सकते हैं।

(iv) विदेशी अंशदान प्राप्त किये जा सकते हैं, क्योंकि एफ.सी. आर.ए. के अंतर्गत क्लीयरेंस मिल गयी है।

(v) राष्ट्रीय संस्कृति निधि दाता का नाम बतायेगी क्योंकि दाता अपने अंशदान का प्रचार-प्रसार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय संस्कृति निधि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेगी, क्योंकि इसके लेखाओं की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जानी होती है।

(vi) राष्ट्रीय संस्कृति निधि का प्रबंध और प्रशासन एक परिषद् द्वारा किया जाता है जो इसकी नीतियां तय करती है तथा एक कार्यकारी समिति उन नीतियों को कार्यरूप देती है। परिषद् की अध्यक्षता केन्द्रीय संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री द्वारा की जाती है और इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 24 है जिसमें अध्यक्ष और सदस्य सचिव दोनों शामिल हैं। 19 सदस्यों का एक दल निगमित क्षेत्र, निजी प्रतिष्ठान और बिना लाभ के काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। इस ढांचे का उद्देश्य निर्णयकरण प्रक्रिया में गैर-सरकारी प्रतिनिधित्व बढ़ाना है।

अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में जाट समुदाय को सम्मिलित किया जाना

1323. श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जाट समुदाय को अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड-I, संख्या 241 में अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के जाटों (भरतपुर तथा धौलपुर को छोड़ कर) अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया है।

कर्नाटक में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर/उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर

1324. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में इस समय में दूरदर्शन के कम शक्ति वाले/उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) राज्यों में वर्ष 1999-2000 के दौरान कर्नाटक के लिए मंजूर की गयी कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों/उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य ट्रांसमीटरों के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) प्रत्येक परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई;

(ङ) क्या सरकार का राज्य में और अधिक ट्रांसमीटरों को शुरू करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) पहले से चालू टी.वी. ट्रांसमीटरों का ब्यौरा संलग्न विवरण के कॉलम 1 में दिया गया है।

(ख) 1999-2000 के दौरान, कोई नया ट्रांसमीटर मंजूर नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) कार्यान्वयनाधीन टी.वी. ट्रांसमीटरों का स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण के कॉलम-2 में दिया गया है।

विवरण

मौजूद टी.वी. ट्रांसमीटर	कार्यान्वयनाधीन टी.वी. ट्रांसमीटरों के स्थान
(1)	(2)
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	*उच्च शक्ति ट्रांसमीटर*
बंगलौर	इसन
धारवाड़	मंगलौर
गुलबर्गा	मैसूर
शिमोंगा	रायचूर
बंगलौर (डीडी-2)	
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	*अल्प शक्ति ट्रांसमीटर*
अर्सिकर	जामलडांडी
अथानी	डांडली
बागलकोट	मुथोई
बांतवाल	तालीकोटा
बसावा कल्याण	इन्दी
बेलगांव	डिरियूल
बेल्लारी	डोसपुर्ग
भटकल	कोप्पा
बिदार	बेठानगढ़ी
बीजापुर	मुन्दारगी
चिकमंगलूर	सिंधनूर
चिकोडी	
चित्रदुर्ग	
दवानगिरी	

(1)	(2)
गदगबेटगाड़ी	
गंगावटी	
गौकाक	
हरपंनहल्ली	
हसन	
हट्टीहल	
होले नर्सीपुर	
हसपेट	
हुगगोंड	
कारवार	
कोलार गोल्ड फील्ड	
कुमटा	
मन्दया	
मंगलौर	
मेदीखेरी	
मुदीगिरी	
मैसुर	
पावागढ़	
रायचूर	
रामदुर्ग	
रानी बेन्नूर	
सागर	
सन्दूर	
सिरसी	
तिप्तूर	
टुमकुर	
उदपी	
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	*अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर*
मधुगिरी	बादामी
सुल्या	हुबिन हिप्पारगी
सकलशपुर	कुडिलगी

[हिन्दी]

दूरदर्शन द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए कार्यक्रम

1325. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा आदिवासी लोगों के विकास के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन पर इसे कब तक प्रसारित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने बताया है कि दूरदर्शन ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैण्ड की विभिन्न जनजातियों पर इस प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए हैं और उत्तर पूर्व के जनजातीय क्षेत्रों में विकासात्मक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। साथ ही साथ, विभिन्न व्यक्तियों पर 6 प्रकरणों, विभिन्न जनजातियों पर 18 प्रकरणों, विकासात्मक विषयों पर 56 प्रकरणों और कथा साहित्य आधारित कार्यक्रमों के 35 प्रकरणों का निर्माण किया गया है और वे दूरदर्शन पर प्रसारित किए जा रहे हैं।

ये कार्यक्रम डीडी-1 पर प्रत्येक रविवार को दोपहर 1.30 बजे और डीडी-2 पर प्रत्येक मंगलवार तथा वृहस्पतिवार को प्रातः 8.30 बजे प्रसारित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

1326. श्री ए.सी. जोस :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 सितम्बर, 1999 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "वी.आर.ए. बिलियन-स्ट्रांग नेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार तेजी से बढ़ती जनसंख्या को रोकने के उद्देश्य से सभी के लिए एक समान कानून बनाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि और इससे संबंधित समस्याओं पर काबू पाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हाँ।

(ख) यू.एन.एफ.पी.ए. रिपोर्ट "दि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पापुलेशन, 1999" नामक एक विश्व रिपोर्ट है। भारत की जनसंख्या इस समय 998 मिलियन बताई गई है और 2025 में इसके 1330.4 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) सरकार का इस बारे में समान कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 राज्य सभा में दिसम्बर, 1992 में प्रस्तुत किया गया था जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को ससंद के किसी भी सदन अथवा विधान सभा अथवा राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन, जैसी भी स्थिति हो, के लिए चुने जाने अथवा सदस्य बनने के लिए अयोग्य माना जाएगा, की व्यवस्था है। यह भविष्य-प्रभावी तिथि से लागू होगा।

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय प्रयासों को अब पुनः संगठित किया गया है और निम्नलिखित उपायों के द्वारा सुदृढ़ किया गया है:

(i) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के लिए एकीकृत एवं समग्र कार्यक्रम, जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भनिरोधन विषय शामिल हैं, अक्तूबर, 1997 में आरम्भ किया गया था।

(ii) छोटे परिवार के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम।

(iii) परिवार कल्याण के कतिपय आधारभूत ढांचे के रख-रखाव के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता।

(iv) परिवार कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता।

[हिन्दी]

पवन कालोनी, दिल्ली को तोड़ना

1327. डॉ० बलिराम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल के दौरान दिल्ली में यमुनापार क्षेत्र में विनोद नगर के समीप पवन कालोनी को तोड़ा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बेघर किए गए परिवारों को अभी तक कोई घर अथवा भूखंड आवंटित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उस भूमि पर झुग्गी-झोंपड़ी वालों ने अतिक्रमण कर लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अतिक्रमणकारियों से भूमि को मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) बेघर हुए व्यक्तियों को कब तक घर भूखंड आवंटित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि मंडावली फजलपुर गांव के खसरा नं० 598, 599 तथा 600 में आने वाली भूमि जहां कथित रूप से पवन कालोनी है को अवार्ड संख्या 49-सी/70-71 द्वारा अधिग्रहीत किया गया और यह अवार्ड 22.12.1982 को घोषित किया गया। श्री पवन कुमार जैन ने अधिग्रहण के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 763/82 दायर की और स्टे प्राप्त कर लिया। 14.12.1995 को सरकार के पक्ष में मामले का निर्णय हुआ। अतः आपात स्थिति के दौरान ढाने का प्रश्न ही नहीं है।

(ग) से (ङ) इस स्थान पर निर्माण के कारण भू-अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा अभी तक डी.डी.ए. को अधिग्रहीत की गई खाली भूमि का कब्जा नहीं दिया है। भूमि पर भवन तथा भू-अधिग्रहण समाहर्ता के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया है। सरकार की नीति के अनुसार झुग्गीवासियों को हटाने का निर्णय किया गया है।

केन्द्रीय विद्यालयों में तैनाती

1328. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की घोषित नीति और निदेशों के अनुसार नौकरी करने वाले पति और पत्नी की तैनाती एक ही कार्यस्थल पर की जानी चाहिए;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस नीति को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भी लागू किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चालू शिक्षा सत्र के दौरान संगठन के कितने कर्मचारियों के पतियों/पत्नियों को अलग-अलग कार्य स्थलों पर तैनात किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) सरकार की नीति के अनुसार कार्यरत पति-पत्नी को जहां तक संभव हो सके एक ही स्थान पर तैनात किया जाता है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठनों में स्थानांतरण व तैनाती शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्थानांतरण दिशा-निर्देशों अनुसार की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ तैनाती के लिए प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम का प्रावधान है :

(i) पति/पत्नी की मृत्यु।

(ii) सेवानिवृत्ति के कम से कम दो वर्ष।

(iii) गंभीर रूप से बीमारी पर चिकित्सा आधार।

(iv) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कर्मचारी तथा जिन्हें कठिन स्थान घोषित किया गया है।

(v) नेत्रहीन व शारीरिक रूप से विकलांग।

(vi) पति/पत्नी मामले।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

संवाददाताओं की सूची

1329. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा संवाददाता सूची में नाम करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) 1998 के दौरान सूची में अपने नाम शामिल कराने के लिए कितने हिन्दी/अंग्रेजी संवाददाताओं ने आवेदन किया है;

(ग) कितने आवेदन पत्रों का अनुमोदित और नामंजूर किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निर्धारित मानकों के अंतर्गत संवाददाताओं का चयन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) समाचार माध्यम से जुड़े व्यक्तियों को केन्द्रीय समाचार मीडिया नियम, 1999 में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति की सिफारिशों पर प्रत्यायन प्रदान किया जाता है। जिसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) 1998 के दौरान, कुल 37 हिन्दी और 29 अंग्रेजी संवाददाताओं ने मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन किया था।

(ग) 66 हिन्दी/अंग्रेजी आवेदनों में से, 41 आवेदनों को अनुमोदित किया गया और 25 को रद्द कर दिया गया क्योंकि आवेदक प्रत्यायन के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

ये नियम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 10.8.99 के आई.डी.सं. 25/33/98 पत्र द्वारा अनुमोदित हैं

भारत सरकार के मुख्यालयों में मीडिया प्रतिनिधियों को प्रत्यायन प्रदान करने के लिए नियम
और
केन्द्रीय पत्र प्रत्यायन समिति के गठन के लिए मानदण्ड

1. संक्षिप्त शीर्षक

इन नियमों को 'केन्द्रीय समाचार मीडिया प्रत्यायन नियम, 1999' कहा जाएगा।

2. प्रारंभ एवं क्षेत्र

2.1 ये नियम सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे।

2.2 ये नियम भारत सरकार के मुख्यालयों पर समाचार मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को इस संबंध में पहले के लागू नियमों का स्थान लेंगे।

3. संशोधन

केन्द्रीय पत्र प्रत्यायन समिति या प्रधान सूचना अधिकारी, समय-समय पर जब जरूरी हो, नियमों में संशोधन के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश कर सकते हैं।

4. परिभाषाएं

4.1 'केन्द्रीय पत्र प्रत्यायन समिति' का अर्थ उस समिति से है जो भारत सरकार द्वारा इन नियमों के अंतर्गत गठित की गई हो।

4.2 'समाचारपत्र' की वही परिभाषा होगी जो पत्र और पुस्तक नामांकन अधिनियम, 1867 में दी गई है।

4.3 'समाचार मीडिया' में ये शामिल होंगे : समाचारपत्र, तार सेवा और बे-तार सेवा समाचार एजेंसी, समाचार-लेख एजेंसी, इलैक्ट्रोनिक मीडिया एजेंसी और संगठन जिनमें सरकारी समाचारों पर समाचार और टिप्पणी है।

4.4 एक 'दैनिक समाचारपत्र' सप्ताह में कम से कम 5 दिन प्रकाशित किया जाएगा या जैसा पी.आर.बी. अधिनियम में परिभाषित है।

4.5 'साप्ताहिक' या 'पाक्षिक' पत्र के एक वर्ष में कम से कम क्रमशः 45 या 22 अंक होने चाहिएं।

4.6 प्रधान सूचना अधिकारी का अर्थ है भारत सरकार के प्रधान सूचना अधिकारी जिसे इसमें आगे प्र.सू.अ. कहा जाएगा।

4.7 'श्रमजीवी पत्रकार' का अर्थ है कोई श्रमजीवी पत्रकार जैसा कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें और विभिन्न प्रावधान) अधिनियम, 1955 में परिभाषित है।

4.8 'प्रत्यायन' का अर्थ है समाचार मीडिया के प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा मान्यता देना ताकि वे सरकार के सूचना स्रोतों और पत्र सूचना कार्यालय और/या भारत सरकार की अन्य एजेंसियां द्वारा जारी लिखित या चित्रात्मक समाचार सामग्री तक अपनी पहुंच बना सकें।

4.9 'इलैक्ट्रानिक समाचार मीडिया संगठन' (टी.वी. या रेडियो) में टी.वी./रेडियो समाचार कार्यक्रम निर्माण एकक और टी.वी./रेडियो न्यूज एजेंसी शामिल होंगे।

5. केन्द्रीय पत्र प्रत्यायन समिति

5.1 भारत सरकार एक समिति बनाएगी जिसे केन्द्रीय पत्र प्रत्यायन समिति कहा जाएगा (जो इसके बाद के.प.प्र.स. कहलाएगी) जो इन नियमों के अंतर्गत दिए गए कार्यों को करेगी।

5.2 के.प.प्र.स. में प्र.सू.अ. अध्यक्ष होंगे और अधिकतम 19 अन्य सदस्य होंगे जो कार्यकारी पत्रकारों/मीडिया व्यक्तियों की संस्था/संगठन का प्रतिनिधित्व करेंगे और जो अन्यथा इन नियमों के अंतर्गत प्रत्यायन के भी पात्र होने चाहिएं।

5.3 के.प.प्र.स. एक बार गठन के बाद अपनी पहली बैठक की तिथि से 2 साल के लिए कार्य करेगी।

5.4 के.प.प्र.स. की बैठक तीन माह में एक बार या अधिक बार जैसा कि आवश्यक हो, होगी।

5.5 के.प.प्र.स. के निर्णय उपस्थिति सदस्यों के बहुमत और मतदान से लिए जाएंगे।

5.6 के.प.प्र.स. की एक स्थायी उप समिति होगी जिसमें दिल्ली के 5 सदस्य होंगे जो तात्कालिक प्रकृति के प्रत्यायन मामलों और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करेगी और निर्णय लेगी। इन मामलों को के.प.प्र.स. की अगली बैठक के सम्मुख रखा जाएगा।

5.7 प.सू.अ. को यह अधिकार होगा कि वह एक प्रत्यायित समाचार मीडिया प्रतिनिधि द्वारा अपने संगठन से दूसरे प्रत्यायित संगठन में शामिल हो जाने के मामलों में उस प्रतिनिधि को नियमित प्रत्यायन प्रदान कर सकेंगे।

6. प्रत्यायन की सामान्य शर्तें

6.1 भिन्न-भिन्न समाचारपत्रों के विभिन्न श्रेणी के समाचार माध्यम प्रतिनिधियों को, इन नियमों की अनुसूची 1 में दी गई पात्रता की शर्तों के आधार पर तथा अनुसूची 2 तथा 3 में विनिर्दिष्ट कोटे की सीमा के अन्दर प्रत्यायन प्रदान किया जाएगा।

6.2 दिल्ली या इसके आस-पास रहने वाले समाचार माध्यम प्रतिनिधियों को ही प्रत्यायन प्रदान किया जाएगा।

6.3 प्रत्यायन से समाचार माध्यम प्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार का सरकारी या विशेष स्तर प्राप्त नहीं होगा बल्कि इससे उन्हें केवल व्यावसायिक श्रमजीवी पत्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

6.4 केवल उन्हीं माध्यम संगठन के प्रतिनिधियों पर विचार किया जाएगा जो कम से कम एक वर्ष से लगातार कार्य कर रहे हों।

6.5 प्रकाशित समाचार पत्र में कम से कम 50 प्रतिशत भाग समाचारों और/या जनहित से संबंधित समीक्षाओं के लिए हो। समाचारपत्र में भारत सरकार के मुख्यालय से निकले वाली सूचनाओं को भी शामिल किया गया हो।

6.6 वर्ग विशेष के हितों की जानकारी देने वाले प्रकाशनों जैसे गृह पत्रिकाएं, तकनीकी/व्यावसायिक प्रकाशन आदि प्रत्यायन के पात्र नहीं हैं।

6.7 केबल आपरेटरों के स्वामित्व वाले संगठनों जो केबल टेलीविजन नेटवर्क के द्वारा केबल टेलीविजन सेवाएं प्रदान करते हैं, प्रत्यायन के पात्र नहीं हैं।

6.8 जिन शर्तों के आधार पर प्रत्यायन प्रदान किया गया था यदि उन शर्तों का अनुपालन नहीं होता है तो प्रत्यायन वापस ले लिया जाएगा। यदि यह पाया गया कि प्रत्यायन का दुरुपयोग किया गया है तो प्रत्यायन वापस/निरस्त भी लिया/किया भी जा सकता है।

6.9 यदि यह पाया जाता है कि किसी आवेदक या किसी मीडिया संगठन ने असत्य/गलत/जाली सूचना/कागजात दिए हैं तो उस प्रतिनिधि/मीडिया संगठन को अधिकतम 5 वर्ष या कम से कम 2 वर्ष, जैसी भी के.प.प्र.स. निर्णय ले, के लिए प्रत्यायन से वंचित कर दिया जाएगा।

6.10 के.प.प्र.स. के पास अधिकार है कि वह प्रत्यायन के लिए सिफारिश करे या अस्वीकार कर दें। सभी मामलों में के.प.प्र.स. का निर्णय अंतिम होगा।

7. प्रत्यायन के लिए प्रक्रिया

7.1 प्रत्यायन के लिए प्रक्रिया का निर्धारण के.प.प्र.स. के परामर्श से प्र.सू.अ. द्वारा लिया जाएगा।

7.2 प्र.सू.अ. प्रत्यायन के मामलों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यायन के समय या इसके नवीकरण पर या, यदि आवश्यक हो तो किसी भी समय, कोई भी सूचना का कागजात मांग सकते हैं।

अनुसूची-1

पात्रता की शर्तें

(नियम 6.1)

क्र सं.	श्रेणी	शर्तें
(क)	*समाचार प्रतिनिधि*	
1.	स्वतंत्र पत्रकारों को छोड़कर अन्य संवाददाताओं/कैमरा मैन तथा अन्य श्रेणियां	पूर्णकालिक पत्रकार/कैमरामैन के रूप में कम-से-कम पांच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।
2.	स्वतंत्र संवाददाता/कैमरापर्सन	(क) पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव। (ख) संवाददाताओं तथा स्टिल फोटोग्राफरों की अपने पत्रकारिता के व्यवसाय से होने वाली आय 36000/- रु. प्रतिवर्ष से कम न हो।

क्र सं.	श्रेणी	शर्तें
		(ग) टी वी कैमरापर्सन्स/संवाददाता-सह-कैमरामैन, समाचार से संबंधित कार्यक्रमों से प्रतिवर्ष कम से कम 5 लाख रु. की राजस्व की प्राप्ति हो।
(ख)	*समाचार संगठन (प्रिंट मीडिया)*	
1.	समाचारपत्र (दैनिक)	पूरे आकार के चार पृष्ठों के समाचारपत्र प्रत्येक दिवस में कम से कम 10 हजार प्रतियां परिचालित होनी चाहिए।
2.	समाचारपत्र (साप्ताहिक/पाक्षिक)	चार पूरे आकार के पृष्ठों वाले या आठ पत्रिका के आकार के पृष्ठ वाले समाचार पत्र की प्रत्येक प्रकाशन दिवस में कम से कम 10,000 प्रतियां परिचालित होनी चाहिए।
3.	पत्र/पत्रिकाएं (केवल पाक्षिक तक)	कम से कम 40 पृष्ठ की पत्रिका की प्रत्येक प्रकाशन दिवस में कम से कम 10,000 प्रतियां परिचालित होनी चाहिए।
4.	वायर समाचार एजेंसी	(क) वार्षिक राजस्व 20.00 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए। (ख) कम से कम 30 ग्राहक होने चाहिए।
5.	समाचार फोटो एजेंसी/समाचार फीचर एजेंसी	(क) वार्षिक राजस्व 2.5 लाख रु. से कम नहीं होना चाहिए। (ख) कम से कम 20 भुगतानिक ग्राहक होने चाहिए।
(ग)	*समाचार संगठन (इलेक्ट्रानिक माध्यम)*	
1.	टी.वी. कार्यक्रम निर्माण/टी.वी. प्रसारण संगठन	
(क)	टी.वी./रेडियो समाचार बनाने वाले संगठन, जिनकी चैनलों/स्टेशनों के साथ प्रसारण की व्यवस्था है।	प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट की अवधि का एक समाचार बुलेटिन/कार्यक्रम होना चाहिए।
(ख)	उपग्रह चैनल	उनके प्रसारण समय कम से कम 15 प्रतिशत समय (24 घण्टे में से 3.5 घण्टे) समाचार और समाचारों से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए निर्धारित होना चाहिए।
(ग)	समचार मैग्जीन तैयार करने वाले संगठन जिनका टी.वी. चैनलों/रेडियो स्टेशनों से प्रसारण के लिए अनुबन्ध है।	समाचारों और समाचारों से संबंधित कार्यक्रमों को प्रति सप्ताह कम से कम 60 मिनट की संचयी कार्यक्रम अवधि दी गई हो।
2.	टेलीविजन/रेडियो न्यूज एजेंसियां	(क) न्यूज क्लिप्स आदि से कम से कम 15.00 लाख रु. की वार्षिक आय। (ख) अंशदान देने वाले कम से कम 5 उपग्रह टेलीविजन/रेडियो संगठनों को नियमित रूप से न्यूज, क्लिप्स उपलब्ध कराए हों।

(घ) विदेशी समचार माध्यमों के प्रतिनिधि तथा संगठन भी इस अनुसूची के (क), (ख) तथा (ग) में दी गई पात्रता की शर्तों से नियंत्रित होंगे तथापि, विदेश का कोई भी स्वतंत्र पत्रकार प्रत्यायन के लिये पात्र नहीं होगा।

अनुसूची-2

विभिन्न श्रेणी के समाचारपत्रों/माध्यम संगठनों के लिए निर्धारित कोटे की सूची

(नियम-6.1)

संकलित परिचालन वाले सामूहिक स्वामित्व श्रृंखलाओं से संबंध समाचार पत्र	प्रत्यापन की अधिकतम सं.
1. प्रिंट मीडिया	
(क) 75000 तथा 1 लाख के बीच	10
(ख) 1 लाख तथा 2 लाख क बीच	12
(ग) 2 लाख तथा 3 लाख के बीच	22
(घ) 3 लाख तथा 5 लाख के बीच	30
(ङ) 5 लाख तथा 10 लाख के बीच	40
(च) 10 लाख और उससे अधिक	45
2. दैनिक समाचारपत्र और उनकी परिचालन संख्या	
(क) 10,000 और 15,000 के बीच	1
(ख) 15,000 और 25,000 के बीच	2
(ग) 25,000 और 35,000 के बीच	3
(घ) 35,000 और 50,000 के बीच	4
(ङ) 50,000 और 75,000 के बीच	5
(च) 75,000 और 1 लाख के बीच	8
(छ) एक लाख और उससे अधिक	10
3. पत्रिकाएं और उनकी परिचालन संख्या	
(क) 10,000 और 25,000 के बीच	2
(ख) 25,000 और 75,000 के बीच	3
(ग) 75,000 और एक लाख के बीच	4
(घ) एक लाख और 1.5 लाख के बीच	6
(ङ) 1.5 लाख और 2 लाख के बीच	8
(च) 2 लाख और उससे अधिक	12
(छ) सामूहिक स्वामित्व वाली श्रृंखलाओं से जुड़ी पत्र-पत्रिकाएं/बहु-भाषी संस्करण जिनकी सामूहिक परिचालन संख्या 5 लाख से ऊपर हो।	15
4. समाचार पत्रों के व्यंग्य-चित्रकार और मान-चित्रकार	1
5. कैमरामैन	
(क) 10,000 और 25,000 के बीच परिचालन	1
(ख) 25,000 और एक लाख के बीच परिचालन	3
(ग) एक लाख और 5 लाख के बीच परिचालन	8
(घ) 5 लाख से ऊपर परिचालन	15
6. समाचार एजेंसी (डब्ल्यू आई.आर.ई.) कुल वार्षिक राजस्व सहित	
(क) 20 लाख और 1 करोड़ रुपये के बीच	12
(ख) 1 करोड़ और 5 करोड़ रुपये के बीच	18
(ग) 5 करोड़ और 10 करोड़ रुपये के बीच	25
(घ) 10 करोड़ और अधिक (जिसकी एक या अधिक भाषाओं में सेवाएं हों)	40
7. समाचार लेख एजेन्सियों कुल वार्षिक राजस्व सहित	
(क) 2.50 लाख और 5 लाख के बीच	2
(ख) 5 लाख और अधिक	4
8. भारतीय समाचार फोटो एजेन्सियां कुल वार्षिक राजस्व सहित	
(क) 2.50 लाख और 5 लाख रुपये के बीच	2
(ख) 5.00 लाख और अधिक	5
(ग) फोटो (वायर) एजेन्सियां	10
9. विदेशी दैनिक और पत्रिकाएं	5
10. विदेशी समाचार एजेन्सियां	
(क) विदेशी समाचार एजेन्सियां	10
(ख) विदेशी फोटो समाचार एजेन्सियां	5

अनुसूची-3

इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कोटे की अनुसूची

(नियम 6.1)

1. टी.वी. समाचार निर्माण/टेलीकास्ट संगठन	
(1) प्रतिदिन 15 मिनट की अवधि के समाचार बुलेटिनों/ताजा घटनाक्रम कार्यक्रमों वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन	3 कैमरामैन 3 संवाददाता

(ii) प्रतिदिन 15 से 30 मिनट की अवधि के समाचार बुलेटिनों/ताजा घटनाक्रम कार्यक्रमों वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन — 5 कैमरामैन, 5 संवाददाता

(iii) प्रतिदिन 30 मिनट की अवधि के समाचार बुलेटिनों/ताजा घटनाक्रम कार्यक्रमों वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन — 10 कैमरामैन, 10 संवाददाता

(iv) प्रति सप्ताह न्यूनतम कुल 60 मिनट के समाचार एवं समाचारों की विषय-वस्तु वाले कार्यक्रम का निर्माण करने वाले टी.वी. कार्यक्रम निर्माण/टेलीकास्ट वाले संगठन — 2 कैमरामैन, 2 संवाददाता

2. *इलेक्ट्रानिक मीडिया समाचार एजेंसियां*

समाचार एवं समाचारों की विषयवस्तु से संबंधित सत्यापनीय राजस्व वाली टीवी/रेडियो समाचार एजेंसियों के संबंध में प्रत्यायन के कोटे की पात्रता इस प्रकार होगी :

(i) प्रति वर्ष 15 से 25 लाख राजस्व — 2 कैमरामैन, 2 संवाददाता

(ii) प्रतिवर्ष 25 से 75 लाख राजस्व — 4 कैमरामैन, 4 संवाददाता

(iii) प्रतिवर्ष 75 लाख से 2 करोड़ राजस्व — 6 कैमरामैन, 6 संवाददाता

(iv) प्रतिवर्ष 2 से 10 करोड़ रुपये राजस्व — 8 कैमरामैन, 8 संवाददाता

(v) प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व — 10 कैमरामैन, 10 संवाददाता

3. *विदेशी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया*

(i) रेडियो प्रसारण संगठन — 3 संवाददाता

(ii) टी.वी. समाचार टेलीकास्ट करने वाले संगठन एवं समाचार एजेंसियां। — 5 टोलियां जिनमें प्रत्येक में 1 संवाददाता एवं 1 कैमरामैन होगा।

(iii) प्रति घंटा समाचार एवं ताजा घटनाक्रम कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले टी वी एवं रेडियो समाचार चैनल। — प्रत्येक में एक संवाददाता तथा 1 कैमरामैन वाली 8 टोलियां।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य सेवाएं

1330. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित कितनी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को अनुदान आबंटित किया गया और प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान राज्यों को जिन कार्यक्रमों और प्रस्तावों के अंतर्गत अनुदान आबंटित करने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) और (ख) मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, दृष्टिहीनता, एड्स रोगों के नियंत्रण एवं परिवार कल्याण के लिए 6 केन्द्रीय प्रायोजित प्रमुख योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत अनुमोदित पैटर्न के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत किए गए आबंटन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये योजनाएं चल रही हैं और राज्यों को उपस्कर, औषधों और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता अगले दो वर्षों के दौरान जारी रहेगी।

विवरण

1. राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम

वर्ष 1999-2000 के स्वीकृत बजट अनुमानों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्रम संख्या	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रा.म.रो.का. (ग्रामीण)			रा.म.रो.का. (शहरी)/रा.फा.नि.का.			कालाजार		
		नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	256.19	355.19	0.00	66.67	65.67	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	108.04	195.23	303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	1063.00	1191.33	2254.33	4.01	8.67	12.68	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	0.00	467.22	467.22	0.00	14.13	14.13	0.00	869.76	869.76
5.	गोवा	0.00	4.18	4.18	0.00	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	0.00	424.52	424.52	0.00	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	0.00	235.04	235.04	0.00	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00	48.73	48.73	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	599.58	599.58	0.00	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00
11.	केरल	0.00	57.75	57.75	0.00	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	0.00	851.50	851.50	0.00	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	0.00	213.00	213.00	0.00	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00
14.	मणिपुर	99.63	297.02	396.65	4.69	1.71	6.40	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	108.03	198.67	306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	74.75	234.81	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	93.53	143.73	237.26	1.86	1.71	3.57	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	0.00	288.17	288.17	0.00	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	0.00	263.12	263.12	0.00	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	0.00	1120.02	1120.02	0.00	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00
21.	सिक्किम	0.00	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	193.19	193.19	0.00	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	141.20	228.08	369.28	3.91	2.70	6.61	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	545.50	545.50	0.00	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	253.48	253.48	0.00	42.88	42.88	0.00	130.24	130.24
26.	दिल्ली	5.00	31.78	36.78	0.00	38.62	38.52	0.00	0.00	0.00
27.	पाण्डिचेरी	1.00	2.46	3.46	0.00	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00
28.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	91.18	20.61	111.79	0.00	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00
29.	चण्डीगढ़	6.64	8.82	15.46	16.00	15.79	31.79	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा व नगर हवेली	15.21	10.73	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमण व दीव	8.47	3.28	11.75	0.00	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	4.50	0.50	5.00	0.00	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00
	योग	1820.18	8446.00	10266.18	30.47	913.00	943.47	0.00	1000.00	1000.00

2. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

केन्द्रीय सहायता व राज्यवार, क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य क्षेत्र	टी.एस.प्लान			एस.सी.प्लान			टी.एस./एस.सी.प्लान के अलावा			कुल बजट अनुमान 1999-2000		
		नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल
क. राज्य													
1.	आंध्र प्रदेश	10.20	6.00	16.20	46.00	30.31	76.31	115.80	93.69	209.49	172.00	130.00	302.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.00	4.00	16.00	–	–	0.00	9.00	3.00	12.00	21.00	7.00	28.00
3.	असम	1.00	3.00	4.00	1.00	2.31	3.31	3.00	15.69	18.69	5.00	21.00	26.00
4.	बिहार	10.57	30.00	40.57	26.00	45.45	71.45	163.43	189.55	352.98	200.00	265.00	465.00
5.	गोवा	–	–	0.00	0.05	0.05	0.10	0.45	0.95	1.40	0.50	1.00	1.50
6.	गुजरात	2.00	18.63	20.63	2.00	12.22	14.22	15.00	84.15	99.15	19.00	115.00	134.00
7.	हरियाणा	–	–	0.00	0.25	2.11	2.36	0.75	3.89	4.64	1.00	6.00	7.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.30	0.30	0.60	3.00	2.92	5.92	6.70	4.78	11.48	10.00	8.00	18.00
9.	जम्मू-कश्मीर	–	–	0.00	4.00	0.50	4.50	16.00	3.50	19.50	20.00	4.00	24.00
10.	कर्नाटक	2.00	2.02	4.02	16.00	31.30	47.30	53.00	104.68	157.68	71.00	138.00	209.00
11.	केरल	1.00	0.55	1.55	2.00	15.40	17.40	7.0	88.05	95.05	10.00	104.00	114.00
12.	मध्य प्रदेश	29.27	47.00	76.27	30.00	44.74	74.74	88.73	138.26	226.99	148.00	230.00	378.00
13.	महाराष्ट्र	2.00	12.38	14.38	4.00	20.81	24.81	29.00	201.81	230.81	35.00	235.00	270.00
14.	मणिपुर	0.50	1.33	1.83	0.50	0.10	0.60	1.00	2.57	3.57	2.00	4.00	6.00
15.	मेघालय	1.50	2.56	4.06	–	–	0.00	0.50	1.41	1.94	2.00	4.00	6.00
16.	मिजोरम	12.00	2.56	14.56	–	–	0.00	18.00	1.44	19.44	30.00	4.00	34.00
17.	नागालैंड	3.00	2.56	5.65	–	–	0.00	5.00	1.44	6.44	8.00	4.00	12.00
18.	उड़ीसा	50.58	54.06	104.64	35.00	38.08	73.8	84.42	108.86	193.28	170.00	201.00	371.00
19.	पंजाब	–	–	0.00	10.00	1.00	11.00	20.00	1.00	21.00	30.00	2.00	32.00
20.	राजस्थान	3.99	2.93	6.92	8.00	5.70	13.70	49.01	13.37	62.38	61.00	22.00	83.00
21.	सिक्किम	3.39	0.45	3.84	1.21	0.30	1.51	17.40	2.25	19.65	22.00	3.00	25.00
22.	तमिलनाडु	0.61	0.76	1.37	30.47	31.88	62.35	93.92	119.36	213.28	125.00	152.00	277.00
23.	त्रिपुरा	4.46	1.26	5.72	3.50	1.00	4.50	16.04	1.74	17.78	24.00	4.00	28.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.39	0.51	0.90	50.69	64.09	114.78	113.42	189.45	302.87	164.50	254.00	418.50
25.	पश्चिम बंगाल	3.37	5.34	8.71	30.55	46.18	76.73	72.08	112.48	184.56	106.00	164.00	270.00
	उप-योग	154.13	198.20	352.33	304.22	396.40	700.62	998.65	1487.40	2486.05	1457.00	2082.00	3539.00
ख : विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र													
26.	पांडिचेरी	–	–	0.00	0.60	2.00	2.60	1.40	8.80	10.20	2.00	10.80	12.80
27.	दिल्ली	–	–	0.00	0.20	0.40	0.60	1.80	0.80	2.60	2.00	1.20	3.20
	उपयोग	0.00	0.00	0.00	0.80	2.40	3.20	3.20	9.60	12.80	4.00	12.00	16.00
ग : बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र													
28.	अं. व नि. द्वीप	0.50	0.16	0.66	–	–	0.00	0.50	0.84	1.34	7.50	1.00	8.50
29.	चण्डीगढ़	–	–	0.00	0.20	0.14	0.34	0.30	0.86	1.16	1.00	1.00	2.00
30.	दादरा व नगर हवेली	1.00	2.00	3.00	–	–	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00
31.	लक्षद्वीप	1.00	1.00	2.00	–	–	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00
32.	दमन व दीव	0.24	0.05	0.29	0.19	0.04	0.23	9.07	0.91	9.98	5.50	1.00	6.50
	उपयोग	2.74	3.21	5.95	0.39	0.18	0.57	9.87	2.61	12.48	13.00	6.00	19.00
	योग क+ख+ग	156.87	201.41	358.28	305.41	398.98	704.39	1011.72	1499.61	2511.33	1474.00	2100.00	3574.00

*इन निधियों के अलावा जिला कुष्ठ सोसाइटियों को भी निधियां रिलीज की गई।

3. राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

क्र. सं.	राज्य	नकद सहायता ई.ए.सी. (लाख में)	सामान्य घटक (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	190.14	292.62	482.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.54	2.54
3.	बिहार	660.82	393.91	1,054.73
4.	गुजरात	1,148.95	54.93	1,203.88
5.	हरियाणा	0.00	79.13	79.13
6.	हिमाचल प्रदेश	126.24	7.40	133.64
7.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	37.30	37.30
8.	कर्नाटक	562.32	139.03	701.35
9.	केरल	869.04	16.65	885.69
10.	मध्य प्रदेश	115.33	302.84	418.17
11.	मेघालय	0.00	8.60	8.60
12.	मिजोरम	0.00	3.48	3.48
13.	उड़ीसा	202.61	122.77	325.38
14.	सिक्किम	0.00	1.90	1.90
15.	त्रिपुरा	0.00	13.36	13.36
16.	उत्तर प्रदेश	300.49	597.08	897.57
17.	पश्चिम बंगाल	2,012.39	70.79	2,083.18
18.	अं. व नि. द्वीप समूह	0.00	1.25	1.25
19.	चंडीगढ़	0.00	3.47	3.47
20.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.67	0.67
21.	लक्षद्वीप	0.00	0.25	0.25
22.	असम	36.16	77.97	114.13
23.	दमण एवं दीव	0.00	0.48	0.48
24.	गोवा	0.00	3.17	3.17
25.	महाराष्ट्र	549.85	302.98	852.83
26.	मणिपुर	31.17	0.49	31.66
27.	नागालैंड	0.00	2.77	2.77
28.	पांडिचेरी	0.00	2.78	278
29.	पंजाब	0.00	95.98	95.98
30.	राजस्थान	215.70	181.70	397.40
31.	तमिलनाडु	478.78	181.70	607.48
	योग	7,500.00	3,000.00	10,500.00

4. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 1999-2000 की तीसरी तिमाही तक राज्यों को आवंटित बजट और रिलीज की गई निधियां, निर्माण कार्य, फर्नीचर, और किराया तथा प्रापण सहित

(लाख रुपए में)

राज्य	आंवटन	रिलीज-I	रिलीज-II	रिलीज-III	निर्माण और फर्नीचर	प्रापण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
अरुणाचल प्रदेश	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00
असम	30.50	5.75	5.75	5.75	7.50	0.00	24.75
बिहार	26.00	5.00	5.00	0.00	6.00	0.00	16.00
गोवा	6.00	1.00	1.00	5.50	2.00	0.00	9.50
गुजरात	33.00	5.13	5.13	5.13	12.50	237.63	265.52
हरियाणा	20.50	3.75	3.75	3.75	5.50	98.52	115.27
हिमाचल प्रदेश	22.50	4.25	4.25	4.25	550	32.90	51.15
जम्मू व कश्मीर	23.00	4.25	4.25	4.25	6.00	0.00	18.75

1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक	48.00	9.00	9.00	9.00	12.00	132.25	171.25
केरल	36.00	6.50	6.50	6.50	10.00	77.74	107.24
मणिपुर	9.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	7.00
मेघालय	9.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	7.00
मिजोरम	7.00	1.50	1.50	4.00	1.00	0.00	8.00
नागालैण्ड	8.00	1.75	1.75	4.75	1.00	0.00	9.25
पंजाब	29.00	5.25	5.25	0.00	8.00	103.11	121.61
सिक्किम	5.00	0.75	0.75	0.75	2.00	0.00	4.25
त्रिपुरा	15.50	3.13	3.13	3.13	3.00	0.00	12.39
पश्चिम बंगाल	27.00	4.76	4.75	4.75	8.00	50.10	72.35
अ. व नि. द्वीप	6.00	4.50	0.00	0.00	1.50	4.67	10.67
चंडीगढ़	5.00	3.50	0.00	0.00	1.50	5.24	10.24
दादरा व नगर हवेली	3.00	2.00	0.00	0.00	0.50	0.00	2.50
दमन और दीव	5.00	4.50	0.00	0.00	1.00	3.90	9.40
लक्षद्वीप	1.00	0.90	0.00	0.00	0.10	1.72	2.72
दिल्ली	12.50	2.00	2.00	2.00	4.50	2.02	12.52
पांडिचेरी	7.50	0.88	0.88	0.88	4.00	11.32	17.96
उपयोग (क)	400.00	85.04	69.64	69.39	106.10	761.12	1091.29
आंध्र प्रदेश	179.00	19.75	19.75	19.75	100.00	0.00	159.25
मध्य प्रदेश	366.00	24.00	24.00	24.0	151.50	0.00	223.50
महाराष्ट्र	70.00	17.50	17.50	17.75	100.00	0.00	152.75
उड़ीसा	39.00	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	29.25
राजस्थान	30.00	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	22.50
तमिलनाडु	405.00	26.25	26.25	26.25	383.43	0.00	462.18
उत्तर प्रदेश	411.00	27.75	27.75	27.75	235.07	0.00	318.32
उपयोग (ख)	1500.00	132.50	132.50	132.75	970.00	0.00	1367.75
कुल योग	1900.00	217.54	202.14	202.14	1076.10	761.12	2459.04

5. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 1999-2000 के दौरान निधियों का आबंटन

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत कार्य योजना (1999-2000 लाख रुपए)
1.	आंध्र प्रदेश	1498.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	381.23
3.	असम	448.66
4.	बिहार	
5.	गोवा	195.68
6.	गुजरात	968.98
7.	हरियाणा	417.47
8.	हिमाचल प्रदेश	395.58
9.	जम्मू व कश्मीर	
10.	कर्नाटक	1067.70
11.	केरल	458.44
12.	मध्य प्रदेश	714.62
13.	महाराष्ट्र	1695.57
14.	मणिपुर	470.50
15.	मेघालय	235.58
16.	मिजोरम	196.70
17.	नागालैंड	380.78
18.	उड़ीसा	470.73
19.	पंजाब	400.72
20.	राजस्थान	646.63
21.	सिक्किम	123.84
22.	तमिलनाडु	1571.99
23.	त्रिपुरा	115.50
24.	उत्तर प्रदेश	1010.91
25.	पश्चिम बंगाल	724.97
26.	राष्ट्रीय शहरी संघ दिल्ली	638.84
27.	पांडिचेरी	126.87
28.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	102.82
29.	चंडीगढ़	185.15
30.	दादरा एवं नगर हवेली	
31.	दमण व दीव	93.40
32.	लक्षद्वीप	32.32
33.	एमडीएसीएस, मुम्बई	541.38
34.	अहमदाबाद, एमसी	160.05
35.	चेन्नै एमसी	
	कुल	*16471.88

* 1999-2000 के दौरान निधियों की उपलब्धतानुसार सीमित की जायेगी।

6. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम

वर्ष 1999-2000 के लिए राज्यवार आबंटन

(लाख रुपए)

1.	आंध्र प्रदेश	7804.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	196.15
3.	असम	4616.85
4.	बिहार	11998.32
5.	गोवा	231.13
6.	गुजरात	6410.38
7.	हरियाणा	2388.33
8.	हिमाचल प्रदेश	1907.43
9.	जम्मू व कश्मीर	1808.23
10.	कर्नाटक	7044.40
11.	केरल	4949.72
12.	मध्य प्रदेश	10477.16
13.	महाराष्ट्र	10531.82
14.	मणिपुर	793.29
15.	मेघालय	531.73
16.	मिजोरम	320.16
17.	नागालैंड	3337.37
18.	उड़ीसा	5790.58
19.	पंजाब	2657.25
20.	राजस्थान	7802.67
21.	सिक्किम	285.20
22.	तमिलनाडु	8447.25
23.	त्रिपुरा	563.85
24.	उत्तर प्रदेश	18251.21
25.	पश्चिम बंगाल	8011.18
26.	दिल्ली	782.12
27.	पांडिचेरी	129.74
28.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	158.60
29.	चंडीगढ़	180.30
30.	दादरा एवं नगर हवेली	67.55
31.	लक्षद्वीप	31.10
32.	दमण व दीव	71.00
	कुल	125676.71

बच्चों के लिए निःशुल्क टीकाकरण की उपलब्धता

1331. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी अस्पतालों में बच्चों के लिए निःशुल्क एम.एम.आर. टीका (मीजल्स, मम्पस् और रूबेला) उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ग) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में एम.एम.आर. (खसरा, कनफेड़ और रूबेला) वैक्सीन को शामिल करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। इस कार्यक्रम में बचपन में होने वाले सभ रोग, डिप्थीरिया, कुकुरखांसी, टेटनस, पोलियो और खसरे की वैक्सीनों को शामिल किया गया है क्योंकि इन रोगों से शिशु और बाल मृत्यु अधिक होती है। खसरा वैक्सीन जो एम.एम.आर. का एक घटक है, पहले से ही व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल है।

शिक्षा परियोजनाओं के लिए आबंटन

1332. श्री टी. गोविन्दन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा परियोजनाओं के लिए केरल को अन्य राज्यों की तुलना में कम धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) विभाग का यह प्रयास है कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत संसाधनों की कुल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्यों को निधियां उपलब्ध की जाए। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों और प्रत्येक योजना के अन्तर्गत जारी निधियों के उपयोग की प्रगति के आधार पर अनुदान जारी किए जाते हैं।

योजना आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार केरल में शिक्षा के लिए योजनागत परिव्यय 1997-98 में जो 9238.00 लाख रुपये था वह बढ़कर 1999-2000 में 11789.00 लाख रुपये हो गया है।

चंडीगढ़ में विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया जाना

1333. श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ में वरिष्ठ माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उपर्युक्त विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू सत्र के दौरान इन विद्यालयों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया और कितने छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में 1045 सरकारी स्कूल हैं।

(ख) और (ग) आगामी वर्षों में स्तरोन्नयन के लिए निम्नलिखित स्कूलों का पता लगाया गया है :

(i) प्राथमिक स्कूलों से मिडिल स्कूलों में स्तरोन्नयन

1. राजकीय मॉडल प्राथमिक विद्यालय, धनास।

2. राजकीय मिडिल प्राथमिक विद्यालय, खुड़ा जस्सु।

(ii) मिडिल स्कूलों से उच्च स्कूलों में स्तरोन्नयन

1. राजकीय मिडिल विद्यालय, दरिया।

2. राजकीय मॉडल मिडिल विद्यालय, सेक्टर-39।

(iii) उच्च स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में स्तरोन्नयन

1. राजकीय उच्च स्कूल, सेक्टर-37 सी।

(घ) पूर्व-प्राथमिक स्तर से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर में सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 95925 है। किसी भी आवेदक को प्रवेश के लिए इंकार नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

टी.वी. और संचार टावर की स्थापना

1334. श्री मदेश्वर सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए द्वि-उद्देशीय टी.वी. और संचार टावर स्थापित करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस नीति को जारी रखने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) टी.वी. ट्रांसमीटर एन्टीना के लिए संचार विभाग टावरों का उपयोग जहां कहीं संभव होता है, किया जाता है, बशर्ते इसमें दूरदर्शन और संचार विभाग दोनों को सुविधा हो।

केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, हिमाचल प्रदेश

1335. श्री सुरेश चन्देल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, गरली, हिमाचल प्रदेश में पाठन कार्य अन्य विद्यापीठों से तदर्थ आधार पर स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त पदों का सृजन और उनके भरे जाने का कार्य कब तक हो जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) वित्त विभाग से प्रस्ताव की स्वीकृति न मिलने के कारण विद्यापीठ को अपेक्षित स्टाफ प्रदान नहीं किया जा सका। केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, गरली में पदों के सृजन करने के लिए वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के तत्काल बाद नियमित स्टाफ संस्वीकृत करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उसके बाद, पदों को विज्ञापित करने एवं भरने के लिए विद्यापीठ द्वारा कदम उठाए जाएंगे।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्तियों की राशि का विनियोजन

1336. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों में नकली दाखिले दिखाकर अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि का छलपूर्वक विनियोजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हाँ, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर राज्य-वार/संघ-राज्यवार क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्तियों में किए गए अंशदान का ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अंशदान के योजनावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	केन्द्र सरकार का अंशदान 1996-97	1997-98	1998-99
1.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना	179.73	54.17	100.00
2.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के छात्रों आदि के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना	1.80	2.26	1.26
3.	अस्वच्छ, व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना (यह योजना व्यवसाय आधारित है तथापि, अधिसंख्य लाभार्थी अनुसूचित जाति के हैं)	14.04	2.00	4.40
4.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	1.83	1.50	1.20
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध केन्द्रीय प्रायोजित योजना	1.88	1.75	2.85
6.	अत्यंत निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए विशेष क्षैत्रिक कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना	0.34	0.12	0.70
7.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कौशल उन्नयन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना	0.16	0.76	1.00

स्वैच्छिक रक्त दान

1337. श्री जी.एस. बसवराज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में विशेष रूप से कर्नाटक में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में और अधिक स्वैच्छिक रक्तदाताओं को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने कनार्टक सहित सभी राज्य सरकारों को स्वैच्छिक रक्त दान को प्रोत्साहित करने के लिए विस्तृत

दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

- दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रचार अभियान,
- एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ सम्प्रेषण के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री तैयार करना,
- हर वर्ष पहली अक्तूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाना,
- स्वैच्छिक रक्तदान के समर्थन में लोगों को शिक्षित करने के लिए विशेष अभियान चलाना।

"आई.वी." दवा वितरण व्यवस्था में सुधार

1338. **श्री अशोक ना. मोडेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने "आई.वी." दवा वितरण व्यवस्था के सुधार की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने 31.03.99 के आदेश के तहत अन्य बातों के साथ-साथ आई.वी. फ्लूइड के भंडारण के लिए कृन्तकमुक्त वातावरण की सिफारिश की जिसका कार्यान्वयन चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन पहले ही कर चुका है। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि अस्पतालों को आई.वी. फ्लूइड के वृहत मात्रा का प्रापण चिकित्सा सामग्री भंडार डिपों के माध्यम से न करके सीधे ही फर्मों से करना चाहिए ताकि टूट-फूट से बचा जा सके। टूट-फूट से फफूंद बन सकता है।

उपर्युक्त सिफारिश की जांच दिल्ली के संबंधित केन्द्रीय सरकार अस्पतालों और चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन के परामर्श से की जा रही है।

सफदरजंग अस्पताल में कार्यकरण

1339. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अक्तूबर, 1999 के दौरान "दी हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित विभिन्न समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार मामले की जांच कराने और दोषियों को पकड़ने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित कराने का है कि सफदरजंग अस्पताल में हृदय फेफड़े आदि से संबंधित जीवन रक्षक मशीन चलाने का कार्य शिक्षित एवं योग्य कर्मचारी ही करें; और

(च) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अस्पताल की अनियमितताओं, कदाचारों, भ्रष्टाचार, गंदगी से छुटकारा दिलाने और वहां के कार्यकरण को सुधारने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) जी, हाँ।

(ख), (ग), (घ) और (च) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) पदों के लिए अधिसूचित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार पद भरे जाते हैं।

विवरण

समाचार रिपोर्टों में उठाए गए मुद्दे	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1. दिनांक 2 अक्टूबर, 1999 की समाचार-रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ स्वच्छता के मामले में अस्पताल की गैर-संतोषप्रद स्थिति, विगत अप्रैल से पानी की टंकी की अस्वच्छता, सी.एस.एस.डी. यूनिट के कार्यशील न होने जिससे कांच की सिरिंजों की कमी हो गई, लॉन्ड्री से खून के धब्बे सहित लिनेन के वापस आने, अस्पताल के परिसर में मलबा पाए जाने, सिटी स्कैन के कार्य न करने, सिरिंजों के फिर से प्रयोग करने आदि के बारे में उल्लेख किया गया था।	सफाई अनवीक्षण समिति अस्पताल में सफाई की देखभाल और अनुवीक्षण करती है। सम्पवेल को दिसम्बर, 1998 में और ऊपर की टंकी को जून, 1999 में साफ किया गया। सी.एस.एस.डी. यूनिट सम्यक रूप से कार्य कर रहा है और कांच की सिरिंजों के बदले डिस्पोजेबल सिरिंजों की सप्लाई की जाती है। अस्पताल के सभी क्षेत्रों में विसंक्रमित दस्ताने सप्लाई किए जाते हैं। सिरिंजों के फिर से इस्तेमाल किए जाने के मामले सूचित नहीं किए गए हैं। सिटी स्कैन जो सिटी स्कैन ट्यूब के अभाव में खराब था, इस समय कार्य कर रहा है।
2. दिनांक 15 अक्तूबर, 1999 की समाचार-रिपोर्ट में अन्य बातों	एक वर्ष की अवधि का प्रयोगशाला में सेवाकालिक प्रशिक्षण

समाचार रिपोर्टों में उठाए गए मुद्दे	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
के साथ उल्लिखित था कि चिकित्सीय प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी सेवाकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए निर्धारित की गई शैक्षणिक अपेक्षाओं में बहुत कमी है, नौवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले प्रयोगशाला तकनीशियन बन रहे हैं और ट्राली धकेलने वाले तथा सफाई वाले प्रयोगशाला तकनीशियन बन रहे हैं।	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा एक अनुमोदित पाठ्यक्रम है। विज्ञान सहित एस.एस.सी. की न्यूनतम अथवा प्रयोगशाला अनुभव सहित विज्ञान के बिना मैट्रीक्यूलेशन की अर्हता रखने वाले सेवाकालिक अभ्यर्थी इसके पात्र हैं। बाह्य अभ्यर्थियों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं। 60 प्रतिशत से कम अंक वाले विज्ञान सहित मैट्रिक की अर्हता रखने वाले किसी भी बाह्य अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी का चयन गठित समिति द्वारा किया जाता है।
3. दिनांक 22.10.1999 का समाचार केन्द्रीय विकलांग-विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल की अनियमितताओं और अनुपयुक्त कार्यकरण के बारे में पत्र का उल्लेख कराती है।	केन्द्रीय विकलांग विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल के कार्यकरण विशेषतौर से भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध से संबंधित डॉक्टरों से मिली शिकायतों की जांच-पड़ताल करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक सहित चार अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है।
4. दिनांक 23 अक्तूबर, 1999 की समाचार रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया था कि सफदरजंग अस्पताल, लोक नायक जयप्रकाश और डॉ0 आर.एम.एल. अस्पतालों के बर्न्स वार्डों की सेवाएं खत्म होने के कगार पर हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अपोलो अस्पताल में बर्न्स वार्ड नहीं हैं; दिनांक 8 जुलाई, 1996 की प्रथम समिति रिपोर्ट में बताया गया था कि यह यूनिट वंचनीय स्थिति में थी, अपेक्षित पलंग, वेन्टीलेटर, मॉनीटर, सेलाइन बाथ, हाइड्रोथिरेपी और उच्च-प्रोटीन अल्प वसा आहार, नानस्टिक बैंडेज उपलब्ध नहीं थे।	सफदरजंग अस्पताल के बर्न्स वार्ड में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए : 1. 30 नए पलंग खरीदे गए और लगभग 30 पलंगों की मरम्मत की गई। 2. बर्न्स और प्लास्टिक वार्डों को साफ बैडशीटें सप्लाई की गईं। 3. बर्न्स वार्ड में केन्द्रीय आक्सीजन आपूर्ति की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा हो चुका है। 4. बर्न्स वार्ड के नवीकरण से संबंधित अधिकांश सिविल कार्य और विद्युत कार्य पूरा हो चुका है। 5. 54.41 लाख रुपए की लागत के उपस्कर खरीदे गए हैं और संस्थापित किए गए हैं। 6. विभिन्न श्रेणियों के 130 पद सृजित किए गए हैं।

अधिकारों का हनन

1340. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'यूनिसेफ' द्वारा किए गए अध्ययन देश में चल रही हिंसात्मक और दंगा पूर्ण स्थिति के कारण बच्चों के जीवन में तमाम उथल-पुथल मची हुई और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान अनवरत हिंसात्मक और दंगापूर्ण स्थिति के कारण राज्य-वार कितने बच्चे विस्थापित हुए हैं; और

(घ) सरकार इनके पुनर्वास और इनकी अनवरत शिक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) यूनिसेफ से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने विगत दो वर्षों के दौरान बच्चों के जीवन में मची उथल-पुथल अथवा उनके अधिकारों के हनन के सम्बन्ध में कोई अध्ययन पूरा अथवा प्रकाशित नहीं किया है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

क्षेत्रीय लघु समाचार पत्र

1341. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय और लघु समाचार पत्रों का विकास करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) सरकार देश में क्षेत्रीय एवं लघु समाचारपत्रों के विकास एवं उनकी बढ़ोतरी के लिए कृतसंकल्प है। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय एवं लघु समाचारपत्रों को प्रदान की गई सेवाओं/सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्षेत्रीय और लघु समाचारपत्रों को प्रदान की गई सुविधाएं

(1) पत्र सूचना कार्यालय पूरे देश में फैले अपने 8 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 32 शाखा कार्यालयों की सहायता से हैन्डआउट्स, फीचरों, लेखों, पृष्ठभूमि दस्तावेजों आदि के माध्यम से लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं में लघु एंव क्षेत्रीय समाचारपत्रों सहित समाचारपत्रों को सूचना उपलब्ध कराता है।

(2) पत्र सूचना कार्यालय नेटवर्क के माध्यम से इन समाचारपत्रों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं विकासात्मक आयोजनों के फोटोग्राफ भी बिना किसी प्रभार के उपलब्ध कराए जाते हैं।

(3) उर्दू समाचारपत्रों को प्रेस विज्ञप्तियां और फीचर, कम्प्यूटरीकृत रेडी-टू-प्रिन्ट पेज रूप से में प्रदान किए जा रहे हैं।

(4) अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू तीन भाषाओं में शीर्षक वाले फोटोग्राफों सहित विभिन्न सामग्री, पत्र सूचना कार्यालय वेबसाइट डब्ल्यू. डब्ल्यू. डब्ल्यू., एन.आई.सी.इन./इंडिया-इमेज/पी.आई.बी. पर उपलब्ध कराई जाती है जिससे क्षेत्रीय समाचारपत्रों को पत्र सूचना कार्यालय की सामग्री और फोटोग्राफ शीघ्र उपलब्ध हो जाते हैं।

(5) लघु और क्षेत्रीय समाचारपत्रों के दिल्ली स्थित प्रतिनिधियों को उनके व्यावसायिक कार्यकलापों को सुगम बनाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रत्यायित किया जाता है।

(6) केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति में लघु समाचारपत्रों की राष्ट्रीय स्तर की एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है।

(7) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, इससे पास सूचीबद्ध समाचारपत्रों को विज्ञापन जारी करता है और इसके द्वारा लघु एवं मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों विशेष रूप से पिछड़े, दूरवर्ती एवं सीमावर्ती क्षेत्रों से प्रकाशित समाचारपत्रों को उचित महत्व/प्राथमिकता देते हुए विभिन्न श्रेणियों के समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के बीच दरों की सममूल्यता बनाए रखी जाती है।

[हिन्दी]

स्मार्ट स्कूल

1342. श्री अजित सिंह :
डॉ0 सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और मलेशिया में आरम्भ किए गए "स्मार्ट स्कूलों" की तरह देश में भी ये स्कूल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) पहले चरण में कितने स्कूल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे देश के कितने प्रतिशत विद्यार्थी लाभान्वित होंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रस्तावित स्कूल शुरू में कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने के विचार में कंप्यूटर सहायता प्राप्त अध्ययन और कंप्यूटर साक्षरता प्रदान करेंगे।

(ग) और (घ) शुरू में पूरे देश में एक समान रूप से फैले 100 स्कूलों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

1343. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक, फार्मास्युटिकल्स, औषधि, रसायन और पेट्रो-रसायन कम्पनियों के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन कम्पनियों के घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रही इन कम्पनियों के प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/मुख्य कार्यकारियों के कार्यनिष्पादन की उनके अपने कार्यकाल में समीक्षा करना एक अनवरत प्रक्रिया है और इस में उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट शामिल है। वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में सूचित कार्य निष्पादन में व्यक्ति विशेष की भूमिका तथा अन्य गुणात्मक विशेषताएं सम्मिलित हैं।

(ग) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन घाटा उठाने वाली कम्पनियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(रुपये करोड़)

क्र.सं. कम्पनी का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1. पारादीप फासफेट लि0 (पीपीएल)	(-) 60.63	(-) 105.53	(-) 57.87 (अनन्तिम)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
2.	पाईराइट्स फासफेट और केमिकल लि० (पीपीसीएल)	(-) 08.28	(-) 53.40	(-) 87.49
3.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई)	(-) 538.00	(-) 735.69	(-) 838.39
4.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एचएफसी)	(-) 532.64	(-) 647.83	(-) 514.49
5.	इंडियन ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स लि०	(-) 153.0	(-) 167.0	(-) 187.0
6.	हिन्दुस्तान एंटिबाईटिक्स लि०	(-) 31.07	(-) 26.08	(-) 12.92
7.	बंगाल इमिनिपूटी लि० (बीआईएल)	(-) 9.17	(-) 9.38	(-) 12.00 (अनंतिम)
8.	स्मीथ स्टेनी स्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि०	(-) 4.93	(-) 4.95	(-) 6.09

(घ) और (ङ) रुग्ण तथा बीआईएफआर को विनिर्दिष्ट कम्पनियों सम्बन्धी विस्तृत पुनर्वास प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है उनके संबंध में पुनर्वास जैसे उपचारात्मक उपाय औद्योगिक एवं पुनर्गठन बोर्ड की स्वीकृति के साथ प्रस्तावों के संबंध में निर्णय लेने के बाद किये जायेंगे। अन्य कम्पनियों के संबंध में जो रुग्ण नहीं हैं, तथा बीआईएफआर को निर्दिष्ट नहीं है, मामले उस विचार पर आधारित हैं जो वित्तीय पुनर्संरचना के लिए उनके प्रस्तावों पर लिया गया है।

फर्जी विश्वविद्यालय

1344. श्री अधीर चौधरी :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में बार-बार छात्रों का ध्यान आकर्षित करता रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार/राज्य सरकारें ऐसे नकली विश्वविद्यालयों के कार्य करने पर रोक लगाने में असफल रही है; और

(ग) इन फर्जी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) जी, हाँ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकारों को उनके संबंधित राज्यों में संचालित फर्जी विश्वविद्यालयों की मौजूदगी के बारे में सूचित करता रहता है। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी जाती है कि वे ऐसे विश्वविद्यालयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रों को फर्जी विश्वविद्यालयों के कार्यकरण के बारे में सतर्क रहने की सलाह देते हुए प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की जाती हैं।

(ग) फर्जी विश्वविद्यालयों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अनाचार प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

त्वरित पेय जल योजना

1345. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और मैसूर नगरों के लिए त्वरित पेयजल की आपूर्ति की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त योजना की स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने में राज्य सरकारों के प्रयासों में तेजी लाने के लिए 1993-94 में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम नामक एक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम शुरू की गई थी। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के बराबरी के आधार पर धन की हिस्सेदारी की जाती है।

चूंकि 1991 की जनगणना के अनुसार बंगलौर और मैसूर की आबादी - 20000 से अधिक है, इसलिए इन शहरों में त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम लागू नहीं होता।

सरकार ने, विदेशी सहायता के अंतर्गत बंगलौर में जल आपूर्ति में सुधार के लिए निम्नलिखित स्कीमें/परियोजनाएं पहले ही मंजूर कर दी हैं :

(i) बंगलौर जल आपूर्ति व सीवरेज परियोजना (कावेरी जल आपूर्ति स्कीम स्टेज-IV फेज-I) जिसकी 28,452 मिलियन येन की ओईसीएफ ऋण सहायता सहित 1072 करोड़ रुपये अनुमानित लागत है।

(ii) इंडो-फ्रेंच फाइनेंसियल प्रोटोकोल के अंतर्गत बंगलौर शहर में जल आपूर्ति व सीवरेज प्रणाली का सुधार, जिसकी अनुमानित लागत 73.69 करोड़ रुपये है तथा 50 मिलियन फ्रैंच फ्रांक की फ्रेंच सहायता है।

(iii) 1600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बनाओ-चलाओ-अपनाओ-स्थानांतरित करो (बूट) अनुबंध के आधार पर कावेरी स्टेज-IV, फेज-II जल आपूर्ति परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बंगलौर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड का प्रस्ताव हाथ में लेने के लिए मैसर्ज वाई वाटर इंटरनेशनल लिमिटेड, यू.के. का प्रस्ताव।

(vi) 6.5 मिलियन आस्ट्रेलियन डालर की आस्ट्रेलियाई अनुदान सहायता से बंगलौर जल आपूर्ति व पर्यावरणीय सफाई की मास्टर प्लान परियोजना तैयार करना।

बंगलौर और मैसूर शहरों की त्वरित पेय जल आपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार के विचारार्थ अन्य कोई स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आयात कीमत को घटाना

1346. श्री दिन्शा पटेल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कच्चे माल और तैयार उत्पादों दोनों की आयात कीमत को घटाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू बाजार में भारतीय दवाएं अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) सरकार, कच्चे माल और तैयार सुदा भेषज उत्पादों, में से किसी की भी आयात कीमत को नियंत्रित नहीं करता है।

(ग) और (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 की अनुसूची में सम्मिलित 74 प्रपुंज औषधों और उनके सूत्रयोगों के मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह मूल्य निर्धारण मूल्य नियंत्रण आदेश के उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

अतिरिक्त जोखिम प्रभार

1347. प्रो0 उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी गांरटी के बदले लेटर ऑफ कम्फार्ट के लिए एक प्रतिशत अतिरिक्त जोखिम प्रभार के कर को समाप्त करने हेतु "हुडको" को सलाह देने के लिए केन्द्र सरकार से कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस विषय पर "हुडको" के साथ कोई विचार-विमर्श किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और अद्यतन स्थिति क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ग) जी, हाँ। 1 प्रतिशत अतिरिक्त जोखिम प्रभार के कर से छूट लेने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव सरकार को मिला है। मामले पर अभी विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

जीवन रक्षक औषधियां

1348. प्रो0 रासा सिंह रावत : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज कंपनियां सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए गरीब लोगों को सस्ती दरों पर जीवन-रक्षक औषधियां उपलब्ध करा रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या औषध और भेषज नियंत्रक इनके उत्पादन और इनकी गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में दोषी पाई गई कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) किसी औषध की जीवन रक्षक प्रकृति किसी विशेष स्थिति एवं परिस्थिति पर निर्भर करती है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 की अनुसूची में सम्मिलित 74 प्रपुंज औषधों और उनके सूत्रयोगों के मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह मूल्य निर्धारण मूल्य नियंत्रण आदेश के उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

(ख) और (ग) औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और तदधीन बने नियमों के प्रावधानों के तहत औषधों तथा भेषजों की गुणवत्ता नियंत्रण का विनियमन संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है।

दिल्ली में मकानों का गिराया जाना

1349. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1 जनवरी, 1998 से आज तक कितने मकानों को गिराया गया है;

(ख) क्या प्रभावित लोगों ने इस कदम का विरोध किया जिसके कारण लाठी चार्ज, आंसू गैस और गोलीबारी का सहारा लेना पड़ा;

(ग) यदि हाँ, तो जान-माल को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन मकानों के मालिकों को क्या पैकेज और मुआवजा दिया गया है; और

(ङ) इन लोगों को मुआवजे और सुविधाओं के साथ-साथ स्थायी विकल्प उपलब्ध कराने के लिए अपनाए गए/अपनाए जाने वाले उपाय या तैयार की गई/तैयार की जाने वाली नीति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली में 1 जनवरी, 1998 के आज तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा गिराए गए मकानों की संख्या निम्नलिखित अनुसार है :

एमसीडी	4414
डीडीए	6380
एनडीएमसी	661
सीपीडब्ल्यूडी	53

(ख) और (ग) मकान गिराने का कार्य पुलिस की मदद से और उसकी मौजूदगी में किया गया है। शुरू में प्रभावित लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया है परंतु बाद में पुलिस द्वारा नियंत्रण कर लिया गया।

(घ) और (ङ) अनधिकृत निर्माण को गिराने के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

शिक्षा चैनल

1350. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन पर एक शिक्षा-चैनल शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इससे छात्रों के कितना लाभान्वित होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) जी, हाँ। एक शैक्षिक चैनल शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित चैनल का प्लै-बैक और इसकी अपलिंकिंग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थित स्टूडियो से किए जाने की संभावना है। इस संबंध में कार्यप्रणालियों का निर्धारण संबंधित एजेंसियों के परामर्श से किया जा रहा है। इस चैनल को यथासंभव शीघ्र प्रचालित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु वर्तमान में इस प्रयोजनार्थ कोई विशिष्ट समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती।

यह चैनल सभी स्तरों अर्थात् प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा और मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी

1351. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों, नर्सों और विशिष्ट सेवाओं की कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) उक्त आवश्यकताएं कब तक पूरी की जाएंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. थणमुगम) : (क) और (ख) कर्मचारियों की कुछ कमी है जो कि अधिकतर रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण है।

(ग) और (घ) रिक्त पदों को भरने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई निरंतर चलती रहती है। फिर भी, रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

पोलियो उन्मूलन

1352. श्री रामशकल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोलियो के पूर्ण उन्मूलन हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पोलियो उन्मूलन में भारत की सहायता किन-किन देशों ने की ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. थणमुगम) : (क) और (ख) भारत सन् 2000 के अंत तक पोलियो की घटनाएं शून्य पर लाने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए 1995-96 में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान चलाया गया था। इस अभियान में 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को एक ही दिन पोलियो ड्राप्स दी जाती हैं। वर्ष 1998-99 तक हर वर्ष दिसम्बर और जनवरी के दौरान पल्स पोलियो अभियान के दो दौर चलाए गए। इन प्रयासों को अब तेज कर दिया गया है और वर्ष 1999-2000 के दौरान देश भर में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के चार दौर आयोजित किए जा रहे हैं और इसके बाद अधिक खतरे वाले आठ राज्यों-असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, में दो अतिरिक्त दौर चलाए जाएंगे। चार राष्ट्रव्यापी दौरों में से दो दौर 24.10.99 और 21.11.99 को पूरे हो गए हैं।

देश भर में एक्यूट फ्लेसिड पेरालेसिस के रोगियों का पता लगाने और इनकी सूचना देने के लिए विस्तृत निगरानी व्यवस्था की गई है।

(ग) डेनमार्क, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी संघीय गणतंत्र, यूरोपीय कमीशन और ग्रेट ब्रिटेन तथा इटली ने पोलियो उन्मूलन में भारत की सहायता की है।

[अनुवाद]

यमुना का जल

1353. श्री अशोक प्रधान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु प्रतिवर्ष कितने यमुना जल की मांग की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश को जल की कितन मात्रा उपलब्ध कराई गई; और

(ग) उत्तर प्रदेश की मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों ने दौरान उन्होंने भारत सरकार ने पेयजल आपूर्ति हेतु यमुना जल की कोई मांग नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उर्वरक नीति

1354. श्री रामदास आठवले : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यूरिया और अन्य उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए कोई उर्वरक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उक्त नीति को क्रियान्वित कर उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में यथा प्रतिबिम्बित भारत सरकार की नीति का लक्ष्य, आयात के माध्यम से पूरी की जाने वाली केवल सीमान्त मात्रा को छोड़कर अपने स्वयं के फीड-स्टाक के उपयोग पर आधारित नाइट्रोजन उत्पादन में अधिकतम आत्मनिर्भरता करना रहा है। तथापि, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत उर्वरक क्षेत्र लाइसेंस मुक्त हैं तथा उद्यमी स्थान निर्धारण नीति के अधीन एकक स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

1998-99 में यूरिया का उत्पादन 94.6 प्रतिशत के आत्मनिर्भरता के स्तर की 203.96 लाख टन की अनुमानित खपत की तुलना में 192.91 लाख टन था।

[अनुवाद]

खेलों का प्रसारण

1355. श्री माधवराव सिंधिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान विभिन्न खेलों का प्रसारण करने में दूरदर्शन को हुए लाभ और घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूरदर्शन को हाल ही में सम्पन्न नौ प्रमुख खेल-प्रतिस्पर्धाओं, जिनमें विम्बलडन, विश्व कप फुटबाल, फ्रेंच ओपन, शारजाह तथा मिनी विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता शामिल है, के प्रसारण से एक पैसे की भी आय नहीं हुई थी; और

(ग) दूरदर्शन को हुए घाटे के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 के दौरन प्रमुख खेल कार्यक्रमों के संबंध में दूरदर्शन का राजस्व, कुछ को छोड़कर अधिकांश मामलों में व्यय से अधिक रहा है। अर्जित राजस्व और व्यय का कार्यक्रमवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत दो वर्षों में प्रमुख खेल कार्यक्रमों से अर्जित आय और उनमें निहित लागत

क्र.सं.	आयोजन का नाम	अर्जित वाणिज्यिक राजस्व	कार्यक्रम के प्रसारण पर हुआ व्यय	अतिरेक
1		2	3	4
1997-98				
1.	फ्रेंच ओपन टेनिस	54.10	41.91	12.19
2.	विम्बलडन	106.60	87.14	19.46
3.	स्वतंत्रता दिवस	2,348.48	776.47	1,572.01
4.	इन्डो-श्रीलंका क्रिकेट श्रृंखला	675.00	691.76	-16.76
5.	कोका-कोला कप शारजाह (इण्डिया/पाक/इंग्लैण्ड)	235.00	249.42	-14.42
	कुल	3,419.18	1,846.70	1,572.48
1998-99				
1.	फ्रेन्च ओपन टेनिस	142.35	108.24	34.11
2.	विम्बलडन	198.47	159.65	38.82
3.	कोका कोला इन्डिपेन्डेंस कप (बंगलादेश)	1,088.47	957.89	130.58
4.	पेप्सी त्रिकोणीय श्रृंखला (भारत/आस्ट्रेलिया/जिम्बाब्वे)	936.29	818.71	117.58

1		2	3	4
5.	पेप्सी त्रिकोणीय श्रृंखला (भारत/आस्ट्रेलिया/जिम्बाब्वे)	194.12	162.36	31.76
6.	वर्ल्ड कप सोसर	350.55	133.26	217.29
7.	श्री लंका में सिंगर अकाई निदाहारा (भारत/श्रीलंका/न्यूजीलैंड)	1,783.62	1,724.70	58.82
8.	हीरो होंडा एवं आईसीसी नॉक आऊट कप	6,023.52	6,023.52	-
9.	कोका कोला ट्रॉफी (भारत/श्रीलंका/जिम्बाब्वे)	2,287.70	2,164.70	123.00
10.	पेप्सी श्रृंखला (भारत बनाम पाकिस्तान)	61.21		61.21
11.	कोका कोला कप	3,341.95	3,143.52	198.43
	कुल	16,408.15	15,396.55	1,011.60

समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए धनराशि

1356. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, आज तक समेकित बाल विकास योजना के लिए राज्यवार कुल कितनी धनराशि नियत की गई;

(ख) क्या पोषण-विशेषज्ञों ने समेकित बाल विकास योजना के लिए धनराशि के आवंटन में बढ़ोतरी की मांग की है;

(ग) यदि हाँ, क्या पोषण-विशेषज्ञों ने देश में समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम की समुचित निगरानी करने और इसे सुदृढ़ करने के लिए भी सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा मडाजन) : (क) सूची संलग्न विवरण -I और II में दी गई है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

गत चार वर्षों के दौरान आई.सी.सी.एस. (सामान्य) स्कीम के अन्तर्गत निर्मुक्त राज्यवार राशि दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 निर्मुक्त राशि	1997-98 निर्मुक्त राशि	1998-99 निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2950.58	3135.53	3185.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	402.79	406.52	660.57
3.	असम	1741.46	1634.35	1911.71
4.	बिहार	2450.28	1469.02	3691.13
5.	गोवा	166.45	188.76	326.48
6.	गुजरात	4355.36	5312.40	4788.12
7.	हरियाणा	1473.45	2203.65	2633.07
8.	हिमाचल प्रदेश	704.32	904.24	1045.40
9.	जम्मू व कश्मीर	1531.59	511.86	1431.72
10.	कर्नाटक	4132.23	5158.03	5709.83
11.	केरल	2390.12	2380.62	3120.80
12.	मध्य प्रदेश	3898.16	4840.29	5131.48
13.	महाराष्ट्र	5682.23	6925.69	6792.45
14.	मणिपुर	472.55	795.10	846.78
15.	मेघालय	120.98	524.81	350.60
16.	मिजोरम	382.53	413.11	542.12
17.	नागालैण्ड	736.30	543.85	1321.37
18.	उड़ीसा	1629.46	2158.13	6641.30
19.	पंजाब	1288.62	1525.90	2382.58
20.	राजस्थान	3238.83	3373.72	3512.19
21.	सिक्किम	40.46	63.29	241.69
22.	तमिलनाडु	1140.94	2513.24	7297.05
23.	त्रिपुरा	382.71	447.67	463.68
24.	उत्तर प्रदेश	5798.34	7401.73	7265.52
25.	पश्चिम बंगाल	4704.65	9191.28	6456.11
26.	दिल्ली	601.24	565.98	1248.18
27.	पांडिचेरी	50.76	105.55	151.82
28.	अण्डमान व निकोबार	66.65	63.27	112.26
29.	चण्डीगढ़	56.92	95.77	77.71
30.	दादर व नगर हवेली	18.72	21.88	28.60
31.	दमन व दीव	30.85	26.79	28.17
32.	लक्षद्वीप	14.58	8.82	25.20
33.	रामकृष्ण मिशन	15.66	-	-
34.	विविध	99.36	14.64	-
35.	व्यावहारिक सेवाओं के लिए व्यय	-	-	208.00
36.	सेवा प्रसार	-	-	12.00
37.	यथा मूल्य प्रभार	-	-	19.98
	जोड़	52770.13	60885.49	79661.06

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आई.सी.डी. एस. (सामान्य) के अन्तर्गत निर्मुक्त राज्य-वार राशि दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पहली किस्त	दूसरी किस्त	जोड़
1.	आंध्र प्रदेश	1621	2701	4322
2.	अरुणाचल प्रदेश	348	469	817
3.	असम	829	1382	2211
4.	बिहार	1476	2459	3935
5.	गोवा	85	142	227
6.	गुजरात	1572	2484	4056
7.	हरियाणा	886	1477	2363
8.	हिमाचल प्रदेश	556	927	1483
9.	जम्मू व कश्मीर	873	1090	1963
10.	कर्नाटक	1436	2393	3929
11.	केरल	931	1263	2194
12.	मध्य प्रदेश	1745	2623	4368
13.	महाराष्ट्र	2105	3508	5613
14.	मणिपुर	247	269	516
15.	मेघालय	232	303	535
16.	मिजोरम	162	271	433
17.	नागालैंड	317	528	845
18.	उड़ीसा	2157	1334	3491
19.	पंजाब	850	1360	2210
20.	राजस्थान	1482	2470	3952
21.	सिक्किम	39	65	104
22.	तमिलनाडु	3345	5576	8921
23.	त्रिपुरा	240	328	568
24.	उत्तर प्रदेश	4355	6994	11349
25.	पश्चिम बंगाल	2283	3805	6088
26.	दिल्ली	144	456	600
27.	पाण्डिचेरी	26	78	104
28.	अण्डमान व निकोबार	39	44	83
29.	चण्डीगढ़	23	40	63
30.	दादर व नगर हवेली	8	13	21
31.	दमन व दीव	16	26	42
32.	लक्षद्वीप	8	13	21
	कुल जोड़	30436	46891	77327

प्रतिभा पलायन

1357. डॉ० बी. सरोजा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के शोधकर्ताओं सहित प्रतिभावान मेधावी छात्रों के प्रतिभा पलायन की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं; और

(ग) उस प्रतिभा को वापस लाने और उन्हें पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन से कदम उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) कुछ भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर उच्च अध्ययन/विदेश में कार्य के लिए प्रव्रजन करते हैं। ऐसे कार्मिकों को देश में वापस बुलाने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें शामिल हैं - विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिव्ययों में वृद्धि, नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी संस्थाओं को और अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार देना, वैज्ञानिक पूल के तहत वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का अस्थाई नियोजन आदि।

प्रसार भारती का ढांचा

1358. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री ए.सी. जोस :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रसार भारती के कार्यकरण के मद्देनजर इसके ढांचे की समयबद्ध समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने प्रसार भारती का पुनर्गठन करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) समीक्षा के कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) प्रसार भारती की सेवाओं की गुणवत्ता विश्वसनीयता और व्यावसायिकता के संदर्भ में इसके कार्यकरण में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रसार भारती के कार्यकरण का अध्ययन करने और इसके संगठनात्मक ढांचे, कानूनी ढांचे, प्रणाली और अन्य संगत क्षेत्रों के बारे में उपयुक्त सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की गयी है।

(घ) समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अपंगता

1359. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 सितम्बर, 1999 के "दि हिन्दू" नई दिल्ली में "वेलफेयर पॉलिसीज़ नाट बेनफिटिंग द डिस्एबल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में अपंगता संबंधी परियोजनाओं के लिए नियत 95 प्रतिशत अनुदान में से कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में, ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के बीच जागरूकता लाने के लिए कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से संचालित विकलांगों के कल्याण के लिए इस मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत पात्र स्वयंसेवी संगठनों को जो सहायता के लिए आवेदन करते हैं तथा योजना की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं सहायता अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं तथा क्षेत्रवार या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निधियों का अलग से निर्धारण नहीं किया जाता है। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से दो योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1998-99 तथा 1997-98 के दो वर्षों के दौरान निर्मुक्त कुल निधियां क्रमशः 60.01 करोड़ रुपये तथा 29.69 करोड़ रुपये थी। निर्मुक्त निधियां ग्रामीण तथा शहरी दोनों में विकलांगों के लिए हैं।

(ग) यह मंत्रालय समय-समय पर सेमिनारों, बैठकों तथा सम्मेलनों में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से संचालित योजनाओं के बारे में प्रचार करता रहा है।

शिक्षा के लिए धनराशि

1360. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में सबसे कम पहुंच वाला देश है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शिक्षा को नया स्वरूप देने हेतु तथा देश में शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन से कदम प्रस्तावित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) पूर्ण अर्थों में प्रभावकारी वृद्धि के बावजूद, प्रासंगिक आयु-वर्ग के 6 प्रतिशत नामांकन के मौजूदा आंकड़े अनेक विकासशील एवं विकसित देशों के मुकाबले कम हैं। ऐसा क्षेत्रीय असन्तुलनों, निरक्षरता तथा निर्धनता की समस्याओं, उच्चतर शिक्षा की प्रासंगिकता, कोटि तथा रोजगारोन्मुख उच्चतर शिक्षा, अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की अपर्याप्तता से सम्बन्धित विषयों, संसाधनों की अपर्याप्तता आदि से उत्पन्न होने वाली स्थानगत असमानताओं के कारण हो सकता है।

(ग) 9वीं पंचवर्षीय योजना में, उच्चतर शिक्षा के आवंटन में 8वीं पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत की तुलना में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल अनुमोदित परिव्यय से 10 प्रतिशत पर्याप्त वृद्धि हुई है। योजनागत के लिए प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रांसगिकता तथा कोटि सुधार, सुलभता एवं इक्विटी में सुधार, कार्य निष्पादन एवं उत्तरदायित्व और सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति संपूर्ण पद्धति को उत्तरदायी बनाना शामिल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नौवीं योजना के दौरान अनेक नई योजनाएं शुरू की हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

(i) विश्वविद्यालय और कालेजों का नेटवर्क बनाना।

(ii) शिक्षण (श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री) का आधुनिकीकरण।

(iii) छात्रों और शिक्षकों, विशेषतः महिलाओं के लिए सुधारों के कार्यान्वयन, बुनियादी ढांचे के लिए प्रोत्साहन योजनाएं।

(iv) विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं।

(v) पिछड़े जिलों में कॉलेज।

(vi) उच्चतर शिक्षा राज्य परिषदें।

(vii) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों इत्यादि में महिलाओं के लिए छात्रवृत्तियां।

मच्छर भगाने वाले द्रव से मस्तिष्क को क्षति पहुंचना

1361. **श्री रामसागर रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मच्छर भगाने वाले द्रव से मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने देश में बेचे जा रहे मच्छर भगाने वाले द्रवों पर कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में इन द्रवों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ङ) अेल्लेथ्रिन और प्रेल्लेथ्रिन युक्त मच्छर भगाने वाले द्रव देश में उपयोग के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। ये सुरक्षित हैं और ये कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं। मच्छर भगाने वाले ये द्रव उपयोगकर्ताओं में स्वास्थ्य मानीटरिंग संबंधी अध्ययनों सहित विषाक्तता/सुरक्षा के विभिन्न पैरामीटरों पर पंजीकृत कम्पनियों (व्यक्तियों) द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर उनकी सुरक्षा का मूल्यांकन करने के पश्चात् पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकृत किए गए हैं। इस समय सरकार मच्छर भगाने वाले द्रव की बिक्री पर रोक लगाने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम को फिर से चालू करना

1362. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम को फिर से चालू करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड की नामरूप इकाइयों के लिए पुनरुद्धार पैकेज का अनुमोदन किया है जो कार्यान्वयनाधीन है। इकाई-वार तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित एच.एफ.सी. के शेष इकाइयों के लिए संशोधित व्यापक पुनर्वास प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं और बाद में इन्हें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्वीकृति हेतु भेजे जाने हैं।

धूम्रपान संबंधी विज्ञापनों पर प्रतिबंध

1363. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी धूम्रपान संबंधी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) से (ग) दूरदर्शन और आकाशवाणी पर तम्बाकू अथवा तम्बाकू से संबंधित उत्पादों के सीधे विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया है। सरकार तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए व्यापक विधान तैयार करने की संभावना की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

जनजातीय लोगों को शिक्षा

1364. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हाँ।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अनुसूचित जनजाति हेतु लड़कों के छात्रावास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

लड़कों के छात्रावास की योजना 1989-90 में आरंभ की गई थी। यह योजना राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच 50:50 की साझेदारी के आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता 100 प्रतिशत जारी की गई थी। योजना का मुख्य लक्ष्य विशेषतः स्कूल स्तर पर, शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के लड़कों की भर्ती सुनिश्चित कराना है। इस योजना के अधीन छात्रावास के भवन निर्माण हेतु तथा/अथवा विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों के वर्तमान छात्रावास के विस्तार हेतु अनुदान दिया जाता है।

वर्ष 1994-95 से 1997-98 के वार्षिक बजट में उपलब्ध 1405 लाख रुपए में से 1250.69 लाख रुपए की राशि 282 छात्रावास के निर्माण हेतु राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई। वर्ष 1998-99 के दौरान 800 लाख रुपए के आबंटन के मुकाबले 830 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई।

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, योजना के अधीन 1200 लाख रुपए के बजट का प्रावधान था जिसके मुकाबले में (30.11.1999 तक) लड़कों के 5 छात्रवासों के निर्माण हेतु 100 लाख रुपए तक खर्च किया गया।

अनुसूचित जनजाति हेतु लड़कियों के छात्रावास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

अनुसूचित जनजाति हेतु लड़कियों के छात्रावास की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच जहां 1991 की जनगणना के अनुसार 39.23 प्रतिशत की सामान्य महिला साक्षरता के मुकाबले साक्षरता अभी भी 18.19 प्रतिशत ही है, वहां शिक्षा का विस्तार करने के लिए योजना लागू की गई थी। योजना के अधीन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को नवीन छात्रावास के भवन निर्माण तथा/अथवा वर्तमान छात्रावास के विस्तार हेतु केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जहां छात्रावास भवन के निर्माण की लागत 50:50 के अनुपात के आधार पर केन्द्र तथा राज्य के बीच समान रूप से बांटी जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामलों में छात्रावास भवन निर्माण की संपूर्ण लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

वर्ष 1994-95 से 1997-98 के वार्षिक बजट में उपलब्ध 1405 लाख रुपए में से 1370.28 लाख रुपए की राशि 261 छात्रावास के निर्माण हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई। वर्ष 1998-99 के दौरान 83 छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए 769 लाख रुपए तक खर्च किए गए। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान योजना के अधीन 1200 लाख रुपए आबंटित बजट के मुकाबले 6 छात्रवासों के निर्माण हेतु 100 लाख रुपए तक खर्च किया गया।

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल

आश्रम स्कूल योजना, एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, तथा 1990-91 में अनुसूचित जनजाति के छात्रों, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए आवासी स्कूल के माध्यम से शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के लक्ष्य के साथ प्रारंभ की गई थी। योजना के लिए निधि राज्य तथा केन्द्र के बीच समान अंशदान के आधार पर की गई है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है। योजना में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर की योजना समाहित है। इस योजना के अधीन भवन निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है।

कम साक्षरता वाले पाकेटों में शिक्षा परिसर

1993-94 में योजना शुरू की गई तथा देश में आदिवासी महिलाओं में 10 प्रतिशत से कम साक्षरता होने वाले 136 जिलों में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की गई। परिसर के निर्माण तथा उसे चलाने के लिए 100 प्रतिशत अनुदान कार्यान्वयित अभिकरणों को दिया जाता है। छात्राओं को अन्य सुविधाओं जैसे भोजन, वर्दी तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप, स्वास्थ्य देखभाल एवं निःशुल्क खेल-कूद आदि के साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

1998-99 तथा 1390 लाख रुपए के आवंटन में से 1172 लाख रुपए की राशि 149 परिसरों के विन्यास एंव उन्हें चलाने के लिए दी गई। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 900 लाख रुपए के बजटीय प्रावधान के मुकाबले 185 लाख रुपए जारी किए गए।

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अधीन अनुदान

इस योजना के अधीन आदिवासी क्षेत्रों/जनजाति क्षेत्रों के आधारित संरचना विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान दिया जाता है। 1997-98 के दौरान योजना आयोग द्वारा अनुदान की उपयोगिता मूल्यांकित की गई तथा अनुदान के बेहतर उपयोग के लिए आदिवासी लड़कों और लड़कियों दोनों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जिला स्तर पर आदिवासियों के लिए आवासीय स्कूल की स्थापना का निर्णय लिया गया। 1997-98 के दौरान 50 स्कूलों की स्थापना हेतु 50.00 करोड़ रुपयों की राशि जारी की गई तथा वर्ष 1998-99 के दौरान 23 आवासीय स्कूलों के लिए 23.00 करोड़ रुपयों की राशि दी गई।

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

वर्ष 1953-54 में योजना प्रारंभ की गई। योजना के अधीन, अन्य योजनाओं के अलावा आवासीय/गैर-आवासीय स्कूलों, छात्रावासों आदि की स्थापना तथा परिचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इन शैक्षणिक संस्थानों के परिचालन हेतु 145 स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान जारी किया गया। योजना के अधीन 1994-95 से 1998-99 तक 33493.00 लाख रुपए हैं जिसमें आदिवासियों को शिक्षा देने संबंधी योजना सहित अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान, अब तक, 81 संगठनों को 844 लाख रुपए की राशि जारी की गई।

हिन्दी शिक्षा का माध्यम

1365. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों और कालेजों के नाम क्या हैं जहां शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य है; और

(ख) शैक्षणिक संस्थानों में हिन्दी अथवा भारतीय भाषाओं को शिक्षा का वैकल्पिक माध्यम न बनाने के क्या कारण हैं; और

(ग) संविधान में यथा अभिकल्पित अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय स्वायत्त संगठन है तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के माध्यम से संबंध में निर्णय, स्वतः ही विश्वविद्यालयों द्वारा तथा उनके शैक्षिक निकायों एवं संबंधित राज्य सरकारों अथवा केन्द्र सरकार जैसा भी मामला हो, के परामर्श से लिया जाता है। केन्द्र सरकार, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता की भावना तथा उनकी शैक्षिक स्वतन्त्रता को मद्दे नजर रखते हुए, विश्वविद्यालयों के आन्तरिक मामलों तथा उनकी कार्यपद्धति में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है।

[अनुवाद]

उर्वरकों पर राजसहायता

1366. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों पर राजसहायता घटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार उर्वरकों पर राजसहायता हटाने से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई किस प्रकार करने का है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) सरकार का यह प्रयास रहा है कि राजसहायता को मुनासिब सीमाओं में रखते हुए कृषकों को वहन करने योग्य मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध किया जा सके। राजसहायता प्रक्रिया के जरिए कृषक को यूरिया के मूल्यों में वृद्धि से पृथक रखा जाता है जो इस समय एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य, संचलन और वितरण नियंत्रण के अधीन है। कृषकों को यूरिया सांविधिक अधिसूचित बिक्री मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाता है तथा उत्पादन लागत में किसी भी वृद्धि को अधिक राजसहायता के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा सावधानी से लिया जाता है।

केरल में क्षय रोग प्रशिक्षण केन्द्र

1367. श्री टी. गोविन्दन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में काफी संख्या में क्षय रोग के रोगी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को केरल में क्षय रोग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) वर्ष 1998-99 में सम्पूर्ण भारत से सूचित की गई क्षय रोगियों की कुल संख्या 2539455 थी। इनमें से केरल में क्षय रोगियों की कुल संख्या 13808 थी।

(ख) जी, नहीं। पहले से ही राज्य में एक राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण और प्रदर्शन केन्द्र कार्य कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सोसाइटियों को भूमि का आवंटन

1368. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में पात्रता रखने वाली सामूहिक आवास निर्माण सोसाइटियों को अग्रिम राशि जमा करने के बावजूद भूमि आवंटित नहीं की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक कितनी सोसाइटियों को भूमि आवंटित की गई है; और

(ग) सभी सोसाइटियों को भूमि आवंटित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : जैसा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया है, सूचना इस प्रकार है :

(क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) अब तक 25% बयाना धनराशि जमा करने वाली कुल 109 सोसायटियों में से 63 याचिका दाता सोसायटियों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 18.12.96 के आदेश के अंतर्गत 18 प्रतिशत ब्याज दर सहित 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी है। जिन सोसायटियों को भूमि आवंटित कर दी गई है उनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

	ब्यौरे	संख्या
(i)	जिन सोसायटियों को उनकी जरूरत के अनुसार पूरी भूमि आंवटित कर दी गई है	33
(ii)	जिन सोसायटियों को आंशिक रूप से भूमि आंवटित की गई है	07

शेष सहकारी भवन निर्माता सोसायटियों के लिए कुल 240 एकड़ भूमि की जरूरत पड़ेगी तथा प्रशासन, इन सोसायटियों को आंवटन करने के लिए भूमि का अधिग्रहण कर रहा है।

सामाजिक शहरी गरीबी संबंधी सम्मेलन

1369. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी निर्धनता के सामाजिक पहलुओं पर विचार करने के लिए विश्व बैंक और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान द्वारा कोई सम्मेलन आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें सुझाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) जी, हाँ। शहरी गरीबी के सामाजिक पहलुओं पर एक सेमिनार 3-5 मार्च, 1999 को नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान और नई दिल्ली में विश्व बैंक कार्यालय के सामाजिक विकास दल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सम्मेलन में शहरी गरीबी के सामाजिक पहलुओं, विशेषकर स्लम और एक्वेटर अधिवासों, "इन्सिक्योर टेन्यूर", विस्थापन और कमजोर वर्गों से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दिया गया। इसमें शहरी गरीब की समग्र जीवन दशाएं सुधारने के लिए विकास जरूरतों को पूरा करने की विभिन्न कार्यनीतियों और भावी जरूरतों तथा शहरी गरीबी उन्मूलन व जीवन दशा में सुधार के लिए नीति अपेक्षित क्षेत्रों को तय करने पर विचार विमर्श हुआ।

(ख) इससे यह उजागर हुआ कि गरीबी, कम आय तथा परिवार में सामाजिक अपेक्षानुसार उपयोग स्तर बनाए रखने के लिए अपेक्षित सुरक्षित तथा स्थाई जीविका के अभाव से जुड़ी है। इसके अलावा, बुनियादी सेवाओं के अभाव में महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं जिसे वितरण पैटर्न की अंतः परिवारिक असमानताओं द्वारा और बढ़ा दिया गया है। आय आधारित गरीबी रेखा एक पक्षीय रही है, जिसमें कैलोरिक मानदण्ड लिए गए हैं, और गरीबी की प्रकृति, गहनता, बहुविधता तथा लिंग भेद, प्रकृति को आंकने में असफल रही है।

(ग) यद्यपि, सम्मेलन विश्व बैंक के लिए आयोजित किया गया था ताकि वे अपना शहरी एजेंडा बना सकें तथापि सेमिनार की सिफारिशों को, शहरी गरीबी कार्यक्रम और नीतियों के संदर्भ में, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने नोट किया है।

[हिन्दी]

खेल अकादमी

1370. श्री अजित सिंह :
डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण का विचार देश के प्रत्येक जिले में खेल अकादमी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता।

[अनुवाद]

कार्य योजना परियोजना

1371. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने दक्षिण पूर्व क्षेत्र में प्रभावकारी तूफान चेतावनी तंत्र की स्थापना हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हाल ही में हुई बैठक में इस योजना को भी अंतिम रूप दिया गया जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञों, विश्व मौसम विज्ञान संबंधी संगठनों और यूनेस्को और दक्षिण पूर्व क्षेत्र के देशों के विशेषज्ञ शामिल हुए;

(ग) यदि हाँ, तो बैठक में कौन से प्रमुख निर्णय लिए गए; और

(घ) इस संबंध में भारत किस सीमा तक लाभान्वित होगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) महासागर विकास विभाग को दक्षिण पूर्व क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैयार तूफान चेतावनी तंत्र हेतु किसी कार्य योजना की जानकारी नहीं है। तथापि, विश्व मौसम संगठन तथा यूनेस्को के अंतर-शासकीय समुद्र वैज्ञानिक आयोग ने हिन्द महासागर के उत्तरी भाग में तूफान महोर्मि आपदा में कमी से संबंधित अपने विशेषज्ञ दल द्वारा एक परियोजना का प्रारंभ एवं उसके लिए प्रस्ताव तैयार करवाया था। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यांमार, ईरान, मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका के प्रतिनिधियों की क्षेत्रीय बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया गया। क्षेत्रीय बैठक का आयोजन विश्व मौसम संगठन तथा अंतर-शासकीय समुद्र वैज्ञानिक आयोग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया तथा महासागर विकास विभाग ने इसकी मेजबानी की। नई दिल्ली में दिनांक 20-26 अक्तूबर, 1999 के दौरान हुई बैठक में अभिनिर्धारित प्रमुख कार्य योजना निम्नलिखित प्रकार से है :

(i) क्षेत्रीय समिति ने संस्तुति की है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थापित किया जाए।

(ii) क्षेत्रीय बैठक में अभिनिर्धारित कार्यों के समन्वय एवं उनके कार्यान्वयन का दायित्व महासागर विकास विभाग को सौंपा गया है।

(iii) परियोजना हेतु वित्तीय सहायता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय निधीयन अभिकरणों से आग्रह करने के लिए महासागर विकास विभाग के एक अधिकारी को नामित किया गया है।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय निधीयन अभिकरणों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व मौसम संगठन तथा अंतर-शासकीय समुद्र वैज्ञानिक आयोग को भी प्रयास करने होंगे।

तूफान महोर्मि परियोजना प्रस्ताव का ध्येय समुद्र तथा मौसम प्रेक्षण, संचार के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और तूफान महोर्मि के लिए अधिक विश्वसनीय पूर्वानुमानों की सुविधा हेतु एक मॉडल विकसित करना है। यह प्रस्ताव विशेषरूप से तटीय क्षेत्र में आने वाले चक्रवात के बारे में सूचना काफी पहले दे सकेगा, जिसके अनुसार तटीय प्राधिकारियों को क्षेत्र खाली करवाने में 12-24 घंटे का और समय मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त चक्रवात के प्रभाव वाली भूमि के किसी एक पार्श्व में प्रभावित होने वाले तट की अनुमानित लंबाई भी लगभग 50 कि.मी. रह जाएगी। इस तरह के दो निर्णायक सुधारों से जनजीवन और संपत्ति की क्षति काफी कम होगी। चक्रवात प्रवण देश होने के कारण भारत को इस परियोजना के क्रियान्वयन से लाभ होगा।

एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों के लिए सीटों का कोटा

1372. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में सीटों का कोटा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी चिकित्सा महाविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए निर्धारित योग्यता के क्या मानदंड हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ग) एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों के लिए केन्द्रीय पूल की योजना के अन्तर्गत कुछ राज्यों और चिकित्सीय संस्थाओं से ऐसी सीटें स्वैच्छिक अंशदान के रूप में प्राप्त होती हैं जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों के छात्रों में पुनः वितरित किया जाता है :

1. ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिनमें कोई चिकित्सा/दन्त चिकित्सा कॉलेज नहीं है, के छात्रों।
2. रक्षा कार्मिकों के आश्रित।
3. अर्ध-सैनिक कार्मिकों के बच्चे।
4. विदेश में भारतीय मिशनों में सेवा कर रहे भारतीय कर्मचारियों के बच्चे।
5. राजनयिक/द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए।
6. तिब्बती शरणार्थी।
7. राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार विजेता बच्चे।

संक्रामक बाल रोग

1373. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में संक्रामक बाल रोग बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(घ) क्या ऐसे संक्रामक रोगों के निदान हेतु दिल्ली के अस्पतालों में कोई विशेष प्रकोष्ठ खोला गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में इन संक्रामक रोगों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मूलभूत सुविधाओं हेतु सहायता

1374. श्री अशोक ना० मोडोल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों से शहरों की मौलिक समस्याओं का समाधान करने और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विशेष सहायता के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो योजना-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, हाँ। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार से मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलौर नगरों, जहां मेगा शहर अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना लागू है, में शहरी अवस्थापना सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन उन नगरों के लिए नियत राशि में स्कीम के अनुमोदित योजना परिव्यय से अधिक वृद्धि नहीं की गई है।

साथ ही, निम्नलिखित राज्यों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे :

(i) त्रिपुरा के शहरी क्षेत्रों के बचाव हेतु बाढ़ रोकथाम कार्यों की कार्रवाई योजना हेतु त्रिपुरा सरकार से मार्च, 1999 में 0.61 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता मांगी गई थी। राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गऐ थे जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ii) त्रिपुरा सरकार ने राज्य में 316.86 करोड़ रुपये की लागत से दीर्घकालीन शहरी विकास हेतु अगस्त, 1998 में भी अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी जिसमें अगरतला को शहरी जल आपूर्ति आदि के लिए 88.66 करोड़ रुपये तथा नगर पंचायतों को शहरी जल आपूर्ति के लिए 25.05 करोड़ रुपये शामिल हैं। राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

(iii) उसके अलावा, त्रिपुरा सरकार ने अगरतला के निकट एक नये राजधानी परिवार के निर्माण के लिए अगस्त 1998 में 177.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की थी। प्रस्ताव योजना आयोग को विचारार्थ भेजा गया था।

(iv) नागालैंड सरकार ने कोहिमा तथा उसके आपसास भूक्षरण तथा भूस्खलन नियंत्रण परियोजना पर होने वाले 19.56 करोड़ रुपये के व्यय हेतु जनवरी, 1999 में केन्द्रीय सहायता की मांग की। प्रस्ताव विचार हेतु योजना आयोग को भेजा गया जिन्होंने धनराशि को तंगी के कारण वित्तीय सहायता देने में असमर्थता जताई है। लेकिन उन्होंने इस मंत्रालय से कहा कि उनमें से कुछ योजनाएं व्यवहार्य पाये जाने पर, आई.डी.एस.एम.टी. के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस मंत्रालय के 10 प्रतिशत परिव्यय में से उनके लिए धन देने पर विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार को दिनांक 21.10.99 को कहा गया है कि इसके अंतर्गत कोहिमा से जुड़े परियोजना घटक प्रस्तुत करने पर विचार किया जाए।

(v) मिजोरम सरकार ने अक्तूबर, 1999 में 15.00 करोड़ रुपये के व्यय से एक "मार्किट एक्शन प्लान" परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है। राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव विचार हेतु सीधे योजना आयोग को भी भेजा है।

(vi) हरियाणा सरकार ने फरवरी, 1998 में अंबाला सदर, भिवानी और कैथल कस्बों में जल आपूर्ति में सुधार तथा वृद्धि की योजनाओं के लिए 49.70 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रस्ताव भेजा था जिसे राज्य सरकार को सूचित करते हुए, योजना आयोग को भेजा गया।

(vii) हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1996 के प्रारंभ में 20.13 करोड़ रुपये की लागत से पब्बार नदी से शिमला के लिए जल आपूर्ति बढ़ाने का एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे इस मंत्रालय ने फ्रांसीसी सहायता के लिए आर्थिक कार्य विभाग को भेजा था परंतु अंततः इसे अनुमोदित नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 20.13 करोड़ रुपये का प्रस्ताव वापस ले लिया।

(viii) केरल सरकार ने 3.86 करोड़ रुपये की लागत से कचरा प्रबंधन संबंधी "क्लीन अलपुज़ा" नामक एक प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव नवंबर, 1996 में भेजा था, जिसमें 1.80 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की गई थी। प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि कचरा निपटान प्रबंध की ऐसी कोई केन्द्रीय योजना नहीं है जिसके तहत वित्तीय सहायता दी जाए।

(ix) मध्य प्रदेश सरकार ने जून, 1997 में जबलपुर जिले के भूकंप प्रभावित ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में जल आपूर्ति प्रणालियों की मरम्मत के लिए 8.40 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी थी। प्रस्ताव कृषि मंत्रालय को भेजा गया क्योंकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों को ऐसी राहत देने का कार्य उनके अधिकार में है।

(x) उड़ीसा सरकार ने हाल ही के तूफान के कारण 16 कस्बों में क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति प्रणालियों की मरम्मत तथा उन्हें पुनः चालू करने के लिए दिनांक 15.11.99 को 1.95 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की है। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(xi) पंजाब सरकार ने 1998 में आनंदपुर साहिब में अवस्थापना विकास के लिए 45.80 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग की। जांच के बाद प्रस्ताव के 5.86 करोड़ रुपये की लागत वाले कुछ घटकों को विचारार्थ योजना आयोग को भेजा गया।

(xii) पंजाब सरकार ने जालंधर शहर में जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपये के विशेष प्रावधान का प्रस्ताव जुलाई, 1997 में प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव योजना आयोग को 19.8.97 को भेजा गया।

(xiii) उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक शहरों में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त शहरी जल आपूर्ति प्रणालियों आदि के सुधार हेतु अक्तूबर, 1998 में 48.46 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की। यह मामला आवश्यक कार्रवाई के लिए कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय को भेजा गया था।

(xiv) तमिलनाडु सरकार ने शहरी कचरा निपटान के लिए 15.85 मेगावॉट की एक बिजली परियोजना हेतु जनवरी, 1999 में 3.00 करोड़ रुपये प्रति मेगावॉट की वित्तीय सहायता मांगी। राज्य सरकार को बता दिया है कि प्रस्तावित परियोजना के लिए कोई केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में "पैस्टर" संस्थान

1375. प्रो0 उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में एक "पैस्टर" संस्थान आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु में कुनूर स्थित वर्तमान "पैस्टर" संस्थान आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों से काफी दूर है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या देश में ऐसे और संस्थान स्थापित करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। यह एक धर्मार्थ संगठन है जो 10 फरवरी, 1997 को सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है तथा कुन्नूर में न लाभ न हानि के आधार पर कार्य कर रहा है। इस संस्थान ने पहले के दक्षिण भारत के पाश्चर संस्थान का कार्य संभाला जो 6 अप्रैल, 1907 से कार्य कर रहा था, और सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में निगमित था। यह संस्थान इस समय इम्यूनोबायोला जिकलों के विकास और उत्पादन में लगा हुआ है। यह संस्थान निम्नलिखित जीवन रक्षक वैक्सीनों का उत्पादन करता है और इसकी संस्थापित क्षमता इस प्रकार है :

संस्थापित क्षमता प्रति वर्ष

1. बी.पी.एल. इन्एक्टिवेटिड 5 प्रतिशत शीप ब्रेन एण्टीरेबीज वैक्सीन : 60.0 लाख मि.ली.
2. डिप्थीरिया-टेटनस-कालीखांसी (ट्रिपल वैक्सीन) : 30.0 मिलियन खुराकें
3. डिप्थीरिया-टेटनस-टाक्सायड (डी.टी. वैक्सीन) : 15.0 मिलियन खुराकें
4. टेटनस-टाक्सायड-वैक्सीन (टी.टी. वैक्सीन) : 15.0 मिलियन खुराकें
5. पशुओं के उपयोग के लिए वैरो सेल रेबीज वैक्सीन (समाहित) : 1.0 लाख खुराकें
6. मानव उपयोग के लिए वीरो टिश्यू कल्चर रेबीज वैक्सीन : 1.0 लाख खुराकें

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को होस्टल सुविधाएं

1376. श्री रामशकल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को ब्लॉक स्तर तक होस्टल सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों को होस्टल सुविधाओं के प्रावधान के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना पहले ही कार्यान्वयनाधीन हैं :

(1) अनुसूचित जातियों की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास

(2) अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के छात्रावास

(3) अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों के छात्रावास

(4) अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास।

इन छात्रावासों के स्थान का विकल्प इस योजना में निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने की शर्त पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों या अन्य संस्थाओं पर छोड़ दिया गया है।

इंदिरा महिला योजना

1377. श्री अशोक प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा महिला योजना किस तारीख को लागू की गई और इसके उद्देश्य क्या हैं और अब तक कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई है;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक शामिल किए गए उत्तर प्रदेश विशेषकर गाजियाबाद और बुलंदशहर के प्रखंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के सभी प्रखंडों में इंदिरा महिला योजना लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) इंदिरा महिला योजना 20 अगस्त, 1995 को शुरू की गई। इस स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) महिलाओं और क्षेत्रीय विभागों के सक्रिय सहयोग से स्थानीय, खण्ड और जिला स्तरों पर क्षेत्रीय सेवाओं का संकेन्द्रण सुनिश्चित करना।

(ii) विकास में महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल करने की प्रक्रिया को तेज करने में उपलब्ध अल्प संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना।

(iii) महिलाओं से संबंधित विशिष्ट मुद्दों और विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा सामाजिक वर्ग में समानता, कानूनी अधिकारों (सम्पत्ति और उत्तराधिकार जैसे अधिकारों), संवैधानिक सुरक्षापायों आदि के संबंध में सूचना के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता पैदा करना।

(iv) जागरूकता/जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करना, ताकि महिलाएं पारस्परिक विचार-विमर्श से अपनी समस्याओं को समझें और उनका विश्लेषण करके उनका समाधान ढूंढ सकें और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त कर सकें।

(v) आयोत्पादन गतिविधियों तथा विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उनकी आर्थिक शक्ति-सम्पन्नता द्वारा महिलाओं को आत्म-निर्भर और स्वतन्त्र बनाने में सहायता करना।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 40 हजार से भी अधिक महिला दल बनाए जा चुके हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश में इंदिरा महिला योजना के अन्तर्गत शामिल खण्डों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) फिलहाल देश में 900 खण्डों को स्कीम में शामिल करने का प्रस्ताव है। अतः, उत्तर प्रदेश के सभी खण्डों को शामिल करना सम्भव नहीं है।

विवरण

जिला	खण्ड
बिजनौर	नजीबाबाद
	कीरतपुर
	मोहम्मदपुर-देवमल
	हलधौर (खड़ी झालू)
	कोतवाली
	नेहतोर
	दल्लाहपुर (धामपुर)
	बुद्धनपुर-सिओहारा
	नूरपुर
जालौन	रामपुरा
	कुथोण्ड
	माधोगंज
	जालौन
	नदीगांव
	डाकोर
	कदोरा
रायबरेली	सिंहपुर
	ऊंचपुर
	सालोन
	तिलोई
	महाराजगंज
	बहादुरपुर
सोनभद्र	बभानी
	चोपन
	दुद्धी
	मयोरपुर
	रोबर्टगंज
	चतरा
	घोरावल
	नगवा

[अनुवाद]

कम ब्याज दर

1378. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने दिल्ली के आस-पास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकास परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सदस्य राज्यों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को कम ब्याज दरों पर ऋण देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, इस संबंध में इन राज्यों से क्या उत्तर मिले हैं; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की परिकल्पना के बाद से इस उद्देश्य के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि अलग से रखी गई है और इसमें से प्रत्येक राज्य ने क्षेत्र में किस प्रकार के ऋण का उपयोग किया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के उप क्षेत्र में ब्याज वाले ऋणों के जरिये विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है। इस समय अनुमानित लागत के 75 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लागत का शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं पर प्रभारित मौजूदा ब्याज दर निम्नलिखित अनुसार है :

(i) अवस्थापना परियोजनाएं	12 प्रतिशत
(ii) आवासीय और औद्योगिक परियोजनाएं	13 प्रतिशत
(iii) वाणिज्यिक परियोजनाएं	14.15 प्रतिशत

(ख) अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 3217.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 135 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है। इनमें से 57 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 78 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। पूरी की गई योजनाओं की कुल लागत 236.77 करोड़ रुपये है जिनमें से 71.03 करोड़ रुपये के ऋण के रूप में मंजूर कर जारी किए गए चालू परियोजनाओं की कुल मंजूर शुदा धनराशि 2980.98 करोड़ रुपये है जिसमें से 1355.92 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए हैं और 743.75 करोड़ रुपये संलग्न विवरण-I में दिए गए ब्यौरे अनुसार जारी कर दिए गए हैं।

(ग) राज्य सरकारों को वर्ष-वार जारी की गई धनराशि संलग्न विवरण-II में दी गई है। 27.11.1999 तक परियोजनाओं पर राज्यों द्वारा किया गया कुल व्यय निम्नलिखित अनुसार है :

उत्तर प्रदेश	285.58 करोड़ रुपये
राजस्थान	169.86 करोड़ रुपये
हरियाणा	463.64 करोड़ रुपये
काउन्टर मैग्नेट क्षेत्र	395.67 करोड़ रुपये

विवरण-I

तालिका-1 एन.सी.आर. द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की स्थिति

राज्य	कुल	पूरे हुए	चालू
उत्तर प्रदेश	52	13	39
राजस्थान	45	30	15
हरियाणा	34	14	20
उप योग	131	57	74
काउन्टर मेग्नेट क्षेत्र	4	-	-
कुल	135	57	78

तालिका-2 पूरी हुई परियोजनाओं की स्थिति

(करोड़ रुपये)

राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	जारी ऋण
उत्तर प्रदेश	13	93.31	29.21
राजस्थान	30	80.61	29.30
हरियाणा	14	62.85	12.52
कुल	57	236.77	71.03

तालिका-3 चालू एन.सी.आर. वित्तपोषित परियोजनाओं हेतु निकाले गए ऋण की स्थिति

(करोड़ रुपये)

राज्य	योजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण	निकाला गया ऋण प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	39	1013.20	564.68	255.34	45.16%
राजस्थान	15	294.92	167.38	104.95	62.70%
हरियाणा	20	1672.86	599.86	359.46	59.63%
कुल योग	74	2980.98	1331.92	719.75	54.02%
काउन्टर मैग्नेट क्षेत्र	4		24.00	24.00	100
कुल	78	2980.98	1355.92	743.75	54.85%

विवरण-II

राज्य सरकारों/उनकी क्रियान्वयन एजेंसियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा जारी किए गए वर्षवार ऋण का विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	हरियाणा	काउन्टर मैग्नेट क्षेत्र	कुल
1985-86	1.75	0.75	1.25	-	3.75
1986-87	2.25	0.37	1.38	-	4.00
1987-88	3.76	0.68	2.79	-	7.23
1988-89	5.07	1.34	2.95	-	9.36
1989-90	5.67	1.70	1.83	-	9.20
1990-91	6.88	3.56	1.58		12.02
1991-92	5.52	10.88	2.74	2.00	21.14
1992-93	2.80	6.07	-	-	8.87
1993-94	5.73	4.84	2.00	2.00	15.77
1994-95	9.67	4.51	-	-	14.18
1995-96	42.02	21.50	42.71	4.00	110.23
1996-97	38.31	25.42	78.50	3.00	145.23
1997-98	25.88	45.38	-	13.00	84.26
1998-99	74.63	7.25	124.95	-	206.83
1999-2000 (11/99 तक)	53.41	-	109.30	-	162.71
	284.55	134.25	371.98	24.00	814.78

इंजीनियरिंग कालेजों का आधुनिकीकरण

1379. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में इंजीनियरिंग कालेजों के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) तकनीकी शिक्षा प्रणाली में सुव्यवस्थित स्तरोन्नयन के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता पर चर्चा चल रही है। तकनीकी संस्थाओं के आधुनिकीकरण के लिए परिकल्पित इस परियोजना में भाग लेने की अनेक राज्यों ने इच्छा दर्शाई है। कर्नाटक ने अपने सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरी कालेजों के आधुनिकीकरण के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। अंतिम परिणाम सभी आवश्यक औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं के पूरा होने पर निर्भर करेगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति

1380. **डॉ० वी. सरोजा :**

श्री अनंत गंगाराम गीते :

श्री किरीट सोमैया :

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति को कब तक अंतिम रूप दिये जाने और लागू किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई तथा जून, 1999 में इसकी घोषणा की गई थी।

वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति में अन्तर-क्षेत्रीय सहयोग तथा सरकार के साथ-साथ सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों दोनों के मध्य सहकारिता के लिए एक व्यापक ढांचे की व्यवस्था है। विशेष रूप से इस नीति ने देश में वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए हस्तक्षेप, वित्तीय सुरक्षा, व्यवस्था देखभाल तथा पोषण आश्रय, शिक्षा, कल्याण, जानमाल की सुरक्षा आदि के अनेक क्षेत्रों की पहचान की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास समन्वय का दायित्व निहित रहने के साथ इस नीति के कार्यान्वयन मार्ग प्रशस्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। इस नीति का कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया गया है।

दिल्ली में भूमि का आवंटन

1381. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के महरौली गांव के अंधेरिया मोड में फार्म हाउसों को मुर्गी पालन हेतु सस्ती दरों पर भूमि आवंटित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन फार्मों का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिये किया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1989-90 में पंचायतों के अधिक्रमण के बाद ग्राम पंचायत छतरपुर के गांव सभा रिकार्ड निदेशक (पंचायत), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालय को नहीं सौंपे गए थे। इस रिकार्ड के न मिलने के कारण दिल्ली सरकार ने छतरपुर गावं के घर-घर का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण हलका-पटवारी और पंचायत सचिव ने किया। सर्वेक्षण तथा स्थानीय पूछताछ से एकत्रित सूचना/कागजातों और गांव सभा जमीन के दखलकार व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी में यह पाया गया कि पॉल्ट्री फार्म के लिए दी गई जमीन पर 51 व्यक्तियों का कब्जा है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) दिल्ली सरकार ने पॉल्ट्री फार्म से इतर प्रयोजनों के लिए भूमि का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों दखलकारों के खिलाफ एस.डी.एम. ग्रामीण क्षेत्र (डोजखास), नई दिल्ली की अदालत में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के खण्ड 86 ए के तहत बेदखली कार्रवाई शुरू कर दी है।

विवरण

गांव छतरपुर-पाल्ट्री फार्म की सर्वेक्षण रिपोर्ट

क्र.सं.	खसरा सं.	क्षेत्रफल लगभग (बीघा)	मूल आवंटी का नाम	दखलकार का नाम	मौजूदा प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1.	36	1.0	एन.ए.	श्री विशाल कपूर	रिहायश तथा खाली लॉन
2.	36	0.5	एन.ए.	श्री जय सिंह	खाली भवन
3.	36	0.5	एन.ए.	श्री दुबे	रिहायशी सह गारमेंट बिजनेस
4.	36	2.0	श्रीमती मीरा कुमारी धर्मपत्नी महेन्द्र कुमार	श्री सुरेश कुमार धवन	रिहायश-सह-खाली लॉन
5.	36,120	3.0	श्रीमती मीरा पांडे धर्मपत्नी श्री एम.एन.पांडे	श्रीमती रोसम्मा फिलिपेस	प्राचीन मूर्ति व पेंटिंग भवन
6.	120	2.0	एन.ए.	टी.ए.आर.ए.	ग्रामीण विकास के लिए सरकारी सहायता प्राप्त एजेंसी
7.	128,137	3.5	श्रीमती मीरा चूरा धर्मपत्नी श्री बी.एस.चूरा	श्रीमती रोसम्मा फिलिपेस	प्राचीन पेंटिंग आदि का बिजनेस
8.	128,137	2.0	श्रीमती शांता प्रधान धर्मपत्नी पी.नारायण प्रधान	श्रीमती शांता प्रधान	रिहायश-सह-खुंबी बिजनेस
9.	121,122, 117,118	3.0	श्री एस.सी. विनायक पुत्र श्री उत्तम चंद	श्रीमती वरिन्दर बवेजा, श्री संजीव तलवार	रिहायश भवन
10.	121,122	3.25	श्रीमती राजिन्द कुमार कौशल	श्रीमती अमरदीप एम.सिंह	हैंडीक्राफ्ट्स बिजनेस
11.	126,127	5.0	श्रीमती कुसुम श्रेष्ठा धर्मपत्नी एन.पी. श्रेष्ठा	श्री वी.पी. अग्रवाल (1100 वर्ग गज) श्री सेलिंग जॉन (600 वर्ग गज) श्रीमती थामसन मैथ्यू (500 वर्ग गज) श्री वी.एस. गुप्ता (1200 वर्ग गज)	आर्किटेक्ट कार्यालय सह-रिहायश -वही- सामाजिक संगठन अपूर्ण भवन एक सामाजिक संगठन

1	2	3	4	5	6
12.	124,126	2.5	श्रीमती अमरजीत कौर धर्मपत्नी अमरीक सिंह	श्रीमती प्रोमिला जॉनसन	मुख्य गार्ड कक्ष, कमरे, खाली लॉन
13.	117,124	58.0	एन.ए.	बाबा टिम्बर	टिम्बर बिजनेस
14.	117,118	4.0	श्रीमती चन्द्र कांता धर्मपत्नी एम.एन. नरूला	श्री वी.एम. ग्रेहन	एक कमरा खाली
15.	120	1.0	श्रीमती राम ज्योति शर्मा धर्मपत्नी ओम प्रकाश	श्रीमती गीता रमेश	कैरली हैल्थ मसाज
16.	116,117,37	1.0	श्रीमती नारायणी देवी धर्मपत्नी खयाली राम	श्रीमती गीता रमेश	कैरली हैल्थ मसाज
17.	113,119	3.0	श्री के.ओ. पुरी	श्री जगमोहन सेठी	ओरियन वैंक्वेट लॉन
18.	30,60,119	5.0	श्री एस.के. सरीन	श्री एस.के. सरीन श्री खन्ना, श्री अजय खुल्लर	रिहायश, कैटरिंग बिजनेस
19.	117	600 वर्ग गज	एन.ए.	श्री रमेश विष्ट श्री कश्मीरी	रिहायश
20.	117	1.0	श्री के.के. सपरा	श्रीमती विनोद अग्रवाल	रिहायश-सह-आर्किटैक्ट कार्यालय
21.	121	1 बीघा 10 बिस्वा	श्रीमती चम्मा कुशमा	श्रीमती चम्मा कुशमा	रिहायश
22.	117,118	1.0	एन.ए.	श्री संजय	मार्बल बिजनेस
23.	117,118	2.5	श्री बी.एल. मागो	श्री बी.एल. मागो	रिहायश, रिहायशी के लिए प्लाटिंग
24.	120	5.0	श्री कुलवंत सिंह	श्री कुलवंत सिंह	रिहायश, गारमेंट फैक्टरी
25.	49	2.0	श्री हरि सिंह	श्री हरि सिंह	रिहायश-सह-मार्बल बिजनेस
26.	39,40	4.0	श्री जनरल सिंह	श्री जनरल सिंह	चिकन बिजनेस
27.	-	10.0	एन.ए.	श्री डी.के. भंडारी	न्यू इंडिया इसोंरेंस का एक्सीडेंट वाहनों का गोदाम
28.	55	5.0	एन.ए.	श्री प्रवीण नैयर	पहले दो मंजिला गारमेंट फैक्ट्री अब खाली
29.	51	3.0	श्री महेश्वरी भंडारी	श्री महेश्वरी भंडारी	रिहायश-सह, खुंबी बिजनेस
30.	51	2.0	श्री गुरूधारा सिंह चौधरी	श्री गुरूधारा सिंह चौधरी	खुंबी बिजनेस
31.	53,55	3.0	श्री गोविन्द	श्री कृष्णा मारबल एंड ग्रेनाइट	मारबल एंड ग्रेनाइट बिजनेस
32.	53	1.5	श्रीमती महेश्वरी देवी	श्रीमती महेश्वरी देवी	रिहायश
33.	-	3.5	श्रीमती बच्ची देवी भट्ट	जैन मंदिर साधना कुंड	तीर्थ यात्रियों के लिए सेड
34.	-	1.0	श्री मंगल सिंह	छतरपुर मंदिर	स्टाफ क्वार्टर
35.	-	2.0	एन.ए.	श्री अडलूवालिया	कंस्ट्रक्शन कंपनी
36.	45,46	2.0	श्री भगवंत सिंह डागर	श्री भगवंत सिंह डागर	रिहायश
37.	45,46	2.0	श्री गोविन्द सिंह	श्री गोविन्द सिंह	रिहायश

1	2	3	4	5	6
38.	48,49	1.75	श्री तीरथ सिंह	श्री तीरथ सिंह	रिहायश-सह-खुंची बिजनेस
39.	48	2.0	एन.ए.	श्री एस. प्रियोत्रा	कमरा खाली
40.	37,39	2.0	एन.ए.	श्री जे.एस.लांबा	रिहायश
41.	38	2.0	श्रीमती गुरुनाम कौर	श्रीमती गुरुनाम कौर	रिहायश-सह-गारमेंट बिजनेस
42.	38	3.0	एन.ए.	हैफलोंग कंपनी असम भवन	स्टाफ क्वार्टर
43.	29	4.0	श्री एस.आर. शर्मा मार्फत डी.आर. फर्म	श्री एस.आर. शर्मा मार्फत डी.आर. फर्म	पुरानी पॉल्ट्री सेड खाली
44.	34	3.0	श्री एस.के. राबर्ट	श्री एस.के. राबर्ट	माउंट हैवरोन स्कूल
45.	38	3.0	श्री सरीन	श्री सरीन श्री गुप्ता	दुकान, गोदाम रिहायश
46.	38,119	3.0	श्री ए.के. गुप्ता	श्री ए.के.गुप्ता	रिहायश
47.	117,118	3.0	श्रीमती कृष्णा शर्मा	श्री कृष्णा शर्मा द्वारा अजय पॉल्ट्री फार्म	रिहायश
48.	37	2.0	श्रीमती प्रेम कुमारी	श्रीमती सुमन सिंघल श्री रंजन	रिहायश
49.	40	3.5	श्री पी.डी.शर्मा	श्रीमती बीना बाबूराम	प्रदर्शनी सामग्री गोदाम
59.	40	1.0	एन.ए.	श्री अतर सिंह	खाली
51.	101,102, 103, 104, 60(2-7) 103(5-17) 104(1-14)	10.0	स्वर्गीय श्री हरवंश सिंह मनचंदा	श्रीमती जसबीर मनचंदा	सर्वेन्ट क्वार्टर कुछ मनचंदा पॉल्ट्री कार्यकलाप

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

1382. श्री टी॰ एम॰ सेल्वागनपति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की एक व्यापक स्वास्थ्य नीति बनाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि चिकित्सा विज्ञान में हुई भारी प्रगति गरीब तथा जरूरतमंद रोगियों तक पहुंचे क्या कदम उठाय जा रहे हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन॰ टी॰ चणमुगम) : (क) और (ख) वालंटेरि हेल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा भारत में स्वास्थ्य के संबंध में स्वतंत्र आयोग की रिपोर्ट ने देश में हुए महत्वपूर्ण जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी सामाजिक-आर्थिक और जनांकिकी परिवर्तनों के मद्देनजर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में संशोधन करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित बहुत से विषय, मुद्दों और मामलों को शामिल किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थय सेवाओं की व्यवस्था में कमियों का उल्लेख किया गया है।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के घटकों में से एक है जिसे उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। जन स्वास्थ्य प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का एक व्यापक तंत्र स्थापित किया गया है जिसके अन्तर्गत 30.6.98 तक 1,36,818 उपकेन्द्र, 22,991 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2,712 सामुदायिक केन्द्र खोले गए हैं। नौवीं योजना में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 7686 उपकेन्द्र, 1521 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2909 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा एड्स, मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ और दृष्टिहीनता जैसे रोगों के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों हेतु वाह्य सहायता जुटाई गई है। विश्व बैंक की सहायता से चुने हुए राज्यों में मध्यम स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन भी किया जा रहा है। प्रजनन एंव बाल स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता भी प्राप्त की गई है।

राष्ट्रीय भेषज मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण

1383. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण ने कुछ औषधियों के मूल्य संशोधित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन औषधियों का मूल्य औषध मूल्य नियंत्रण, आदेश 1995 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या कुछ मामलों में औषधियों के मूल्यों में कमी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इन संशोधित मूल्यों को कब से लागू किए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) राष्ट्रीय औषण मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) ने विगत दो वर्षो के दौरान औषध (मूल्य नियंत्रण), आदेश, 1995 के अन्तर्गत 897 अनुसूचीबद्ध सूत्रयोग पैकों के मूल्य निर्धारित/संशोधित किए हैं। उक्त 897 सूत्रयोग पैकों में से 378 पैकों के मूल्य बढ़ाए गए थे, 372 के दाम घटाय गए थे, 31 पैकों के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था तथा 116 पैकों के मूल्य पहली बार निर्धारित किए गए थे। उक्त 378 पैकों के संबंध में प्रतिशत वृद्धि इस प्रकार है :

प्रतिशत वृद्धि	पैकों की संख्या
0 से 25 प्रतिशत	327
25 से 50 प्रतिशत	46
50 प्रतिशत से ऊपर	5
कुल	378

(ङ) डीपीसीओ, 1995 के अन्तर्गत निर्धारित/संशोधित मूल्यों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किए जाने या विनिर्माता/आयातकर्ता द्वारा आदेश प्राप्त करने के 15 दिन के अन्दर-अन्दर कार्यान्वित किया जाना होता है।

दिल्ली में आवास की आवश्यकता

1384. श्री रामसागर रावत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली वासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, तथा सरकार का विचार दिल्ली की आवासीय आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करने का है;

(ग) दिल्ली में प्रतिवर्ष कितनी आवासीय इकाइयों की आवश्यकता है तथा वास्तव में कितनी इकाइयों का निर्माण एवं आवंटन किया जा रहा है; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के तहत कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं तथा योजना-वार अभी कितने व्यक्ति आवंटन का इंतजार कर रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रायधानों के तहत डी.डी.ए. का बुनियादी कार्य दिल्ली का सुनियोजित विकास करना और उसकी अनुषंगी सेवाओं जैसे मास्टर प्लान/जोनल प्लान तैयार करना, भूमि प्रबन्धन, आयोजना और भवन निर्माण अनुमति का नियमन तथा प्रवर्तन करना है।

दिल्ली के मास्टर प्लान, 2001 के अनुसार दिल्ली की आवास आवश्यकताओं को आवास एजेन्सियों, सहकारी समितियों, स्लम विभाग, केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार, स्थानीय निकायों और लोगों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। दिल्ली के मास्टर प्लान, 2001 के अनुसार वर्ष 2001 में दिल्ली की आबादी 128 लाख होने की संभावना है जिसके लिए 1996-2001 हेतु प्रति वर्ष कुल 97,000 आवास यूनिटों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। अब तक डी.डी.ए. की योजनाओं द्वारा लगभग 10.47 लाख आवास यूनिटों का निर्माण हो चुका है जिनमें डी.डी.ए. द्वारा विभिन्न स्कीमों के अधीन स्वयं बनाई गई लगभग 2.82 लाख यूनिटें शामिल हैं।

दिल्ली में मकानों की कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(i) जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जिसके कारण मकानों की मांग तेजी से बढ़ी है;

(ii) शहरी भूमि की कमी;

(iiii) सेवाओं की कमी (विशेष रूप से बिजली और पानी की आपूर्ति)

राजपत्र में 23.7.1999 को अधिसूचित मास्टर प्लान के विकास नियंत्रण विनियमों में संशोधन से भूमि के अधिकाधिक प्रयोग द्वारा मौजूदा रिहायशी प्लाटों और समूह आवास प्लाटों में अतिरिक्त क्षेत्र/रिहायशी यूनिटों का निर्माण हो सकेगा। सरकार ने आवास गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिए हाल ही में दिशा निर्देश बनाए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले 10 वर्षों (1989-99) के दौरान कुल, 81,868 यूनिटों का निर्माण किया गया है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

स्कीम का नाम/ श्रेणी	कुल पंजीकरण	किए गए आवंटन	आवंटन के लिए प्रतीक्षित
एन.पी.आर.एस. 1979			
एम.आई.जी.	46879	37668	6951
एल.आई.जी.	67502	52895	14820
जनता	56249	सभी को आवंटन कर दिया गया	शून्य
अम्बेडकर आवास योजना, 1989			
एम.आई.जी.	7000	3284	2779
एल.आई.जी.	10000	3812	5138
जनता	3000	2988	12
जे.एच.आर.एस. 1996			
जनता	20000	5965	14035
			43735

मानव बस्ती संबंधी नीति

1385. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गृह निर्माण आदि के संबंध में मानव बस्ती संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह एक है कि महानगरों में कम लागत वाले मकानों का निर्माण न होने की वजह से गंदी बस्तियों की संख्या कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रही हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए कम लागत वाले मकानों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री सुखदेव सिंडसा): (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। इसे 29 जुलाई, 1998 को संसद के पटल पर रखा गया था। इस नीति में सरकार की भूमिका निर्माता के स्थान पर दाता के रूप में की गई है।

सरकार आवास क्षेत्र द्वारा महसूस की जा रही कानूनी, नियामक और वित्तीय रुकावटों को दूर करके दाता का वातावरण बनाएगी। इससे समाज के सभी वर्गों को अपने लिए आश्रय प्राप्त करने हेतु भूमि, वित्त और प्रौद्योगिकी मिलने में सहायता मिलेगी। सरकार गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए सीधा हस्तक्षेप करती रहेगी। इस नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य आवास स्टाक में किराएदारी या माल्किाना आधार पर अधिक मकानों का निर्माण करना है। राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों में आवास समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी कार्रवाई योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। यह नीति आवास में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच सहयोग स्थापित करती है।

(ग) मेट्रो शहरों में स्लम क्षेत्रों का जमाव एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है जिससे अनेक पहलुओं पर गौर किया जाना है। यह कहना उचित नहीं होगा कि कम लागत के आवासों की उपलब्धता न होने के कारण ही स्लम क्षेत्रों में वृद्धि हुई है।

(घ) स्लम सुधार के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने के लिए एक योजना है जिसमें आवश्यकतानुसार आश्रय उन्नयन अथवा नए आवासों के निर्माण (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित) के लिए व्यवस्था का घटक शामिल है। राज्य सरकारों द्वारा इस सहायता के अन्तर्गत आबंटन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि का उपयोग शहरी गरीबों के लिए आवासों के निर्माण और/या उन्नयन के लिए करना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस पीड़ितों हेतु कार्य योजना

1386. **श्री रामदास आठवले :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई कार्य योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सीय, आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक कार्य योजना प्रस्तुत की थी। विभिन्न चरणों में, इस योजना का परिव्यय 163 करोड़ रुपए से बढ़कर 258 करोड़ रुपए तक हो गया है। इसके खर्च को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75 : 25 के अनुपात में वहन किया जाना था तथा केन्द्र सरकार ने 193.50 करोड़ रुपए का अपना संपूर्ण भाग दे दिया है। यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा इसके बाद धन की आवश्यकता होने की स्थिति में योजना आयोग के परामर्श से राज्य योजना के भाग के रूप में राज्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा

1387. **श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू करते समय मलाईदार तबके के निर्धारण के लिए निर्धारित की गई आयु सीमा को बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 में निर्धारित है आय मानदंडों में संशोधन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

केरल में जनजातियों को सहायता

1388. श्री टी. गोविन्दन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल की वन्य भूमि से हटाई गई जनजातियों के पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता के संबंध में केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुम्बई दूरदर्शन पर ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम

1389. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रसारित करने हेतु कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुम्बई दूरदर्शन ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में चलाए जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रसारण से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसार भारती के क्षेत्राधिकार में आते हैं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों से अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक उद्देश्यों वाले कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचना और जानकारी शामिल होती है। इसके अलावा, प्रमुख केन्द्रों की क्षेत्रीय सेवा के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय भाषा के दर्शकों की मांग पूरी करने के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों का पूरा पैकेज प्रसारित किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विद्यालय

1390. श्री अजित सिंह :
डॉ0 सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री राजो सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सन् 2002 इस्वी तक सभी को शिक्षा प्रदान कराने की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि इस योजना के अन्तर्गत 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कितने प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा ऐसे विद्यालयों की संख्या क्या है तथा सन् 2002 तक वर्षवार और राज्यवार ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा इसकी कार्य योजना (1992) में इस शताब्दी के अन्त तक सभी बच्चों को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। शिक्षा विभाग के चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े (30 सितम्बर, 1997 तक) के अनुसार, सन् 2001 में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या 19.37 करोड़ आंकी गई है। वर्ष 1997 में 6,10,763 प्राइमरी/जूनियर बेसिक स्कूल थे। प्राथमिक स्कूल खोले जाने संबंधी प्रतिमानक राज्य विशिष्ट होते हैं और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। देश में प्राथमिक स्कूलों की कुल अनुमानित आवश्यकता राज्य विशिष्ट प्रतिमानकों पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में मल्टी-मीडिया केन्द्र

1391. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कम्प्यूटर से दी जाने वाली शिक्षा के प्रसार में मदद करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं

प्रशिक्षण परिषद में मल्टी-मीडिया केन्द्र स्थापित करने में योगदान देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) प्रौद्योगिकी शिक्षा का प्रयोग करने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में सुलभ और संगत शिक्षा संबंधी मल्टी-मीडिया विषय वस्तु प्रदान करने के लिए यह केन्द्र किस हद तक मदद करेगा;

(घ) क्या स्कूलों के सभी अध्यापक जो कम्प्यूटर का प्रयोग करते हैं, को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उक्त योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) कम्प्यूटर के प्रयोग में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने और सामग्रियों के विकास के लिए इन्टेल एशिया इलैक्ट्रानिक्स इंक, बंगलौर के सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में एक मल्टी मीडिया केन्द्र स्थापित किया गया है।

(ग) यह केन्द्र विभिन्न स्कूल स्तरों की संबंधित पाठ्यचर्या के अनुरूप मल्टी-मीडिया अध्ययन सामग्रियों के विकास के लिए समर्पित होगा।

(घ) और (ङ) हार्डवेयर और अन्य संबंधित उपस्कर लगा लिए गए हैं। शिक्षकों के प्रथम दल को जनवरी, 2000 में प्रशिक्षित कर दिया जाएगा और विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों की ओ.पी.डी. में निःशुल्क चिकित्सा

1392. श्री पवन कुमार बंसल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पास्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल रिसर्च, चंडीगढ़ तथा संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सरकारी कर्मचारियों तथा गरीब रोगियों को भी ओ० पी० डी० द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सेवा बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाय जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ग) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ और राजकीय मेडिकल कालेज, चंडीगढ़ ने सरकारी कर्मचारियों को बाह्य रोगी विभाग में निःशुल्क उपचार प्रदान करने की सुविधा समाप्त कर दी है। पंजाब, हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के कर्मचारियों को बाह्य रोगी विभग में उपचार के लिए निश्चित चिकित्सीय भत्ता प्रदान किया जाता है। जहां तक स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ में निर्धन रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करने का प्रश्न है, नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इलाज करने वाला डाक्टर अपने विवेक से किसी रोगी को "निर्धन निःशुल्क" घोषित कर सकता है।

मदरसों का आधुनिकीकरण

1393. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मदरसों में शिक्षा के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1999-2000 के दौरान इस हेतु विभिन्न राज्यों को कितना आंवटत किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) जी हाँ। भारत सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने संबंधी एक योजना का संचालन करती है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं :

1. विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषाओं के लिए अर्हताप्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 100% तक वित्तीय सहायता प्रदान करना।

2. मदरसों में इन विषयों से संबंधित बुक बैंकों तथा पुस्तकालयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना।

3. विज्ञान/गणित किट और अनिवार्य उपस्करों इत्यादि का प्रावधान करना।

वर्ष 1999-2000 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 10.00 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। राज्यवार कोई विशेष बजट का आवंटन नहीं किया जाता है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अनुदान दिया जाता है।

कस्बों के चयन के मानदंड

1394. श्री अशोक ना० मोडोल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटा और मंझला कस्बा समेकित विकास योजना के तहत कस्बों के चयन और किए गए आवंटन के संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उक्त योजना के तहत विकास के लिए चुने गए कस्बों को राज्य-वार उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय और राज्य सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार उपयोग में लाई गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेषकर महाराष्ट्र में कौन-कौन से कस्बे निर्धारित विकास कार्यक्रम में पिछड़ रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) छोटे तथा मझोले कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत कस्बों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। चयन के मानदंड इस प्रकार हैं :

(i) 5 लाख से कम आबादी वाले कस्बे, जिनमें क्षेत्रीय विकास केंद्रों के रूप में विकास की संभावना हो।

(ii) जिला मुख्यालयों, मंडी कस्बों, औद्योगिक विकास केंद्रों, पर्यटन स्थानों, धार्मिक केंद्रों को प्राथमिकता।

(iii) राज्य शहरी विकास कार्य नीतियों के अनुसार पहचान किए जाने वाले तथा प्राथमिकता प्राप्त कस्बे।

स्कीम के अंतर्गत धन का नियतन, देश में छोटे तथा मझोले कस्बों में कुल आबादी के अनुपात में, संबंधित राज्यों में छोटे तथा मझोले कस्बों की शहरी आबादी के अंश के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर कस्बों को किश्तें जारी की जाती हैं:

(i) पूर्व में जारी धन के उपयोग सहित परियोजना का निष्पादन।

(ii) बराबरी का राज्य अंश जारी करने पर।

(iii) राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के लिए किए गए सुधार।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) मंजूर स्कीमों के 5 वर्ष के भीतर पूरे होने की आशा की जाती है, इसके बाद केंद्रीय सहायता बंद कर दी जाएगी। 1994-95 में शामिल किए गए कस्बों के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने की नियत तारीख 13 मार्च, 2000 है। बाद के वर्षों में मंजूर किए गए कस्बों की स्कीमें कस्बे शामिल करने के वर्ष से 5 वर्षों के भीतर पूरी होने की संभावना है। इस प्रकार कस्बों के निर्धारित समय-सीमा से पीछे रहने का कोई प्रश्न नहीं है।

विवरण

आईडीएसएमटी के तहत 8वीं योजना, 1997-98 और 1998-99 अवधि के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता, राज्य अंश और सुचित खर्च

क्र.सं.	राज्य	8वीं योजना			1997-98			1998-99		
		जारी के.स.	राज्य अंश	खर्च	जारी के.स.	राज्य अंश	खर्च	जारी के.स.	राज्य अंश	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1409.39	1134.57	1347.61	164.62	0.92	1037.24	942.87	574.90	1379.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	62.00	79.00	49.00	8.00	52.68	115.00	4.00	0.00	0.00
3.	असम	145.00	44.41	346.30	51.86	100.64	62.91	15.00	0.00	1.90
4.	बिहार	241.99	175.93	183.69	0.00	9.50	194.07	20.00	70.29	239.24
5.	गोवा	36.00	-	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	576.21	563.61	1008.86	362.55	183.49	528.67	167.95	164.81	828.17
7.	हरियाणा	60.00	33.32	233.07	22.00	0.00	0.00	128.00	82.50	105.62
8.	हिमाचल प्रदेश	75.00	74.06	90.75	15.00	10.00	137.01	26.00	218.73	153.30
9.	जम्मू और कश्मीर	151.50	183.04	301.04	19.00	53.66	87.44	70.00	117.00	162.51
10.	कर्नाटक	1266.45	837.86	745.92	163.89	7.32	432.50	246.04	200.33	687.97
11.	केरल	399.34	368.53	1779.59	232.41	59.08	167.84	110.63	237.52	244.24
12.	मध्य प्रदेश	744.35	456.42	1356.64	207.94	318.48	105.11	416.42	50.06	353.28
13.	महाराष्ट्र	1630.80	961.20	2836.97	556.23	135.12	1073.61	446.84	670.57	1708.42
14.	मणिपुर	168.58	132.97	388.24	20.00	0.00	19.61	10.50	42.21	14.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मेघालय	11.00	–	261.38	19.60	0.00	0.00	0.00	36.05	39.30
16.	मिजोरम	76.00	224.45	166.39	24.00	37.25	73.00	34.40	195.72	279.72
17.	नागालैंड	45.00	15.00	189.19	9.00	105.80	45.30	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	412.00	308.31	1059.06	48.00	71.87	126.91	124.34	231.56	91.13
19.	पंजाब	177.25	115.32	481.93	39.00	10.67	88.52	53.00	0.00	86.91
20.	राजस्थान	590.75	421.46	1740.79	162.50	77.50	354.23	187.31	110.33	419.90
21.	सिक्किम	38.00	75.00	183.40	12.00	0.00	0.00	0.00	88.00	69.75
22.	तमिलनाडु	722.57	359.24	1180.11	149.40	332.07	340.22	172.23	172.27	367.59
23.	त्रिपुरा	61.75	39.00	134.49	42.00	29.00	63.70	46.00	30.00	57.01
24.	उत्तर प्रदेश	1038.00	717.96	823.34	116.00	48.13	776.18	101.00	77.00	335.75
25.	पश्चिम बंगाल	581.77	343.61	1430.56	146.50	282.65	338.21	191.97	96.94	336.59
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	–	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	दादरा व नगर हवेली	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00
28.	दमन और दीव	5.00	–	0.00	10.0	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	0.00	–	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	पांडिचेरी	50.00	23.42	78.59	0.00	20.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	योग	10780.70	7747.69	18490.01	2601.50	1945.83	6167.29	3535.00	3526.81	7902.44

वर्ष 1996-97 के लिए जारी राज्य अंश के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए संचयी आंकड़े दिये गये हैं।

के.स. -- केन्द्रीय सहायता।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

1395. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद की आईडीपीएल यूनिट को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को भेज दिया गया है;

(ख) क्या बीआईएफआर ने पुनरुद्धार योजना के लिए अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत योजना को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) हैदराबाद की आईडीपीएल यूनिट के कब तक कार्य करने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) का मामला रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजा गया था।

बीआईएफआर द्वारा 1994 में आईडीपीएल के लिए संस्वीकृत पुनरुद्धार पैकेज असफल हो गया। आईडीपीएल का भविष्य, पुनरुद्धार सहित, बीआईएफआर की कार्यवाही और अन्तिम निर्णय पर निर्भर करेगा। उसके लिए समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धन

1396. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री राजो सिंह :
श्री भीम दाहाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों की आवश्यकता के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष-वार तथा विश्वविद्यालय-वार वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान चालू एवं नई योजनाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजटीय आवंटन का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस धनराशि के इस्तेमाल के लिए क्या निगरानी प्रबंध किए गए हैं;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों द्वारा अनुदान के दुरुपयोग या इसके अन्यत्र उपयोग किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त की गई हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1397. **डॉ० वी० सरोजा** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं सही तरीके से लागू नहीं की जाती;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों की जागरूकता के लिए इन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को समाचार पत्रों और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचार करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) तथापि, जहां की योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियां ध्यान में आई हैं, भारत सरकार द्वारा उपचारी उपायों को सुझाते हुए राज्य सरकारों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) कल्याणकारी योजनाओं को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापित किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कालेजों के लिए सुधार कार्यक्रम

1398. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्व स्नातक स्तर पर कालेज मानविकी समाज शास्त्र सुधार कार्यक्रम द्वारा अध्यापन में गुणात्मक सुधार हेतु 200 कालेजों का लक्ष्य रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य के लिए नियत राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विषय पर एक समिति का गठन किया गया था और इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हाँ, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 1999-2000 के दौरान मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान कालेज सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 100 कालेजों को लक्षित किया गया है। वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 1.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

दवाओं की कमी

1399. **श्री रामसागर रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के परिसर में स्थित दवाई की दुकानों में दवाइयों की कमी के कारण मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामाना करना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो इन दुकानों से सभी प्रकार की दवाओं और विशेषकर जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या अधिकांश सरकारी अस्पतालों में सुपर बाजार द्वारा चलाई जा रही दवाई की दुकानें मरीजों को दवाएं उपलब्ध कराने में विफल हो गई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. चणमुगम) : (क) से (घ) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों,

नामतः सफदरजंग अस्पताल, डॉ० राममनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल, नई दिल्ली के परिसरों में केमिस्ट की दुकानें सुपर बाजार की शाखाएं हैं। अस्पताल प्राधिकारियों को सुपर बाजार में दवाइयों की अनुपलब्धता के बारे में कोई सूचना नहीं है।

आई.डी.पी.एल.

1400. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आई.डी.पी.एल. इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसकी कितनी इकाइयां रुग्ण हैं तथा इसे बंद किए जाने की संभावना है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने श्रमिकों के प्रभावित होने की आशंका है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इनके रोजगार हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) आई.डी.पी.एल. को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा 12.8.1992 को रुग्ण घोषित किया गया था। आई.डी.पी.एल. की तीन इकाइयां और दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां निम्नलिखित स्थानों पर हैं :

1. हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

2. ऋषिकेष (उत्तर प्रदेश)

3. गुड़गांव (हरियाणा)

4. मुजफ्फरपुर (बिहार) - सहायक कंपनी

5. चेन्नै (तमिलनाडु) - सहायक कंपनी

कामगारों के भविष्य सहित कंपनी का भविष्य बीआईएफआर की कार्यवाही और अन्तिम निर्णय के अनुसार निश्चित किया जाएगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याण योजनाएं

1401. श्री रामदास आठवले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अब तक कार्यान्वित योजनाओं का एक विवरण प्रत्येक योजना के सामने उनकी समीक्षा की स्थिति देते हुए संलग्न है।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए योजना के ब्यौरे	समीक्षा के ब्यौरे
1	2
1. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संगठन योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	1. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत तिमाही तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से योजना की समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय द्वारा तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संचालित वार्षिक विशेष संघटक बैठकों में इस योजना की समीक्षा/मोनिटरिंग।
2. अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता	2. समीक्षा के आधार पर इस योजना में संशोधन किया गया।
3. सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना	3. समीक्षा के आधार पर यह योजना संशोधनाधीन है।
4. अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान की योजना	4. इस योजना की समीक्षा की जा रही है और अध्ययन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
5. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	5. पिछले वर्षों के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए योजना की समीक्षा की जाती है।

1	2
6. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	6. पिछले वर्षों के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए योजना की समीक्षा की जाती है।
7. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	7. योजना आयोग के साथ तथा इस मंत्रालय में राज्य योजना पर विचार-विमर्श के दौरान इस योजना की समीक्षा की जाती है।
8. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	8.से 11. इन योजनाओं की समीक्षा की गई है और समीक्षा के परिणामों के आधार पर उन्हें संशोधित किया गया है।
9. अनुसूचित जाति लड़कों/लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण की योजना	
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पुस्तक बैंक की योजना	
11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की प्रतिभा उन्नयन संबंधी योजना	
12. अनुसूचित जाति संबंधी सहायक परियोजनाओं के लिए अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की योजना	12. योजना आयोग के साथ प्रत्येक वर्ष विचार विमर्श करके इस योजना की समीक्षा की जाती है।
13. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का वित्त पोषण	13. निदेशक मंडल की बैठकों तथा मंत्रालय में आयोजित बैठकों के माध्यम से आवधिक समीक्षा की जाती है।
14. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम का वित्त पोषण	14. निदेशक मंडल की बैठकों तथा मंत्रालय में आयोजित बैठकों के माध्यम से आवधिक समीक्षा की जाती है।
15. अनुसूचित जनजातियों की कल्याण योजनाओं के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदान, अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए होस्टल, अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए होस्टल, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, ट्राइफेड में निवेश, ट्राइफेड को मूल्य समर्थन, राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान, कम साक्षरता वाले पॉकेटों में।	15. अनुसूचित जातियों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं की समीक्षा आदिवासी उपयोजना को अंतिम रूप देने संबंधी बैठकों में की जाती है तथा योजना आयोग द्वारा इनकी पुनः समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) पर सीएजी की रिपोर्ट

1402. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1999 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सीएजी रिपोर्ट स्लैम्स डीडीए ओवर लैपसेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें प्रस्तुत किया तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों को खामियों के ऊपर उत्तरदायित्व और जवाबदेही तय कर दी गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के कार्यकलाप को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हाँ।

(ख) समाचार-मद के दो भाग हैं, अर्थात (i) यमुना क्षेत्र त्रिलोकपुरी में 260 रिडायशी यूनिटों का निर्माण-1.73 करोड़ का नुकसान; और

(ii) बोडेला चरण-I तथा चरण-II में 37 समूह आवास समितियों को पेयजल आपूर्ति-1.76 करोड़ रुपए का नुकसान तथ्य और प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित अनुसार हैं।

यमुनापार क्षेत्र त्रिलोकपुरी में 266 रिडायशी यूनिटों का निर्माण-1.73 करोड़ रुपए का नुकसान	बोडेला चरण-I तथा चरण-II के 37 समूह आवास समितियों को पेयजल आपूर्ति-1.76 करोड़ रुपए का नुकसान
मूल प्रस्ताव, त्रिलोकपुरी, मयूर विहार फेज-I, पॉकेट-IV (में 300 (60 एमआईजी व 240 एलआईजी) मकानों का निर्माण था लेकिन वास्तव में 260 (52 एमआईजी तथा 208 एलआईजी) मकानों का ही निर्माण किया जा सका क्योंकि भूमि का एक भाग वैद्युत उप केन्द्र के निर्माण के लिए आवंटित होने के कारण पूरा स्थल उपलब्ध नहीं था।	एमसीडी की अनुमोदित स्कीम के अनुसार बाढरी जल आपूर्ति लाइन बिछाने, 7.0 लाख गैलन क्षमता के भूमिगत टैंक, पंप हाउस और अन्य संबंधित कार्यों पर 1.76 करोड़ रुपए खर्च किए गए तथा इनका उपयोग एमसीडी (अब दिल्ली जल बोर्ड) द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले जल के वितरण के लिए किया जाएगा और इसलिए खर्च को अलाभकारी नहीं कहा जा सकता है।
260 एमआईजी में से, 40 (32 एलआईजी व 8 एमआईजी) मकानों को ठीक कराया गया और आवंटित किया गया तथा शेष 220 मकानों (176 एलआईजी व 44 एमआईजी) को बहुत खराब कार्य गुणता के कारण गिरा दिया गया।	विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से आग्रह के बावजूद एमसीडी (अब दिल्ली जल बोर्ड) हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंन्ट प्लाट से अभी तक जल आपूर्ति नहीं कर सका है और हाल ही में नांगलोई वाटर ट्रीटमेन्ट प्लाट से जल आपूर्ति का प्रस्ताव किया है।
ठेकेदार तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा मकानों के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया गया।	
(ग) जी, हाँ। जांच पड़ताल के बाद सर्वश्री जी.बी. रावत, कार्यपालक इंजीनियर, आर.ए. मडेश्वरी सहायक इंजीनियर के.लो.नि.वि. से प्रतिनियुक्ति पर तथा सी.पी. अग्रवाल, कनिष्ठ इंजीनियर इन के लिए जिम्मेदार पाए गए थे।	(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में स्पष्ट की गई स्थिति को देखते हुए आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।
(घ) अनुशासनिक कार्यवाही चलाने के बाद, श्री सी.पी. अग्रवाल वरिष्ट इंजीनियर पर, तीन वर्षों के लिए उसके वेतनमान का न्यूनतम स्टेज तक कम करने की शक्ति लगाई गई थी। श्री जी.बी. रावत, कार्यपालक इंजीनियर को 26.7.1990 को ही बड़ी शास्ति की कार्यवाही के लिए जारी की गई चार्जशीट न्यायालय द्वारा प्रशासनिक आधार पर खारिज कर दी गई है तथा श्री रावत, कार्यपालक इंजीनियर को 13.3.1996 को नई चार्जशीट जारी की गई। मौखिक टॉप जांच अधिकारी के पास लंबित है। श्री आर.ए. मडेश्वरी, सहायक इंजीनियर, (के.लो.नि.वि. से प्रति नियुक्ति पर) बड़ी शास्ति लगाने की कार्यवाही के लिए मसौदा चार्जशीट, 20.8.1990 को उसके मूल विभाग को अगली कार्रवाई करने के लिए भेजी गई थी।	(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए लागू नहीं है।
(ङ) ऐसी घटना से बचने के लिए डीडीए में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :	(ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए लागू नहीं है।
(i) डीडीए में ठेकेदारों का पंजीकरण और अधिक कड़ा कर दिया गया है। राज्य लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों पर डीडीए के कार्यों के निविदा भेजने पर रोक लगा दी गई है। अब निविदाएं केवल डीडीए के.लो.नि.वि., एमईएस तथा रेलवे में पंजीकृत ठेकेदारों को ही भेजी जाती है।	

यमुनापार क्षेत्र त्रिलोकपुरी में 266 रिहायशी यूनिटों का निर्माण-1.73 करोड़ रुपए का नुकसान	बोडेला चरण-I तथा चरण-II के 37 समूह आवास समितियों को पेयजल आपूर्ति-1.76 करोड़ रुपए का नुकसान
(ii) चल रहे कार्य के पर्यवेक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। निर्माण के विभिन्न चरणों में विभिन्न अधिकारियों द्वारा कार्य का निरीक्षण करना आवश्यक है। (iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के सीधे प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन कार्य कर रहे सैल को सुदृढ़ बनाया गया है। विभिन्न कार्यों के निरीक्षण की समयावधि भी नियत कर दी गई है और सभी मुख्य कार्यों का निरीक्षण फील्ड स्टाफ से लेकर मुख्य इंजीनियरों के स्तर तक किए जाने वाले पर्यवेक्षण के अलावा मुख्य इंजीनियर (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वारा किया जाना अपेक्षित है।	

नए मेडिकल बोर्ड का गठन

1403. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने जी.बी. पंत अस्पताल में पुरानी औषधियों और साधनों की छानबीन के लिए पुलिस उपायुक्त (अपराध) को एक नए मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए निर्देश दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या नए पैनल का गठन कर लिया गया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने डॉ० प्रदीप सेठ, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (सूक्ष्मजीव विज्ञान) की अध्यक्षता में 5.5.1999 को 8 डॉक्टरों का एक नया पैनल बनाया है। इस पैनल ने इस मामले पर अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। पैनल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट यथासमय प्रस्तुत कर दी जाएगी।

उपयुक्त पेंशन व्यवस्था प्रणाली

1404. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपयुक्त पेंशन व्यवस्था की युक्ति निकालने हेतु गठित एस.के. दवे समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी;

(ख) यदि हाँ, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वर्तमान भविष्य निधि और पेंशन योजना को तर्कसंगत बनाने के अलावा राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक निधि गठित करने हेतु तत्काल क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) वृद्धावस्था आम सुरक्षा से सम्बन्धित नीतिगत प्रश्नों की व्यापक रूप से जांच करने सम्बन्धी एक परियोजना जिसका नाम ओएसिस (वृद्धावस्था सामाजिक एवं आम सुरक्षा का आवर्णक) है, सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 के दौरान शुरू की गई। सरकार द्वारा डॉ० सुरेन्द्र के. दवे की अध्यक्षता में नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट सरकार को फरवरी, 1999 में प्रस्तुत कर दी है।

(ख) दवे समिति की प्रथम रिपोर्ट के अंतर्गत वर्तमान पेंशन योजनाओं - जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि और भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) भारतीय यूनिट ट्रस्ट आदि की वार्षिक भुगतान सम्बन्धी योजनाओं के कवरेज का विस्तार करने, प्रतिफल की दर में वृद्धि करने और ग्राहक सेवाओं में सुधार करने के सम्बन्ध में विशेष सुझाव दिए गए हैं। समिति की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को फरवरी, 1999 में भेज दी गई है।

(ग) इस समय सरकार का राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक निधि नामक किसी निधि को स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। तथा वयोवृद्ध व्यक्तियों से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि वयोवृद्ध व्यक्तियों के कल्याणार्थ एक कल्याण निधि स्थापित की जाएगी। इसे सरकार, नियमित क्षेत्र, न्यासों, धर्मार्थ संस्थाओं और दानकर्ता व्यक्तियों से वित्त पोषण प्राप्त होगा।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

1405. श्री बाजू बन रियान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में राज्यवार कितनी प्रतिशत सफलता प्राप्त की गई; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उक्त मिशन के अन्तर्गत कोई प्रगति नहीं हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य, समयबद्ध तरीके से 15-35 आयु वर्ग के 100 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना और साक्षरता के संतोषजनक स्तरों को प्राप्त करना है।

(ख) कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च की गई राशि का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हाँ। प्रोफेसर अरूण घोष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल द्वारा देश में पूर्ण साक्षरता अभियान का एक स्थितिपरक एवं प्रभावपरक मूल्यांकन, आयोजित किया गया था।

(घ) कार्यदल ने पूर्ण साक्षरता अभियानों की दुर्बलताओं एवं कमजोरियों के साथ सामान्य सिफारिशें दी। साक्षरता कार्यक्रम का राज्यवार प्रभाव, वर्ष 1997 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में देखा जा सकता है।

(ङ) वे राज्य जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार आशाप्रद उपलब्धियां दिखाई हैं वे हैं, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, राजस्थान, हिमालच प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम तथा सिक्किम, मेघालय और नागालैंड। संघ राज्य क्षेत्र की छोटी इकाइयों में अण्डमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप और पांडिचेरी हैं।

विवरण

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्यों को जारी की गई कुल निधियां (31.3.1999 तक)

(रुपए लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
आन्ध्र प्रदेश	7059.36
अरुणाचल प्रदेश	158.90
असम	2233.71
बिहार	6873.20
गोवा	46.69
गुजरात	3562.99
हरियाणा	1216.28
हिमाचल प्रदेश	656.20
जम्मू और कश्मीर	626.10
कर्नाटक	4481.22
केरल	810.15
मध्य प्रदेश	7188.06
महाराष्ट्र	6116.88
मणिपुर	190.14
मेघालय	335.76
मिजोरम	107.35
नागालैंड	247.35
उड़ीसा	3325.01
पंजाब	1067.36
राजस्थान	7197.94
सिक्किम	27.69
तमिलनाडु	6174.45
त्रिपुरा	324.10
उत्तर प्रदेश	10355.03
पश्चिम बंगाल	6874.52
चंडीगढ़	221.74
दिल्ली	975.63
पांडिचेरी	18.24
दमन और दीव	3.02
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	54.27
दादरा और नगर हवेली	2.25
लक्षद्वीप	20.70
कुल	78,552.29

[हिन्दी]

संस्कृति नीति

1406. प्रो० रासासिंह रावत : क्या संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संस्कृति संबंधी नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसकी घोषणा कब तक कर दी जाएगी; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) यद्यपि, विगत में व्यापक राष्ट्रीय संस्कृति नीति निरूपित करने के प्रयास किए गये थे, तथापि इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। लेकिन, सरकार राष्ट्रीय संस्कृति नीति तैयार करने पर विचार कर रही है। इस समय कोई भी समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

(घ) संस्कृति विभाग के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले कार्यक्रमों व कार्यकलापों के लिए नौवीं योजना-परिव्यय 920.41 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

देश में विकलांगों की संख्या

1407. श्री नरेश पुगलिया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में विशेष रोजगार कार्यालयों के पंजीकृत विकलांग लोगों की कुल संख्या क्या है;

(ख) विकलांगों को अब तक राज्यवार कितनी नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विकलांगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) दिनांक 31.12.1997 की स्थिति के अनुसार, विशेष रोजगार कार्यालयों के अद्यतन रजिस्टर में 75,985 विकलांग व्यक्ति थे।

(ख) आरंभ से दिसम्बर, 1997 से विशेष रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए नियोजनों की संख्या, व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा आरंभ से दिसम्बर, 1998 तक पुनर्वासित व्यक्तियों की संख्या, तथा वर्ष 1996-97 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के संबंध में विशेष रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए नियोजनों की संख्या क्रमशः विवरण-I, II और III में दी गई है।

(ग) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के अंतर्गत प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक स्थापना में विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों के लिए न्यूनतम 3 प्रतिशत ऐसी रिक्तियों में से नियुक्ति करेगी जिसमें से एक प्रतिशत प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए गए पदों में निम्नलिखित से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाएगा :

(1) दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि;

(2) श्रवण विकलांगता;

(3) चलन संबंधी विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्क अंगघात।

विवरण-I

आरंभ से दिनांक 31.12.1997 की अवधि के दौरान विशेष रोजगार कार्यालय द्वारा किए गए नियोजन की संख्या

क्र.सं.	विशेष रोजगार कार्यालय	आरंभ का वर्ष	नियोजन
1.	मुम्बई	1959	6399
2.	दिल्ली	1961	5175
3.	मद्रास	1962	11047
4.	हैदराबाद	1962	3696
5.	कलकत्ता	1963	2826
6.	अहमदाबाद	1963	6341
7.	बंगलौर	1963	3678
8.	लुधियाना	1964	2706
9.	कानपुर	1965	1336
10.	त्रिवेन्द्रम	1970	4138
11.	जबलपुर	1971	1277
12.	पटना	1974	658
13.	जयपुर	1975	1107
14.	चंडीगढ़		
15.	भुवनेश्वर	1976	304
16.	शिमला	1977	
17.	गुवाहाटी	1979	
18.	अगरतला	1979	163
19.	राजकोट	1981	1139
20.	सूरत	1981	798
21.	बड़ौदा	1981	1380
22.	इम्फाल	1982	28
23.	विशाखापट्टनम	1987	166
24.	मैसूर	1996	70
25.	कोझी कोड	1996	40
26.	कोल्लम	1996	24
27.	अजमेर	1997	6
28.	अलवर	1997	10
29.	गोरखपुर	1997	-
30.	अलीगढ़	1997	13
31.	इलाहाबाद	1997	-
32.	आगरा	1997	1
33.	वाराणसी	1997	1
	कुल		54526

विवरण-II

आरंभ से दिसम्बर, 1998 तक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा पुनर्वासित व्यक्तियों की संख्या

वी.आर.सी. का नाम	कुल
अगरतला	1076
अहमदाबाद	8963
बंगलौर	6038
भुवनेश्वर	6583
कलकत्ता	8265
चेन्नई	9563
दिल्ली	6843
गोवाहाटी	3507
हैदराबाद	12182
जबलपुर	6340
जयपुर	2780
कानपुर	9015
लुधियाना	6912
मुम्बई	11436
पटना	861
त्रिवेन्द्रापुरम	8057
वडोदरा	880
कुल	109301

विवरण-III

वर्ष 1996-97 के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के संबंध में रोजगार कार्यालयों द्वारा नियोजित संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 1996-97 के दौरान नियोजित संख्या 1996	1997
1	2	3	4
राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	304	433
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	5	12
4.	बिहार	4	4
5.	गोवा	10	54
6.	गुजरात	346	456
7.	हरियाणा	128	83
8.	हिमाचल प्रदेश	46	26
9.	जम्मू व कश्मीर	-	-
10.	कर्नाटक	372	547
11.	केरल	737	650
12.	मध्य प्रदेश	106	144
13.	महाराष्ट्र	369	450
14.	मणिपुर	19	3
15.	मेघालय	1	3
16.	मिजोरम	-	-
17.	नागालैंड	-	-
18.	उड़ीसा	36	140
19.	पंजाब	59	81
20.	राजस्थान	197	223
21.	सिक्किम*		
22.	तमिलनाडु	912	894
23.	त्रिपुरा	1	-
24.	उत्तर प्रदेश	70	70
25.	पश्चिम बंगाल	76	54
संघ राज्य क्षेत्र			
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	-	-
27.	चंडीगढ़	7	11
28.	दादरा व नगर हवेली	-	-
29.	दिल्ली	54	22
30.	दमन व दीव	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	-
32.	पांडिचेरी	-	-
	कुल	3859	4450

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम

1408. श्री रामपाल सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अगले सत्र से पाठ्यक्रम को पूरी तरह बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने स्कूल पाठ्यक्रम में सुधार करने के कार्य हेतु एक समूह गठित किया है। पाठ्यक्रम समूह चर्चा दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में है जिसके दिसम्बर, 1999 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है।

तकनीकी शब्दावली का उपयोग

1409. डॉ0 लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) द्वारा पुस्तकों, प्रकाशनों व प्रश्न-पत्रों इत्यादि में राजभाषा नीति का पालन न करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : (क) से (ग) एन.सी.ई.आर.टी. और सी.बी.एस.ई. दोनों ही द्वारा राजभाषा नीति का पालन किया जाता है। एन.सी.ई.आर.टी. को कोई शिकायत नहीं मिली है जबकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मातृभाषा विकास परिषद्, आनंद प्रभात, दिल्ली से पाठ्यपुस्तकों में पाए गए तथा पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्रों में प्रयुक्त कतिपय तकनीकी शब्दों के संबंध में कुछ पत्र मिल रहे हैं। इन तकनीकी शब्दों को राजभाषा अधिनियम के तकनीकी शब्दों के अनुसार संशोधित करने की जरूरत है। सी.बी.एस.ई., एन.सी.ई.आर.टी. से विचार-विमर्श कर रहा है क्योंकि बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्रों में उसी तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जिसका प्रयोग एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकों में है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

1410. श्री रामशकल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम को बड़ा धक्का लगा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. चणमुगम) : (क) से (ग) पूरे देश के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत की गई उपलब्धियां काफी महत्वपूर्ण रही हैं। केरल, तमिलनाडु और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने 2000 ई. के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पहले ही प्राप्त कर लिया है और आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य लक्ष्य प्राप्त करने के करीब हैं। तथापि, कुछ राज्य मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक सूचकों की धीमी उपलब्धि के कारण पिछड़ रहे हैं।

परिवार कल्याण हेतु राष्ट्रीय प्रयास को निम्नलिखित उपायों के माध्यम से पुनर्गठित और सुदृढ़ किया गया है :

(i) एकीकृत और व्यापक प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भनिरोधन से संबंधित मुद्दे शामिल हैं,

(ii) छोटे परिवार के लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम,

(iii) कतिपय परिवार कल्याण बुनियादी ढांचे के रख-रखाव के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता,

(iv) परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता।

हैदराबाद में लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम

1411. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद शहर के लिए लाइट रेल ट्रांजिस्ट सिस्टम के संबंध में किए गए शहरी कार्य की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितना प्रतिशत शहरी कार्य पूरा किया गया और कार्य रोकने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा कार्य पुनः शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई बातचीत की गयी है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार, भारत सरकार के साथ परामर्श के बाद,

हैदराबाद में हल्की रेल परिवहन प्रणाली (एल.आर.टी.एस.) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के निर्देश-निबंधन (टी.ओ.आर.) को अंतिम रूप दे रही है। अतः इस अवस्था में किए गए शहरी कार्यों की समीक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती

1412. श्री राजैया मल्याला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास विदेशों में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षकों के स्थानांतरण/तैनाती के लिए कोई दिशा-निर्देश बनाये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश-वार कितने शिक्षकों की तैनाती की गई;

(ग) ऐसी तैनातियों का ब्यौरा क्या है जिनमें मानदंडों और प्रक्रिया को अनदेखा किया जाता है; और

(घ) इस विद्यालय में मास्को में कार्यरत कितने शिक्षकों को जुलाई, अगस्त, 1997 में वापस भेजा गया था तथा उनकी रुचि के स्थानों पर तैनाती की गई थी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड पाटील) : (क) विदेशों में शिक्षकों को तैनात करने के लिए शिक्षकों के चयन के दिशा-निर्देश केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा तैयार किए गए हैं।

(ख) 09 स्नातकोत्तर शिक्षकों को केन्द्रीय, विद्यालय, मास्को और 09 स्नातकोत्तर शिक्षकों को केन्द्रीय विद्यालय, काठमांडू में तैनात किया गया।

(ग) जी, कोई नहीं।

(घ) 05 (पांच)।

ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित मातृत्व

1413. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए परम्परागत रूप से दाइयों का काम कर रही महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) अब तक जिलेवार कितनी दाइयों को प्रशिक्षण दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) जी, हाँ।

(ख) राज्य में 29961 पारम्परिक दाइयां हैं जिनमें से 23428 दाइयों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ग) सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मौजूदा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर परिचर्या, रक्ताल्पता की रोकथाम, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, सुरक्षित प्रसव करवाने, आपातकालीन प्रसूति परिचर्या, सुरक्षित गर्भपात सेवाएं और प्रजननमार्गी संक्रमण/यौन मार्गीय संक्रमण के उपचार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

विवरण

पारम्परिक दाइयों के जिलेवार ब्यौरे (1999-2000)

क्र.सं.	जिला	योग
1.	गांधी नगर	192
2.	अहमदाबाद	1841
3.	जूनागढ़	805
4.	जामनगर	1163
5.	साबरकांठा	1269
6.	राजकोट	1003
7.	भड़ूच	1012
8.	अमरेली	552
9.	भावनगर	582
10.	सुरेन्द्रनगर	1220
11.	पंचमहल	3750
12.	सूरत	1698
13.	खेड़ा	1835
14.	वदोदरा	2400
15.	मेहसाणा	989
16.	भुज	494
17.	वलसाड़	1343
18.	डांग्स	260
19.	बनासकांठा	1100

अनधिकृत कब्जाधारी

1414. डॉ0 बलिराम : क्या शहरी विकास मंत्री 'अनधिकृत कब्जाधारी' के बारे में 26 फरवरी, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 804 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सूचना एकत्र की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रसारण विधेयक

1415. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसारण विधेयक को दुबारा तैयार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह पहले विधेयक से किस सीमा तक अलग है;

(घ) प्रस्तावित विधेयक में कब तक परिवर्तन किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस विधेयक को कब तक संसद में प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) संसद में यथाशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु सरकार का एक नया प्रसारण विधेयक तैयार करने का विचार है जिसके ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ङ) अभी कोई समय सीमा इंगित नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने तक स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

12.00 मध्याह्न

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबको सुनूंगा, आप जरा इत्मीनान से बैठिये।

.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबको सुनूंगा, आप बैठिये।

.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबको सुनूंगा।

.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी सुनूंगा।

.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पेपर्स ले करने के बाद आपको सुनूंगा।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा।

.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर जाइए।

.....(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

इस समय श्री रघुराज सिंह शाक्य तथा श्री राम सागर रावत सभा पटल के निकट आए और फर्श पर खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबकी बात सुनूंगा।

.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.....(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

इस समय श्री रघुराज सिंह शाक्य तथा श्री राम सागर रावत अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने के बाद आप सबकी बात सुनूंगा।

.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जज साहब ने कहा है कि ये प्राइमा फेसी कसूरवार हैं। उस हालत में इन्हीं लोगों ने ट्रैडीशन कायम किया है।.....*(व्यवधान)* हवाला कांड में नाम आने पर आडवाणी जी ने त्याग-पत्र दिया था।.....*(व्यवधान)* श्री बूटा सिंह ने भी त्याग-पत्र दिया था।.....*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आडवाणी जी गृह मंत्री के पद पर हैं।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिये।

.....(व्यवधान)

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह: आप एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए।.....*(व्यवधान)* जज साहब ने कहा है कि यह प्राइमा फेसी का मामला बनता है। ये मस्जिद तोड़ने के जिम्मेदार हैं।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपसे अपना-अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध कर सकता हूँ?

.....(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : महोदय, आप कृपया सभा को विश्वास में लें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और 5.00 बजे अपना वक्तव्य देंगे।

अब हम कार्यसूची में सूचीबद्ध मामलों पर चर्चा करेंगे।

अपराह्न 2.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) काउंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) काउंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) काउंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 463/99]

(3) (एक) काउंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) काउंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कांउसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 464/99]

श्री प्रभुनाथ सिंह (मझाराजगंज, बिहार) : वहां राम मन्दिर बनेगा।.....*(व्यवधान)* राम अपने भक्तों को वहां मन्दिर बनाने के लिए पुकार रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वह अपना वक्तव्य देंगे। बैठक में यह निर्णय लिया गया था। आप भी नेता हैं कृपया व्यवधान न डालें।

.....(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वह सभी नेताओं के विचार सुनेंगे और तब वह अपना उत्तर देंगे.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपको फैसला करना चाहिए।.....*(व्यवधान)* इस पर कोई नियम होना चाहिए।..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस बैठक की अध्यक्षता की थी उसमें यह निर्णय लिया गया था।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्री सुरेश प्रभु की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) इंडियन पेट्रोकेमीकल्स कारपोरेशन लिमिटेड और डिपार्टमेंट आफ केमीकल्स एण्ड पेट्रोकेमीकल्स, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 465/99]

(2) नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 466/99]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : श्रीमती मेनका गांधी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21 की उपधारा (4) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के बारे में वर्ष 1993 से 1995 के लिए तीसरे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 467/99]

(3) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क की उपधारा (4) के अंतर्गत सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के बारे में वर्ष 1995 के लिए सोलहवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 468/99]

(5) (एक) मौलाना आजाद एज्यूकेशन फांउडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद एज्यूकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद एज्यूकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 469/99]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 470/99]

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 23 की उपधारा (3) की अन्तर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 1999 जो 20 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 597 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 471/99]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. बणमुगम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरी संशोधन) नियम, 1999 जो 5 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 245 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 472/99]

(2) (एक) डेंटल काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेंटल काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 473/99]

(3) (एक) सेंट्रल कांउसिल फार रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 474/99]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 475/99]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंग राव गायकवाड पाटील) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) संत लोंगोवाल इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी लोंगोवाल के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 476/99]

(3) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 477/99]

(5) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 478/99]

(7) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 479/99]

(9) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 480/99]

(11) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 481/99]

(13) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 482/99]

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 483/99]

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 484/99]

(चार) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 485/99]

(14) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 486/99]

(16) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 487/99]

(18) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 488/99]

(20) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 489/99]

(22) (एक) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जयपुर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जयपुर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।)

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 490/99]

(24) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 491/99]

(26) (एक) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 492/99]

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 493/99]

(28) (एक) मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 494/99]

(30) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 495/99]

(32) (एक) बोर्ड आफ प्रेक्टीकल ट्रेनिंग, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड आफ प्रेक्टीकल ट्रेनिंग, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 496/99]

(34) (एक) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ सिंधी लेंग्युएज, बड़ौदरा के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ सिंधी लेंग्युएज, बड़ोदरा के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 497/99]

(36) एजूकेशनल कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और शिक्षा विभाग, मानव संस्थान विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 498/99]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा') : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 23 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (इक्विटी कैपीटल) विनियम, 1998 जो 11 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 668 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (विवरणियों का प्रस्तुतीकरण) विनियम, 1998 जो 11 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 669 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 499/99]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सभा में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : भगवान राम अपने भक्तों को वहां मन्दिर बनवाने के लिए बुला रहे हैं। वहां मन्दिर बनेगा। ..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं बोल रहा हूँ। मैं आपसे अपने स्थान पर बैठने के लिए कह रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : वहां मंदिर बनेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब व्यवधान न डालें। नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था।

अपराह्न 2.06 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) जयपुर में पेयजल की विकट समस्या के समाधान हेतु राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, जयपुर के भूजल स्रोतों की वर्तमान एवं भविष्य में क्षमता आंकलन करने की दृष्टि से एक अध्ययन करवाया गया था जिसके परिणामस्वरूप जो तथ्य सामने आये हैं, उनसे यह दृष्टिगत होता है कि यदि वर्तमान गति से भूजल का दोहन होता रहा तो भूजल के स्तर में तीव्र गति से गिरावट आती जायेगी।

जयपुर शहर से लगभग 120 किलोमीटर दूर टोंक के निकट बनास नदी पर बीसलपुर बांध बन चुका है। इस बांध से जयपुर शहर में जयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति हेतु 3172 लाख क्यूबिक लीटर जल की मात्रा आरक्षित है, जो शहर की वर्ष 2021 तक की पेयजल मांग पूर्ण करने हेतु यथेष्ट है।

जयपुर शहर की पेयजल मांग वर्ष 2021 में लगभग 5028 लाख लीटर प्रतिदिन तथा वर्ष 2021 में 7231 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच जायेगी। बीसलपुर बांध से पानी लाने एवं उसका शहर में उचित प्रकार से वितरण करने हेतु सम्भाव्यता रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना को 2 चरणों में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण की पाइप लाइन से लगभग वर्ष 2021 तक एंव द्वितीय चरण की पाइप लाइन से वर्ष

2021 तक आपूर्ति हो सकेगी। जयपुर शहर व कच्ची बस्तियों में सर्दी के दिनों में भी पूर्ण वेग से जल वितरण नहीं हो रहा है और जन-जीवन दुःखी है।

सम्भाव्यता रिपोर्ट के अनुसार बीसलपुर से जयपुर ट्रांसमीशन सिस्टम पर जयपुर शहर में ट्रांसफर सिस्टम तथा वितरण करने पर कुल अनुमानित लागत 1416.40 करोड़ रुपये है। परन्तु ट्रांसफर सिस्टम एवं वितरण प्रणाली पर अनुमानित पूर्ण, व्यय तुरंत किया जाना आवश्यक नहीं होगा। अतः 638.80 करोड़ रुपये के प्रावधान के विरुद्ध वर्तमान में कमी करके 381.20 करोड़ रुपये व्यय करना ही प्रस्तावित है। इस प्रकार योजना के प्रथम चरण में 1100 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार के पास धनराशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए केन्द्रीय सरकार जल आपूर्ति करने की घोषणा के अनुसार सम्पूर्ण रकम उपलब्ध कराये।

[अनुवाद]

(दो) बिहार के औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान बिहार में, विशेषतः मध्य बिहार के औरंगाबाद जिले में विभिन्न रेलवे स्टेशनों की दयनीय दशा की ओर दिलाना चाहती हूँ।

बिहार में ए.एन. रोड़ स्टेशन, फेजर रेलवे स्टेशन और रफीगंज रेलवे स्टेशन की दशा बहुत खराब है। पिछले अनेक वर्षों में नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और विस्तार सम्बन्धी कोई भी कार्य नहीं किया गया है। प्लेटफार्म जर्जर हालत में हैं और इन स्टेशनों पर प्रतीक्षा-कक्ष या विश्राम कक्ष सुविधाएं भी नहीं हैं, जिसके कारण आम यात्रियों को भारी परेशानी होती है।

औरंगाबाद के लोग पिछले कई वर्षों से निरंतर यह मांग कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण गाड़ियों, जैसे "पूर्वा एक्सप्रेस", "कालका मेल" और "दून एक्सप्रेस" को मेरे निर्वाचन क्षेत्र, औरंगाबाद में क्रमशः ए.एन. रोड़, रफीगंज और फेजर रेलवे स्टेशनों पर ठहराव प्रदान किया जाये।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से यह निवेदन करती हूँ कि बिहार के औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और विस्तार की तरफ विशेष ध्यान दें।

(तीन) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ऋण सीमा को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामसागर रावत (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए अपना कोई आवास नहीं है, उनके लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सरकार 20 हजार रुपए में आवास का निर्माण करती है। यह रकम महंगाई के जमाने में बहुत कम है। साथ ही साथ इस योजना में विशेष कर बाराबंकी जिले में अनियमितताओं की शिकायतें भी मिली हैं।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इन्दिरा आवास योजना में आंवटित धनराशि को 20 हजार रुपए प्रति आवास से बढ़ा कर 50 हजार रुपए प्रति आवास किया जाए तथा अनियमितताओं को दूर करने का प्रबन्ध किया जाए।

(चार) बिहार में मुंगेर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुंगेर संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय है। यह जिला और कमिश्नरी मुख्यालय भी है। मुंगेर एक प्राचीनकालीन एवं मध्यकालीन नगर है। मुंगेर में पर्यटन के दृष्टिकोण से अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल हैं। रामायणकालीन ऋषि ऋण कुंड, सीता कुंड हैं। वहां गर्म पानी का झरना है। सीता चरण मध्य गंगा की धारा में स्थित है। वहां महाभारतकालीन भीम बांध है। वहां गर्म पानी का झरना होने की वजह से काफी लोग जाते हैं। वहां महाभारतकालीन कर्ण चौड़ा भी है। वह आधुनिक काल का योगाश्रम है। इसे गंगा दर्शन कहा गया है। हजारों विदेशी लोग योगाश्रम में आते हैं और उपरोक्त पर्यटन स्थलों का आनन्द लेते हैं। नौशक्ति में एक चंडी स्थान है। यह गंगा किनारे स्थित है। हजारों लोग यहां अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पूजा करने आते हैं और कष्टहरणी घाट पर स्नान करते हैं। मध्यकालीन मीरकासिम का किला है। इसके साथ अनेक किले हैं और आसपास दर्शनीय स्थल हैं लेकिन सभी स्थल जर्जर और अर्थ अभाव के कारण नष्ट होने की स्थिति में हैं। मुंगेर जो महाभारतकालीन काल में अंग देश के नाम से विश्वविख्यात था, आजादी के बाद ह्रासोन्मुख होता गया है। इस पर पर्यटन केन्द्र की दृष्टि से ध्यान नहीं दिया गया है। मैं पर्यटन मंत्री से मांग करता हूँ कि मुंगेर को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र घोषित किया जाए।

(पांच) उत्तर प्रदेश में घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मऊ रेलवे जंक्शन पर एक अधोगामी सेतु का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र घोसी जनपद मऊ, उ.प्र. के पूर्वोत्तर रेलवे के रेलवे स्टेशन मऊ जंक्शन पर (नगर में जाने वाली सड़क पर) रेलवे गेट के नीचे अधोगामी सेतु (अण्डर ग्राउंड ब्रिज) के निर्माण हेतु दिलाना चाहता हूँ। यह मऊ नगर साड़ी उत्पादन का बहुत बड़ा केन्द्र है जो भारत के साथ साथ दुनिया में अपना स्थान रखता है। यहां की जनसंख्या बढ़ जाने तथा साड़ी का व्यापारिक कार्य बढ़ जाने तथा जिला मुख्यालय बनने से कार्यालयों में वृद्धि हो जाने के कारण, उपरोक्त सड़क पर यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है और इस रोड़ पर रेल लाइन जो 100 वर्ष से पहले की बनी है, क्रास होने के कारण, नगर दो भागों में विभक्त हो गया है। लाखों लोगों को दिन में कई बार इस रोड़ से आना जाना होता है जब कि रेल यातायात भी अधिक होने के कारण दिन में बार-बार रेलवे गेट बंद रहने से लाखों लोगों के आवागमन में बाधा पड़ती है। वाहनों के रुक जाने पर सारा नगर ट्रैफिक

से जाम हो जाता है तथा मुख्य बाजार होने के कारण जनता की भीड़ लग जाती है जिससे सारे कार्यों में व्यवधान पड़ जाता है। यहां की जनता में काफी असंतोष है। यहां की जनता उक्त अधोगामी सेतु की बहुत दिनों से मांग कर रही है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि मऊ नगर में जाने वाली सड़क पर रेलवे गेट के नीचे अधोगामी सेतु (अण्डर ग्राउंड ब्रिज) का निर्माण किया जाये।

अपराह्न 2.18 बजे

खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक - *जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री नवीन पटनायक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी। श्री के.पी. सिंह देव बोल रहे थे, कृपया वे अपनी बात जारी रखें।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन मैं बोल रहा था। मैं यह कह रहा था कि इकानामिक सर्वे 1998-99 के औद्योगिक नीति और विकास सम्बन्धी अध्याय में वृहत क्षेत्रों में खान और निर्माण क्षेत्र पर अत्यधिक बल दिया गया है और अप्रैल से दिसम्बर, 1998 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत रही है जो अप्रैल से दिसम्बर, 1997 की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत से कम है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस प्रवृत्ति को बदलेंगे। लेकिन वह ऐसा किस प्रकार करेंगे ? क्या वह इस संशोधन के माध्यम से ऐसा करना चाहते हैं ? उन्होंने अपने आरम्भिक भाषण में कहा है कि वह और सामान्यतः राष्ट्रीय हित और विशेष रूप से खान उद्योग के हित को ध्यान में रख रहे हैं, इससे बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा मिलेगा और यह एक प्रगतिशील विधेयक है। यदि परसों हुए सम्मेलन में प्रधानमंत्री की टिप्पणियों पर ध्यान दिया जाये तो उन्होंने कहा है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये सरकार और व्यापक सुधारों के पक्ष में है। उनके मंत्रालय के 1998-99 के प्रतिवेदन से मुख्यरूप से एक बात पता चलती है। चालू वर्ष का प्रतिवेदन अभी नहीं आया है। इस्पात और खान मंत्रालय, जिसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी, के वार्षिक प्रतिवेदन में यह कहा गया है :

> "इन नीतिगत परिवर्तनों ने खनिज अन्वेषण और खनन क्षेत्र में निवेश के लिये अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया है। अक्तूबर 1996 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में 60,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में पूर्वेक्षण हेतु अब तक 43 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से 1998-99 के पहले 9 माह के दौरान राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार राज्यों के 30,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र हेतु 20 पूर्वेक्षण लाइसेंस जारी किये गये हैं। पूर्वेक्षण लाइसेंस जानी-मानी अंतर्राष्ट्रीय खनन कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों के लिये जारी किये हैं - जैसे ऑस्ट्रेलिया की बी.एच.पी. मिनरल्स, कनाडा की मेरिडियन पीक रिसोर्सेज़, ब्रिटेन की मेटडिस्ट, यू.एस.ए. की फेल्प्स, डॉज़ कारपोरेशन और ब्रिटेन की रियोटिन्टो। राजस्थान में 18000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र दिया गया है।
>
> विदेशी नीति संवर्धन बोर्ड ने खनन क्षेत्र में अभी तक लगभग 3158 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सम्बन्धी 51 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। इनमें से 1998-99 के पहले नौ माह के दौरान 474 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 12 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई थी।"

इसीलिये, श्री वसुदेव आचार्य इस विधेयक का पुरःस्थापन के समय ही विरोध कर रहे थे। वह कह रहे थे कि यह विधेयक बहुराष्ट्रीय निगमों और विदेशी कंपनियों के लिये हमारी खनिज सम्पदा को लूटने का एक खुला न्यौता है। मेरा कहना यह है कि अधिक निवेश जो कि संभवतः हमारी आज की आवश्यकता है, प्राप्त करने के हमारे प्रयास में हमें बिना कोई सुरक्षा उपाय किये अपने दरवाजे खुले नहीं छोड़ देने चाहिये। इस संबंध में, मैं समझता हूँ कि इस संशोधन विधेयक में, जो 42 वर्षों के बाद आ रहा है, मानवीय और पर्यावरणीय पहलुओं की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है। मूल विधेयक वर्ष 1957 में अधिनियम बना था। मैंने इस संशोधन विधेयक और इसके अनुबंधों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और इसमें कहीं भी पर्यावरणीय दुष्प्रभावों और पर्यावरणीय समस्याओं और इनसे निपटने सम्बन्धी आयों का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। दूसरे, इसमें मानवीय पहलू की भी अनदेखी की गई है।

जब कभी भी खनन या खनिज विकास या खनिज मूल्य संवर्धन कार्य होते हैं, चाहे यह छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बी.ए.एल.सी.ओ. का मामला हो या उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री गिरिधर गमांग के क्षेत्र में, जहां एल्युमिना संयंत्र स्थित हैं, एन.ए.एल.सी.ओ. का मामला हो, या मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रगालक हो या उड़ीसा के कालाहांडी जिले में बक्फुलीमाली स्थित आई.एन.डी.ए.एल. हो, जो लोग सबसे पहले विस्थापित होते हैं वे जनजातीय और समाज के कमजोर वर्ग के लोग होते हैं। उन लोगों के लिये कोई पुनर्वास योजना नहीं बनाई जाती। श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन काल में जब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एन.ए.एल.सी.ओ. के प्रगालक की स्थापना की जा रही थी, तब उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जो लोग अपनी भूमि से हटाये जा रहे हैं, उनका पुनर्वास किया जाए क्योंकि वे लोग न केवल अपनी भूमि खो रहे हैं अपितु अपनी जीविका भी खो रहे हैं। यह वर्ष 1981 की बात है और अब हम 1999 में हैं और अब एन.ए.एल.सी.ओ. के प्रगालक की क्षमता बढ़ाने की मांग की जा रही है। दामनजूड़ी के संयंत्र की क्षमता पहले ही बढ़ाई जा चुकी है किन्तु जो 1,357 परिवार विस्थापित हुए थे और बुरी तरह प्रभावित हुए थे, उनका अभी भी कोई पुनर्वास नहीं हुआ है। उदाहरण स्वरूप आप रांगली, इन्द्रावती या मंजोर सिंचाई परियोजनाओं को ही ले लीजिए, इन परियोजनाओं के विस्थापितों का भी अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है।

महोदय, एक संशोधन में मंत्री महोदय विनियमन और विकास के स्थान पर अब विकास और विनियमन चाहते हैं जो एक अच्छी बात है। उन्हें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में

विकास पर ध्यान देना चाहिये। पूर्वोत्तर राज्यों के लिये हमारे पास कार्यबल हैं, किन्तु भारत के पूर्वी तट के लिये हमारे पास कार्यबल नहीं है। विकास की लालसा में, विदेशी निवेश की लालसा में और यहां तक कि अनिवासी भारतीयों और भारतीयों से निवेश की लालसा में हमें मानवीय समस्याओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिये क्योंकि इनसे न केवल पर्यावरणीय समस्यायें ही पैदा होती हैं बल्कि सामाजिक समस्यायें भी पैदा होती हैं, जैसे पुनःस्थापना और पुनर्वास की समस्या। अतः मुझे अति प्रसन्नता होगी यदि मंत्री महोदय सभा को विश्वास में लें और अपने उत्तर में हमें यह बतायें कि पर्यावरणीय दुष्प्रभावों से निपटने के लिये कौन से सुरक्षा उपाय कर रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण अपीलीय बोर्ड बनाम श्री वी.एन.नायडू के मामले में पर्यावरणीय समस्याओं के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो ए.आई. आर. सर्वोच्च न्यायालय, 1999, पृष्ठ 812 पर दिया गया है। इस निर्णय में यह कहा गया है कि पर्यावरणीय विवाद के मामले में प्रमाण का दायित्व उस व्यक्ति पर है जो यथास्थिति में परिवर्तन चाहता है। यह एक लम्बा निर्णय है और मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। प्रमाण का दायित्व उस व्यक्ति या व्यक्तियों या संगठन पर होता है जो पर्यावरण में परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे वह एन.ए.एल.सी.ओ. हो या बी.ए. एल.सी.ओ. हो, जिसमें सरकार भी भागीदार है या फिर आई.एन.डी.ए. एल. हो, जो कि बक्फुलीमाली में बन रहा है।

मेरे वरिष्ठ साथी, श्री पी.के. देव 1957 से 1980 तक इन्द्रावती परियोजना का मामला यहां उठाते रहे थे। कालाहाण्डी, बोलांगीर और कोरापुट जिले अकाल, भुखमरी, आदमखोर शेरों और बच्चों की बिक्री के लिये जाने जाते थे। आज वही कालाहाण्डी जिला इन्द्रावती परियोजना के कारण बासमती चावल का निर्यात कर रहा है।

मुझे आई.एन.डी.ए.एल. परियोजना के संबंध में आधे-घंटे की चर्चा प्रारम्भ करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रो. सोज़ ने यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि इन परियोजनाओं के पर्यावरण पर प्रभाव का विश्लेषण किया जायेगा। किन्तु प्रो० एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति - गेंहू क्रांति और चावल क्रांति का पर्याय हैं, को योजना आयोग के एक पेनल की अध्यक्षता करते हुए गोवा में बॉक्साइट खनन को रोकना पड़ा था। उन्होंने यह सुरक्षा उपाय पर्यावरण के प्रभाव विश्लेषण के आधार पर किये हैं। किन्तु जहां तक बक्फुलीमाली का प्रश्न है, मंत्री महोदय, श्री पटनायक का मंत्रालय पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अतः इन्द्रावती परियोजना के कार्य समय को कम किया जा रहा है। इसे केन्द्र से स्वीकृति मिलने में 28 वर्ष लगे थे। आज जो सिंचाई परियोजना कालाहण्डी को पश्चिमी उड़ीसा का गेहूं का भंडार अथवा खाद्यान्न भंडार बना रही है, उसी में गाद को जमा होने दिया जा रहा है। यह परियोजना खतरे में है और प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन जैसे व्यक्ति ने इस विषय में लिखा है। अतः मैं यह आशा करता हूँ कि आप अपने वचन का पालन करने के लिये कदम उठायेंगे। मंत्री बदल सकते हैं किन्तु सरकार एक निरंतर प्रक्रिया है। पर्यावरण की सुरक्षा सम्बन्धी सरकार की नीति को निरंतर जारी रहना चाहिये। सरकार का अपने वचन का पालन करना चाहिये।

अंगुल में एन.ए.एल.सी.ओ. का भी ऐसा ही मामला है। अब वहां लोग फ्लूरोसिस और फ्लोराइड गैस के अतिरिक्त अल्जीमर नामक रोग से भी पीड़ित हैं। एक बार फिर प्रो० स्वामीनाथन और दो अन्य लोगों ने अल्युमिनियम के नुकसानदेह प्रभावों की बात की है। आज अंगुल में लगभग 5000 लोग अल्जीमर रोग का शिकार हैं। उन्हें अल्जीमर रोग के साथ-साथ अल्युमिनियम गैस का भी सामना करना पड़ रहा है जो एन.ए.एल.सी.ओ. ने एक महीना पहले ही छोड़ी थी।

उड़ीसा के अखबारों में इस तरह की बहुत सी खबरें हैं। विधान सभा के सदस्य और मजदूर संघ भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। टी.टी.पी.एस. तालचेर द्वारा फ्लाइऐश संकट के पश्चात् यह दूसरा संकट है। तालचेर ताप विद्युत केन्द्र के विषाक्त कचरे की वजह से बहुत से लोग प्रभावित हुये हैं।

अब एन.ए.एल.सी.ओ. से इससे भी गंभीर खतरा है। यह नवीनतम शत्रु है। उड़ीसा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इस विषय में छानबीन की थी और सी.आर.आर.आई. कटक ने यह रिपोर्ट दी है कि इस गर्म गैस के छोड़े जाने की वजह से सरजापड़ा, नौडाटा, तुलसीपाल, गढ़संतरी से कुलाढ़ तक पांच पंचायत क्षेत्रों की फसलें नष्ट हो गई हैं। अब उन्हें किसानों को मुआवजा देना होगा। किन्तु जिन लोगों की आंखों, दिमाग, हड्डियों और घुटनों को अपूरणीय क्षति पहुंची है, उन्हें मुआवजा कौन देगा? अंगुल क्षेत्र में भारी भय व्याप्त है। ऐसी ही स्थिति कोरबा में है जहां 'बाल्को' यानि लाल कीचड़ संयंत्र स्थित हैं। यहां भी जनजातीय लोगों को ही विस्थापित किया गया है। यहां पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय नहीं किये गये हैं। बी.ए.एल.सी.ओ., एन.ए.एल.सी.ओ. और आई.एन. डी.ए.एल. में कोई भी पुनर्वास या पुनः व्यवस्था योजना तैयार नहीं की गई है। अतः मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान दो मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूँ। उनमें से एक मुद्दे का उल्लेख उनके मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में पृष्ठ 33 पर किया गया है। एन.ए.एल.सी.ओ. संयंत्र, जिसे एशिया का सबसे आधुनिक संयंत्र माना जाता था, में एक संकट उत्पन्न हुआ था।

इस संयंत्र में पीचीन एज प्रौद्योगिकी है। इसे 1998 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 38 पर यह कहा गया है कि "एन.ए.एल.सी.ओ. में एक संकट उत्पन्न हुआ जब 300 पात्र, जिनकी लागत 300 करोड़ रुपये थी, नष्ट हो गये थे और एक विभागीय समिति का गठन किया गया था।" रिपोर्ट में कहा गया है। "जांच समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1998 में प्रस्तुत की थी, के परिणामस्वरूप इस संकट से उबरने के लिये कुछ कदम उठाये गये हैं।" एक बार फिर इस भारी हानि के लिए कोई भी जवाबदेही या जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है। भारत का सर्वाधिक आधुनिक संयंत्र, जिसे 40-50 वर्ष चलना था, किन्तु जिसे दस वर्षों में ही इतना भारी नुकसान हुआ, की उपेक्षा के लिये किसी को भी जिम्मेदार या जवाबदेह नहीं ठहराया गया है। मैं नहीं समझता कि हम लोग इस 300 करोड़ रुपये की राशि की भरपाई कर सकेंगे।

मंत्री महोदय, यह करदाताओं का पैसा है, एक राष्ट्रीय संसाधन है जिसकी हानि हुई है। अब इसके यानि 1998 के बाद एन.ए.एल.सी.ओ.

[श्री के.पी. सिंह देव]

कर्मचारी संघ ने मुझे 23 अक्तूबर, 1999 को "नैशनल एल्युमिनियम कंपनी के प्रगालक संयंत्र में संकट" लिख कर भेजा है। इस संकट का उल्लेख 1998 की रिपोर्ट में भी है। यह संकट पॉटलाइन-I में था।

गत वर्ष मंत्री महोदय के सभा को दिए गए आश्वासन के बावजूद, क्योंकि यह पिछले वर्ष का प्रतिवेदन है इस वर्ष फिर पॉटलाइन-II में इसी तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं। स्विचयार्ड और रेक्टिफायर क्षतिग्रस्त हैं। ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं। श्रमिक संघ मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिला रहे हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी बीच, वरिष्ठ अधिकारियों को करगिल की तरह बचाव का रास्ता दे दिया गया है। वे सेवानिवृत्त हो गये और इस बारे में कोई भी जवाबदेह नहीं है; माननीय मंत्री भी इस सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं।

यदि 300 करोड़ रुपये या 350 करोड़ रुपये इसी तरह बर्बाद हो जाएं तो भी क्या होगा? माननीय मंत्री हमें बड़ी विनम्रता से बतायेंगे कि तंत्र या प्रबंधन की नाकामी अथवा निवारक रख-रखाव के न होने के कारण ऐसा हो गया है और अब वे लोग निवारक कदम उठा रहे हैं। किन्तु कोई भी जवाबदेही निर्धारित नहीं की गई है और न ही किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है। अतः मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि वह सभा को विश्वास में ले कर यह बतायें कि वह दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं जिनकी लापरवाही और लचर प्रबंधन के कारण यह क्षति हुई है और बेहतरीन संयंत्रों में से एक नष्ट हो गया है। यह उनका प्रमुख उद्योग है और मैं समझता हूं कि इस वर्ष इसने 500 करोड़ रुपये से अधिक लाभ कमाया है और वह इस उद्योग का विस्तार करने जा रहे हैं। जब तक माननीय मंत्री इन गलतियों के संबंध में उपचारात्मक कदम नहीं उठाएंगे तब तक ऐसा होता रहेगा और हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के एकक घाटे में जाते रहेंगे और हमारी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचेगा।

अब मैं विभागीय समिति के अतिरिक्त एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के विषय में जानना चाहूंगा जो कि हमें तथ्यात्मक रिपोर्ट देगी कि क्या हुआ था और किस प्रकार उपचारात्मक उपाय किये जायें और किस तरह ऐसी घटनाओं से बचा जाये। यदि माननीय मंत्री इस संबंध में सभा को विश्वास में लें तो मुझे प्रसन्नता होगी।

दूसरी बात अधिक गंभीर है। दूसरा एन.ए.एल.सी.ओ. श्रमिक कांग्रेस यूनियन, एन.ए.एल.सी.ओ. कर्मचारी संघ ने 7 अक्तूबर को लिखा है "एन.ए.एल.सी.ओ. द्वारा आई.ए.पी.एल. संयंत्र की खरीद में सडसाब्दि का करोड़ों का घोटाला"। मैं नहीं जानता कि इस सरकार की नीति क्या है। जनता के पैसे से रुग्ण निजी क्षेत्र के संयंत्र खरीदे जा रहे हैं। जो संयंत्र बेकार साबित हो चुके हैं, खरीदे जा रहे हैं और अब यह घोटाला, करोड़ों का घोटाला, मैं उद्धृत करता हूं:

> "मामले का ब्यौरा यह है, 1998 में एन.ए.एल.सी.ओ. स्ट्रिप कास्टिंग संयंत्र के शुभारम्भ के पश्चात् "-जब माननीय मंत्री भी मंत्री थे -" और बाजार में इसके असफल होने के बाद, एम.एस. मुकुन्द ने यह पाया कि इस संयंत्र की स्थापना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है और तदनुसार उन्होंने उसे एन.ए.एल.सी.ओ. को बेचने का निर्णय लिया।"

अब एन.ए.एल.सी.ओ. मुकुन्द आयरन् का आई.ए.पी.एल. खरीदने के लिये बातचीत कर रहा है, जो कि इस प्रगालक संयंत्र द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले कच्चे माल पर आधारित है। अब, एन.ए.एल.सी.ओ. संयंत्र के असफल हो जाने के कारण, वे इसे बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है :

> "चूंकि उनका संयंत्र पिछले 6 से 7 वर्षों के दौरान 25 प्रतिशत भी पूरा नहीं हुआ था, इसलिये एन.ए.एल.सी.ओ. प्रबंधन इसे खरीदने में हिचकिचा रहा था। किन्तु तत्कालीन मुख्य प्रबंध निदेशक के बहुत जोर देने के बाद ..... जिन्होंने....."

मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वह यहां नहीं हैं। इसमें आगे कहा गया है :

> "..... उनकी सेवानिवृत्ति के आस-पास मुकुन्द के प्रस्ताव पर विचार किया गया और तदनुसार, लेखा परीक्षा निगरानी प्रश्नों से बचने के लिये मैसर्स आई.ए.पी.एल. की देयताओं और परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करने के लिये मैसर्स ए.एफ. फग्र्यूसन की नियुक्ति की गई।"

मैसर्स फर्ग्यूसन को मैसर्स आई.ए.पी.एल. ने खरीद लिया था। इसमें आगे कहा गया है :

> "अब एन.ए.एल.सी.ओ. द्वारा संविदा के अंतर्गत जिन बातों पर सहमति दे दी गई थी, उनके परिणामस्वरूप, मैसर्स फर्ग्यूसन ने हर चीज का अधिक मूल्यांकन किया।"

मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसे सी.बी.सी. में श्री विट्ठल और सी.बी.आई. शाखा के एस.पी. के पास भेजा गया है; एक प्रति मुझे भेजी गयी है और एक प्रति सचिव, श्री वर्मा को भेजी गई है।

अतः महोदय, मुझे प्रसन्नता होगी यदि हमें विश्वास में ले कर वह यह बतायें कि मैसर्स आई.ए.पी.एल. और एन.ए.एल.सी.ओ. के बीच क्या सौदा हुआ है, हम एक अधूरे संयंत्र को क्यों ले रहें हैं, और हम इस संयंत्र को उस भूमि को क्यों लेने दे रहे हैं, जो अभी तक उड़ीसा सरकार द्वारा नहीं दी गई है। वे उन सड़कों और संचार सुविधाओं को ले रहे हैं जिनका प्रयोग पांच पंचायतों के ग्रामवासी पिछले सौ वर्षों से कर रहे हैं। यदि संयंत्र नहीं लिया गया है, तो भूमि पर जबरदस्ती अधिकार क्यों किया गया है।

यह लाखों लोगों, साधारण लोगों, आदिवासियों और गरीब लोगों के जीवन का प्रश्न है। जहां तक उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण का प्रश्न है, हम उनके प्रति सुरक्षा उपाय करने में असफल रहे हैं और साथ ही हम विकास के नाम पर उनकी भूमि भी ले रहे हैं।

महोदय, मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। एक बाक्साइट के बारे में है, जिसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। भारत में उपलब्ध बाक्साइट का लगभग 90 प्रतिशत भंडार उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में है। अतः यह ठीक है कि हम अपनी आवश्यकता के लिये बाक्साइट का उपयोग करें, किन्तु हमें विदेशी कंपनियों को अपने खनिज पदार्थों को लूटने की इजाजत नहीं देनी चाहिए क्योंकि मंत्री महोदय इस संबंध में

जान जाएंगे। किरीबुरू में भी ऐसा ही हुआ है, जब हमने 30 साल पहले उसे 66 रुपये प्रति टन की दर से बेच दिया था, किन्तु हमें क्या मिला, आस्ट्रेलिया और जापान से निर्मित लौह और इस्पात। इस अयस्क का प्रसंस्करण हम यहां भी कर सकते थे और अपने युवाओं को रोजगार भी दे सकते थे। हमारे यहां बड़ी संख्या में तकनीकी शिक्षा प्राप्त और शिक्षित युवक हैं। हमें इस प्रकार से अपने खनिज पदार्थों की लूट की इजाजत नहीं देनी चाहिये।

मेरी अगली बात क्रोमाइट के बारे में है। भारत में उपलब्ध क्रोमाइट का 90 प्रतिशत भंडार उड़ीसा में है। उसका भी 90 प्रतिशत भंडार मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। गत 50 वर्षों में क्रोमाइट अयस्क के दोहन द्वारा रोजगार उत्पन्न करने और पारिश्रमिक प्रदान करने के संबंध में कुछ नहीं किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उड़ीसा से माननीय मंत्री को उड़ीसा के हित का पूरा ध्यान है। हमें इस वृहत खनिज भंडार को निवेशकों को नहीं सौंप देना चाहिये बल्कि अपनी सभी वैज्ञानिक और तकनीकी खोजों का प्रयोग करना चाहिये - मंत्री महोदय ने स्वयंमेव कहा है कि आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग किया जायेगा - ताकि इस अयस्क से संवर्धन या विकास या प्रसंस्करण द्वारा रोजगार उत्पन्न किया जा सके, वह भी ऐसे समय में जब उड़ीसा शताब्दी की भंयकरतम दुर्घटनाओं में से एक यानि चक्रवात से तबाह हो गया है। साथ ही इससे हमारे राज्य की खुशहाली और संपन्नता के लिये बेरोजगार शिक्षितों को अपने कौशल का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। हमारे बहुत से भारतीय इंजीनियर प्रतिभा पलायन और यहां अवसर प्राप्त न होने के कारण अन्य राष्ट्रों को समृद्ध कर रहे हैं।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव (बोलनगीर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री को खान और खनिज विनियमन और विकास (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए बधाई देती हूँ। यह विधेयक राज्य को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करेगा। राज्य को और अधिक शक्तियां प्रदान करना हमारी सरकार का कार्यक्रम रहा है। प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्यों की नई अवधारणा के सूत्रपात से आधुनिकतम अन्वेषण प्रौद्योगिकी अपनाने की उम्मीद और इसे वास्तविक संभाव्य कार्य से भिन्न एक कार्य के रूप में पेश करने से खनिज संसाधनों के अन्वेषण के कार्य में तेजी आएगी।

विधेयक का एक अन्य सुखद पहलू यह है कि यह राज्य सरकारों को अवैध खनन कार्य रोकने हेतु उचित उपचारी कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान करता है। अवैध खनन कार्य एक बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि इससे राज्य राजस्व के महत्वपूर्ण हिस्से से वंचित रह जाता है।

यह भी उत्साहवर्धक बात है कि विधेयक में प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण के संबंध में चिंता प्रकट की गई है और जन स्वास्थ्य को खतरे से बचाने हेतु प्रदूषण रोकने आदि की बात कही गई है।

तथापि कुछेक ऐसे मुद्दे हैं जिसे मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहती हूँ क्योंकि कई बार विधेयक में लिखी हुई बातें और जो वास्तव में व्यवहार्य है, के बीच बहुत अंतर होता है और जब तक इन बातों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सारा विधेयक के रूप में किये जा रहे सारे प्रयास निरर्थक हो जाएंगे।

सर्वप्रथम, यद्यपि राज्यों में एवजी वृक्षारोपण अनिवार्य है, तथापि प्रायः यह पाया जाता है कि राज्य सरकारें इस दिशा में गंभीरता से कार्य नहीं करती हैं जिससे वन क्षेत्र में भारी कमी हो जाती है।

दूसरे प्रायः खनन कार्य पट्टे पर दिया जाता है। यह कार्य किसी विशेष उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है किंतु इसके वास्तविक प्रयोगकर्ता राज्यों में वृक्ष लगाने के वादे को पूरा नहीं करते हैं और इसकी बजाय व्यापारिक दृष्टिकोण ही अपनाते हैं। ऐसे मामलों में, खनन कार्य पट्टे पर देने की समीक्षा की जानी चाहिए और राज्य तथा केन्द्र सरकारों को संयुक्त रूप से पट्टे को तुरन्त रद्द करने की शक्तियां दी जानी चाहिएं।

तीसरे, महोदय, पट्टे पर दिए गए ऐसे क्षेत्र, जहां पर खनन कार्य नहीं हो रहा है, की समीक्षा की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए उड़ीसा में यह देखा गया है कि कतिपय सरकारी उपक्रमों और बड़े औद्योगिक घरानों जैसे टाटा और सेल ने कच्चे लोहे, मैंगनीज और कच्चे क्रोम के खनन हेतु काफी बड़ा क्षेत्र पट्टे पर लिया हुआ है किंतु वास्तव में पट्टे पर लिए गए क्षेत्र के बहुत ही छोटे हिस्से में खनन कार्य किया जा रहा है जबकि बाकी क्षेत्र बेकार पड़ा है जिससे अन्य लोग खनन क्षेत्र को पट्टे पर नहीं ले पाते हैं। इस प्रकार की एकाधिकारी प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

एक ऐसी निश्चित समय सीमा होनी चाहिए जिसके भीतर संभावित लाइसेंस और खनन क्षेत्र को पट्टे पर दिया जाए।

उन एककों के प्रति कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए जिनमें बाल श्रमिक कार्यरत हैं और जो श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं और पुरानी खनन प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है जो स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है।

महोदय, कुछ दशक पहले सरणीकरण की अवधारणा प्रासंगिक थी। निर्यात विपणन भी विकसित होती वर्तमान अवधारणा में ये एजेंसियां केवल खर्च को बढ़ाती हैं और अप्रतिस्पर्धात्मक प्रतिकूल स्थिति को जन्म देती है। राज्य राष्ट्रीय लाभ हेतु सही कीमत वसूलने की स्थिति में हैं और वे एम.एम.टी.सी. जैसी पेचीदा एजेंसियों के बिना भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो देश, राज्य सरकारें और उड़ीसा में पारादीप पत्तन को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। आरंभ में कच्चे लोहे और कच्चे क्रोम के निर्यात को नियंत्रण मुक्त किया जा सकता है।

महोदय, मैं यह जानना चाहती हूँ कि हम सभी खनिजों और राज्यों को एक समान क्यों मानें? अधिक मूल्य वाले खनिज की बहुत ज्यादा मात्रा का खनन करने वाले राज्यों को विशेष रूप से पुरस्कृत किए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय को वर्तमान संघीय वातावरण में इस बात पर विचार करना चाहिए।

सभी खनिजों की रायल्टी बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि रायल्टी की वर्तमान दर काफी कम है।

महोदय, मैं यह भी महसूस करती हूँ कि हम राज्यों को वर्ष दर वर्ष आधार पर उच्च निर्यात लागत, पर्यावरण के प्रति चिंता, अवैध खनन

[श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव]

पर कड़ा रुख अपनाने, उन पिछड़े क्षेत्रों में धन लगाने जहां से खनिज निकाले जाते हैं, प्रौद्योगिकी निवेश को आकर्षित करने और मूल्य संवर्धन के मानदंडों पर प्रोत्साहन देने की बात क्यों नहीं सोचते हैं।

महोदय, एक अन्य बात जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि अधिकांश खनन कार्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हो रहे हैं। यद्यपि हम उपयोगितावाद के सिद्धान्त को बहुत अच्छा मानते हैं जिस का अर्थ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है तथापि मैं यह नहीं मानता हूं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा की जाए। जहां कहीं भी खनन कार्य किया जाता है, आदिवासियों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जाता है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि जब कभी राज्य सरकार खनन क्षेत्रों को लेती है और उसे पट्टे पर देती है तो आदिवासियों को कृषि भूमि देकर उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

अंत में, मैं कहना चाहती हूं कि मैं विधेयक का तहे दिल से समर्थन करती हूं क्योंकि मैं मानती हूं कि इससे लालफीताशाही समाप्त होगी और अवैध खनन पर रोक लगेगी जिससे राज्यों के राजस्व में वृद्धि होगी।

श्री विकास चौधरी (आसनसोल) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर चर्चा करने से पहले मैं एक अन्य मुद्दा उठाना चाहता हूं। स्वतंत्रता से लेकर आज तक कोई राष्ट्रीय खनन नीति नहीं बनी है। हमने यह देखा है कि राष्ट्रीय खनन नीति के नहीं होने के कारण समस्त भारत में कार्यरत सभी खानों में अनियमित रूप से कार्य हो रहा है और हमने पाया है कि सतही क्षेत्र के दोहन के साथ-साथ खनन कार्यों का दोहन किया जा रहा है क्योंकि ये सभी खनन कार्य आदिवासी क्षेत्र में स्थित हैं।

मैं यह भी समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस विधेयक में चाहे जो भी संशोधन किए जाएं, वे प्रवर्तकों द्वारा की जा रही इन सभी अनियमितताओं को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे।

अब इन खनिज क्षेत्रों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। वे बहुत शक्तिशाली हैं। मैं यह नहीं जानता हूं कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार उन्हें नियंत्रित भी कर सकेंगे अथवा नहीं? इसीलिए मैं यह मुद्दा उठाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय खनन नीति बनाई जाए और इसी नीति के तहत इन सभी खानों या खनिजों का निष्कर्षण किया जाए। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और वे जल्दी ही एक ऐसी नीति बनाऐंगे।

अब मैं विधेयक पर चर्चा करता हूं। यह विधेयक मूलतः राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान करने से संबंधित है। हम देखते हैं कि 'प्रारंभिक कार्य' की नई अवधारणा, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है, को अब इन खनिज क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया है। 'प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य' की अवधारणा भारत के लिए नई है यद्यपि दुनिया के लिए यह अवधारणा नई नहीं है। किंतु यहां मैं यह समझता हूं कि प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य का अर्थ क्षेत्रीय हवाई या भौतिक या भूरसायनिक सर्वेक्षण या भूगर्भीय मानचित्र बनाने से है। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि रॉक इंजीनियरी अध्ययन की नई अवधारणा को विकासशील देश में अपनाया जा रहा है जिसके बिना कोई खनन कार्य किया जाना चाहिए या नहीं। मुझे यह पता नहीं है कि भूभौतिकीय में ऐसी रॉक इंजीनियरी शामिल है या नहीं।

यदि ऐसा नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसे शामिल किया जाए ताकि सभी खानों से रॉक इंजीनियरी अध्ययन किया जाए और उसे स्वीकार किया जाए।

मुझे यहां कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है जिसको स्पष्ट किया जाए। राज्य सरकार ने लोगों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना जारी की है। यहां मुझे यह कहना है कि जिन लोगों ने इस अधिसूचना से पहले आवेदन किया है उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ जिन्होंने बाद में आवेदन किया है।.....

खान और खनिज मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : महोदय, क्या मैं बीच में बोल सकता हूं। क्या मैं माननीय संसद सदस्य से अनुरोध कर सकता हूं कि वे अंतिम पैराग्राफ को पुनः पढ़ें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, क्या आप अंतिम वाक्य को दोहरा सकते हैं?

श्री विकास चौधरी : महोदय, मुझे पता चला है कि राज्य सरकार खान संभावनाओं, खनन आदि के प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी। किंतु मुझे पता चला है कि जिन लोगों ने ऐसे लाइसेंसों के लिए पहले आवेदन किया है उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उन आवेदकों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्होंने पहले आवेदन किया है। राज्य सरकार द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने का क्या अर्थ या उपयोगिता है? इसलिए मैंने यह मुद्दा उठाया है और इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

एक अन्य मुद्दा भी है। माननीय संसद सदस्य ने पर्यावरण के बारे में कहा था। यह एक बड़ा विषय है और न केवल सतही क्षेत्र बर्बाद हो रहा है अपितु वन क्षेत्र भी पूर्णतया बर्बाद हो गया है। यहां तक कि भूमिगत जल भी खराब हुआ है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आधुनिकतम और एच.एम.एम. जैसी भारी मशीनों जो 200 मीटर गहराई तक चली जाती हैं का प्रयोग कर रही हैं। इससे जलसंरचना, भूमिगत जल संरचना या अर्धजलसंरचना बर्बाद हो जाएगी और जल की कमी हो जाएगी। इससे खान के आस पास रहने वाले लोगों को भारी परेशानी होगी। खनन पट्टा प्रत्येक वर्ष दिया जाना है। माननीय मंत्री महोदय ने 20 कि.मी. के लगभग क्षेत्र को खनन पट्टे पर देने का प्रस्ताव किया है। जहां तक मुझे याद है कि पट्टाधारकों को 20 कि.मी. तक ऐसे खनन लाइसेंस दिए जाएंगे। 20 किलोमीटर का क्षेत्र बहुत बड़ा है और यह न केवल निकटवर्ती क्षेत्रों अपितु आसपास के क्षेत्रों में भारी समस्या पैदा करेगा। इसका प्रभाव 5 से 10 किलोमीटर तक पड़ेगा और वहां पर समस्या हो जाएगी। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इन सभी बातों से बचाने के लिए कौन सा तंत्र काम करेगा? मैं यह नहीं जानता हूं।

माननीय मंत्री जी ने पुनर्वास का उल्लेख किया है। यह बहुत ही भारी समस्या है यह बहुत ही कठिन काम है क्योंकि इन स्थानों पर रहने वाले लोगों का अपने मकानों के प्रति बहुत ही भावात्मक लगाव है और वे इन जगहों से जाने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे मामले में मैं सरकार स, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में उन लोगों से बात करने के लिए आगे आए और उन्हें बेदखल न करे। यदि उन्हें बेदखल किया गया तो इससे अन्य समस्याएं पैदा हो जाएंगी। यहां मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस बारे में लोगों से बात करनी चाहिए। इसके बाद सरकार निर्णय ले या वे लोग कहीं और जाने का निर्णय लें।

अब मैं एक अन्य बात अवैध खनन को रोकने के संबंध में जिस पर सरकार ने भी सभा में चर्चा की है, की चर्चा करता हूँ। खनन कार्य की एक प्रक्रिया है जिसकी अनदेखी की गई है। यह कहा गया है कि पारगमन में माल को अवैध रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को पकड़ा जाएगा। लेकिन कैसे? पकड़ने वाले व्यक्ति किस प्रकार यह सिद्ध करेंगे कि यह माल अवैध रूप से ले जाया जा रहा है क्योंकि वैध खानों के पट्टेधारक भी अवैध खनन कर रहे हैं। यदि वे 100 टन का उत्पादन करते हैं तो हम देखते हैं कि इस 100 टन में से 30 टन माल अन्य माल से पहले भे दिया जाता है। इसे कैसे रोका जाएगा और पकड़ा जाएगा? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने अपने क्षेत्र में ऐसा देखा है कि ऐसे अवैध खनन, अवैध खनन नहीं अपितु चोरियां बड़े पैमाने पर हो रही हैं और माल को अवैध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है।

मैं यहां पर खनन की उस विधि के बारे में बताना चाहूंगा जिसका वहां प्रयोग होना चाहिए। मानदंड के मुद्दे पर मैं खंड 12 का उल्लेख करता हूँ। इसमें लिखा है :

"(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट बातें निम्नलिखित हैं :

(क) आवेदक का, यथास्थिति, भूमीक्षार, संक्रियाओं, पूर्वेक्षण संक्रियाओं या खनन संक्रियाओं का कोई विशेष ज्ञान या अनुभव;

(ख) आवेदक के वित्तीय साधन;"

मैं इसमें यह शामिल कराना चाहता हूँ 'वे खनन का क्या तरीका उपयोग करना या अपनाना चाहते हैं।' यहां मैं खुदाई के बारे में बताना चाहता हूँ। खुदाई एक बहुत खतरनाक चीज़ है। यहां यह बताया जाना चाहिए कि क्या वे कुछ अन्य विधियों के साथ खनन कर सकते हैं या नहीं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ। पट्टाधारकों के पास अद्यतन मशीनरी होनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए परन्तु यहां यह नहीं लिखा हुआ है।

अपराह्न 3.00 बजे

अब हम किस प्रकार की अद्यतन मशीनों की बात कर रह रहे हैं? हमारे देश में ऐसे अनेक कारखाने हैं जो अपने देश में ऐसी मशीनों का निर्माण करने में सक्षम हैं जो खनन उद्योग के लिए अपेक्षित होंगी। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या हम खनन आवेदकों को स्वदेश में निर्मित मशीनों की सहायता से अपने खनन कार्यों को करने के लिए राजी कर सकते हैं?

अपराह्न 3.01 बजे

[डॉ0 लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

महोदय, निष्कर्ष के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय खनन नीति शीघ्र बनाई जाए और सारे देश में खनन कार्य करने हेतु निर्देश सिद्धान्त बनाए जाएं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : श्रीमान सभापति महोदय, इस खान और खनिज (विनियमन) और विकास विधेयक, 1999 के तीन पहलू हैं अर्थात् :

प्रथमतः इसमें विधेयक के पूरे नाम और संक्षिप्त नाम को बदलने की अभिकल्पना की बात है। दूसरे, इसमें वर्तमान संभावित और खनन कार्यों में एक और कार्य-प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्यों को जोड़ने की अभिकल्पना की गई है। तीसरे, यह राज्यों को और अधिक शक्तियां देने की बात है। इस संशोधन विधेयक के ये तीन पहलू हैं।

महोदय, सर्वप्रथम, मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ और माननीय मंत्री से यह स्पष्ट करने और विस्तार पूर्वक बताने की उम्मीद रखता हूँ कि वे विधेयक के संक्षिप्त नाम और पूरे नाम को क्यों बदलना चाहते हैं? पहले, यह खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 था और अब इसे खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1999 कहा जाएगा। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया है।

महोदय, जहां तक भारत के संविधान का प्रश्न है, सातवीं अनुसूची की संघ सूची-1 मद संख्या 54 में यह .....*(व्यवधान)* उल्लिखित है :

"उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित करे।"

महोदय, मेरा प्रश्न है कि संक्षिप्त नाम और पूरे नाम के पूर्ववर्ती उपबंध भारत के संविधान की सूची-1 की प्रविष्टि संख्या 54 के उपबंधों के अनुरूप थे। मैं नहीं जानता हूँ कि फिर भी माननीय मंत्री इसे क्यों बदलना चाहते हैं?

महोदय, विधेयक के खंड-3 में, माननीय मंत्री ने वर्तमान 'विनियमन और विकास' शब्दों को बदलकर विकास और विनियमन शब्द रखने का प्रस्ताव किया है। यदि यह संशोधन विधेयक पारित हो जाता है तो फिर खंड-1 इस विधेयक का भाग कैसे बनेगा? मैं यह नहीं समझ पाया हूँ। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे। दूसरा पहलू गवेषणा कार्यों का है जो कि निसंदेह एक अच्छा विचार है। लेकिन मैं तीसरे पहलू अर्थात् राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने पर बल देना चाहूंगा।

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

महोदय, आप जानते हैं कि केन्द्र तथा राज्यों के बीच कतिपय मामलों पर विवाद और मतभेद हैं खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम उनमें से एक है।

केन्द्र और राज्य के बीच यह विवाद अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के कारण नहीं है बल्कि विवाद तो धारा 9 के कारण है और इससे भी बढ़कर उपधारा (3) के कारण है जिसके अन्तर्गत रायल्टी, अधिनियम की दूसरी सूची को शामिल करना और रायल्टी की दरों में संशोधन का उल्लेख किया गया है। राज्यों को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने के बारे में काफी कुछ कहा गया है लेकिन जब तक राज्यों को रायल्टी निर्धारित करने अथवा रायल्टी की दरों में संशोधन करने की शक्तियां नहीं दी जाती तो इसका अर्थ होगा कि राज्यों को कोई भी शक्ति नहीं दी गई। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के वर्तमान प्रावधानों के कारण खनिज बहुल राज्य काफी लम्बे समय से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तथापि ये राज्य 1991 तब जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र ने उच्चतम न्यायालय में एक मामले में अपना निर्णय सुनाया था, जिसमें उपकर को नियम विरुद्ध घोषित किया गया था, अपना कार्य चलाते रहे। तबसे खनिज बहुल राज्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

महोदय, 1957 के इस अधिनियम में धारा 9 और उपधारा (3) शामिल किये जाने से यह कानून भारत के संविधान के अनुरूप नहीं रह जाता।

यह एक असमान्य कानून था। ऐसा कानून बनाना संसद की शक्ति से बाहर की बात थी। तथापि इसे संसद द्वारा पारित किया गया और पूरा देश इस का अनुकरण करता रहा है। किसी राज्य ने सरकारिया आयोग के समक्ष भी कोई प्रश्न नहीं उठाया क्योंकि राज्य उपकर लगाते रहे हैं और वे केन्द्र द्वारा निर्धारित रायल्टी के कारण होने वाली क्षति की इस तरह से प्रतिपूर्ति करते रहे हैं। इसलिये सरकारिया आयोग ने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कोयले पर रायल्टी की दरों में 1991 में संशोधन किया गया था। इसमें 1994 में पुनः संशोधन किया गया। यद्यपि इसमें अक्तूबर, 1997 में पुनः संशोधन किया जाना था, लेकिन इसमें अभी तक भी संशोधन नहीं किया गया है। 1991 में सभी राज्यों के लिये रायल्टी की दरों में संशोधन किया गया था। वर्ष 1994 में पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के मामले में रायल्टी की दरों में पुनः संशोधन किया गया। पश्चिम बंगाल में उपकर को नियम विरुद्ध घोषित नहीं किया गया क्योंकि उपकर संबंधी इस कानून को भारत के संविधान के अनुच्छेद 372 के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है। इसी कारण से वे इस पर शोर नहीं मचा रहे। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने इस पर अभी तक अपनी अप्रसन्नता व्यक्त नहीं की है। लेकिन अन्य खनिज बहुल राज्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

1957 के मूल अधिनियम में यह उल्लेख किया गया था कि केन्द्र द्वारा निर्धारित रायल्टी खान के मुहाने पर खनिज के विक्रय मूल्य का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस माननीय सभा में सभी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया था कि रायल्टी मुहाने पर खनिज के विक्रय मूल्य का लगभग 20 प्रतिशत होगी। दुर्भाग्यवश कोयले को छोड़कर किसी अन्य खनिज पर आज तक कोई भी रायल्टी खान के मुहाने पर खनिज के विक्रय मूल्य का 20 प्रतिशत निर्धारित नहीं की गई। इसके साथ-साथ राज्यों को उपकर से भी हाथ धोना पड़ा है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक असामान्य कानून है और ऐसा करना संवैधानिक भी नहीं है। मैं केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय का हवाला देना चाहता हूँ। जिसमें न्यायालय ने यह कहा था कि संविधान के पांच मूल ढांचों में से संघीय स्वरूप को कायम रखा जाना है। इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

> "संघवाद के बारे में उच्चतम न्यायालय ने इस ऐतिहासिक निर्णय में यह राय दी है "हमारा संविधान संघीय स्वरूप का है न कि एकात्मक। संघीय ढांचे में संघ और राज्य दोनों का अस्तित्व अनिवार्य है और यही स्थिति न्यायिक समीक्षा की शक्ति की है।"

संविधान की विधि डीके को उद्धृत करते हुए न्यायालय ने यह भी कहा है "संघीय राज्य का अस्तित्व संविधान से उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार किसी निगम का अस्तित्व उस अनुदान से होता है जिससे उसका सृजन होता है। इसलिये प्रत्येक शक्ति--कार्यपालिका, विधायिका अथवा न्यायपालिका - चाहे राष्ट्र से संबंध हो अथवा किसी राज्य से, संविधान के अधीनस्थ और नियंत्रणाधीन है।"

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : मैं केवल तीन या चार मिनट और लूंगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

महोदय, उदाहरण में यह भी कहा गया है :

> "संघीय राज्य के गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय सरकार और अलग-अलग राज्यों में शक्तियों का विभाजन करना है। संघवाद केवल उन समुदायों में ही फलीभूत हो सकता है। जिनमें कानूनी भावना हो और जो कानून के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हों।"

मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक सूची दो अर्थात राज्य सूची का प्रश्न है सातवीं सूची में प्रविष्टि संख्या 50 के अन्तर्गत संसद द्वारा खनिज विकास से संबंधित कानून के अन्तर्गत लगायी गयी सीमाओं के अध्यधीन खनिजों पर कर की बात कही गयी है। खनिजों पर कर लगाना राज्य सरकार का अधिकार है; इनका विनियमन और विकास केन्द्र सरकार अथवा भारत सरकार का अधिकार है। अतः विनियमन और विकास में कर शामिल नहीं होते। कराधान के बारे में राज्य सूची में पृथक से प्रावधान किया गया है।

ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार ने कर लगाने का अधिकार शक्ति अपने पास क्यों रखी? मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले को मंत्रिमण्डल में अपने साथियों के साथ उठायें ताकि इसकी समीक्षा हो सके। सरकारिया आयोग ने इसका उल्लेख नहीं किया था क्योंकि इनमें उपकर लगता था। सरकारिया आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1991 में न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र ने उच्चतम न्यायालय में अपना निर्णय दिया था।

अतः खनिज बहुत राज्य सरकारों को वर्ष 1991 से समस्याओं का समाना करना पड़ रहा है। यदि राज्यों को इस समय अधिक शक्तियां दी जाती तो बेहतर होता। खान और खनिज मंत्रालय के माननीय मंत्री जो उड़ीसा से ही हैं इस बात को समझते हैं। वे यदि इस मामले को मंत्रिमण्डल के साथ उठाते हैं और इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त संशोधन का प्रस्ताव लाते हैं तो यह एक सराहनीय कदम होगा।

मुझे संक्षिप्त नाम और पूर्णनाम में परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य प्रावधानों पर कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक अन्य प्रावधानों का संबंध है मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन यदि आप राज्यों और केन्द्र के बीच उचित तालमेल और सौहार्द कायम रखना चाहते हैं, तो खनिजों पर लगने वाली रायल्टी और कर जो कि, राज्य विषयों के अन्तर्गत आते हैं, शीघ्र अतिशीघ्र राज्यों को अंतरित किये जाने चाहिये।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम) : माननीय सभापति महोदय, बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये आपका अति धन्यवाद। यदि मैं ए.आई.ए.डी.एम.के. के प्रिय और गतिशील नेता पुरात्वी थलवी, डॉ० जयललिता और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति आभार व्यक्त नहीं करता तो मैं अपने कर्त्तव्य में विफल रहूंगा। यहां यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि अस्सी के दशक में, जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि शास्त्र का अध्ययन कर रहा था तब मुझे इस माननीय सदन की दीर्घा में बैठने का अवसर मिला था। मैं यह जानने के लिये नीचे झांक रहा था कि सभा में क्या कार्यवाही चल रही है। तब सुरक्षा स्टाफ ने मुझे पीछे की ओर धकेल दिया। मैं अपने नेता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस सभा में चुनकर आने और आज यहां अपना प्रथम भाषण देने के योग्य बनाया है।

महोदय, मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं क्योंकि यह एक ऐसा विधेयक है जिससे राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति विदेशियों के बहुराष्ट्रीय निगमों के पास चली जाएगी। यह विधेयक राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां प्रदान किये जाने के नाम पर एक ऐसा मीठा जहर है जिससे इस राष्ट्र की सारी सम्पत्ति विदेशियों के हाथ चली जायेगी। हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का काफी अनुभव है जिसने 200 वर्ष तक इस देश पर शासन किया। एक कंपनी को खदेड़कर बाहर करने में 200 वर्ष लग गये। अब हम ऐसी सैकड़ों कंपनियों को प्रवेश की अनुमति देने जा रहे हैं। आप स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि इस देश का भविष्य क्या होगा? हम भावी पीढ़ी के लिये क्या करने जा रहे हैं? हममें से प्रत्येक को इसकी चिंता करनी चाहिए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक अपूर्ण और संदिग्ध विधेयक है। इस विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जिनके अन्तर्गत राज्यों को अधिक शक्तियां देने की बात कही गयी है। निस्संदेह यह कोई दान नहीं है। हमारे देश में एकात्मक सरकार नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है जहां राज्यों के आप अपने-अपने भू-क्षेत्र हैं। सभी खानें और खनिज राज्यों के क्षेत्राधिकार में हैं। अतः केन्द्र सरकार अब राज्य सरकारों को शक्तियां क्यों देने जा रही है? मैं यह कहना चाहूंगा कि उनके पास अपनी गुप्त कार्यसूची है। आखिरकार राज्य सरकारें इसका क्या करेंगी? मूलतः राज्य सरकार को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और खनन के लिये कोई वजटीय सहायता भी नहीं दी जाती है। अतः यदि वे न भी चाहें, तो भी उन्हें यह शक्ति देनी पड़ेगी। इस विधेयक के संबंध में मेरा विरोध है। राज्यों को शक्तियां देकर, सरकार राज्यों को एक अधिकार दे रही है। क्या इस विधेयक में जवाबदेही और दायित्व सुनिश्चित किया गया है? जैसा कि मेरे प्रबुद्ध साथी श्री के.पी. सिंह देव ने पहले ही कहा है कि जवाबदेही और दायित्व का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस संबंध में इस विधेयक में उपबंध करना होगा। मुझे हैरानी है कि इसमें ऐसा उपबंध नहीं किया गया है।

इस शक्ति का दुरुपयोग किए जाने के दुस्साहसिक उदाहरण विद्यमान हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण विद्यमान हैं जिनमें कि राज्य सरकार इस शक्ति का अनुचित लाभ उठा रही है। महोदय, तथापि मैं राज्य को और अधिक शक्तियां दिए जाने का प्रबल समर्थक हूं, फिर भी ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं, जिनमें कि इस अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है।

ऐसे कुछ उदाहरण उद्धृत करने के लिए, मैं इस माननीय सभा का ध्यान तमिलनाडु, जहां एक सीमेंट माफिया विद्यमान है, के लोगों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। इस सीमेंट माफिया ने तमिलनाडु की इण्डिया सीमेंट लिमिटेड कम्पनी की अगुआई में एक अनैतिक संघ बनाया जो तमिलनाडु में समूचे सीमेंट उद्योग को नियंत्रित करता है। कृपया माफिया करतूतों के कारण अब वहां के लोगों की दुर्दशा देखिए। उसने हाल ही में कई करोड़ रुपयों के पांच-छह कारखानों को खरीदा है।

तमिलनाडु में लगभग 75 प्रतिशत सीमेंट की आपूर्ति नियंत्रित कर रहे इन कारखानों के आधुनिकीकरण हेतु सैकड़ों करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। इस माफिया ने अल्पावधि में अत्यधिक पैसा कमाने का एक उपाय खोजा, जिसके अनुसार यही वो लोग हैं, जिनका बाजार में प्रभुत्व है और यही इसकी कीमत पर नियंत्रक रखते हैं और उसका निर्धारण करते हैं।

डॉ० ए.डी.के. जयशीलन (तिरूचेंदूर) : महोदय यह बात अप्रासंगिक है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : यह इस विषय से संबंधित है। मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिला रहा हूं कि यह बात इससे किस प्रकार संबंधित है। मुझे माननीय सदस्य को बताने दीजिए; यह बात इससे कैसे संबंधित है, यह जानने के लिये मेरे प्रबुद्ध साथी मेरे स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करें। मैं यह स्पष्ट करूंगा कि यह बात इससे किस प्रकार संबंधित है।

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। यह आपका प्रथम भाषण है। इसलिए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। कृपया असली मुद्दे पर आइए। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मैं विषय से हटकर कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं असली मुद्दे पर आ रहा हूं। यदि मेरे साथी मेरे भाषण के बीच में कृपया व्यवधान न करें तो मैं यह स्पष्ट कर दूंगा कि यह बात इससे किस प्रकार संबंधित है.....*(व्यवधान)*

मैं सभापति नहीं हूं। मुझे खेद है कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं।

सभापति मडोदय : कृपया विषय से संबंधित बात कीजिए और असली मुद्दे पर आइए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मैं विषय से संबंधित बात कर रहा हूं। सभापति मडोदय मेरे दृष्टिकोण से सहमत होंगे। विधेयक में चूना-पत्थर को शामिल नहीं किया गया है। चूना-पत्थर, जो भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में था, का अनुसूची एक से लोप कर दिया गया है। चूना-पत्थर प्रमुख उत्पाद है और सीमेंट के उत्पादन के लिये कच्चा माल है। आप यह कैसे सोचते हैं कि यह इससे संबंधित नहीं है? मेरा यह अनुरोध है कि यदि जवाबदेही और दायित्व का उपबंध हो, तो यह माफिया.....*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : यह ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि आपत्तिजनक हैं।

सभापति मडोदय : यह नहीं मान रहे हैं। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

.....*(व्यवधान)*

सभापति मडोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मैं संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूं। जो लोग देश को लूट रहे हैं, मैं उन्हें माफिया क्यों न कहूं? मुझे उन्हें माफिया कहने पर गर्व है। वे इस सभा में माफिया को समर्थन क्यों दे रहे हैं?.....*(व्यवधान)*

सभापति मडोदय : कृपया असली मुद्दे पर आइए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मैं असली मुद्दे पर आ रहा हूं। तमिलनाडु में सीमेंट की लागत 195 रुपये क्यों आ रही है? आंध्र प्रदेश में इसकी कीमत 120 रुपये है। कर्नाटक में इसकी कीमत 140 रुपये है। केवल यह भी एक ऐसा स्थान है, जहां सीमेंट का मूल्य 195 रुपये है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु में कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। समूचा निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। कीमतों में अचानक तेजी आने के कारण, जिन लोगों ने धन लगाया हुआ है, उन्होंने निर्माण कार्य बीच में ही बंद कर दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस माफिया को तमिलनाडु राज्य सरकार का संरक्षण मिला हुआ है।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : हम इसका विरोध कर रहे हैं। वे माफिया हैं।

सभापति मडोदय : यह एक संशोधन विधेयक है और इसका कार्यक्षेत्र सीमित है। इसका कार्यक्षेत्र अत्यंत सीमित है। कृपया असली मुद्दे पर आइए।

.....*(व्यवधान)*

सभापति मडोदय : कृपया संशोधन प्रस्तावों पर आइए और इसके संबंध में बोलिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : इंडियन सीमेंट लिमिटेड की अगुआई में सीमेंट कम्पनियों की 25 वर्ष की लम्बी अवधि से इस सरकार के माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ मित्रता है। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं?.....*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : मडोदय, यह आपत्तिजनक है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाए.....*(व्यवधान)*

सभापति मडोदय : कृपया ऐसी टिप्पणियां मत कीजिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मेरे पास प्रेस के काफी प्रकाशन मौजूद हैं, जिनसे सब कुछ सामने आ गया है.....*(व्यवधान)*

सभापति मडोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

सभापति मडोदय : आप ऐसी टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं?

.....*(व्यवधान)*

सभापति मडोदय : श्री पलानीमनिक्कम जी, कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : मडोदय, उन्हें इस प्रकार बोलने का कोई अधिकार नहीं है.....*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : वे कीमतों में तेजी को बढ़ावा देते हैं और जनता के पैसे को लूटते हैं.....*(व्यवधान)*

सभापति मडोदय : ऐसी टिप्पणियां मत कीजिए। अन्यथा, इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*व्यवधान*

सभापति मडोदय : मैं बार-बार यह कह रहा हूं कि ऐसी टिप्पणियां मत कीजिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मडोदय, मैं जब यहां जनता का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा हूं, तो क्या आप सदस्यों को बीच में व्यवधान डालने की अनुमति देंगे?.....*(व्यवधान)*

सभापति मडोदय: मैं आपको अनुमति दे रहा हूं, लेकिन आपको इसे चर्चा किए जा रहे विषय से जोड़ना होगा।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

.....(व्यवधान)

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : जी हां। मैं इसे यह कहकर चर्चा किए जा रहे विषय से जोड़ रहा हूं कि यदि राज्य को चूना-पत्थर दिया जाता है, तो उसकी निगरानी होनी चाहिए। यह माफिया सारे कारोबार को हथिया लेगा और यह देखेगा कि चूना-पत्थर अन्य निर्माताओं के लिए उपलब्ध न हो। मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य में चूना-पत्थर हरेक के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध हो, जो इसका उपयोग करना चाहते हैं.....*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : उनके गिने-चुने दिन बाकी हैं.. ...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : हम देखते हैं कि किसके गिने-चुने दिन बाकी हैं .....*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : यह मामला अभियोगाधीन है .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मैं यह बात माननीय सभा की कल्पना पर छोड़ देता हूं कि इसकी व्यवस्था कैसी की गई है और इसमें हेरफेर कैसे किया गया है।

एक माननीय सदस्य : इसमें क्या हेरफेर किया गया है?

श्री टी. एम. सेल्वागनपति: राज्य सरकार की सहायता से सीमेंट की कीमत में फेरबदल किया जा रहा है।

एक अन्य कारण, जिसके लिए हम इस मुददे पर बार-बार बल दे रहे हैं, यह है कि इससे लोग प्रभावित होते हैं। यदि उनको चूना-पत्थर दिया जाएगा तो वे अपनी इच्छानुसार मनमाने ढंग से संसाधन इकट्ठा कर लेंगे। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे जब ऐसे विशेष मामले में राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करें तो वे इसके लिए उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी भी निर्धारित करें।

एक दूसरा मुद्दा अवैध खनन से संबंधित है। इस विधेयक में राज्यों में अवैध खनन को रोकने हेतु अधिक शक्तियां प्रदान करने की व्यवस्था है। तमिलनाडु में विशेष रूप से नामक्काल और सेलम में, जहां से मैं चुनकर आया हूँ, बाक्साइट का प्रचुर भण्डार है। बाक्साइट का प्रचुर भण्डार इन्हीं पहाड़ियों में है, जहां लोगों द्वारा बिना किसी रोक टोक के अवैध रूप से खनन किए जाने की घटनाएं सामने आयी हैं।

मैं यह बताना चाहूंगा कि ऐसे कई अवसर आए हैं जब निजी उद्यमियों को बाक्साइट अयस्क का खनन करने की अनुमति दी गई है। गौतम बाक्साइट खान एक ऐसी कम्पनी है जिसे इन संसाधनों से मुनाफा कमाने की अनुमति दी गई थी। इस संबंध में इस कम्पनी को खनन लाइसेंस का पट्टा केवल दो वर्षों के लिए दिया गया था। इन दो वर्षों के दौरान अधिकारियों की सहायता से कई करोड़ मूल्य के बाक्साइट का अवैध खनन किया गया। पट्टे की अवधि के पूरा होने के बाद क्या हुआ? यह बड़ी चौंकाने वाली और आश्चर्यजनक बात है कि पट्टे की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी कम्पनी ने संसाधनों का दोहन जारी रखा। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूँ। महोदय, बाक्साइट का 500 टन प्रतिदिन की दर पर अंधाधुंध खनन और कर्षण होता रहा है।

इसकी आपूर्ति स्थानीय कम्पनियों द्वारा की गई। यह विशेष क्षेत्र पारिस्थिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। यहां की सम्पदा बहुमूल्य है। परन्तु बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। सौ वर्ष और उससे अधिक पुराने पेड़ काट दिए गए हैं और इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय गुण वाले सैकड़ों पौधे हैं जिनका 'सिद्ध' चिकित्सा प्रणाली में औषधियों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इस कम्पनी, जो बिना किसी रोक-टोक के इस खनिज का दोहन कर रही है, ने लगभग सैकड़ों एकड़ भूमि को बर्बाद कर दिया है। मेरा यह आरोप है कि इस कम्पनी के एक सांझीदार प्रमुक सरकार के एक स्थानीय राज्य मंत्री के दामाद हैं। क्या वे इससे इनकार कर सकते हैं?.....*व्यवधान*

सभापति महोदय : कृपया अपने विषय पर बात करें।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मेरा मुद्दा यह है कि 50 करोड़ रुपये मूल्य का बाक्साइट अयस्क निकाल लिया गया है।....*व्यवधान*

सभापति महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि यह एक संशोधन विधेयक है। संसाधनों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। इस मामले में आपके क्या विचार हैं?

.....(व्यवधान)

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मेरा यह कहना है कि अवैध खनन कार्यों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार की कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। अब वे अपनी बात समाप्त कर रहे हैं।

....(व्यवधान)

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : मैं इसे साबित करने की जिम्मेवारी लेता हूँ।...*(व्यवधान)* मैंने जो कुछ कहा है उसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : क्या अपनी बात रखने का यह तरीका है? उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान ग्रेनाइट ठेकेदारों को ठेका देकर करोड़ों रुपये ऐंठ लिए थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्य करने का यह सही तरीका नहीं है।

.....(व्यवधान)

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : .....*

उनके खिलाफ विशेष अदालत में एक मामला चल रहा है।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

इस मामले पर फैसला शीघ्र ही होने वाला है। इसलिए उन्हें इस तरह से बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सेल्वागनपति जी, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : हम उन्हें इस तरह से बोलने नहीं देंगे। वे इसी तरह से बोलते जा रहे हैं। उन्हें इस तरह से बोलना नहीं चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे अब अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं। यह बोलने का सही तरीका नहीं है। आप अपने स्थान पर बैठ नहीं रहे हैं। पहले आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सेल्वागनपति जी, अब कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आप अपना समय ले चुके हैं। अपने द्वारा अपनी पार्टी का समय लेने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए और अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : महोदय यह मेरा पहला भाषण है। मैं अपने विषय पर आ रहा हूं। मैं आपके साथ सहयोग कर रहा हूं। कृपया मुझे बोलने दीजिए। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। हमें इस विधेयक के बारे में कई बातों पर विचार व्यक्त करना है। मैं इस विधेयक के मुख्य विषय तक अभी पहुंच नहीं पाया हूँ।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं जानता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। अब कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : एक अन्य क्षेत्र, ग्रेनाइट पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। एक समय यह खान और खनिज का विषय था। अब यह बहुमूल्य हो गया है। इसका लगभग 3000 करोड़ रुपये का निर्यात किया जाता है। इससे इनकी अपनी विदेशी मुद्रा की आमदनी होती है। तमिलनाडु राज्य में एक घटना पुनः हुई।...*(व्यवधान)* मैं यह उम्मीद करता हूं कि वे मेरे भाषण में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। वे यह नहीं जानते कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सेल्वागनपति जी, यह संशोधन विधेयक पूरे देश के लिए है न कि सिर्फ तमिलनाडु के लिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : महोदय, तमिलनाडु राज्य में ग्रेनाइट का अपार भण्डार है। अन्नाद्रमुक सरकार के दौरान पुरातची थलैवी जयललिता जी के प्रभावी नेतृत्व में....*(व्यवधान)* मुझे अपने नेता का नाम लेने से क्यों रोका जा रहा है। इसमें क्या नुकसान है। ...*(व्यवधान)* ये वही लोग हैं जिनकी नीति ही परेशान करने की है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सेल्वागनपति जी, कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। मैं बोलने के लिए अगले सदस्य को आमंत्रित करने जा रहा हूँ।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। मैं नियम 39 के बारे में बात कर रहा हूँ। खान और खनिज रियायत नियमों में नियम 39 लागू किया गया था और खान के पट्टे का अधिकार उद्यमियों को दिए गए थे। यह उद्योग रुग्ण हो रहा था और यह धीरे-धीरे बंद होने जा रहा था। इसे पुनरुज्जीवित किया गया और पट्टे का अधिकार निजी पार्टियों को दे दिया गया। उस समय, निहित स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों ने इस नियम विशेष के अधिनियम को उच्चतम न्यायालय में चुनौती भी दी। परन्तु इस नियम के अधिनियमन को इस आधार पर देश के हित में उचित ठहराया गया कि इससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

महोदय, इन सभी बातों का उल्लेख करने के पीछे मेरी यही मंशा है कि खनन क्षेत्र को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करने से छोटे-छोटे राज्य भी ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। अतः मैं जवाबदेही और जिम्मेदारी की मांग कर रहा हूँ। द्रमुक सरकार, जो कि बदले की भावना से प्रेरित है और राजनीतिक हिसाब चुकाने के लिए परेशान करने की नीति अपनाती है, ने गलत तरीके से आपराधिक मामला दर्ज किया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सेल्वागनपति जी, अब आप अपना भाषण समाप्त करिये और अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं अगले सदस्य को बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : महोदय, मुझे खान और खनिज के संबंध में इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इस संबंध में एक मामला अदालत में लंबित है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सेल्वागनपति जी, अब कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। मैं अगले सदस्य को बुलाने जा रहा हूँ।

.....*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के एक मामले में निर्णय सुना दिया गया है और अन्नाद्रमुक के एक भूतपूर्व मंत्री को दोषी ठहराया गया। .....*(व्यवधान)** के नेतृत्व में....* तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के पांच वर्ष के शासन के दौरान करोड़ों रुपये मूल्य का ग्रेनाइट बेच दिया गया .....*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : महोदय भूतपूर्व मंत्री देश में विदेशी मुद्रा में वृद्धि चाहते थे। .....*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, किसी को भी चर्चा में बाधा नहीं डालनी चाहिये।

सभापति महोदय : जी हां, मैंने ऐसा नहीं किया है।

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, चर्चा स्वतंत्र और निर्बाध रूप से होनी चाहिये और किसी को भी चर्चा में बाधा नहीं डालनी चाहिये। यह

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

संसद है। अगर कुछ भी असंसदीय कहा जाए तो उसे रिकार्ड से निकाला जा सकता है। किन्तु किसी को भी, चाहे सत्तापक्ष हो या विपक्ष का, चर्चा में बाधा नहीं डालनी चाहिए। .....*(व्यवधान)* मैं सुबह से ही देख रहा हूं कि कुछ सदस्य अपनी ऊंची आवाज से दूसरे सदस्यों को शांत करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये और एक समय पर एक ही सदस्य को बोलना चाहिये।.....*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : किन्तु उन्हें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिये।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस सभा का मार्गदर्शन मुझे करना है आपको नहीं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, अध्यक्ष को यह निदेश देना चाहिये कि कोई भी सदस्य चर्चा में बाधा न डाले। कोई भी सदस्य अपनी आवाज ऊंची करके दूसरे सदस्य को न रोके। हम भी आवाज ऊंची कर सकते हैं किन्तु हम अपने आप को नियंत्रित किये हुए हैं।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सेल्वागनपति, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : अध्यक्ष महोदय, ये सभा को गलत जानकारी दे रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सेल्वागनपति, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : महोदय, हालांकि तत्कालीन मंत्री चार्जशीट किये गये थे फिर भी कासर निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुना है और वे इस सभा के सम्मानित सदस्य के रूप में यहां उपस्थित हैं।.....*(व्यवधान)* जब वे हमें प्रताड़ित करेंगे तब जनता की दृष्टि में हम और शक्तिशाली होंगे।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सेल्वागनपति, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। मैं अगले सदस्य को आमंत्रित कर रहा हूं। श्री पुन्नू लाल मोहले।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। कृपया एक मिनट का समय और दें।

सभापति महोदय : नहीं, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

.....*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : इन खनन पट्टों को रद्द करने की कितनी कमजोर दलीलें दी गई हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि खदान में सीमा की निशानदेही का पत्थर नहीं था इसलिये पट्टा रद्द कर दिया गया। यह स्थिति बहुत ही दयनीय है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस ढंग से चलायी जा रही है कि हमारे संसाधन - विदेशी मुद्रा कोष भण्डार को इस प्रकार खत्म किया जा रहा है। यह एक ऐसा उद्योग है जो राष्ट्र के लिये विदेशी मुद्रा के रूप में करोड़ों रुपये कमाता है। अतः मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे इस प्रकार की समस्या को नियंत्रित करें।

जब राज्यों को अत्यधिक शक्ति सौंपी जाती है तो मैं बार बार कहता रहा हूं कि इन पर नियंत्रण भी होना चाहिये। अब विनियमन के नाम पर, वर्तमान सरकार एक के बाद एक विधेयक ला रही है। कल, बीमा विनियामक विधेयक था, आज खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक है, कल, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के विषय में होगा और उसके बाद कृषि अर्थव्यवस्था के विषय में होगा। ये लोग कब रुकेंगे? वे हमारे राष्ट्र को क्या सौंपने जा रहे हैं। वे हमारी आने वाली पीढ़ी के लिये क्या छोड़ेंगे? हम यूनियन कार्बाइड कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीं कर सके। वे प्रति परिवार 400 रु. प्राप्त नहीं कर सके। यह तो हमारे देश का भाग्य है। जब हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं कि इसका कारण उदारीकरण, विश्वीकरण, आर्थिक समस्यायें और तकनीकी जानकारी की कमी है।

सभापति महोदय : श्री सेल्वागनपति, अब बहुत हो चुका। मैंने आपको पर्याप्त समय दे दिया है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : महोदय, मुझे सुनाई देता है। कृपया मुझे एक मिनट का समय दें।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। चूंकि यह आपका पहला भाषण है, इसलिये मैंने आपको अनुमति दी थी।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : नहीं महोदय, यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : मैं जानता हूं। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : एक टन कोयला प्राप्त करने में शताब्दियां लग जाती हैं। किन्तु मात्र एक घन्टे में ही, वे दोहन कर सकते हैं। यह विधेयक यही चाहता है। 'आधुनिकतम प्रांरभिक सर्वेक्षण' केवल यही नहीं, खनन के लिये उन्हें प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें सर्वेक्षण परमिट दिये गये हैं। ऐसा क्यों है? आपके पास इस देश में ही आधुनिकतम तकनीक है। आप विदेशी ताकतों को संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन सौंपने के बजाय अन्य राष्ट्रों से तकनीक क्यों नहीं मांग सकते? यदि मुझे अनुमति दी जाये तो मैं इस सरकार के सम्मुख अन्य मुद्दे रख सकता हूं। आप आर्थिक संकट की बात करते हैं। आप कालाबाजारी करने वालों को क्यों छोड़ रहे हैं? आप जमाखोरों को क्यों छोड़ रहे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये का काला धन जमा कर रखा है? यह हमारे लिये शर्मनाक बात है। इस देश से प्रतिभा-पलायन हो रहा है।

सभापति महोदय : अब, मैं आपको और बोलने के लिये अनुमति नहीं दूंगा। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : अंत में, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे राष्ट्र के हित में इस विधेयक को वापस ले लें। धन्यवाद।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, धन्यवाद। मैं इस संशोधन विधेयक पर समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। विधेयक का पूरा नाम संशोधित करके सरकार ने विनियमन के स्थान पर विकास को अधिक बल देने का प्रयास किया है।

राज्यों को अधिक शक्ति प्रदान करके पूर्वेक्षण लाइसेंस जारी करके और नवीकरण करने, पी एल, खनन लाइसेंस और अन्य संबंधित स्वीकृतियां प्रदान करने की शक्ति और देर न हो इसके लिये उपाय सुझाने की शक्ति, इससे संपूर्ण अविकसित क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी। विद्यमान ऋणों की समीक्षा, अवैधानिक खनन की रोकथाम हेतु प्रक्रिया और उपाय की दिशा में एक अच्छा कदम है।

जब ये शक्तियां केन्द्र के पास होती हैं तो अधिक समय लगता है। हमारा देश बहुत विशाल है। एक छोर से दूसरे छोर तक इतनी अधिक दूरी है कि केन्द्र तक पहुंचना आसान नहीं होता। शक्तियों का प्रत्यायोजन बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था। अतः मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूँ।

प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्यवाही की नई अवधारणा वास्तविक या पूर्वेक्षण कार्यवाही से भिन्न है। इससे संभावित निवेशकों को प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्यवाही में निवेश करने में सहायता मिलेगी। यह कार्य खनिज संसाधनों के अन्वेषण की गति बढ़ाने हेतु अन्वेषण तकनीक के माध्यम से पूरा किया जायेगा। इस प्रारंभिक सर्वेक्षण संशोधन से भविष्य में सहायता मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, इस विधेयक द्वारा प्रस्तावित सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण संशोधन चूने के पत्थर को अलग रखना है। अभी अभी मुझसे पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र यानि कच्छ में चूने का पत्थर बहुत अधिक मात्रा में है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र अत्यधिक अविकसित है। पिछले 50 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र ने 32 बार सूखे का सामना किया है। मेरे क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। यदि सीमेन्ट उद्योग के लिये चूने के पत्थर के प्रयोग की अनुमति दी जाती है और यदि यहां पर सीमेन्ट उद्योग का विकास किया जाता है तो हमारा सीमेन्ट उद्योग पास के देशों विशेषतः मध्य पूर्वी क्षेत्र के अरब देशों के बाजार पर कब्जा कर सकता है।

अरब देशों के बाजार पर अब अमरीकी कम्पनियां कब्जा जमा रही हैं। वहां सीमेंट उद्योग लगाकर हम उस बाजार पर कब्जा जमा सकते हैं। वहां एक सीमेंट उद्योग लगाया गया है परन्तु अधिक विनियमों के कारण इसमें अत्यधिक समय लग गया। अतः इस चूना-पत्थर को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन लाने पर इससे अल्प विकसित क्षेत्रों का विकास हो पाएगा। जैसाकि वहां एक उद्योग पहले ही लग चुका है, यदि उस क्षेत्र में और तीन या चार उद्योग लगा दिए जाएंगे तो हम मध्य-पूर्व, अरब देशों के समूचे बाजार पर अपना कब्जा जमा सकेंगे क्योंकि हम उस क्षेत्र के बहुत नजदीक हैं। इसे समुद्री मार्ग से माल का निर्यात करके विकसित किया जा सकता है।

प्रस्तावित संशोधन से अवैध खनन पर भी रोक लगेगी। जांच पड़ताल के प्राधिकार के प्रत्यायोजन से राज्य में प्रवेश पर काफी हद तक रोक लगेगी। अवैध खनन में इस्तेमाल किए जाने वाले साधन और उपकरणों की जब्ती संबंधी वर्तमान शक्तियों के अलावा कुर्की का उपबंध शामिल करने से सरकार इन सभी वस्तुओं की कुर्की कर सकेगी। हमारे देश को अवैध खनन और ढुलाई के कारण अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ा है। यह एक स्वागत योग्य कदम है और मैं मंत्री महोदय को इस तरह का संशोधन लाने के लिए बधाई देता हूँ जो अत्यंत आवश्यक था और जिसे बहुत पहले लाए जाने की आवश्यकता थी।

महोदय, अवैध रूप से खनिजों की ढुलाई को रोकने हेतु ढुलाई और लाने ले जाने के लिए विधिक उपबंध को लागू करने से राज्य सरकार को खान से राजस्व की प्राप्ति होगी और इसके लिए भारी निषेध को आकृष्ट किया जा सकेगा। इस संशोधन के परिणामस्वरूप अत्याधुनिक संवर्धी प्रौद्योगिकी और संयुक्त उद्यम और आकर्षक हो जाएंगे। यह विधान निवेशकों के लिए अनुकूल होगा। हमारे देश के कई निवेशक इसमें निवेश करने के लिए तैयार हैं बशर्ते इसके लिए विनियम बहुत थोड़े हों। इस प्रकार से यह उस अल्प विकसित क्षेत्र के लिए अत्यधिक सहायक होगा।

इस प्रस्तावित संशोधन से देश के व्यापक खनिज क्षेत्र की कारगर निगरानी संबंधी नीतियां बनायी जा सकेंगी तथा इनकी जांच पड़ताल और जब्ती करने हेतु निचले स्तर पर पदाधिकारियों को अधिक शक्तियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता है और इससे उपकरणों का परीक्षण भी किया जा सकेगा।

राज्य को शक्तियों के प्रस्तावित प्रत्यायोजन से कार्यकरण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सकेगा जोकि विशेषकर इस उद्योग के हित में और सामान्यतः राष्ट्र हित में होगा। इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूँ। यदि यह विधेयक पहले लाया जाता तो और खुशी होती फिर भी देर आए दुरुस्त आए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति जी, खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 1999 में और संशोधन करने के लिए सरकार यहां विधेयक लाई है। इसके संबंध में सरकार विगत पांच-छः महीने से ढिंढोरा पीटे जा रही है कि यह बड़े फायदे का विधेयक है और इसके माध्यम से केन्द्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को पूरे अधिकार दे रही है और मल्टी नैशनल को न्यौता दे रही है जिससे बड़े प्रोजैक्ट लगाए जाएंगे जिससे खूब धन देश में आएगा और देश से गरीबी हट जाएगी। इसके अलावा खान में जो गड़बड़ी है, चोरी है, उसे भी रोकने का इन्होंने दावा किया है, लेकिन बिल को देखने से, इनके विभाग के काम को देखने से और स्टेट गवर्नमैंट की हालत देखने से असलियत कुछ और ही है। असलियत यह है कि जिन राज्यों में कोयले का उत्पादन होता है, वहां कोयले पर रायल्टी वजन के आधार पर मिलती है न कि रेट के आधार पर। छः वर्ष पहले कोयले का रेट था, आज उससे डेढ़ गुणा बढ़ गया है। जो वजन के आधार पर रायल्टी देने का कानून बनाया हुआ है, वह भी तीन साल बाद रिवाइज किया जाना

चाहिए था लेकिन चार-छः वर्ष तक उसे रिवाइज्ड ही नहीं किया जाता है। चार-छः साल तक कोयले का वही भाव रहता है। कभी-कभी इस भाव को दस वर्ष भी हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस राज्य में कोयले का उत्पादन होता है, उस राज्य का ये गला काट रहे हैं।

सभापति जी, ये दावा करते हैं कि हम स्टेट गवर्नमैंट को अधिकार दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमैंट को फायदा पहुंचा रहे हैं लेकिन काम उल्टा हो रहा है। इसके बारे में आप जवाब दें कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन्होंने कहा था कि इस संबंध में देश भर के मिनिस्टरों की बैठक हुई थी, कोल सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम यह बिल लेकर आये हैं। उस कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि कोयले पर रायल्टी कीमत के आधार पर मिलनी चाहिए। इस बात को दो वर्ष बीत गये हैं। उस कमेटी ने सभी चीजों की जांच पड़ताल करके, लाभ-हानि, पक्ष-विपक्ष, सभी कानून कायदे आदि की जांच करके अपनी रिपोर्ट दी है, फिर आप उस रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? इनका यह दावा खोखला है, छलावा है कि हम राज्य को अधिकार देना चाहते हैं।

इस संबंध में मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहां 500 से 1000 करोड़ रुपये का सालाना नुकसान हो रहा है। बाढ़, सुखाड़, पानी और रेत का मालिक बिहार सरकार और खान, खनिज और धन सम्पत्ति का मालिक केन्द्र सरकार-यह ठीक बात नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप रायल्टी क्यों नहीं देना चाहते हैं? मेरे प्रश्न का जवाब मंत्री जी दें कि जब उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, फिर आप उसकी रिपोर्ट को क्यों रोके हुए हैं? उसे लागू न करने का क्या कारण है? इसे आप बतायें नहीं तो यह आरोप साबित हो जायेगा कि केन्द्र सरकार के सौतेलेपन के चलते और जन विरोधी नीति के चलते उस राज्य की बुरी हालत है।

इन्होंने कहा है कि बिहार में हम खान और खनिज एक निगम को दे देंगे लेकिन अभी तक उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। वहां इनका जो सी.सी.एल. है या दूसरी कोयला कम्पनीज हैं, वे व्यापार के आधार पर काम करती हैं। जब उनको लगता है कि घाटा हो रहा है तो वे उसे अवैंडन छोड़ देती हैं जिससे वहां अनइम्प्लायमैंट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब यह फैसला हुआ था कि खान एवं खनिज को वहां के कार्पोरेशन को दे दिया जायेगा, तो आप उसे भी रोके हुए हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने उसे क्यों रोका हुआ है? अन्यथा आपको यह दावा नहीं करना चाहिए कि हम स्टेट गवर्नमैंट को अधिकार दे रहे हैं। स्टेट गवर्नमैंट को चूना पत्थर का कारोबार देकर, जो लाभ वाले कारोबार हैं, वे सब अपने पास रख रहे हैं। क्या आप इस तरह उनको अधिकार दे रहे हैं? इसके अलावा राज्य सरकार का जो भी प्रस्ताव है, उसका भी आप ठीक ढंग से निपटारा नहीं करते। इसी तरह एक कोल बेस्ट मिथेन परियोजना है, जिसकी जांच हुई है और यह पाया गया है कि 40 बिलियन क्यूबेक फीट वहां गैस है। दुनिया में किसी खदान में इतनी ऐसे गैस नहीं है। वैज्ञानिकों ने जांच की है और बताया है कि वहां 40 बिलियन क्यूबेक फीट गैस है। इससे कितनी एनर्जी मिलेगी और कितना देश-प्रदेश का विकास होगा। लेकिन उस परियोजना को इन्होंने रोक कर रखा हुआ है। देश में जो भी गैस उसका 20 प्रतिशत केवल बिहार राज्य के इजारीबाग और धनबाद के कोल खदान के भीतर है। हम आज भी नहीं जान पा रहे हैं, वैज्ञानिक बताते हैं कि उसमें गैस भरा हुआ है लेकिन इन्होंने उस परियोजना को रोक कर रखा हुआ है, ये बताएं कि उसको क्यों रोक कर रखे हुए हैं, उसे क्यों नहीं जल्दी से लागू कर रहे हैं और मंजूर कर रहे हैं? फ्रेंच मिक्सड क्रेडिट के अधीन एक परियोजना इनके यहां कई वर्षों से लम्बित है, ये उसे क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, यह बताएं? रानीगंज, झरिया की जो खदान है वहां रात को तीन-चार मील दूर से देखने से पता लगता है कि आग लगी हुई है, वहां कितने वर्षों से आग लगी हुई है। उसके लिए एक पुनर्वास योजना थी, एक अध्ययन दल वहां गया था। उसने जांच की रिपोर्ट दी है। वहां जो कोयला खान में आग लगी हुई है, उसको बुझाना चाहिए अन्यथा सारा कोयला बेकार हो जाएगा, यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन उस परियोजना पर भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसे मंजूर भी नहीं कर रहे हैं और न ही आगे बढ़ा रहे हैं। वहां जो बाक्साइट, ग्रेनाइट और खान-खनिज हैं उसके भी योजना और विकास के लिए केन्द्र सरकार उदासीन है। केन्द्र सरकार सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है।

महोदय, इन्होंने जो दावा किया, इसके लिए मेरा इन पर आरोप है। ये नाम ले रहे हैं कि हम चूना-पत्थर में स्टेट गवर्नमैंट को पूरा अधिकार दे रहे हैं, ज्यादा पावर डेलीगेट कर रहे हैं। इस तरह ये मल्टीनेशनल और विदेशी पूंजीपतियों को न्यौता दे रहे हैं। उनकी आर्थिक मामले में तो दखलअंदाजी है ही, जो हमारा खान-खनिज है उसमें भी न्यौता दे रहे हैं कि आप आ जाओ और यहां से हमारा ये सब लूट कर ले जाओ, हमारी जो भी सम्पत्ति है उसे लूट कर ले जाओ।....*(व्यवधान)* 40 फीसदी खान-खनिज का जो देश में उत्पादन होता है वह बिहार में होता है। कोयला, अभ्रक, एल्यूमीनियम, बाक्साइट आदि बिहार में होता है। लेकिन सरकार के सौतेलेपन की नीति के कारण बिहार खराब हालत में जा रहा है। वहां कोयले की चोरी हो रही है। इन सभी मामलों में हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। ये बिल पास कराने में जितनी रुचि ले रहे हैं, राज्यों की कठिनाई, खास करके गरीब राज्य और जो एक नम्बर में रायल्टी वाला है उसे ये रोक कर रखे हुए हैं उसे क्यों नहीं मंजूर करते हैं। इन्हीं की कमेटी ने उसे पारित किया है। इसलिए कोयले की रायल्टी मूल्य के आधार पर, ओजन के आधार पर नहीं, एड वेलोरम के आधार पर करें।..... *(व्यवधान)* महोदय, हम आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि सरकार को आपकी ओर से फटकारा जाना चाहिए कि क्यों इस तरह का भेदभाव, खास कर गरीब राज्य के साथ इस तरह का जनविरोधी काम करते हैं। ये ठीक ढंग से काम करें तब बिल पास होगा अन्यथा हम बिल के इतने खिलाफ होंगे कि इनका बिल रास्ते में ही रह जाएगा।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति (विशाखापतनम) : सभापति महोदय, आजकल देश में विकास का दौर चल रहा है। सरकार की सोच और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हम ये संशोधन कर रहे हैं जो कि आवश्यक भी हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में बहुत से खनिज हैं और इनमें से कई खनिज निकाले भी नहीं गए हैं। इस उदारीकरण के साथ संभवतः और विकास कार्यों को आकृष्ट करते हुए.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मूर्ति आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं क्योंकि हमें 4 बजे नियम 193 के अंतर्गत चर्चा आरम्भ करनी है।

श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति : महोदय मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।.....*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : किसानों की समस्या अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

सभापति महोदय : श्री मूर्ति आप अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त कर सकते हो तो फिर ठीक है।

.....(व्यवधान)

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मैं बाद में बोलूंगा।

श्री राजेश पायलट : आप जल्दबाजी में अपना भाषण आज ही क्यों समाप्त कर रहे हैं ? आप अपना भाषण इत्मिनान से कल जारी रख सकते हैं क्योंकि किसानों की समस्या अधिक महत्वपूर्ण है।.....*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति : महोदय, मैं बाद में बोलूंगा।

अपराह्न 4.03 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में किसानों के समक्ष आ रही समस्याएं

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा देश के विभिन्न भागों में किसानों को हो रही समस्याओं के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ होगी। श्री राम नगीना मिश्र चर्चा आरम्भ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : सभापति महोदय, देश के विभिन्न भागों में किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए आपने सदन में आज्ञा दी है, उसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, बहुत दिनों के बाद सदन में किसानों की समस्याओं पर चर्चा के लिए अवसर मिला है। देश की आबादी का 70 प्रतिशत भाग किसान हैं। उनकी जो समस्याएं हैं उन पर राजनीति से ऊपर उठकर इस सदन में विचार होगा, ऐसी अपेक्षा मैं अपने साथियों से रखता हूं।

मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं सदन और आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। आज करोड़ों किसान और मजदूर हैं जिनका जीवन गन्ना और गन्ना फैक्ट्रियों पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में कपड़ा और जूट की मिलें थी, जिनकी हालत बहुत खराब हुई। एक चीनी उद्योग बचा हुआ था वह भी समाप्ति के कगार पर आ रहा है। देश में जितनी चीनी मिले हैं उनमें से करीब आधी उत्तर प्रदेश में हैं। करीब 120-125 चीनी मिलें वहां हैं लेकिन उनकी हालत सबसे खराब हैं। जो किसान गन्ना बोता है उसकी हालत सबसे खराब है। जो गन्ना सेल-परचेज रूल बना हुआ है उसमें नियम है कि अगर शुगर मिलें गन्ने का दाम 15 दिन तक न दें तो 15 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से किसान को भुगतान करना पड़ेगा।

दूसरा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का केस है। किसान को शुगर फैक्टरी ने पेमेंट नहीं किया था। स्टेट ने आर. सी. जारी की थी। हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया, तब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उसने फैसला किया कि गन्ना बोने वाले गन्ना किसानों का मूल्य फैक्टरी बेचकर 15 प्रतिशत ब्याज के साथ दिया जाए। उसके बाद जो धन बचे उसको मजदूरों को दिया जाए और उसके बाद बचे हुए धन को अन्य कर्जदारों को दिया जाए। मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कानून में परिवर्तन करना होता है तो लॉ में परिवर्तन किया जाता है। यह बेचारा गन्ना किसान कानून के होते हुए भी मारा जा रहा है। हमें क्षोभ है कि बी.आई.एफ.आर. में कुछ जज रखे जाते हैं।

मैं नहीं समझता कि जजों ने कुछ उनके हक में फैसला दिया हो। उन्होंने मिल बंद करने के अलावा कोई काम नहीं किया। उन्होंने किसानों के खिलाफ ही फैसला दिया। मैं मिसाल देना चाहता हूं। कानपुर शुगर मिल जो कपड़ा मंत्रालय के अधीन थी, रुग्ण फैक्ट्री घोषित कर दी गई। यह मामला बी. आई. एफ. आर. में गया। वहां तीन-चार साल तक रहा। उनका कमीशन बनता रहा। फैसला यह हुआ कि उसे एक आदमी को इस शर्त पर दे दिया गया कि 6 साल में जो 18 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है, जबकि मामला तीन साल ऐसे ही पड़ा है, वह 6 साल में 6 किश्तों में बिना सूद के रुपया देगा। वैसे ही तीन साल निकल गए, अब वह 6 साल में देगा, इस प्रकार नौ साल हो गए। बैंक का नियम है कि एक रुपया जमा करने पर पांच साल में वे दो रुपया हो जाते हैं। ऐसे में 18 करोड़ रुपए पांच साल में 36 करोड़ रुपया हो जाते हैं और नौ साल में पता नहीं 50 करोड़ रुपए हो जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सूद सहित दिया जाए तो बी. आई. एफ. आर. के जजों को यह कहने का क्या अधिकार है कि 18 क्रोड़ रुपया बिना सूद के छः किश्तों में दिया जाए। क्या यह चीज किसानों पर ही लागू होगी ? इस फैसले के बाद भी मिल चली नहीं। वह पिछले साल से बंद है। इस वक्त भी बंद है। किसानों को दाम भी नहीं मिला। बी.आई.एफ.आर. के जजों ने लिखा कि जो गन्ना कठकुइंया, पडरौना जोन का है, वह उसी को एलाट कर दिया जाए चाहे वह मिल चले या न चले। आज किसान मर रहा है और जेल जा रहा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मुझे इसका सही जवाब दें।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कई तरह की चीनी मिलें हैं। मैं चीनी निगम की मिलों की बात करना चाहता हूं। इसमें से 5 मिलें बाराबंकी, बरेली, महोली, नवाबगंज, नंदनगर की पहले से बंद हैं तथा छः मिलें रामपुर, मेरठ, हरदोई, मुंडेरवा, छितौनी, घुघली अब बंद हो गई - इस तरह चीनी निगम की 11 मिलें बंद हो गईं। इनका करोड़ों रुपया बकाया है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि गत वर्ष गन्ना मंत्री ने बयान दिया था कि गन्ना मिलें बंद नहीं होंगी। गत वर्ष रामकोला, खेतान और घुघली मिल के पास पार्किंग ग्राउण्ड में गाड़ियां खड़ी थी। आदेश हुआ कि मिल बंद कर दी जाए और गन्ना सीसवा मिल को बेच दिया जाए। सत्ता पक्ष में रहते हुए हमें इसके लिए लड़ना पड़ा तब फैसला कैंसिल हुआ और मिल चली।

अपराह्न 4.08 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुईं]

मंत्री का बयान आया कि मिल बंद नहीं होगी किन्तु छः मिलें फिर भी बंद कर दी गई। हमारे क्षेत्र में नौ चीनी मिलें हैं। गोरखपुर कमिश्नरी में 20 चीनी मिलें हैं। पडरौना कठकुइंया मिलें पहले से बंद हैं। छितौनी अब बंद हो गई।

इसी के साथ गन्ने के दाम के बारे में सुन लीजिए। 18 करोड़ रुपया पडरौना, कठकुइंया में बाकी हैं, 22 करोड़ रुपया सरदारनगर में बाकी है जो मेरे क्षेत्र का गन्ना है, 14 करोड़ रुपया कप्तानगंज में बाकी है, 5 करोड़ रुपया चीनी निगम में बाकी है - इस प्रकार 60 करोड़ रुपया से ऊपर बाकी हैं। अन्य प्रदेशों में अरबों रुपया बाकी है। वह उन्हें मिल नहीं रहे हैं। गन्ना किसान के जिम्मे अगर बैंक का बकाया है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। अफसोस है कि गन्ना किसान सरकारी पैसा वापस न देने पर भी जेल जाता है और अपने गन्ने के दाम मांगने के लिए भी जेल जाता है। वह दोनों हालत में जेल जाता है। इस तरह कैसे चलेगा? उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है। यह बात सही है कि यह आज की बीमारी नहीं है, यह कोढ़ बहुत पहले से है। आज जो भी सत्ता में बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वे उस कोढ़ को दूर करें। 12 अरब रुपया के घाटे में चीनी निगम जा रहा है। हमें जहां तक मालूम है सैंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें एक्साइज टैक्स मिलता है। कोई शुगर फैक्ट्री ऐसी नहीं होगी जहां से उसे करोड़ों रुपया न मिलता हो।

स्टेट गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स मिलता है, सहकारी समितियों को टैक्स मिलता है। इस प्रकार सरकार को अरबों रुपया मिलता है। यदि ये चीनी मिलें बंद हो जायेंगी तो किसानों का क्या होगा? सीधा हिसाब है कि 12 अरब रुपया बकाया है और उन 12 अरब रुपये में से 4000 टन वाली चीनी मिलें बंद नहीं है। चीनी निगम भी बना हुआ है लेकिन उस पर अरबों रुपया बकाया है। अगर उत्तर प्रदेश में हर साल की 2-2 पुरानी मिलों की कैपेसिटी बढ़ाई जाती तो यह नौबत नहीं आती। उत्तर प्रदेश के लाखों मजदूरों और करोड़ों किसानों का जीवन गन्ने पर निर्भर है। वहां की जलवायु कैसी है? गन्ना किसान पैदा करता है और वह उसी से अपना जीवन यापन करता है, इसलिये चीनी मिलें बंद न की जायें बल्कि उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए जिससे चीनी उद्योग बंद न होने पायें और गन्ना बोने वाले किसान तथा काम करने वाले मजदूर भी जीवित रह सकें।

सभापति महोदय, यदि सारे देश के लिए एक राष्ट्रीय चीनी नीति नहीं बनेगी तो दिक्कत हो जायेगी। फिर हम विदेशों से चीनी मंगायेंगे और अरबों रुपया विदेशी मुद्रा में देंगे। अगर आप यहां के किसानों को सहूलियतें दे देंगे तो यहां ज्यादा चीनी पैदा होगी जिसे आप विदेशों में भी भेज सकेंगे। गन्ने का दाम न मिलने के कारण उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती कम हो रही है। इसमें किसानों की क्या खता है? वे लोग किस दरबार में अपनी फरियाद लेकर जायें? किसानों की यह साधारण समस्या नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। एक तरफ तो गन्ने का दाम बढ़ाते जाइये और दूसरी तरफ चीनी का दाम बराबर रखिये - यह कैसे चलेगा? यह नीति ठीक नहीं है। सरकार 40 प्रतिशत चीनी अपने कंट्रोल में रखती है और 60 प्रतिशत फ्री सेल में बेचती है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं और हमारे साथी बता सकते हैं कि गांव में लोगो को राशन की चीनी मिलती है, उसमें दुकानदार इंस्पैक्टर को कितनी घूस देता है। इतना ही नहीं, जो किसान चीनी पैदा करता है, उसे 5 किलो चीनी भी रिटेल प्राइस में नहीं मिलती। चीनी हम पैदा करें और शहर के लोग सस्ते दर पर खायें, गन्ना हम बोयें, चीनी का दाम न मिले - यह कहां की नीति है? इस नीति में परिवर्तन करना चाहिये। 'कृतः प्रयत्नाः कार्यम् न सिद्धम्, न भेद कुत्र दोषाः' अर्थात् प्रयत्न करने पर कार्य सिद्ध न हो, तब हम सोचें कि दोष कहां हैं?

इस संबंध में एक कमीशन भी बना था जिसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। आज चीनी मिलों की हालत खराब क्यों है? यदि सरकार एक लाख बोरे में से 40 हजार बोरे लेवी में ले और साल भर वह चीनी पड़ी रहे - उस पर बैंक को ब्याज देना पड़ता है या नहीं? क्यों नहीं सरकार 40 हजार बोरे का दाम अदा कर देती? आज मिलें बरबाद हो गई हैं, बरबाद हो जायेंगी। भगवान भी 800 या 1000 टन क्षमता वाली चीनी मिलों में प्राफिट नहीं दे सकता। आज के वैज्ञानिक युग में 3 से 4 हजार टन क्षमता वाली चीनी मिलों में प्राफिट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने की पुरानी 800-900 टन चीनी पैदा करने वाली चीनी मिलें हैं जो प्राफिट नहीं दे सकती। आखिरकार वे निजी क्षेत्र में दे रहे हैं।

अपने यहां मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहां स्पर्द्धा है। सरकारी क्षेत्र में भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी है। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों में चीनी मिलें हैं। दोनों में स्पर्द्धा है। इस स्पर्द्धा में सरकारी चीनी मिलें फेल हो गईं क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई गई। 35 चीनी मिलों में से 14 की कैपेसिटी बढ़ाई गई है, वह प्राफिट में हैं। 12 अरब रुपया सरकार को अपने खजाने से देना पड़ेगा और इतना ही नहीं, मैं तो समझता हूं कि कोई प्रपोजल भी उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से नहीं आया होगा कि इतना रुपया हमें चीनी मिलों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए चाहिए। मंत्री जी जवाब देंगे तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि समूचे देश के लिए जो चीनी निधि है जिसमें अरबों रुपया जमा है, उसमें से हमारे पूर्वांचल के लिए चीनी विकास निधि से कितना रुपया मिला है? जो 20 चीनी मिलें हैं, उसमें किसका विकास हुआ है? मैं समझता हूं कि काफी दिन पहले भटनी, बैतारपुर, पिपराई और लक्ष्मीगंज चार चीनी मिलों की कैपेसिटी बढ़ाने का आदेश हुआ था किन्तु उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्या दिक्कत है? आखिर चीनी उद्योग रहेगा या नहीं रहेगा? इस पर एक राष्ट्रीय चीनी नीति बनानी पड़ेगी। जो चीनी बनती है, उसके गन्ने का दाम तो बढ़ना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। हरियाणा 110 रुपया देगा तो उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन क्यों नहीं करेगा? हरियाणा की चीनी अगर 110 रुपया में प्रॉफिट या घाटा दे सकती है तो वह जानें, और यहां 85 रुपया दाम है तो ठीक है। जिनकी 400 या 350 टन की कैपेसिटी है, वह तो दे देंगी, मगर 1000 टन से कम कैपेसिटी वाली मिलों का क्या होगा। हमें याद है, कुछ दिन पहले 800-1000 टन की कैपेसिटी वाली चीनी मिलें थी, उनको सरकार ने 25-30 लाख रुपये छूट दे दी थी। वह छूट समाप्त कर दी गई। अब दो ही उपाय हैं। या तो इनकी कैपेसिटी बढ़ाइए, नहीं तो अपने ट्रक्स को छोड़िये। मिलें बंद मत कीजिए। हमें आश्चर्य हो रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। संयोग से जब से मैं आया, चाहे सत्ता में रहा तो भी जेल गया, विपक्ष में रहा तो भी जेल गया। दो बार तो मैं किसानों के लिए ही जेल गया कांग्रेस के राज में और अपने राजों में भी गया। हमेशा गन्ना किसानों के लिए मुझे जेल जाना पड़ रहा है। क्या खता की थी हमने? आश्चर्य है। जो बकाया

[श्री राम नगीना मिश्र]

है, अगर बैंक का बकाया है, सिंचाई विभाग का बकाया है, टैक्स बकाया है। ज्यादा बकाया है तो कहते हैं कि पर्ची ले लीजिए। पर्ची का हम क्या करेंगे? आप सौ करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं और 10 अरब रुपया माफ कर सकते हैं और हमारे गन्ने का दाम भी नहीं दे सकते हैं? हम दया की भीख नहीं मांगते। हम तो अपनी मज़दूरी मांग रहे हैं। जो माल दिया, उसका दाम मांग रहे हैं। कानूनी हक है हमको लेने का। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जवाब देते समय यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को ओवररूल करने वाले बी. आई. एफ. आर. के जज कौन होते हैं? किस आधार पर उन्होंने ओवररूल किया? केन्द्रीय प्रोजेक्ट्स की क्यों अवहेलना की गई? अगर हमारे यहां रुपया गन्ने का दाम बकाया है तो नियम से 15 प्रतिशत ब्याज के साथ वह दाम किसानों को मिलना चाहिए, यह मैं मांग कर रहा हूं। दूसरी मांग यह भी कर रहा हूं कि छः महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बयान दिया है कि चीनी मिलें बंद नहीं होंगी तो आज कौन सी मुसीबत आ गई कि चीनी मिलें बंद हो गईं। ये मिलें बंद नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आप पहले चला रहे थे, आपको मिलें चलानी चाहिए और भविष्य में राज्य सरकार को मदद देकर उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर चलाए और प्राइवेट में नहीं लेना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

ये आज की मिलें नहीं हैं। आज हमें कुछ दें नहीं रहे हैं जो हमें पहले से मिला है, वह भी छीन रहे हैं। अभी-अभी जो छः मिलें बंद हुई हैं, अभी मैं उनके बारे में बता रहा था, वे मिलें हैं - मेरठ, रामपुर, हरदोई, मुंडेरवा, छितौनी और घुगली। ये छः मिलें अभी बंद हुई हैं और पांच पहले बंद हो चुकी हैं। कानपुर शुगर वर्क्स वाला बी. आई. एफ. आर. के जजों ने मेहरबानी करके जिसको दिया है उसमें पडरौना, कठकुनिया और गौरीबाजार मिलें बंद हैं यानी कि 14 मिलें बंद हो गई हैं। मंत्री जी आप बताइये कि आप होते तो वहां के किसानों को क्या जवाब देते। वहां कौन जवाब देगा कि इतनी मिलें कैसे बंद हो गईं ...*(व्यवधान)* आप मुझे उधर आने के लिए कह रहे हैं। मैं जब कांग्रेस में था तो तीन इश्यूज पर बोलता था - धारा 370 समाप्त करो, समान नागरिक कोड बिल बनाओ और अयोध्या राम जन्मभूमि हिंदुओं को समर्पित करो। आज भी वही बोलता हूं, मैं अभी अपनी जगह पर हूं और कहीं नहीं हूं। यह आप जान लो और हमारे दोस्तों से पूछ लो जो मौजूद हैं। मैं उस समय भी यही बोलता था और आज भी यही बोल रहा हूं ...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए, मुझे छेड़िये मत। मैंने पहले निवेदन किया कि राजनीति से ऊपर उठकर गन्ना किसानों के बारे में सोचिये। इसमें राजनीति मत कीजिए। छेड़ेंगे तो मैं कहूंगा, कोई मेरा कोर दबा हुआ नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि चीनी के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। इसमें एकरूपता आनी चाहिए, यदि एकरूपता नहीं आयेगी तो दिक्कत होने लगेगी। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से कपड़ा और जूट की मिलें चली गई हैं और अब चीनी मिलें भी जा रही है। यदि चीनी मिलें भी चली गई तो बिहार और उत्तर प्रदेश पहले से ही कंगाल हैं, ये प्रदेश और भी कंगाल हो जायेंगे। यही हालत बिहार की है। वहां भी मिलें बंद हो रही हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। उत्तर भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश से जूट कपड़े की मिलें चली गई हैं, कम से कम यहां चीनी उद्योग तो बचा रहे।

सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन यह कहूंगा कि बहुत पहले मैं कांग्रेस में था। मैं उसी समय से कहा करता था कि किसानों के दाम का पेमेंट बैंक के द्वारा कराओ। किंतु यह नहीं कहता था कि बैंक द्वारा पेमेंट कराओ तो जैसे चूचड़ी में बकरा रेतते हैं, उस तरह से किसानों को मत रेतो। लेकिन क्या हो रहा है, बैंक के माध्यम से पेमेंट की बात हो रही है। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। बड़े काश्तकार बड़ी मेहनत के बाद अपने खाते खुलवा पाये। मेरा निर्वाचन क्षेत्र कुशीनगर जनपद है, वहां दो लाख 24 हजार बड़े काश्तकार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंतर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े किसान हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटे-छोटे किसान हैं। एक जिले में दो लाख 24 हजार काश्तकार हैं जिनमें एक लाख 24 हजार छोटे काश्तकार हैं। वहां बैंक वाले इतना तंग करते हैं कि किसान रोकर जाते हैं।

सभापति महोदय : आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री राम नगीना मिश्र : सभापति महोदय, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, कोई गप नहीं मार रहा हूं। मैं उनके दुख-दर्द के बारे में बोल रहा हूं। बड़े काश्तकार को बड़ी मेहनत के बाद बैंक वालों ने कहा कि पांच सौ रुपया लेंगे। बड़ी मेहनत के बाद, कई महीने दौड़ने के बाद बड़े काश्तकारों के खाते खुल गये। किंतु जो किसान 100-200 क्विंटल गन्ना बोते हैं, वे आज भी रो रहे हैं। उनके खाते अभी नहीं खुले हैं। 56 हजार ऐसे काश्तकार हैं, जिनके खाते अभी तक नहीं खुले हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि 30-40 रुपये के रेट पर छोटा किसान गन्ना कोल्हू पर ले जा रहा है। इसके पहले तत्कालीन मुख्य मंत्री जी वहां गये, उनका घेराव किया गया। उन्होंने वायदा किया कि दो सौ क्विंटल तक के जो छोटे किसान हैं, उन्हें मिल द्वारा डायरेक्ट बेयरर चेक से पेमेंट किया जायेगा।

सभापति महोदया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंत्री जी, आप पता लगाइए, आज किसान रो रहा है, मर रहा है। इसलिए कम से कम 100-200 क्विंटल तक जो छोटा किसान गन्ना पैदा करता है उसका पेमेंट मिल द्वारा बेयरर चेक बैंक के माध्यम से करा दीजिए। इस बारे में मंत्री जी ने भी घोषणा की थी और मुख्य मंत्री जी ने भी घोषणा की थी।

सभापति महोदय : अब, आप समाप्त करिए। बहुत स्पीकर हैं और समय सिर्फ दो घंटे का है।

श्री राम नगीना मिश्र : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन भी करूंगा कि आप इस बात का पूरा परीक्षण करा लीजिए कि बी. एफ. आई. आर. में फैक्ट्री देने से भी कोई फायदा नहीं हुआ है। जो मिलें इसमें गई हैं उसकी कारगुजारियां देखें, उससे कोई फायदा नहीं है और जो सिफारिशें बी. एफ. आई. आर. ने की, क्या सरकार ने उनको मान लिया है? मुझ मालूम है इस बारे में कुछ भी नहीं हुआ है और पडरौना, कटकुइयां, गौरीगंज बाजार और मुंडेरवा मिलें बंद हैं, जस की तस पड़ी हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनको बी.आई. एफ.आर. ने इस शर्त कर दिया है कि फैक्ट्री चलाओ और गन्ना किसानों का पैसा छः किस्तों में दे दें, तो क्या इसका पालन हुआ है? यदि नहीं हुआ है, तो क्या उसको कैंसिल कर के किसी दूसरे को देंगे? पडरौना की चीनी मिल तो ऐसी है, जिसको कोई भी चला सकता है।

कटकुइयां और दूसरी फैक्ट्रियां जब घाटे में चलती थी तो पडरौना और कठकुइयां की मिल से उस घाटे की पूर्ति होती थी। इसलिए पडरौना और कठकुइयां की मिल तो ऐसी है जिसे कोई भी चला सकता है।

महोदया, मैं एक और बात यह कहना चाहता हूं कि गन्ने के किसानों का मिल पर जितना बकाया है, उसकी पर्चियों को पहले पांच रुपए प्रति सैकड़ा पर गिरवी रखा जाता था, लेकिन अब नहीं रख रहे हैं। मैं आपसे यह मांग कर रहा हूं कि जितने गन्ना किसान हैं, जिनके दाम नहीं मिले हैं, उनकी पर्चियों को बैंको में गिरवी रखकर उन्हें पैसा दिलाया जाए और जब मिल से उनका भुगतान हो, तो वे बैंक को पेमेंट कर दें, ऐसी व्यवस्था तुरन्त करने की जरूरत है।

सभापति महोदय : मिश्र जी, आधा घंटा हो गया है अब कृपया आप समाप्त करें। और मैम्बर भी बोलने वाले हैं।

श्री राम नगीना मिश्र : सभापति महोदया, आधा घंटा हो गया, तो कौन सी बड़ी बात है। किसान आज मर रहा है। उसके गन्ने का बकाया मिलों से नहीं मिल रहा है वह आन्दोलन कर रहा है, जेलों में जा रहा है। मैं उसकी पीड़ा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं। मेरा एक और निवेदन है कि इस बारे में पहले जितनी भी समितियां बनी हैं उनका अध्ययन होना चाहिए। मेरा निजी विचार यह है, भले ही औरों का विचार यह हो या न हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि चीनी को फ्री कर दीजिए। उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहना चाहिए। केन्द्रीय सरकार अपने खर्च के लिए जितनी चीनी की आवश्यकता हो वह ले ले और बाकी को कंट्रोल से मुक्त कर दीजिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि चीनी हम पैदा करें और बड़े-बड़े लोग खाएं। हमें अपने उत्पादन का दाम भी न मिले और उनके गोदाम भर जाएं और नोटों से तिजोरियां भरी रहें। यदि गन्ने का दाम बढ़ता है, तो चीनी का भी दाम बढ़ना चाहिए। ऐसा न हो कि गन्ने का दाम बढ़ता रहे और चीनी का दाम घटता रहे। यदि ऐसा होगा, तो मिलें नहीं चलेंगी। जब गन्ने का दाम बढ़ रहा है तो चीनी का दाम भी बढ़ाइए और राशन की चीनी वाला झंझट समाप्त करिए जिससे सस्ती चीनी मार्केट में उपलब्ध हो और आम उपभोक्ता को सस्ती चीनी मिल सके।

सभापति महोदय : प्लीज खत्म करिएगा।

श्री राम नगीना मिश्र : सभापति महोदया, अगर चीनी के ऊपर से कंट्रोल हटा देंगे और चीनी का उत्पादन ठीक प्रकार से कराएंगे, तो हम विदेशों को चीनी भेजने की स्थिति में आ जाएंगे। आपको बाहर से चीनी मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिये।...*(व्यवधान)* आपके सभी प्वाइंट हो गये हैं। इसलिए अब आप समाप्त करिये

...(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : अभी किसानों के बारे में मुझे थोड़ा और बोलना है।

सभापति महोदय : आप उसे छोड़ दीजिए। ...*(व्यवधान)* बाकी मैम्बर्स भी तो कुछ बोलेंगे।

श्री राम नगीना मिश्र : मुझे किसानों के बारे में भी कहना है कि किसानों को सबसिडी मिलती है। सभी भाई जानते होंगे कि किसानों को 3000 रुपये सबसिडी पम्पिंग सेट हेतु मिलती है जिसे सब आफिसर खा जाते हैं। इसी तरह हमारे अफसर कैसे हैं, वे भी सुन लीजिए। जो पम्पिंग सेट बाजार में नकद दाम देने पर 7000 रुपये मे मिलता है, वही सेट ब्लाक के माध्यम से 10,000 रुपये का बना दिया जाता है। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि सरकार जो रुपया देती है, वह किसानों तक पहुंचता है या नहीं। इसी तरह छोटे किसानों को इंदिरा आवास मिलता है। आप पता कर लीजिए, आपको पता है या नहीं लेकिन मुझे पता है कि जब तक बी.डी.ओ. उनके तीन या चार हजार रुपये नहीं ले लेता है तब तक उनको इंदिरा आवास नहीं देता। इस स्थिति में देश का क्या होगा ?...*(व्यवधान)* किसानों के नाम रुपया जा रहा है जबकि उसे अफसर लूट रहे हैं। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गेहूं और धान देने के लिए जो सरकारी दुकानें हैं, अगर वहां बनिया अपना माल ले जाता है तो खरीद लेते हैं लेकिन किसान ले जाता है तो झरने से गेहूं झरवाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बनियों द्वारा न खरीदकर डायरेक्ट किसानों से गेहूं या धान खरीदना चाहिए। मुझे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन आप बार-बार घंटी बजा रही हैं इसलिए अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

हम तो मजबूर हैं,

दो मालिक हैं, दो ईश्वर हैं, दो रक्षक हैं दुनिया के

एक है, किसानों और मजदूरों के और एक हैं बिरला, डालमिया के,

नगर बीच में खड़ी ये नगर सेठ की लाल हवेली

वही पड़ी ये बिना कफन की लाश अकेली

यह न्याय नहीं मेरे प्रभु, यह निष्पक्ष विधान नहीं

नगर सेठ का भाग्य विधाता, तू मेरा भगवान नहीं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदया, मुझे भी इस पर चर्चा शुरू करनी है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम आपको बोलने के लिए मौका दे देंगे। लेकिन पहले आप इन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : मेरा नाम एजेंडा में दूसरे नम्बर पर है और मैंने इसकी शुरूआत करनी है इसलिए आप पहले मुझे बोलने दीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ऐसी क्या बात है ?

श्री राजेश पायलट (दौसा) : नियम 193 में ऐसा ही होता है। एक उधर से बोलता है तो एक इधर से बोलता है ...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ : मैंने भी राम नगीना जी के साथ नोटिस दिया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको भी बोलने का चांस मिलेगा... *(व्यवधान)* ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : हम उनके बाद क्यों बोलेंगे? *...(व्यवधान)* हम तो चर्चा की शुरूआत करने वाले हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ऐसा नहीं होता है। एक आपकी तरफ से मैम्बर बोलेगा और एक मैम्बर आपोजिशन की तरफ से बोलेगा। *...(व्यवधान)* उसके बाद आपका नम्बर आयेगा..... आप बैठिये।... *(व्यवधान)* नियम 193 मे ऐसा ही होता है। *...(व्यवधान)* आपको चांस मिलेगा, आप बैठिये।

योगी आदित्यनाथ : इसमें चांस वाली बात नहीं है। हमें चर्चा की शुरूआत करनी है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ऐसा नहीं होता है।

योगी आदित्यनाथ : अभी उत्तर प्रदेश की समस्या पर विचार हो रहा है इसके लिए हम पहले नोटिस दे चुके हैं। हम कब बोलेंगे। ... *(व्यवधान)* मेरा नोटिस राम नगीना मिश्र के साथ गया है इसलिए मुझे पहले बोलने की ऑफर मिलनी चाहिए क्योंकि चर्चा की शुरूआत हम दोनों को करनी है, न कि पायलट जी को करनी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदया, यह अत्यधिक आश्चर्यजनक है कि सभा में मंत्रिगण बैठे हुए हैं और वे अपने एक सहयोगी पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : प्रस्ताव करने वाले और समर्थन करने वाले सदस्य पहले बोलते हैं और उसके बाद नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ की जाती है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हाउस के जो भी रूल्स हैं, हमें उसको भी देखना पड़ेगा। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : नियम 193 में ऐसा ही होता है कि एक मैम्बर उधर से बोलता है और एक इधर से बोलता है।...*(व्यवधान)*

सभापति जी, आज बहस की शुरूआत श्री राम नगीना मिश्र जी ने की और बहुत अच्छी बात कही कि पार्टियों से ऊपर उठकर बात की जाये। मैं पार्लियामैंट में 1952 और 1957 के भाषण पढ़ रहा था। जब गांव और किसानों की बात हुआ करती थी उस वक्त यही भावना दिखाई देती थी इसलिए यह सैक्टर बड़ी तरक्की की तरफ बढ़ा। लेकिन दुःख की बात है कि आज यह सैक्टर राजनीति का वोट बैंक हो गया है। मैं एन. डी. ए. का मैनिफेस्टो पढ़ रहा था। उसमें जो भाषण दिये हैं और आज जो राम नगीना मिश्र जी कह रहे थे, मुझे खुशी होती कि आप बी. जे. पी. मीटिंग में इन बातों को कहते। आज हमें एक साल हो गया है। अगर कहते थे तो आप सुनो आपकी सरकार ने क्या किया। अगर कहते थे और कहते हो तो सुनो क्या हुआ। यह बात सही है जब 1952 में पहला बजट इस क्षेत्र के लिए दिया गया था तो 15 प्रतिशत एलोकेशन खेती और गांवों के लिए की गई थी और नेहरू जी यहां से बोले थे। उन्होंने यह कहा था कि 15 प्रतिशत देने में बहुत भार पड़ रहा है लेकिन गांव में देश की आत्मा है इसलिए 15 प्रतिशत भी कम है, इससे ज्यादा देना चाहिए, यह भावना थी, *...(व्यवधान)* 1998-99 की फीगर्स हम देखें तो पता चलेगा कि आज हम 13 प्रतिशत पर आ गए हैं। *...(व्यवधान)* मैं राव जी के जमाने का पढ़ कर सुना रहा हूं। जब हमारी सरकार थी तो उस समय एक लाख 80 हजार इस क्षेत्र के लिए दिए गए थे, जो सबसे ज्यादा थे। जब 1991 से 1996 तक राव जी की सरकार थी तो 80,772, 1992 में और एक लाख एक हजार बीस 1993-94 में दिए गए थे *...(व्यवधान)* मैं आपसे कह रहा हूं कि 1952 से अब तक कमी आई है लेकिन कांग्रेस के राज में फिर भी थोड़ा-बहुत रहम रहा। *...(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं अंडमान-निकोबार से आया हूं...*(व्यवधान)* मैंने केवल पांच प्रतिशत देने के लिए कहा था।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : मैं सारे देश की फीगर दे रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद राय : आप यह बताएं कि राव जी के जमाने में कितने प्रतिशत दिया।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : मैं तो सारे देश की फीगर्स बता रहा हूं। जब एनडीए की सरकार बनी थी। पहले तो इनके मन में था कि कृषि क्षेत्र को ज्यादा इम्पोरटेंस नहीं है इसलिए 13 महीने तक देश में कृषि मंत्री नहीं रहा। आज पहली बार कृषि मंत्री इस सरकार में बने हैं, शुरू में भी कृषि मंत्री नहीं बना था। जब ओथ ली तो कृषि मंत्री नहीं बना था। एक जमाना था जब कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग सरकार की प्रायरटी हुआ करती थी। इसे आप इस ऐंगल से मत देखो कि मैं कांग्रेस से बोल रहा हूं और आप बी. जे. पी. में बैठे हो। मैं नीति की बात कर रहा हूं। पहले यह था कि इन तीन क्षेत्रों में कौन से विद्वान लोग जाएं, जिनकी नीयत और नीति इस क्षेत्र के लिए हो ये जाएं। इन तीनों विभागों के लिए लोग मांग करते थे। इन तीनों में से भी यह था कि कृषि विभाग सबसे पहले मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग के लिए लोग मांग करते थे लेकिन आज दुख की बात है कि नीतीश जी अभी कुछ दिन पहले कृषि मंत्री बने हैं, 13 महीने तक कोई कृषि मंत्री नहीं था...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी तो सारे विभागों के इन्चार्ज हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है...*(व्यवधान)* इन्होंने अपने एनडीए के मेनिफेस्टो में कहा कि हम 60 प्रतिशत कृषि और रूरल डेवलपमेंट के लिए देंगे, मैं इनके बजट के

दो उदाहरण दे रहा हूं-1998-99 में आपने कृषि में एक हजार छः करोड़ रुपए दिए, रिवाइज्ड एस्टीमेट 960 करोड़ है। 1999-2000 के बजट में 1211 करोड़ रुपए दिए, आपने 205 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी की, यह 60 प्रतिशत है। एनीमल हस्बेंड्री के लिए आपने कहा कि हमारी सरकार गांवों में ग्रामीण डेरी को बढ़ोत्तरी देनी चाहती है। 1998-99 में 453 करोड़ रुपए आपकी एलोकेशन थी और रिवाइज्ड एस्टीमेट 286 करोड़ था। इस बार आपने बजट में 427 करोड़ रुपए दिए। मैं आपके सामने सच्चाई रख रहा हूं और इसलिए रख रहा हूं कि अगर आप इन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं देंगे तो ग्रामीण क्षेत्र और किसान पीछे रह जाएंगे, तब देश आगे नहीं जा सकता। रामनगीना जी ने ठीक कहा कि 70 प्रतिशत पापुलेशन हमारे देश की गांवो में रहती है और देश का विकास उन पर निर्भर है। अगर ये 70 प्रतिशत उठेंगे तो तभी देश उठेगा, दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता से देश नहीं उठेगा। जब तक यह भावना हम सब में नहीं आएगी तब तक देश नहीं उठ सकता। मैं दुख के साथ पार्लियामेंट की बहस में भी कह रहा हूं। आप 1957 और 1967 की बहस पढ़ो, हर चीज में गांवों का नाम आया करता था।

मेरे सब साथी बैठे हैं। पहले हर बहस में गांव का जिक्र किया जाता था। ट्रेड पर बहस होती थी लेकिन गांव का जिक्र हुआ करता था। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें गांव के लिए क्या होने वाला है। मैं नहीं कहता कि हमारे राज में खामियां नहीं रही होगी लेकिन अब वक्त आ गया है जब हमें इस क्षेत्र पर ध्यान देना जरूरी है, गांव की तरफ नजर करना जरूरी है। जैसा माननीय राम नगीना मिश्र जी ने कहा कि हमें इस पर पार्टी से ऊपर उठकर विचार करना होगा। हमें कुछ सच्चाई तो सामने रखनी ही होगी। अगर सच्चाई सामने नहीं रखेंगे तो आप एक्शन नहीं ले पायेंगे। हम उन बातों को नहीं रखेंगे तो हम भी अपना फर्ज पूरा नहीं कर पायेंगे। इसीलिए मैंने ये आंकड़े आपके सामने रखे हैं। अगर आपने कहा है तो इन्हें पूरा करने की कोशिश करो।

गरीबी दूर करने के लिए आपने अपने मैनिफैस्टो में जो कहा है उसका एलोकेशन मैं आपको बता रहा हूं। आपने अपने बजट में 1998-99 में 7283 करोड़ रुपया दिया है और रिवाइज्ड ऐस्टीमेट 6933 करोड़ का है। इसी तरह वर्ष 1999-2000 के बजट में 6902 करोड़ है। इस तरह 1998-99 के बजट से 381 करोड़ कम है। यह आंकड़े मैं बाहर से नहीं दे रहा हूं, लाइब्रेरी से लेकर आया हूं। इनको आप देख लें। अगर ये 60 प्रतिशत के दायरे में आते हैं तो ठीक है अन्यथा आपके कैलकूलेशन में गलती है।

मैडम, मैं तीन चीजों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसान की क्या तकलीफें हैं। फसल, उसकी जमीन और विकास। उसकी फसल अच्छी होती है तो उसका विकास अपने आप हो जाता है। जब प्लानिंग कमीशन में फसल का फार्मूला तय हुआ था उस समय हम सरकार में थे। हमने उसको सुधारने की कोशिश की थी। मेरा अनुभव यह है कि गांव की भावना प्लानिंग कमीशन में आते-आते नहीं रहती है जोकि रहनी चाहिए। जब फार्मूला कैलकूलेट हुआ तो किसान के परिवार का उसमें हिसाब नहीं रखा गया। अगर एक किसान के 12 आदमी खेती में काम करते हैं, उसका बेटा, बेटी, बहू, तो उनकी मेहनत का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। एक फार्मूला बना है जिससे सपोर्ट-प्राइस और कोस्ट-प्राइस निकाल ली जाती है। किसान का सारा परिवार जो खेती में लगा रहता है उसकी लेबर-कोस्ट प्लानिंग कमीशन रखने को तैयार नहीं है। इसलिए सपोर्ट प्राइस उतनी नहीं आ पाती जितनी की आनी चाहिए। जब डीजल के भाव बढ़ाये गये तो हमने शोर क्यों मचाया था? हमने कहा था कि डीजल के भाव बढ़ा रहे हो तो सपोर्ट प्राइस आज ही इतना घोषित कर दो कि किसान पर बोझ न पड़े। आज तक सपोर्ट प्राइस गेहूं की घोषित नहीं हो पाई है। गन्ने की भी दो दिन पहले हुई है। मिल मालिकों का बयान आप देखिये। उन्होंने कहा कि गन्ने की कीमतें बढ़ती रहेंगी और इस तरह से तो हमें मिलें बंद करनी पड़ेंगी। एक एक्सपर्ट सैन गुप्ता ने कहा है कि :

[अनुवाद]

"कृषि उत्पादन दर जनसंख्या के वृध्दि दर से बहुत कम है।"

[हिन्दी]

अगर हमने कृषि को बढ़ावा नहीं दिया तो हम उसी बात पर फिर आ जायेंगे जब हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ा था। हमें याद है पी.एल-480 का 16 रुपये मन का आटा आया करता था। किसी रिश्तेदार के घर जाते थे और लाल आटे की रोटी खाने को मिलती थी तो हम समझ जाते थे कि इसके घर अनाज पूरा नहीं हुआ है। उस तरह से हमने दो-ढाई साल तक गुजारा किया। उसके बाद हमारे किसान ने मेहनत की और आपको आत्म-निर्भर बना दिया। लेकिन आपने किसान के लिए क्या किया है। क्या आपने किसान की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई? मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। किसान को गन्ने की जो पर्ची मिलती है दो साल तक उसकी पेमेंट नहीं होती है। उससे वह अपनी लड़की के हाथ पीले करता है। पर्ची को वह बैंक में जमा करता है, उस पर कर्जा लेता है और ब्याज देता है और उस पैसे से वह अपना काम चलाता है।

श्री राम नगीना मिश्र : पर्ची वह बैंक में नहीं रखता है, बनिये के घर रखता है और पांच रुपया सैंकड़ा का ब्याज देता है। बैंक पर्ची लेता नहीं है। हमारी मांग है कि पर्ची को बैंक ले।

श्री राजेश पायलट : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद पहले बैंक ले लिया करते थे, अब उन्होंने भी लेना बंद कर दिया होगा यह मेरे लिए भी एक नयी खबर है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी बजट पर बोल रहे थे। मैंने क्रैडिट पॉलिसी की बात की थी। हम जब सरकार में थे तब हमने इसकी कोशिश की थी लेकिन हम इसे नहीं कर पाये। हम जो नहीं कर पाए, उसे तो मानेंगे लेकिन जो सुधार हो सकते हैं, उसमें हम कोशिश करते रहे। इन्होंने क्रैडिट कार्ड चलाया। उस दिन बहुत खुश होकर माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि 6 लाख किसानों को क्रैडिट कार्ड मिल गया है। दुख की बात यह है कि जहां 70 परसैंट ऐसे लोगों की पापुलेशन हो, वहां 6 लाख क्रैडिट कार्ड देने पर सरकार खुश होती है। कहीं थोड़ा एप्रोच में फर्क है। क्रैडिट कार्ड क्या है? वह उस पर खाद ले सकते हैं, उस पर बीज ले सकते हैं, उस पर थोड़ा बहुत ट्रैक्टर का सामान ले सकते हैं। हमने एक दूसरी मांग की थी। हमने कहा था कि जब तक किसान की आर्थिक हालत नहीं सुधरेगी, किसान ऊपर नहीं उठ पाएगा। राम नगीना जी कह रहे थे कि आज इंडस्ट्रियल हाउसेज को बैंक की लिमिट दी जाती है। अगर किसी का 100 करोड़ रुपए का बिजनेस है तो उसे 80 करोड़ रुपए की बैंक लिमिट दी जाती है। हमने

[श्री राजेश पायलट]

मांग की थी कि अगर 20-25 बीघे का किसान है, उसकी जमीन की कीमत 25 लाख रुपए है तो उसे 2 लाख रुपए की लिमिट दे दो। वह दो लाख जब मर्जी ले और जब मर्जी दे। ऐसे में उसमें हिम्मत आ जाएगी। अगर जेब में पैसे हों, आप सारे बाजार में चले जाओ, कभी भूख नहीं लगेगी। खाली जेब होने पर घर बैठे भूख लगती है और वह सोचता है कि दोपहर में क्या होगा? आर्थिक हिम्मत आर्थिक हालत से मजबूत होती है। सरकार ने किसान को क्रैडिट कार्ड तो दिया लेकिन अच्छी नीयत नहीं दिखाई। मैंने पहले भी अपने भाषण में कहा था कि क्रैडिट कार्ड का किसान को उस समय फायदा होगा जब उसे उस लिमिट का फायदा होगा। आज किसान का बालक नौकरी के लिए 10 जगह जाता है। अगर उसके लिए भी लिमिट बन जाए तो वह भी सरसों का छोटा सा कारखाना लगा सकता है। परिवार मिल कर इसे लगा सकते हैं। ऐसे में वह सरसों नहीं बेचेगा, सरसों में से तेल निकाल कर बेचेगा। वह खल अलग बेचेगा और तेल का भी पाउडर बनेगा तो वह पाउडर बना कर बेचेगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आपने जो पालिसी बनायी, उसका किसानों को जो फायदा होना चाहिए था, नहीं हुआ।

यहां प्रक्योरमैंट प्राइस की बात हुई। जब वित्त मंत्री जी बोल रहे थे, तब हमने इस बात को यहां उठाया था। धान की सपोर्ट प्राइस घोषित हुई। यह बात सच है कि कहीं कांटे नहीं लगे क्योंकि आढ़तियों से मिलीभगत थी। उनसे कहा गया कि कांटे मत लगाओ, मजबूरी में किसान नहीं देगा। जिस पर कर्जा होता है, उसे जैसे सुविधा होती है वैसे वह आढ़तियों और बनियों को देता है। मैंने इस बारे में उत्तर प्रदेश में 10 जगह फोन किए। मैं जब शाहजहांपुर गया तो मैंने कमिश्नर को फोन किया। उसने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं। गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर में कोई कांटे नहीं लगाए। जब मैंने बहुत शोर मचाया तो जहां मेरा गांव है, वहां कांटा लगा दिया बाकी जगह कांटा नहीं लगाया। यहां मैं कहना चाहता हूं कि नीति और नीयत का फर्क है। जिस दिन नीति और नीयत एक हो जाएगी, उस दिन देश में किसानों का विकास अपने आप हो जाएगी। नीतियां बनती हैं। राम नगीना जी ने ठीक कहा कि नीतियों में बहुत विकास हो रहा है लेकिन वह जमीन पर लागू नहीं हो रहा है। राजीव गांधी जी ने ठीक कहा था कि एक रुपए में 15 पैसे गांव में पहुंचते हैं। उन्होंने सच्चाई सामने रखी। इसलिए वह पंचायती राज लेकर आए थे जिससे गांव में पूरा पहुंच जाए। मेरी प्रार्थना है कि क्रैडिट पालिसी बदलनी चाहिए।

इसी हाउस में हमने दो घंटे तक चर्चा की थी। इतिहास में पहली बार हमारे किसान भाइयों ने आत्महत्या की थी। यह अखबार नहीं थी। तीन प्रदेश सरकारों ने स्वयं माना था कि किसानों ने आत्महत्या की चाहे वह आन्ध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, कर्नाटक हो, सब ने माना था। आंकड़े में कमी रह गई है। कोई कहता है कि इतनों ने आत्महत्या की लेकिन यह बात सच है कि आजादी के बाद पहली बार इतिहास में किसानों ने आत्महत्या की। हमने यहां खुल कर बात की थी कि यह देश के लिए अच्छा सूचक नहीं है। हमारी नीतियों में कहीं खामियां हैं या कार्यान्वित करने में कहीं खामियां हैं। पंजाब जैसा प्रदेश जिस ने अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी मदद की, पंजाब का किसान जो कभी दुखी नजर नहीं आ सकता, वह दुखी होकर भी हंसता रहता है, वहां के किसानों ने भी आत्महत्या की। क्यों की? क्योंकि नीतियां उसके लाभ की नहीं थी। 15 हजार रुपए जिस ने उधार लिए, उसकी फसल खराब हो गई, वह उसे दे नहीं पाया। यह भी सच्चाई है कि अगर कोई बड़ा उद्योगपति बैंक का पैसा न दे तो टेलीफोन से बात हो जाती है कि मेरे पास छः महीने तक कोई पैसा नहीं है, लेकिन अगर किसान पैसा न दे तो ये लोग गांव में पहुंच जाते हैं और तीन हजार रुपए के ऊपर भी उसकी भैंस ले लेते हैं। वह उस दिन उसके यहां जाते हैं, जिस दिन उसके खास रिश्तेदार बैठे हों जिससे उसकी बेइज्जती भी हो जाए और वह कहीं न कहीं से पूरा पैसा दे सके।

सभापति महोदय : पायलट जी, 20 मिनट हो गये हैं, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री राजेश पायलट : मैडम, मैं अपने पाइंट पर आ रहा हूं। क्रेडिट पालिसी में कुछ बदलाव आना चाहिये जैसा इंडस्ट्रियल सैक्टर में है, यह मैं नीतीश जी से प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर देश में एग्रो बेस्ड रूरल इकानिमी को बेस बनाना है तो बैंक लिमिट हमें भी इंडस्ट्रियल सैक्टर की तरह मिलनी चाहिये जिससे किसानो में विश्वास होगा। इससे बेरोज़गारी कम होगी और गांवों तथा किसानों का विकास अपने आप होता रहेगा।

दूसरी बात सबसिडी के बारे में कही गई है। किसानों के लिये सबसिडी जुर्म है कि सबसिडी का नाम आते ही कि इतने हजार करोड़ सबसिडी दे रहे हैं। यहां पर यह बहस हुई थी। आज विकासशील देश किसानों को सबसिडी दे रहे हैं लेकिन यहां किसानों को सबसिडी मिलने पर बहस होने लगती है कि यदि सबसिडी दी जायेगी तो देश पीछे चला जायेगा। यदि किसान का 2000 रुपया मर जाये तो सबसिडी में गिना जायेगा लेकिन इंडस्ट्रियल सैक्टर्स का 500-500 करोड़ रुपया रह जाये तो वे टेलीफोन पर कह देते हैं कि अभी तक हिसाब चल रहा है, दे नहीं सकते। जब मैं शिपिंग मिनिस्टर था तो मैंने कई शिपिंग कम्पनियों को देखा कि 2-2 सौ करोड़ रुपया सरकार का लिये बैठे हैं, लेकिन उनसे पूछने का कोई सवाल नहीं है। किसान के लिये कुछ नहीं है। मैं यह महसूस करता हूं कि देश में सबसिडी जारी रहनी चाहिये और किसानों के लिये सबसिडी और बढ़नी चाहिये। इसका एक इनडायरेक्ट फायदा है क्योंकि देश को इससे लाभ मिल रहा है और देश में आत्मबल की शक्ति आ रही है। आज हम अनाज के बारे में देख रहे हैं। यह दूसरी बात है कि किन्ही कारणों से मंगाया गया या कम मंगाया गया। आप किसानों के लिये सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के लिये फारमूला बनाते हैं। एफ.सी.आई. में हैंडलिंग चार्जेस 200 रुपये क्विंटल है या 150 रुपये टन है, इसके अलावा वैस्टेज चार्जेस हैं। यदि गोदाम में 1000 टन गेहूं पड़ा है तो सालभर में वह वैस्टेज में लग जायेगा लेकिन किसानों के लिए 5 रुपये बढ़ाने में नीतीश जी लगे रहेंगे और फिर अंदर से कहा जायेगा कि कॉमन मैन पर फर्क पड़ेगा। अगर एफ.सी.आई. के हैंडलिंग चार्जेस बढ़ा दिया जायें या किसानों के लिये सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी जाये तो मुझे खुशी होगी। आपने अनांउस किया है कि आपने गोदाम की स्कीम दी है कि किसानों को इतने परसेंट फैसिलिटीज देंगे लेकिन उसका प्रचार ठीक से नहीं हुआ और गांवों में प्रचार नहीं किया गया। यदि गोदाम सब्जियों के लिये, गेहूं या कोल्ड स्टोरेज में मदद कर दें तो किसान कोआप्रेटिव बनाकर उससे फायदा उठा सकते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी इस बात को मत उठाइये, समय कम है, इनको जल्दी खत्म कर दीजिये।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, यह बेचारे बहुत महत्वपूर्ण भाषण कर रहे हैं, इनको खत्म करने दीजिये। अच्छा भाषण दे रहे हैं लेकिन गलत जगह पर बैठे हुये हैं, इसलिये कुछ नहीं कर पायेंगे।

श्री राजेश पायलट : सही बात है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर सही है तो नीयत और नीति नहीं है, नेता भी होना चाहिये। अगर नीति, नीयत और नेता तीनों होंगे, तब किसान का भला हो सकता है।

श्री राजेश पायलट : बिलकुल ठीक है।

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ) : सभापति महोदय, श्री मुलायम सिंह जी ने बेचारा शब्द पायलट जी के लिये कहा है, यह शब्द इस्तेमाल न करें।

श्री राजेश पायलट : कोई बात नहीं, ये हमारे बड़े भाई हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : बेचारे नहीं होते तो उधर नहीं बैठते, यहां बैठते।

श्री राजेश पायलट : सभापति महोदय, मेरा तीसरा पाइंट बहुत महत्वपूर्ण है। यह जलता हुआ प्रश्न है। जब किसानों की जमीन अक्वायर की जाती है तो थ्रो-अवे प्राइसेज पर की जाती है। वह जमीन 20 रुपये गज पर ली जाती है और 2 हजार रुपये गज के हिसाब से आगे बेची जाती है। जब कभी मजबूरी में किसान अपनी जमीन बेचता है और साल भर के बाद उसे जरूरत हो तो वह 2 हजार रुपये गज में खरीदता है क्योंकि डेवलेपमेंट अथारिटी को उसे खर्चा देना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि डेवलेपमेंट चार्जेस काटकर उसे जमीन दी जाये। रक्षा या अस्पताल के लिये जमीन एक्वायर की जाये तो कोई बात नहीं लेकिन किसान को बाजार भाव पर डेवलेपमेंट चार्जेस काटकर दी जाये। जिस दिन किसान रजिस्ट्री करके घर आता है तो कोई खुशी नहीं होती है। पैसा जरूर आता है लेकिन पीढ़ियों की सम्पति चली जाती है। मेरा सुझाव है कि सरकार ऐसा बिल लाये कि यदि किसान की जमीन एक्वायर होती है तो डेवलेपमेंट चार्जेस काटकर उन्हें बाजार भाव पर दी जाये। आखिर में मैं महसूस करता हूं कि जब तक किसानों के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे पढ़-लिखकर उस कुर्सी तक न पहुंच जायें जिन कुर्सियों पर नीतियों को लागू करते हैं, हमारे गांव का विकास नहीं होगा। उन्हें पता होगा कि खोल चुभने से क्या दर्द होता है?

उन्हे पता होगा कि कार्तिक के महीने में पानी में नहाने से क्या सर्दी लगती है। लेकिन जिसे पता नहीं कि जेठ में गर्मी है, कार्तिक में सर्दी है, उसे क्या पता होगा कि किसान की क्या तकलीफें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन जज्बातों को विभाग में रखेंगे पॉलिसी बनाते वक्त और नीतीश जी से मुझे ज्यादा उम्मीद है। इन्हीं लफ्जों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में, किसानों की आज जो दुर्गति हो रही है, उसमें आप सहारा देंगे तथा किसान को और ऊपर उठाएंगे। धन्यवाद।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदया, आज इस सदन में किसानों के संबंध में चर्चा की जा रही है और सचमुच यह एक गंभीर विषय है। चर्चाएं तो इस सदन में बहुत पहले से होती रही हैं लेकिन किसानों के हित में क्या हुआ या नहीं हुआ, उसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कितने मंत्री उपस्थित हैं। मैं आसन से निवेदन करूंगा कि जब किसानों और गांवों की समस्याओं पर चर्चा हो तो चूंकि किसानों की समस्या एक ही विभाग से जुड़ी हुई नहीं है, मात्र यह कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ मसला नहीं होता है, इसलिए मंत्रिमंडल के उन सभी मंत्रियों को उस समय यहां उपस्थित होना चाहिए जो लोग किसानों की समस्या से जुड़े हैं। यहां सरकार के लोग बैठे हुए हैं। इतने बड़े मसले पर यहां चर्चा हो रही है और बिजली मंत्री अनुपस्थित हैं जबकि बिजली एक महत्वपूर्ण समस्या है किसानों के हित में। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि आसन से निर्देश दिया जाए कि जब किसानों से संबंध में यहां चर्चा हो तो जितने संबंधित विभागों के मंत्री हों, वे सदन में उपस्थित रहें।

सभापति महोदया, हम कहना चाहते हैं कि राजेश पायलट जी और राम नगीना मिश्र जी ने बहुत विस्तृत रूप में किसानों के हित में चर्चा की है। इस देश में जितने भी प्रदेश हैं, अलग-अलग प्रदेश में अलग-अलग तरह की फसलें होती हैं। अलग-अलग फसल होने के कारण, अलग-अलग प्रदेशों के किसानों की अलग-अलग तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं पर, जैसे एक माननीय सदस्य ने केरल में नारियल की खेती के संबंध में चर्चा की थी, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की अलग समस्या है, बिहार की अलग समस्या है। फसल भी विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग प्रकार की होती हैं। हम कहना चाहते हैं कि यह पूरे देश की समस्या है और आज जब हम किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ चर्चा तक यह बात सीमित न हो। चर्चा के बाद कुछ सोच-विचार करके हम ठोस कार्रवाई करें, तभी किसानों के हित में बात होगी।

आज किसानों की स्थिति बहुत खराब है। सभी लोग कहते हैं कि 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। राजेश पायलट जी ने ध्यान दिलाया कि नेहरू जी ने कहा था कि गांवों में देश का हृदय रहने के बावजूद आज देश में क्या हो रहा है। किसानों के साथ कभी भी इंसाफ नहीं होता है। भाषण में चिन्ता जताई जाती है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जैसा राजेश जी ने कहा था और हम उनकी बात से सहमत हैं कि सरकार को किसानों की समस्या की जानकारी ही नहीं हो पाती है। जो लोग किसानों के भाग्य का फैसला करते हैं, वे किसानों की समस्या की जानकारी नहीं ले पाते हैं। हम बताना चाहते हैं कि आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समस्या बिजली और पानी की बनी हुई है। एक तरफ दिल्ली जैसे शहर हैं, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों में बिजली की चकाचौंध हो रही है और दूसरी तरफ गांवों में चलकर देखा जाए तो न झोंपड़ियों में जलाने के लिए डिबिया बत्ती मिलेगी और न ही खेतों में पानी देने के लिए बिजली की व्यवस्था है। हम नहीं कहते हैं कि शहरों की चकाचौंध समाप्त कर दी जाए लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप शहरों में चकाचौंध की व्यवस्था कर रहे हैं, उसी तरह गांवों के किसानों की खेती लहलहाने के लिए, किसानों की जिन्दगी को खुशहाल बनाने के लिए गांवों में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

ताकि किसान खुशहाल हो सके। यहां पानी की भी व्यवस्था होती है। बड़े-बड़े शहरों में सड़कों पर गोलचक्कर बनाए जाते हैं जहां पानी के फव्वारे उड़ाए जाते हैं जबकि गांवों में किसानों की फसल पानी के अभाव में सूख जाती है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि गांवों में किसानों को बिजली और पानी की सुविधा मुहैया कराना अत्यावश्यक है। इन बिन्दुओं पर सरकार को गंभीरता से चिन्तन करना चाहिए।

हम खासकर बिहार की समस्या का ज़िक्र करना चाहते हैं। बिहार के किसानों की स्थिति और भी दयनीय है। इसका खास कारण है कि उत्तर बिहार और मध्य बिहार की ज़मीन बहुत उर्वरा है परंतु वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अगर वहां सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो आधे भारत का भोजन छः महीने तक उत्तर बिहार चला सकता है।

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन कभी वह बाढ़ की समस्या से पीड़ित होता है, कभी सुखाड़ की समस्या से पीड़ित होता है, कभी जल जमाव की समस्या से पीड़ित होता है। इन समस्याओं के कारण उत्तर बिहार की धरती उर्वरा होने के बावजूद उचित फसल नहीं दे पाती। जिससे किसान त्राहि-त्राहि कर उठता है। कुछ सरकार की गलत नीतियों के कारण बिहार के किसान खुशहाल नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि बहुत पहले राज्य सरकार ने गंडक नहर योजना की पूरे बिहार में शुरूआत की थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी। गंडक नहर के बांध बनाये गये। उसमें किसानों की जमीनें ले ली गईं लेकिन उस नहर से किसानों को सिंचाई के लिए जितना पानी मिलना चाहिए था, वह बिहार में किसानों को नहीं मिलता है, जिसके कारण किसानों का दोहरा दोहन हो रहा है। उनकी जमीनें ले ली गईं, उन्हें पानी नहीं मिलता। बहुत सी ऐसी नहर की जमीन हैं जिसका किसानों को मुआवजा नहीं मिला और इतना ही नहीं कभी-कभी जब पानी धोखे या संयोग से आ जाता है, चूंकि बांध सुरक्षित नहीं होते, उसके कारण किसानों की फसल डूब जाती है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इस स्थिति में किसानों का दोहरा शोषण होता है।

अपराह्न 5.01 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसलिए अध्यक्ष महोदय हम कहना चाहते हैं कि बिहार के किसानों की सुविधा के लिए सबसे पहले उन्हें बाढ़ से बचाने के उपाय किये जाने चाहिएं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बोलना चाहता हूं जिसका प्रधानमंत्री जी उत्तर देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 5.02 बजे

विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित अयोध्या मामले के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले मुद्दे को लेते हैं। श्री मुलायम सिंह।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कल बोल सकते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम इस पर कल ही बोलेंगे लेकिन हम यह कहना चाहते थे कि कल जब राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था, उस पर मुझे बोलने के लिए आपने मेरा नाम बुलाया था। सर, हमारी भी कुछ भावनाएं हैं। हम सदन और देश के सामने अपनी भावनाएं रखना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी इस पर बोलने की इजाजत दें।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे देश के महत्वपूर्ण सवाल पर बोलने का मौका दिया। हम संक्षेप में दो ही बातें कहेंगे। वे दो बातें ऐसी हैं जिनके बारे में देश की जनता को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर मस्जिद क्यों ढहाई गई ...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : वह मस्जिद कहां थी, वह ढांचा था।

श्री मुलायम सिंह यादव : इन्हें समझाइये, मुझे सुन लीजिए... *(व्यवधान)*

चूंकि परेशानी दूसरों को भी होगी। इन्हें समझाइये। अगर इन्हें बुद्धि होती तो मुझे टोकते ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बुनियादी गलतियां या गलत नीतियां हैं, जिनके कारण मस्जिद ढहाई गई और मस्जिद ढहाने के लिए जो जिम्मेदार हैं, वे आज मंत्रिमंडल में हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट है। उनके उत्तर से हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य सहमत नहीं हैं। अब प्रधान मंत्री जी आये हैं, वे जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले हम दो बातें कहना चाहते हैं कि मस्जिद भारतीय जनता पार्टी और उनके कई संगठनों ने गिराई, हमें इस संबंध में समस्त जानकारी है और हमने बाबरी मस्जिद को बचाया भी है और उसी का खमियाजा हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे साथियों, कार्यकर्ताओं से लेकर हमारे परिवारों को भुगतना पड़ा है और तमाम तकलीफें झेलनी पड़ी हैं। इसलिए हम आपके सामने दो बातें रखना चाहते हैं कि अगर यह मस्जिद अचानक नहीं गिराई गई और न

ही यह घटना अचानक ही घटित हुई है। प्रधानमंत्री जी उस समय सत्ता में नहीं थे, उन्होंने कुछ शब्दों में स्वीकार किया था, जिन्हें हम दोहराकर सदन का समय नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि मस्जिद जानबूझकर गिराई गई है और इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं। जो चार्ज-शीटेड हो गए हैं, वे तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन अगर और लोग भी जिम्मेदार हैं, अगर सी.बी.आई. और अदालत की नजर में नहीं आया, तो देश की जनता की नजरों में तो आना चाहिए। देश को इसका कितना खामियाजा उठाना पड़ा, देश में कितनी आगजनी, दंगे और फसाद हुए, चाहे हिन्दू हो या मुस्लिम हो, उनकी दुकानें जलाई गईं, हत्याएं की गई, लूटपाट हुई, दंगे तथा आगजनी हुई, उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं ? इसलिए मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि 4 दिसम्बर, 1992 को समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के सभी सदस्यों ने तत्कालीक महामहिम राष्ट्रपति, श्री शंकरदयाल शर्मा जी से मिलकर उन्हें सावधान किया था।

अध्यक्ष महोदय, वह पत्र मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं जिससे कि सारे देशवासी मस्जिद गिराने वालों से अवगत हो जाएं तथा वास्तविकता सामने आ जाए कि मस्जिद गिराने हेतु कौन दोषी है तथा कौन जिम्मेदार है। मैंने राष्ट्रपति महोदय को जो पत्र 4 दिसम्बर, 1992 को लिखा, वह मैं पढ़कर सुनाता हूं :

> "महामहिम, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल 3 दिसम्बर से दिल्ली में हो रही है। अयोध्या विवाद ने सारे देश की मानसिकता में तनाव पैदा किया है। समाजवादी पार्टी उस समय, उस तनाव के लिए यह मानती है कि इस विवाद से संपूर्ण वातावरण में एक जहरीली गर्माहट पैदा हुई है। आप राष्ट्रपति होने के नाते भारत राष्ट्र और संविधान के संरक्षक हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी इन तमाम परिस्थितियों के लिए केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश की भा.ज.पा. सरकार को समानरूप से दोषी मानती है। अगर केन्द्र सरकार ने शुरू से ही स्पष्ट नीति अपनाई होती, तो यह विस्फोटक स्थिति नहीं पैदा हुई होती। आज भी जिस आपाधापी के दौर से घटनाएं गुजर रही हैं उससे राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक का बहिष्कार करने की हिम्मत करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं निर्देशों के अपमान की भाषा का सामना करना पड़ रहा है। भा.ज.पा. की दूसरी राज्य सरकारों के मंत्री त्यागपत्र देकर कार-सेवा की घोषणा कर रहे हैं। लोक सभा में नेता विरोधी दल अपनी यात्रा में जगह-जगह, कार-सेवा की स्पष्ट घोषणा और न्यायपालिका के विरुद्ध गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार केवल भजन करने का हलफनामा अदालत में दे और दूसरी तरफ कार-सेवा की स्पष्ट घोषणा की जाए - इस सारे माहौल में केन्द्र सरकार की बेबस खामोशी केवल आश्चर्यजनक नहीं हैं, बल्कि निन्दनीय है।
>
> राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा, सर्वसम्मति से पूरी शक्ति प्रधान मंत्री को दी गई। सेना और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उनका सदुपयोग न किए जाने से यह आशंका बलवती हो रही है कि जिस तरह से कांग्रेस शासन के दौरान 1949 में मस्जिद में मूर्तियां रखी गई, कांग्रेस शासन के दौरान ही ताला खोला गया और कांग्रेस शासन के दौरान ही शिलान्यास कराया गया तथा कांग्रेस शासन की खामोशी के चलते, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के बावजूद चबूतरे का निर्माण किया गया, उसी प्रकार केन्द्र सरकार की मौन सहमति से बाबरी मस्जिद को भी ढहा दिया जाएगा। केन्द्र सरकार की खामोशी देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। अयोध्या में भेजे गए अर्ध सैनिक बलों को उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी के माध्यम से बदनाम करने की घृणित साजिश के द्वारा अर्धसैनिक बलों का मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है और केन्द्र सरकार खामोश है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपनी शक्ति का प्रयोग करें और राष्ट्र के इस बिगड़ते वातावरण को ठीक करने के लिए केन्द्र सरकार की अनिर्णय की स्थिति समाप्त करने के लिए स्पष्ट निर्देश दें तथा समाजवादी पार्टी सर्वधर्म समभाव के सिद्धान्त में विश्वास करती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, क्या दूरदर्शन पर प्रदर्शन को रोकने हेतु कोई अनुदेश है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्निथला (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मुलायम सिंह जी बोल रहे हैं, उसको कोई सुनने वाला और देखने वाला नहीं है क्योंकि टी.वी. बन्द है। क्या आपने ऐसे निर्देश दिए हैं? ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : महोदय, उन्हें नये सिरे से आरंभ से करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, वे इसका प्रसारण कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, फिर तो मुझे दुबारा पूरा पत्र पढ़ना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। टेलीकास्ट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, वे पहले से ही ऐसा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अब टेलीकॉस्ट कर रहे हैं।... *(व्यवधान)* मैं सदन में बाबरी मस्जिद को गिराने वाले दोषियों की जानकारी सदन में रख रहा हूं और विश्वास है कि प्रेस और मीडिया के माध्यम से यह जानकारी जनता तक पहुंच जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : आप चिन्ता मत कीजिए क्योंकि वे आपकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करें और एक राष्ट्र के इस बिगड़े हुए वातावरण को ठीक करने के लिए केन्द्र सरकार की अनिर्णय की स्थिति समाप्त करने के लिए स्पष्ट निर्देश दें। समाजवादी पार्टी 'सर्वधर्म सम्भाव' के सिद्धांत कर विश्वास करती है और अब भी अपने पूर्व निर्णय पर अडिग है कि अयोध्या विवाद का हल आपसी बातचीत या अदालती फैसले से किया जाना चाहिए। हम आपसे मांग करते हैं कि जो तत्व संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का मजाक करे, उन्हें राष्ट्रद्रोही मानकर तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश राज्य सरकार को दें। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और देश के संविधान की मान्यताओं के विपरीत आचरण कर रही है, उसे अविलंब बर्खास्त करें, यह मेरी मांग थी।

मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने सुझाव राष्ट्रीय एकता परिषद में दिया था। उस समय माननीय गृह मंत्री जी थे और आज जो प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, वे भी थे। उस समय हमने यह सुझाव दिया था कि अगर मस्जिद की हिफाजत करनी है तो केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। उस समय जो जवाब दिया गया, उसको मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता... *(व्यवधान)* अब टेलीकॉस्ट होने लगा।...*(व्यवधान)* उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के यहां गये। उन्होंने वहां चायपान किया और अपने दो कार्यकर्त्ताओं के लिए अंगरक्षक लिये और करीब दो घंटे तक उनसे बातचीत की। बाहर निकलते ही पत्रकारों को बताया "कि उनकी आज मुख्य मंत्री कल्याण सिंह के साथ वार्ता हुई है और अब मस्जिद को कोई खतरा नहीं है और कल्याण सिंह पूरी तरह स्थिति पर काबू पा लेंगे। उ०प्र० सरकार बर्खास्तगी इस समस्या का हल नहीं है।" ....*(व्यवधान)* हम नाम नहीं लेंगे।...*(व्यवधान)* अब यह बोलने नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)* उसी पांच दिसम्बर को हमारा बयान है और पांच दिसम्बर को उनका बयान है। 'मस्जिद की सुरक्षा खतरे में, मस्जिद ढहा दी जायेगी, मुलायम सिंह यादव'। अब अच्छा लगेगा, तो ठीक है और बुरा लगेगा तो फिर हमको ऐसा कहेंगे। ...*(व्यवधान)* आप दोनो बातें सुनिये।...*(व्यवधान)* कम से कम ये शांत तो बैठे हैं क्योंकि ये पश्चाताप करते हैं फिर वोट के लिए माफी मांगते हैं। यह भी बात है इसलिए सच्चाई होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : 1984 में दो थे। आप लोग इनके साथ बैठे रहे तो इनको बढ़ा दिया नहीं तो यह बढ़ते ही नहीं।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने 1949 से लेकर अभी तक की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में आज भी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण साम्प्रदायिक शक्तियों को ताकत मिली है और वह आज सत्ता में जो बैठे हैं, वे कांग्रेस की नीतियों के कारण बैठे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए। 1989 में दो थे। वे सभी इनके साथ थे। 1989 में वे एक साथ थे।

[हिन्दी]

बुधवार का डिनर होता था और यह मिलकर चले हैं। कांग्रेस ने कभी भी उनके साथ हाथ नहीं मिलाया और न मिलायेगी ...*(व्यवधान)* ये मिलते रहे हैं...*(व्यवधान)* हमने कभी भी इनसे हाथ नहीं मिलाया ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरे मित्र श्री राजेश पायलट जी की बात का हम बुरा नहीं मानते और न ही वह हमारी बात का बुरा मानते हैं। वे तो सही नेता हैं। उनकी राय हमसे मिलती जुलती है।... *(व्यवधान)* वह विचारणीय नेता है...*(व्यवधान)* वास्तव में नेता हैं। अगर वह गलत जगह बैठे न होते तो देश के नेता रहते। अब भी मैं उनको यह राय दे रहा हूं। उनकी हमारी राय एक सी रही है चाहे किसान के बारे में हो या साम्प्रदायिकता के बारे में हो। उन्होंने संघर्ष किया है लेकिन इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि आप 1980 से कांग्रेस में आये हैं और हमने तो इसे बचपन से भुगता है। मैं 1954 में जेल में था, 1958 में जेल में था, 1964 में जेल में था, आपकी कांग्रेस गलत नीतियों के कारण...*(व्यवधान)* हम उन नीतियों को सुधारने में लगे रहे। यही कांग्रेस की गलत नीतियां आज देश की बर्बादी का कारण है। आज भाजपा को मौका मिला है, शक्ति मिली है जिसका भाजपा ने लाभ उठाया है।

इसलिए आज इसे साबित करना चाहते हैं कि जो स्थिति पैदा की है...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुडराई) : आप हमारे पांव पर आकर पड़े शाष्टांग नमस्कार करके कि मुझे मुख्य मंत्री बनाइए। ... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर यह सवाल उठाएंगे, मैं जिस नेता की इज्जत करता हूं, आज वे दुनिया में नहीं हैं। जिन्होंने किया है, श्री गुलाम नबी आजाद, श्री एच.के.एल. भगत और श्री नरसिंह राव इसके लिए गवाह हैं। यदि हाथ जोड़कर मेरे पैरों में कोई पड़ा है तो आपका नेता पड़ा है, मुलायम सिंह कभी नहीं पड़ा।...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : आज भी आपको यहीं से समर्थन मिल रहा है।...*(व्यवधान)* साम्प्रदायिकता के एजेंट मुलायम सिंह जैसे लोग हैं. ..*(व्यवधान)* आप विषय पर आइए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा सुनने को तैयार हूं। जिन्होंने पैर चाटने की बात कही, मैं अब भी उनका आदर करता हूं, वे नेता इस दुनिया में नहीं हैं। आज यदि सच बोलें, श्री गुलाम नबी आजाद, नरसिंह राव और एच.के.एल. भगत, तीनों जीवित हैं। यदि किसी ने मिन्नत की है तो ध्यान रखिए आपके नेताओं ने की है।

मैंने मुख्य मंत्री बनने के लिए कभी न तो कांग्रेस का समर्थन मांगा और न ही भाजपा का। आप नौकरी करते रहे, पता सबको है। ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी में जरा भी नैतिकता हो, हम तो मानते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी, आप पर जरा सा भी हवाला का आरोप लगा था, उस समय मैंने कहा था, हमारे बहुत से साथी इन विचारों से सहमत नहीं थे लेकिन आडवाणी जी, मेरी राय थी कि हवाला में आपका नाम लेना सही नहीं था। उस समय देश में कोई कहने वाला नहीं था। समाजवादी पार्टी उसूल की एवं सत्य बात करती है। इसलिए उस वक्त हिम्मत के साथ हमने यह बात कही थी। उस समय आपने नैतिकता के नाते लोक सभा से इस्तीफा दे दिया था। हम आपकी इज्जत करते हैं। जोशी साहब, हम आपकी भी इज्जत करते हैं। आपकी पार्टी कमजोर नहीं होगी। अगर आप नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दें तो बेहतर होगा। ...*(व्यवधान)* हम यह जरूर कहना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : देश के गृह मंत्री हैं कोई साधारण बात नहीं है। यह खुशी की बात है। आपकी वजह से बात बढ़ी है। आपने गोली चलवाई थी और हमने उसका विरोध किया था।... *(व्यवधान)* इसमें कौन सी नैतिकता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : श्री मुलायम सिंह यादव 1952 से 1992 तक कतिपय घटनाओं अर्थात बाबरी मस्जिद ढहाने की तिथि का जिक्र कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। यह माननीय सभा 6.12.1992 की घटना और भारत सरकार द्वारा तदन्तर की गयी कार्यवाही को लेकर चिंतित है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हमने कहा कि ये दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। मेरे भाषण पर कभी कांग्रेस नाराज, कभी भाजपा नाराज। मस्जिद ढहाने के लिए ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष महोदय जनता के समक्ष सच्चाई जानने के लिए हमने ये तथ्य सदन के समक्ष रखे हैं। लिबरहाल कमीशन की बात कही गई है तो हमने बयान दिया है। उस बयान को देश के सामने उजागर करने की अब जरूरत आ गई है। हम इसमें बहुत कुछ जानते हैं लेकिन समय नहीं लेना चाहते। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इस देश के वातावरण को खराब करने के लिए बी.जे.पी. और कांग्रेस पार्टी दोनों जिम्मेदार हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय को लेकर आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए खुद मौजूद हैं। मैं आपको इस फैसले के लिए बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कांग्रेस के ऊपर जो प्रहार किया, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने पहले दिन कहा, कांग्रेस का दुर्भाग्य यही है कि जो लोग उनको गाली देते हैं, उनको लैटर हैड में भूतपूर्व मंत्री लिखने का मौका कांग्रेस की मोहर से ही होता है...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो आपकी कृपा से नहीं बने थे, जनता की भावना से बने थे।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : विषय सीमित है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने कभी समर्थन नहीं मांगा था। राष्ट्रपति जी को लिखकर दे आए थे कि बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, स्वीकार कीजिए...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह विषय बहुत सीमित है। बाबरी मस्जिद गिराने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं है, इसके ऊपर काफी बहस हो चुकी है, मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूं। हर पार्टी की क्या पोजीशन है, अन्दर क्या हुआ था, बाहर क्या हुआ था, इसके विषय में हम उसको नहीं दोहराना चाहते हैं। अदालत के विषय में मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि सदन का कोई हक नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है, अदालत का क्या फैसला होगा, कैसे होगा, उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने का। मेरा विषय सीमित है।

जब मैं पहली बार 1971 में यहां पहुंचा तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण, चाहे वे विरोध पक्ष में हों, चाहे सत्तारूढ़ पक्ष में हों, चाहे मैदान में हों, बहुत इज्जत के साथ, गौर के साथ सुनता था। इसलिए नहीं कि वे बी.जे.पी. में हैं या जनसंघ में हैं, इसलिए कि वे देश के बड़े नेता हैं, उनको सुनना चाहिए। आज वाजपेयी जी ने हर समय संसदीय परम्परा की प्रतिष्ठा की जो बात की, हर समय राजनैतिक नैतिकता की जो बात की, चाहे आम चुनाव सभा में हों, सदन के अन्दर हों, देश के लोकतंत्र में राजनैतिक नैतिकता के मसले पर प्रतिष्ठित जो कुछ उदाहरण हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए मैं इस विषय में कुछ बोलना चाहता हूं।

मैं ऐसे इश्यू पर बोलना चाहता हूं, जिसके बारे में कल प्रश्न संख्या 104 के आधार पर बनातवाला जी के सवाल के जवाब में आडवाणी जी ने कुछ बयान दिया और प्रश्न संख्या 207 के आधार पर 29 नवम्बर को इस सदन में एक अलिखित प्रश्न के जवाब में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जवाब दिया। मैं अपना सारा विषय उस तक सीमित रखना चाहता हूं और प्रधान मंत्री जी की दृष्टि उसी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा कोई व्यक्तिगत गुस्सा, कोई अश्रद्धा न तो आडवाणी के ऊपर है, ना मुरली मनोहर जोशी जी के ऊपर है और न बहन उमा जी के ऊपर है। ये लोग देश के सांसद हैं, देश के नेता हैं, देश के कारोबार में उनकी भी भागीदारी है। मैं उनके बारे में कोई व्यक्तिगत लांछन लगाने की बात नहीं करने आया हूं, मैं परम्परा की बात कर रहा हूं, जिसको आदरणीय वाजपेयी जी ने इस देश को, नई पीढ़ी को सिखाया, चाहे वे विरोधी पार्टी में बैठे हों, चाहे सत्तारूढ़ पक्ष में बैठे हों। प्रश्न संख्या 207 का यह जवाब मिला। सवाल क्या था।

[हिन्दी]

सवाल बाबरी मस्जिद गिराये जाने के मामले में वर्तमान स्थिति के बारे में था। उत्तर इस प्रकार दिया गया था। "केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाबरी मस्जिद गिराये जाने के मामले की जांच का कार्य 5.10.1993 को

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

पूरा हुआ था और 5.10.1993 को 40 आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश, अयोध्या प्रकरण, लखनऊ के न्यायालय में एक आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मामले की और अधिक जांच करने के पश्चात् 11.1.1996 को उपरोक्त न्यायालय में नौ और व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया।"

बहुत सुन्दर जवाब है। दूसरा सवाल क्या था –

सवाल आरोपित व्यक्तियों के अभियोजन हेतु लखनऊ में स्थापित विशेष न्यायालयों की संख्या के बारे में था। उत्तर इस प्रकार दिया गया था "मामलों के अभियोजन हेतु एक विशेष न्यायाधीश का न्यायालय और दूसरा लखनऊ अयोध्या प्रकरण संबंधी विशेष न्यायालय गठित किया गया है"

अगला प्रश्न गिरफ्तार किये गये अथवा जमानत पर छोड़े गये व्यक्तियों के नाम के बारे में था। और इसका उत्तर दिया गया था : "सूची संलग्न है।"

[हिन्दी]

उन 97 नेताओं के कार्यकर्ताओं के नाम हैं, जिनमें आदरणीय गृह मंत्री जी का नाम है। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम है, बहन उमा जी का नाम है। इस लोगों के नाम हैं। इसके बाद क्या सवाल था।

[अनुवाद]

सवाल उस विधि के बारे में था जिसके अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार दोनों मामलों पर निगरानी रखे हुए हैं।

[हिन्दी]

उसमें क्या जवाब है? बहुत सीधा और स्पष्ट जवाब है जिसके लिये मैं गृह मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने साफ-साफ कहा। क्या कहा –

[अनुवाद]

उत्तर इस प्रकार दिया गया : "जिस समय वे मंत्री नहीं थे विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने 9.9.1997 को एक आदेश पारित किया था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि सभी 49 आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाने के लिये प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इनमें से 33 आरोपित व्यक्तियों ने अक्तूबर, 1997 में इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में संशोधित याचिकाएं दायर की हैं, जिनकी नियमित रूप से सुनवाई हो रही है।"

वे 1997 से ऐसा कर रहे हैं। उत्तर में यह भी कहा गया है : "उच्च न्यायालय में संशोधित याचिकाओं पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। अभियोजन न्यायालय में संशोधित याचिकाओं पर निर्णय के लंबित रहते न्यायिक कार्यवाही स्थगित की जा रही है। इन मामलों के संबंध में अभियोजन कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेष सरकारी वकील अभियोजन न्यायालय और उच्च न्यायालय के कामकाज को नियमित रूप से देख रहा है।"

[हिन्दी]

इसके आधार पर आपके माध्यम से मैं प्रधान मंत्री जी के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। स्पेशल कोर्ट ने जब प्राइमाफेसी चार्ज फ्रेम करने के लिए आर्डर पास कर दिया कि आरोप लगाने के लिये प्रथम दृष्टया मामला बनता है। वाजपेयी जी, आपके बयान के मुताबिक, आपकी सारी संसदीय प्रतिष्ठा के मुताबिक, क्या राजनैतिक नैतिकता के आधार पर यह कर्तव्य नहीं बनता है कि जब तक ये लोग इससे मुक्त न हों, तब तक ये लोग सत्ता में बैठकर किसी पोस्ट को मोनिटर न करें क्योंकि सरकार प्रोसीक्यूटर एपाइंट करती है। सत्ताधारी पक्ष का आदमी सरकार की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हो और खुद उसमें एक्युज्ड हो, तो आपके एन.डी.ए. के मैनिफैस्टो के डिक्लरेशन के मुताबिक ट्रांसपैरेंसी इन आल मैटर्स, क्या यह जस्टिफाइड होता है? मेरा सवाल इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। मैं एक आदरणीय सांसद का नाम लेना चाहता हूं, जो इस समय सदन में मौजूद नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को मदनलाल खुराना जी संभाल रहे थे, उनके ऊपर चार्जेज फ्रेम करने के लिए कोर्ट के सामने प्राइमाफेसी इशू नहीं था, सिर्फ सी.बी.आई. ने चार्ज फ्रेम करने के लिए इजाजत मांगी थी, लेकिन उनको नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना पड़ा। पिछली लोक सभा में आपके मंत्रालय में मुथैया जी रेवेन्यू आफिस में मंत्री थे, बूटा सिंह जी मंत्री थे – क्या चार्जशीट के इशू पर इनको त्याग पत्र नहीं देना पड़ा था? अगर आपके हिसाब से इस और उस नैतिकता में बदलाव है, तो यह आपका फैसला है, मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता हूं। लेकिन सदन को यह जानने का अधिकार है, ट्रांसपरेंसी के मामले में प्रोसीक्यूशन और मोनिटरिंग के बारे में आपको कोई फैसला करना चाहिए। हम लोगों की शिकायत क्या थी? जहां तक गृह मंत्री जी का सवाल है, गृह मंत्री जी खुद फंसे हुए हैं, क्या उनकी तरफ से उनको जवाब देना उचित होगा? हम लोग समझते हैं, कि उचित नहीं होगा क्योंकि उनकी ओर से जवाब या टिप्पणी देने से कोई-न-कोई इन्फलुयेंस हो सकता है। उनको इससे बचकर रहना चाहिए, चाहे उनको अन्दर रखिए या बाहर रखिए, यह आपका फैसला है। इसमें हमारा दखल नहीं है। हम कुछ कह सकते हैं, आप सुन सकते हैं या उनको ठुकरा सकते हैं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, दो नियम नहीं हो सकते हैं – एक लागू होता है खुराना जी के लिए, एक बूटा सिंह जी के लिए, एक मुथैया जी के लिए और एक लागू होगा आडवाणी जी के लिए। अगर दो किस्म का नियम लागू होता है, तो यह आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है और कोई बात नहीं है।

इसलिए मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं, यह सवाल कोई ऐसा नहीं है कि 6 दिसम्बर के दिन याद आता है। बात यह है कि सवाल 6 दिसम्बर की नहीं है। इत्तिफाक से 6 दिसम्बर को माननीय सदस्य बनातवाला जी का स्टार्ड क्वैश्चन आ गया और इस मुद्दे पर मेरा अनस्टार्ड क्वैश्चन आ गया। उसके आधार पर सदन में मांग उठी कि गृह मंत्री जी इस सारे मुद्दे पर न बोलें, क्योंकि ये एक्युजड हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जहां तक एक्युज्ड का मामला है, ये आरोपी मुख्य आरोपी हैं, गौण नहीं इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी से जाननां चाहता हूं, उनके शुरू के संसदीय जीवन से उनकी राजनीतिक परम्परा, नैतिकता और संसदीय प्रतिष्ठा के बारे में जो बयान है, उसके आधार पर हम समझते हैं कि उनके द्वारा जवाब या मंत्रिमंडल में रहकर इस केस की निगरानी न की जाए।

दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या सी.बी.आई. को आपने आदेश दिया है कि स्टे-वैकेट के लिए कोशिश करें? अक्तूबर, 1997 में हो सकता है, देवेगौडा जी प्रधान मंत्री थे और उनके जाने के बाद आपको सरकार मिली थी, क्या सरकार की तरफ से कभी प्रयास हुआ कि इसको वैकेट किया जाए या तुरन्त ट्रायल में जाये? इसकी वजह से जनता में अविश्वास पैदा हो रहा है, कहीं कोई मिली-भगत तो नहीं हो रही है कि सारे केस को खत्म कर दिया जाए। हमने जो मुद्दा उठाया है, वह व्यक्तिगत रूप से आडवाणी जी, व्यक्तिगत रूप से मुरली मनोहर जी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब इतना बड़ा चार्ज स्टेबलिश हुआ है, तो जब तक निष्पत्ति न हो, तब तक इनका पदों पर रहना ठीक नहीं होगा। वाजपेयी जी, अब तक का जो आपका शुरू से बयान है, विरोध पक्ष में या सत्ता पक्ष में, यह प्रश्न उस प्रतिष्ठा के अन्दर आता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सोचा था कि हम यहां एक अत्यन्त मौलिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। निसंदेह यहां बैठकर हम लंबित मामलों के बारे में निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन जहां तक अतीत में हमारे राजनीतिक और वास्तविक आकलन का प्रश्न है, हम उस पर कायम हैं, संघ परिवार मस्जिद गिराने पर आमादा है। वे इसे ढांचा कह सकते हैं लेकिन इस देश में सभी ढांचों को क्यों गिराया जाय ?

महोदय, इस तरफ ऐसे लोग हैं जो संघ परिवार के उच्च पदस्थ कार्यकर्ता हैं। जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने का श्रेय पाने का दावा किया है। यहां प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे राजनीतिक दल भी विद्यमान हैं जिनके नेता खुले आम यह कहते रहे हैं कि उन्होंने यह काम किया है जैसे कि मस्जिद गिराना देश भक्ति का कोई महान कार्य हो। अतः हमारा अनुमान यह है कि जैसा कि हमने पहले भी कहा है, मुझे संघ परिवार जिसमें हमारे उस ओर बैठे अनेक सदस्य भी शामिल हैं, का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी क्रूर उपेक्षा और निष्क्रियता के कारण यह घटना घटित हुई है।

महोदय, मुझे याद है कि उस दिन मैं दिल्ली में था। मैंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंहराव और तत्कालीन गृहमंत्री श्री एस.बी. चव्हाण को टेलीफोन किया था और उन सभी ने यह आश्वासन दिया था कि उसे रोकने के लिये सभी संभव कदम उठाये जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा कि क्या क्या घटनाएं घटित हुईं। अतः आज हम अपने दांयी ओर बैठे अपने साथियों को आरोप मुक्त नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि यदि वे इस मामले से संबद्ध नहीं रहे और उनसे कोई गलती हुई है तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया होगा।

महोदय, लेकिन आज का मुद्दा एक मौलिक मुद्दा है कि वास्तविक रूप से अनेक मामले अभी लंबित हैं।, प्रधान मंत्री जी, चाहें अथवा न चाहें, लेकिन मामले अभी लंबित हैं। सबसे पहले जांच कार्य 1993 में पूरा हुआ था। वह इस जघन्य कार्य, जिसे हम घोर आपत्तिजनक कार्य कह सकते हैं के एक वर्ष की अवधि के भीतर हुआ था। जांच कार्य 14 अक्तूबर, 1993 को पूरा हुआ था। तब से अब तक छः वर्ष बीत चुके हैं। कल हमने मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में यह सुना था कि वे लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक निर्देश दिया है कि प्रत्येक लंबित फौजदारी मामले का एक वर्ष के भीतर निपटारा किया जाना चाहिये। लेकिन जांच कार्य पूरा होने और आरोप पत्र दाखिल होने के छः वर्ष बाद तक भी इसे निपटाया नहीं गया। विशेष न्यायाधीश को मामले पर विचार करने में चार वर्ष लग गये हैं और अब उन्होंने यह देखा है कि इसमें 49 में से 33 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है। मैं नहीं जानता कि ये 16 व्यक्ति कौन हैं और अक्तूबर 1997 में लखनऊ की खण्डपीठ के समक्ष संशोधित याचिका दायर की गई है अथवा नहीं। इस समय दिसम्बर 1999 चल रहा है। यह कहा गया है कि मामले की दो वर्ष से भी अधिक समय से नियमित सुनवाई की जा रही है लेकिन कोई निर्णय नहीं दिया गया है। हमारे देश में फौजदारी न्यायिक कार्य में विलंब का यह एक श्रेष्ठ उदाहरण है।

महोदय, प्रश्न यह उठता है कि न्यायिक कार्यों में देरी, मामले में उच्चस्थ कार्यकर्ताओं के शामिल होने के कारण है। आज हमारे सामने एक अत्यन्त अजीब स्थिति है जहां कि माननीय गृहमंत्री ऐसे मंत्रालय का कार्य देख रहे हैं जिसका संबंध इस मुकदमाबाजी से है। अतः यह लगभग एक वकील और एक आरोपी दोनो का मामला है... *(व्यवधान)* तथ्यात्मक रूप से इसमें क्या गलत है?

महोदय, एक सुप्रसिद्ध कथन और भी है और मुझे विश्वास है कि श्री जेठमलानी मेरे साथ सहमत होंगे क्योंकि वे पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। वे नैतिकता में विश्वास रखते हैं। मैं उनके कथन को स्वीकार करता हूं। वे बार के एक अति आदरणीय सदस्य हैं कि न्याय न केवल किया जाना चाहिये बल्कि होते हुए देखा भी जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि वह इस बात पर विवाद नहीं करेंगे।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : कदाचित नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका धन्यवाद। हमें आपसे यही उम्मीद थी भले ही आपका संबंध उनके साथ है अतः यह सवाल एक अति मौलिक सवाल है। एक आरोपित व्यक्ति जिसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इस देश में एक अति उच्च पद धारण किये हुए हैं और इस देश में भारत के प्रधान मंत्री के बाद अगले स्थान पर बैठे हैं। कल एक मामला यह उठाया गया था कि क्या वह अपने से सम्बद्ध प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सक्षम हैं? यह एक अति मौलिक मुद्दा है।

जब श्री लालू प्रसाद यादव जिसके विरुद्ध आरोप लगाए गए थे पर मुकदमा चलाया गया था तो सभा के सभी वर्गों के साथ-साथ मैंने भी अपनी पार्टी की ओर से यह मांग की थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से तुरन्त त्यागपत्र दे देना चाहिए।

इसी सभा में भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने जब हवाला अभियोजन कार्यवाही के दौरान यह फैसला किया था कि वे कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं करेंगे और यहां तक कि चुनाव भी नहीं लड़ेंगे तो सारे देश ने उनकी प्रशंसा की थी। अचानक जब उनकी पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण अपना लिया।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

इतना ही नहीं वे साहसपूर्वक यह कहने लगे, 'मैं मंत्री पद पर काम करता रहूंगा'। उनकी इस कार्यवाही से ऐसा लगता है कि वे ये कहना चाहते हैं कि वे अपने पद पर बने रहना चाहते हैं। मैं यह नहीं जानता हूं कि या तो प्रधानमंत्री जी असहाय हैं अथवा वे अपनी पार्टी के पुराने सहयोगी के लिए कोई अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं।

ऐसी स्थिति में इस देश के आम व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? क्या उसे उस मामले पर कार्यवाही करने की अनुमति दी जाएगी जिसमें वह स्वयं एक अभियुक्त है? क्या ऐसे किसी मामले में अभियोजन कार्यवाही से उसका कोई संबंध है? यह एक मुख्य मुद्दा है। अतः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके द्वारा सभी नेताओं की बुलायी गई बैठक में कहा था कि सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री आएं और हमें बताएं कि इस अनुपयुक्त व्यवहार पर इस सरकार का क्या दृष्टिकोण है, और क्या उच्चतम स्तर पर इस प्रकार भूमिकाओं का बदलना संभव है, तथा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद भी इस मामले में छः वर्ष का समय क्यों लगा और अब क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता हूं कि इसमें भारत सरकार की भूमिका क्या है?

जैसा कि मैंने शुरू में कहा था मैं यहां आरोप लगाने नहीं आया हूं। मैं किसी को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। वास्तव में मैं इस बात से प्रसन्न नहीं हूं कि उस ओर बैठे हमारे तीन विशिष्ट साथी इस मामले में दोषी हैं। मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूं ना ही मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी अंतर्आत्मा क्या कहती है? इस मामले में प्रधानमंत्री की अंतर्आत्मा क्या कहती है?

श्री दासमुंशी ने प्रधानमंत्री जी के गुणों के बारे में बताया है। मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। मैं उस दिन सभा में उपस्थित था जब श्री वाजपेयी बहुत ही घबराए हुए सभा में आए थे। मैं 6 दिसम्बर, 1992 को सभा में उपस्थित था और वाजपेयी जी ने लगभग एक अत्यन्त निराश व्यक्ति की भांति सभा में प्रवेश किया और कहा कि मुझे बहुत अफसोस है और तब उन्होंने माफी मांगी। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सारे देश और इस सभा ने उनकी प्रशंसा की। वास्तव में अपनी अनुपम शैली में बाद में वे राजनैतिक बाध्यता के कारण उस बात से मुकर गए। किंतु कम से कम कुछ देर के लिए उन्होंने सोचा कि कुछ तो गलत हुआ ही था। आज वे इस देश का कार्यभार संभाल रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है जो लंबित है और जिसने इस देश की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया है चाहे कोई इसे स्वीकार करे अथवा नहीं। आज, सात साल बाद हम अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं। आज, आकस्मिक घटनाक्रम के तहत, गृहमंत्री, जो एक मुख्य अभियुक्त हैं अपने मामले का स्वयं भाग्य निर्धारण कर रहे हैं।

महोदय, उपयुक्त तो यही होगा कि प्रधानमंत्री स्पष्ट कार्यवाही करें जैसा कि मुलायम सिंह ने मांग की है, तीनों माननीय मंत्रियों को इस संबंध में इस सभा को पर्याप्त उत्तर देना चाहिए। एक बार उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों जैसे श्री बूटा सिंह और श्री मुथैया को मंत्रिपद छोड़ने के लिए बाध्य किया था। श्री खुराना यहां नहीं हैं। शायद वे इस स्थिति से उत्पन्न होने वाली परेशानी से बचने के लिए सभा छोड़कर चले गए हैं। एक बार इस सभा को 12 दिनों तक इसलिए नहीं चलने दिया गया था क्योंकि श्री सुखराम के विरुद्ध गंभीर आरोप थे। अब चूंकि श्री सुखराम उनकी ओर हैं इसलिए वे उनके प्रति दूसरे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं।

सार्वजनिक जीवन में भिन्न-भिन्न लोगों के लिए भिन्न मानदंड नहीं अपनाए जाने चाहिएं। यह औचित्य का, संविधान को सर्वोच्च ठहराये जाने का और प्रजातांत्रिक प्रणाली में लोगों के विश्वास को मजबूत बनाने का प्रश्न है। जब प्रणाली के औचित्य और विश्वसनीयता को चुनौती दी जा रही हो तो वे एक अस्थायी बहुमत के कारण इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। यदि ऐसा किया जाता है तो यह देश के लिए बहुत बुरा दिन होगा। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि वे इस स्थिति को समझें और जो उचित हो वही करें।

[हिन्दी]

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा) : स्पीकर साहब, मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस इश्यु पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरी पार्टी जितनी हिन्दू कम्युनलिज्म के खिलाफ है, उतनी मुस्लिम कम्युनलिज्म के खिलाफ है। मेरी यह पुख्ता राय है कि मुस्लिम फिरकापरस्ती और हिन्दू फिरकापरस्ती दोनों के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। हिन्दुस्तान एक सैकुलर मुल्क है। यहां किसी एक फिरकापरस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो दूसरी फिरकापरस्ती खुद-ब-खुद मजबूत होती चली जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में सिर्फ इसलिए मजबूत है कि चन्द लोगों ने इस मुल्क में मुस्लिम फिरकापरस्ती को हवा दी। यहां आज बाबरी मस्जिद का जिक्र हो रहा है। उस पर तमाम लोग इजहारे अफसोस कर रहे हैं। मेरा कहना है कि बाबरी मस्जिद की शहादत से हिन्दुस्तान के मुसलमानों के दिलों पर जो जख्म लगा है, वह मरहम न संसद कहीं से ला सकती है और न कोई दूसरा ला सकता है। पूरी दुनिया में इस आजाद सैकुलर मुल्क की बदनामी हुई। कहा गया कि मस्जिद को तोड़ कर मन्दिर बनाने का काम किया जा रहा है।... *(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ : जब कश्मीर में मन्दिर तोड़े जाते हैं तो क्या हिन्दुओं की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? ... *(व्यवधान)* इस बात को बार-बार उठाने का क्या मतलब है?... *(व्यवधान)* यह गलत बात है।

श्री राशिद अल्वी : 1948 में पहली बार बाबरी मस्जिद में ताला लगा। साढ़े चार सौ साल लगातार बाबर के जमाने से लेकर 1948 तक उस बाबरी मस्जिद के दरो-दीवार में अल्ला-हो-अकबर की आवाज गूंजती रही। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा है... *(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ : यह असत्य है। बाबर एक आक्रान्ता था... *(व्यवधान)* बाबर को यहां सदन में महिमामंडित न किया जाए। उसने मन्दिर तोड़ कर एक ढांचा खड़ा किया था। 6 दिसम्बर 1992 को गुलामी के उस कलंक को ढहाया गया था।... *(व्यवधान)* जो मुद्दा अपने आप दफन हो चुका था, उसको पुनः उठाने का प्रयास हो रहा है। ऐसा लगता है कि इस देश में पुनः दंगा फसाद करने की साजिशें हो रही हैं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*... (व्यवधान)**

श्री राशिद अल्वी : वहां साढ़े चार सौ साल लगातार इबादत होती रही। मेरी दिल रोने लगता है जब खुदा के अन्दर भी डिसक्रिमिनेशन किया जाता है और कहा जाता है कि यहां खुदा मानने वालों की जगह नहीं होगी, यहां पर दूसरे खुदा की इबादत होगी। खुदा पूरी दुनिया का एक है चाहे वह मस्जिद में हो या मन्दिर में हो... *(व्यवधान)* 1948 में जो ताला लगा था उसे 1986 में वीर बहादुर सिंह जी की सरकार ने खोला। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी। तब वहां शिलान्यास कराया गया। उसके बाद 1992 में उस मस्जिद को तोड़ दिया गया।... *(व्यवधान)* मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो लगातार उसको डिस्प्यूटेड ढांचा कहते रहे हैं। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में होने का नाजायज फायदा उठा रही है। उन्हें ताकीद की जाये कि बाबरी मस्जिद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाये। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी यह आर्डर है कि स्टेटस को रहना चाहिये। कायदे से उस जगह पर मस्जिद दोबारा बनायी जानी चाहिये तभी स्टेटस-को हो सकता है।

स्पीकर साहब, आखिर में यह बात कहूंगा कि तीन मिनिस्टर्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेज़ पैंडिंग हैं, यह कैसे मुमकिन है कि जिस आदमी के खिलाफ क्रिमिनल केस पैंडिंग हैं, वह डिन्दोस्तां का होम मिनिस्टर हो "अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर, वही कातिल, वही शाहिद, वही मुन्सिफ ठहरे," कहां से इन्साफ मिलेगा, कौन इन्साफ देगा? इसी प्रकार कृष्ण जन्म भूमि का चक्कर था लेकिन उस समय हमारी नेता कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी जब एक परिंदे ने पर नहीं मारा। हमारी सरकार को बी.जे.पी. सपोर्ट कर रही थी फिर भी वह मस्जिद मौजूद है। मैं अपनी बात उस उम्मीद के साथ खत्म करता हूं कि प्रधानमंत्री जी की हैसियत नहीं कि वे होम मिनिस्टर को हटा सकें क्योंकि बी.जे.पी. के अंदर डिस्प्यूट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि हाउस उठने से पहले-पहले श्री आडवाणी जी इस्तीफा दे देंगे।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे यह आशा नहीं थी कि इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा होगी, जैसा कि अब प्रतीत हो रहा है। हम सरकार के बहुत ही सीमित और सटीक उत्तर के लिए तैयार हो रहे थे, यह प्रश्न, कि क्या वे लोग जो बाबरी मस्जिद तोड़ने में भाग लेने के लिए आरोपी बनाये गये हैं, इस सभा में मंत्री के रूप में कार्य करने के पात्र हैं अथवा नहीं, पिछले दो दिनों से सभा में उत्तेजना पैदा कर रहा है।

आपने समाचार पत्रों में यह देखा होगा कि इस घटना की वर्षगांठ ने न केवल इस सभा, इस देश में बल्कि अन्य देशों में भी भारी प्रतिक्रिया और भावनाओं को उद्वेलित कर दिया है। इस भाग्य निर्णायक दिन को घटित कार्यवाही के बारे में प्रदर्शन होने और लोगों द्वारा उस घटना को याद करने के बारे में रिपोर्ट मिली है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए। यह घटना 6 दिसम्बर को हुई थी। अगले दिन, 7 दिसम्बर को, प्रत्येक व्यक्ति बहुत गुस्से में था। हम रोजमर्रा की भांति सभा में आए। दुर्भाग्यवश, इस समय मेरे पास कार्यवाही की प्रतियां नहीं हैं किंतु मुझे विश्वास है कि इसका प्रतिवाद नहीं किया जाएगा। उस समय श्री वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं थे क्योंकि उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी जिसके वे प्रधानमंत्री बन सकते। वे सभा के एक सामान्य सदस्य थे, अपनी पार्टी के नेता थे और इस ओर हमारे बिल्कुल नजदीक बैठे थे। उस दिन श्री वाजपेयी बहुत ही उत्तेजित, नाराज, आक्रोश में थे। मुझे इस सभा में उनके कहे शब्द याद हैं, 'हम यह नहीं जानते हैं कि किसने यह कार्य किया है। यह कार्य किसी के आदेश पर नहीं किया गया है। हमने किसी को ऐसा करने के लिए आदेश नहीं दिया था या कहा था।'

हम यह नहीं जानते हैं कि ये लोग कौन हैं? हम यह भी नहीं जानते हैं कि उन्होंने ऐसा बर्ताव क्यों किया है। किंतु यह ऐसा कार्य है जो बहुत ही भर्त्सना करने लायक और अपमानजनक है और जिसने भी ऐसा किया है उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए। वाजपेयी जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया था। उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। ये शब्द उनके द्वारा बोले गए थे हम में से किसी के द्वारा नहीं। आप रिकार्ड उठाकर यह देख सकते हैं। मुझे इस सभा में कही गई बात साफ-साफ और स्पष्टतया याद है। वाजपेयी जी ने यही कहा था।

काफी वर्ष गुजरने के बाद, इसी दौरान श्री वाजपेयी अब इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी पार्टी सत्ता में है। किंतु इसके बावजूद हम यह पाते हैं कि इस अपराध के अपराधकर्ताओं से जवाब तलब करने की बजाय अपराधकर्ता को अब सत्ता में मंत्रीपदों पर विराजमान हैं। श्री वाजपेयी इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें यह याद नहीं है कि स्वयं उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने 7 दिसम्बर को इस सभा में कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा है। इसलिए देश को इस बात की जानकारी नहीं है कि इस प्रश्न पर सरकार और प्रधानमंत्री की क्या राय है।

आज हम सभी यह चाहते हैं कि इस स्थिति को स्पष्ट किया जाए। जहां तक इसके तकनीकी और कानूनी पक्ष का प्रश्न है मैं सोचता हूं कि यह मामला रिकार्ड से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और यहां जो कुछ भी कहा गया है वह न्यायालय के निष्कर्षों के आधार पर कहा गया है अब केवल एक मुद्दा शेष बचा है, यह बात नहीं कि किस पार्टी ने क्या किया है। केवल एक मुद्दे पर ही निर्णय लिया जाना है। जिन लोगों का नाम लिया गया है और जिनके विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, क्या उन्हें सत्ता में मंत्री बने रहने की अनुमति दी जानी है अथवा उन्हें उस पद से हटाया जाना है। इसके अतिरिक्त और कोई प्रश्न नहीं है। जब तक इस मामले को न्याय और समानता के आधार पर नहीं निपटाया जाएगा मुझे अफसोस है कि इस सभा की कार्यवाही में व्यवधान होता रहेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वे लगातार ये बात कह रहे थे और अब भी वे कह रहे हैं।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

[हिन्दी]

कि यह तो एक ढांचा था। यह तो मस्जिद ही नहीं थी। यह तो मस्जिद का जैसा एक ढांचा था। मैंने उस समय भी पूछा था कि अगर यह मस्जिद न हो, इसके अन्दर आप कहते थे कि उस समय वहां कोई नमाज़ नहीं होती थी।... *(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : मान्यवर, उसमें भगवान की मूर्ति थी, पूजा हो रही थी और आप उसको मस्जिद कहते हैं? वहां भगवान की मूर्ति थी... *(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसीलिए मैंने सवाल किया और अभी भी पूछ रहा हूं। अगर यह केवल ढांचा ही था तो उसको तोड़ने की क्या जरूरत थी? क्यों तोड़ा उसको?... *(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : लेकिन उसको मस्जिद तो मत कहिए जिसमें राम की मूर्ति की पूजा होती हो।... *(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ढांचा ही था तो उसको तोड़ा क्यों?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आपने उस चीज को क्यों तोड़ा जो आपके अनुसार मस्जिद ही नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जायसवाल जी, आप बैठ जाइए।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : जहां पूजा होती हो, जहां घंट-घड़ियाल बजता हो, जिसमें लोग पूजा करते हों उसको मस्जिद कहेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : तो फिर मंदिर को क्यों तोड़ा? अगर मूर्ति थी, राम की मूर्ति थी तो क्यों तोड़ा? ...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : आप उसको मस्जिद नहीं कह सकते।... *(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मस्जिद का ढांचा था तो क्यों तोड़ा?... *(व्यवधान)* महोदय, इस प्रकार से समस्या का समाधान नहीं होगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : बाबर ने जब तोड़ा था, उसकी भी आप आलोचना करिये। आप बाबर की आलोचना तो करते नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जायसवाल जी आप बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या अब हम बाबर और जो कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ, उस बारे में चर्चा करें? यदि किसी ने एक ऐसे मंदिर को तोड़ा था जो स्थापित था तो निश्चितरूप से इसकी जांच की जानी चाहिए... *(व्यवधान)* बहरहाल अब मुद्दा यह है कि लोग इस बात से चिंतित नहीं हैं कि सैकड़ों और हजारों वर्षों पूर्व क्या हुआ था। यह एक आधुनिक राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और एक निर्वाचित संसद का सत्र चल रहा है। यह मुद्दा चर्चाधीन है और इसलिए मैं उस बात का समर्थन करता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था यद्यपि वे उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। 7 दिसम्बर को वे प्रधानमंत्री नहीं थे। किंतु उन्होंने यहां कुछ ऐसा कहा था जो पूर्णतया सत्य और सही था। उन्होंने अपना गुस्सा और नाराजगी प्रकट की और कहा कि जिन लोगों ने यह काम किया है उनसे जवाब मांगा जाएगा, अदालत में तलब किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा था। इसकी पुष्टि रिकार्ड से की जा सकती है। अतः मैं केवल यह चाहता हूं कि वे सत्यवादी बने रहें और जो बात उन्होंने उस समय कही थी उस पर कायम रहें। यद्यपि बहुत देरी हो चुकी है, न्याय किया जाना चाहिए और इस देश की धर्मनिरपेक्ष छवि की रक्षा की जानी चाहिए और उसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय से बोलने के लिए हाथ उठा रहा हूं, कृपया मुझे भी बोलने की इजाजत दीजिए।

डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी, श्री पी. आर. दासमुंशी जी, चटर्जी साहब और श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने इन सवालों को यहां उठाया है, मेरी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आई कि आज अचानक इस सवाल को उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। पिछले बीस महीनों से जब से यह सरकार सत्ता में आई है, कोई नई घटना हुई हो, कोई नया सवाल पैदा हुआ होता तो यह सवाल उठाने की बात हो सकती थी। अभी श्री पी. आर. दासमुंशी जी, गुप्त जी और चटर्जी साहब ने 9.9.1997 को स्पेशल मजिस्ट्रेट ने अयोध्या के मामले में जो आर्डर दिया है, उसका जिक्र किया कि 9.9.1997 को उसने यह आर्डर किया था। 9.9.1997 के बाद आज करीबन सवा दो साल बीत रहे हैं और इस सरकार को बने हुए लगभग 20 महीने हो गये हैं। आडवाणी जी आज पहली बार मंत्री नहीं बने हैं, श्री मुरली मनोहर जोशी जी आज पहली बार मंत्री नहीं बने हैं, उमा भारती जी आज से 20 महीने पहले मंत्री बनी थी। किसी ने यह सवाल उस समय क्यों नहीं उठाया? किसी ने इस सवाल को नहीं उठाया... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : हमें इस बात पर आपत्ति है। यह कहना सही नहीं है कि हमने एक शब्द भी नहीं कहा था।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा : श्री आडवाणी जी, जोशी जी और उमा भारती जी इस सवाल को इस हाउस में... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आप उस समय राज्य सभा में थे, तब यह सवाल उठाया गया था।

डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा : 9.9.1997 के बाद यहां सवाल पूछे जाते रहे, आपमें से हरेक ने सवाल पूछा और आडवाणी जी ने जवाब दिया। उस समय किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप सवाल पूछते रहे, क्या उस समय आप सोते रहे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आडवाणी जी, जोशी जी और उमा भारती जी आपकी मेहरबानी से यहां नहीं बैठे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये दो नम्बर पर बैठे हुए हैं, इन्हें इस देश की जनता ने चुनकर भेजा है और यहां क्या स्थिति पैदा हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि नई बात क्या हुई है? नई बात यह हुई है कि 20 महीने में हिंदुस्तान में एक भी हिन्दू-मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, देश के अंदर शांति है... *(व्यवधान)* और जो हिंदू-मुस्लिम दंगों पर राज करते रहे, जो हिंदू-मुस्लिम दंगों पर जिंदा रहे ... *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जो दंगे कराते थे वे आज सत्ता में हैं।

डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा : उन्हें यह बात आज चुभ रही है, उन्हें यह लग रहा है कि यहां पर हिंदू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता क्यों न पैदा हो जाए, इसलिए यह बार-बार इस बात को यहां कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक और बात भी हुई है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कांग्रेस पहली बार 112 पर सिमट गई है।

सांय 6.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, सबसे कम सीटें इस बार कांग्रेस को लोक सभा में प्राप्त हुई हैं। इसलिए इस निराशा, हताशा और लड़खड़ाहट में उन्होंने इन सवालों को खड़ा करना शुरू किया है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं जैसा अभी चटर्जी साहब और प्रिय रंजन दासमुंशी जी ने कहा कि यह 1992 की घटना है, हाईकोर्ट में 1993 में मुकदमा दायर किया गया था, उसमें इतनी देर क्यों हो रही है, फैसला क्यों नहीं हुआ? मैं उनको बताना चाहता हूं कि वहां पर हम नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी बल्कि पांच साल आपकी सरकार रही। नरसिंव राव जी प्रधान मंत्री थे। उसके बाद गौडा जी प्रधान मंत्री बने, उसके बाद गुजराल जी प्रधान मंत्री बने और आप उनकी सरकार का समर्थन कर रहे थे। क्यों नहीं आपने उस समय इन सवालों को हल कराया? आप कहते हैं कि 50 साल से मुकदमा चल रहा है और 50 साल में मुकदमे का निर्णय नहीं हुआ तो यह जिम्मेदारी किसकी थी? क्या यह जिम्मेदारी हमारी थी? यह जिम्मेदारी हमारी नहीं थी। आपने यह बिलकुल गलत और निरर्थक बात कही है। आपने यह भी कहा है कि इस मुकदमे का फैसला कराने के लिए दखल क्यों नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सी.बी.आई. पर उस समय नरसिंह राव जी ने दबाव डाल कर एक बिलकुल असत्य मुकदमा दायर कराया। जब यह बिलकुल गलत और असत्य मुकदमा दायर किया गया था, तो क्या हम उनके इस जाल में फंस जाते और उस पर कार्रवाई करते?

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने 20 महीने में इस केस को विदड्रा करने के लिए सी.बी.आई. पर कोई दबाव नहीं डाला है। जो प्रॉसीक्यूटर 1993 में अपाइंट किया गया, वह आज भी काम कर रहा है। हमने तो प्रॉसीक्यूटर भी नहीं बदला। हमने सी.बी.आई. पर इस केस को डायलूट करने हेतु कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन आपके समय में जबर्दस्ती केस को गलत तरीके से बनवाया गया।

मुलायम सिंह जी ने जिक्र किया कि वहां यह सब किस प्रकार से आया है। मैं बताना चाहता हूं कि जब श्री राम लला प्रकट हुए, उस समय हिन्दुस्तान में कौन प्रधान मंत्री था - जवाहर लाल नेहरू उस समय भारत के प्रधान मंत्री थे और उत्तर प्रदेश में श्री गोविन्द बल्लभ पन्त मुख्य मंत्री थे। उस समय वहां पर पूजा अर्चना शुरू हुई। जब वहां रोजाना पूजा-अर्चना शुरू हो गई, जब वहां मंदिर बन गया, तब यहां वाजपेयी जी प्रधान मंत्री नहीं थे। यहां केन्द्र में पं. जवाहर लाल नेहरू और प्रदेश में पं. वल्लभ पन्त मुख्य मंत्री थे। जब कांग्रेस का देश में राज्य था तब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला गया जिसमें कहा गया था कि 200 मीटर क्षेत्र में कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा। जब वहां रोजाना पूजा अर्चना हो रही थी और 200 मीटर एरिया में कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता था, तो वह मस्जिद कैसे हो गई। जब ताला खोला गया, तब कांग्रेस की सरकार थी और जब शिलान्यास किया गया, तो प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी थे और उन्होंने अपने चुनाव का अभियान शिलान्यास करने के बाद शुरू किया... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल न किया जाए।

... *(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा : अध्यक्ष महोदय, उस समय गृह मंत्री बूटा सिंह जी थे। मैं अपने मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि जिस जगह 50 साल पूजा-अर्चना हो रही है और जिसके आसपास 200 मीटर क्षेत्र में कोई मुसलमान भाई नमाज नहीं पढ़ सकता, तो क्या उसे मस्जिद कहेंगे... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज देश में इस साम्प्रदायिक शान्ति को भंग न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, दोनों में फर्क है।... *(व्यवधान)* आर्थिक मामले और भ्रष्टाचार के मामले में बहुत फर्क है... *(व्यवधान)* राजनीतिक मामलों में बहुत फर्क है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के मामलों में और पोलीटिकल मामलों में बहुत फर्क है। मेरे ऊपर पचासों केस पोलीटिकल हैं। धारा 144 का मामला बनता है, क्रिमिनल मामला बनता है। कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिस पर धारा 144 का मामला न बनता हो। जिस पर सरकारी प्रापर्टी तोड़ने का मामला न बनता हो। सब मंत्री रहे हैं। भ्रष्टाचार और पोलीटिकल मामलों को आप मत मिलाइये। यह झूठा प्रचार किया गया, झूठा केस बनाया गया और झूठा केस बनाकर हम उसमें फंसकर यह करेंगे, ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा कि आडवाणी जी खुद ही अपना केस कर रहे हैं।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

... *(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये।

डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा : अध्यक्ष महोदय, सी.बी.आई. होम मिनिस्टर के अन्तर्गत नहीं है। वह प्राइम मिनिस्टर के अन्तर्गत आती है और इसलिए यह बात कहना कि वह स्वयं ही अपने केस को देख रहे हैं, ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा, माननीय प्रधानमंत्री वक्तव्य देने जा रहे हैं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा : मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। आज यहां पर कांग्रेस पार्टी ने सारा ध्यान डायवर्ट करने की कोशिश क्यों की है? जब से श्री राजीव गांधी जी का नाम बोफोर्स केस में आया, जब से क्वात्रोची का नाम आया ... *(व्यवधान)* जब से कांग्रेस पार्टी के मैम्बर पार्लियामैंट के लड़के ने श्रीमती सोनिया गांधी के पी.ए. पर तीन करोड़ का चार्ज लगाया गया कि उसने फेरा के अंतर्गत तीन करोड़ का माल बाहर से मंगाया।... *(व्यवधान)* तब उनको लगा कि यहां पर इन सब सवालों को उठाया जायेगा इसलिए इन्होंने देश की जनता का ध्यान उन सवालों से हटाकर इन सवालों पर लगाने के लिए अचानक इन्होंने यह हंगामा शुरू कर दिया।... *(व्यवधान)* मैं अपील करना चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

आपकी पार्टी के एम.पी. के बेटे ने ऐसा कहा है। आपकी पार्टी के एम.पी. के बेटे ने एफीडेविट दिया है। आपके एम.पी. के लड़के ने एफीडेविट दिया। मैं यह अपील करना चाहता हूं कि आज देश के अंदर अपने चंद वोटों की खातिर ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह यह बात नहीं मान रहे हैं। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मलहोत्रा : इस देश के अंदर साम्प्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश न करें। देश की साम्प्रदायिक शांति को भंग न करें और देश के अमन को बने रहने दें। देश की साम्प्रदायिक शांति को भंग करके अपने कुछ चंद वोटों के लिए देश को बर्बाद न करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, इन छोटी अफवाहों के आधार पर यह कुछ भावना रखना चाहते हैं, यह बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इसका पूरी तरह से खण्डन हुआ है। जो झूठी बात आज पेपर में आई है, उसका चार्ज साइब की तरफ से पूरा खण्डन किया गया है। अगर आप इस मामले में कुछ भी जांच करना चाहें तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। हम उसका पूरी तरह से स्वागत करेंगे। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही छोटा मुद्दा है। प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत हम इस मामले पर विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि यह मामला कोर्ट में लंबित है। यह मामला न्याय निर्णयाधीन है। किंतु हमने हमारी पार्टी ने उस समय बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किये थे। हमने मस्जिद ढहाए जाने के लिये श्री कल्याण सिंह की सरकार और श्री पी.वी. नरसिंह राव की सरकार को दोषी ठहराया था। यह एक पुराना मामला है जिसमें सी.बी.आई. दो आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और श्री पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने मामले में तेजी लाने के लिये सरकारी वकीलों की नियुक्ति भी की थी। अब हम वर्ष 1999 में हैं। आरोप पत्र दाखिल किए जाने के समय विशेष न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टि में मामला विचारणीय है। अब विरोधी दल सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। उन्होंने सभा में पहले अपनी कोई राय क्यों व्यक्त नहीं की?

श्री आडवाणी वहां दो बार गृह मंत्री के रूप में थे। हमने इस मुद्दे पर कई बार इस सभा में चर्चा की है। मेरी पार्टी ने स्पष्ट रूप से बोफोर्स मामले के बारे में कहा था कि कानून अपना कार्य करेगा। यहां तक कि वकील भी तत्कालीन सरकार द्वारा नियुक्त किये गये थे। वर्तमान सरकार ने वैसे ही चलने दिया है। यदि गृह मंत्री या अन्य कुछ मंत्री बहुत सावधान होते तो उन्होंने मामला वापस ले लिया होता। किंतु कानून अपना कार्य करेगा। विशेष न्यायालय अपना फैसला देगा। तब हम इस पर चर्चा करेंगे। यह मेरी पार्टी का मत है।

मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री इस ममाले की शीघ्रता से सुनवाई करने के निर्देश दें। हम फैसले की प्रतीक्षा करेंगे और तब इस पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, अभी देश में बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण है, कहीं भी साम्प्रदायिक बातों पर चर्चा नहीं है। लेकिन दो दिनों से, जिस बिन्दु पर अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी, सदन में चर्चा करके देश के लोगों में गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष के लोगों के लिए यह अच्छा नहीं है।... *(व्यवधान)* कल से दो-तीन बिन्दुओं पर काफी जोरों से चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि चार्जशीट सबमिट हो गई और चार्ज फ्रेम हो गया। हम विपक्ष के लोगों से यह जानना चाहते हैं कि चार्जशीट और चार्ज फ्रेम में कितना अंतर है? चार्जशीट न्यायालय में जिस बिन्दु पर सबमिट होती है, जब ट्रायल कोर्ट उस केस को खोलने के लिए जाता है तो उसे चार्ज फ्रेम कहा जाता है। वही चार्जशीट चार्ज फ्रेम में बदलती है। जब उसी मामले पर उच्च न्यायालय में आवेदन दे दिया गया, उसे स्वीकार कर लिया गया तो यहां का मामला अपने आप स्थगित हो गया। इसलिए उस बिन्दु पर यहां आरोप-प्रत्यारोप का सवाल कहां से उठता है।

जहां तक मौनीटरिंग का सवाल है, भारत सरकार उन बिन्दुओं पर मौनीटरिंग कर रही है जिस पर स्टेटसको मेनटेन करना है। लोअर कोर्ट की मौनीटरिंग और सुप्रीम कोर्ट की मौनीटरिंग दोनों दो बिन्दु होंगे। इसलिए गलत आरोप लगाकर सदन में हंगामा किया जा रहा है।

प्रियरंजन दासमुंशी जी नैतिकता की बात कर रहे थे। हम बताना चाहते हैं कि जब कांग्रेस के लोग नैतिकता की बात करते हैं तो हम शर्म से झुक जाते हैं। कहां थे उस दिन जिस दिन यूरिया घोटाले का मामला आया, कहां थे उस दिन जिस दिन सांसदों को घूस देने का मामला आया, कहां थे उस दिन जिस दिन बोफोर्स घोटाले का मामला आया, किन-किन लोगों ने इस्तीफा दिया, हम प्रिय रंजन दासमुंशी जी से जानना चाहेंगे? जहां तक विवादास्पद मामले को तोड़ने और नहीं तोड़ने का सवाल आता है, हम यह कहना चाहते हैं कि भगवान राम ने अपने भक्तों को स्वप्न दिखाया था कि हमारे मंदिर को सुंदर बना दो। इसलिए वहां जाकर लोगों ने मंदिर का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया है।... *(व्यवधान)* श्री इंद्रजीत गुप्त, श्री लालू प्रसाद के मामले से जोड़ते हैं। श्री लालू प्रसाद ने उस दिन इस्तीफा दिया था जिस दिन सी.बी.आई. उनको हथकड़ी पहनाने के लिए मुख्यमंत्री के आवास को घेरे हुए थी। इस मामले और उस मामले को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। हम मात्र एक अपील करेंगे, हमें ज्यादा भाषण नहीं देना है। इस देश की बहुसंख्यक जनता यह चाहती है कि वह भगवान राम की जन्मस्थली है और वहां मंदिर बनाया जाए। भारत सरकार आज घोषणा कर दे कि वहां मंदिर निर्माण करके बहुसंख्यक जनता की भावना का आदर करेगी।... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : प्रभुनाथ जी, आपने मेरा नाम लिया है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं वही प्रियरंजन दासमुंशी हूं, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जब हम चुनाव में जीतकर जाए थे, हमारी पार्टी में नरसिंह राव जी को कहने की हिम्मत थी आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आपको त्यागपत्र देना चाहिए और उनका त्यागपत्र आया।... *(व्यवधान)* लेकिन आपको मंत्री जी को कहने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आपको निकाल देंगे।... *(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, नैतिकता और परम्परा का सवाल ज्यादा वही लोग उठाते रहे हैं और उसके अनुकूल व्यवहार भी करते रहे हैं। हवाला घोटाला हुआ था तो संयोग से माननीय आडवाणी जी का नाम उसमें आ गया, खुराना जी का नाम भी आ गया। अभी चार्जशीट भी नहीं हुआ था, हमारे यहां यशवन्त सिन्हा, जो अभी फाइनैंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम आ गया तो उन लोगों ने बड़ा बयान दिया, देश भर में ढिंढोरा पीटा कि हमारी ऊंची नैतिकता और परम्परा है, हम त्याग-पत्र देते हैं। देश के सामने और दुनिया के सामने उन्होंने अपना माथा ऊंचा किया कि हमने त्याग-पत्र दे दिया है, नैतिक और पवित्र कुर्सी पर मैं नहीं रहूंगा, यदि हमारे ऊपर आरोप लग गया।

अभी जो मामला है, उसमें जो मस्जिद तोड़ने के क्रिमिनल आफेंस के एक्यूज्ड हैं, जिनको जजों ने कहा कि ये लोग प्राइमाफेसी कसूरवार हैं, उसके बाद त्याग-पत्र देते हैं अथवा नियम परम्परा की धज्जियां उड़ाते हैं, इस सवाल पर माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी जवाब देना है। मलहोत्रा साहब कह रहे थे कि इतने दिनों से त्याग-पत्र देने के लिए सवाल नहीं उठाया तो आडवाणी जी ने उस समय जब त्याग-पत्र दिया था, बूटा सिंह जी, खुराना जी ने त्याग-पत्र दिया था तो कहां हम लोगों ने सवाल उठाया था? वह तो अपने आप इन लोगों ने त्याग-पत्र दिया था कि ऊंची परम्परा हम कायम करने वाले हैं।

अब हमको माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना है कि ऊंची परम्परा और नैतिकता पर ये कायम हैं और ये जो तीन लोग चार्जशीटेड आफेंस के एक्यूज्ड हैं, उसके रहते हुए उनसे ये त्याग-पत्र लेते हैं या बर्खास्त करते हैं यही एक सूत्र में सवाल हैं, नहीं तो नैतिकता की दुहाई और परम्परा की ये गरदन उड़ाते हैं, यह आज कसौटी पर कसे जाएंगे। मुझे इतना ही कहना है।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न संख्या 104 पर कल चर्चा की गई और चर्चा में कुछ गंभीर मुद्दे उभर कर आये। माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी के अतारांकित प्रश्न संख्या 202 के संबंध में सरकार के पिछले उत्तरों में भी इन मुद्दों को पूरा समर्थन किया गया था।

महोदय यह आवश्यक है कि हम मुख्य मुद्दे से न हटें जिसके विषय में हम आज चिंतित हैं। हमें उन महत्वपूर्ण मुद्दों से हटने का प्रयास नहीं करना चाहिये जो कि बाबरी मस्जिद के इतिहास के तथाकथित उल्लेख या मामले की जटिलताओं या हिन्दू सांप्रदायिकता से उपजते और मजबूत होते तथाकथित मुस्लिम सांप्रदायिकता के निरर्थक अमान्य और काल्पनिक उल्लेख के कारण उभर कर सामने आये हैं। इस तरह की विकृत सोच की मैं निंदा करता हूं।

आज महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सभी संसदीय मानदण्डों, संसदीय मर्यादा, नैतिकता आचार-विचार और औचित्य की उपेक्षा की जा रही है। यह एक हैरान करने वाली अस्वीकार्य स्थिति है कि माननीय मंत्री सभा में यह उत्तर दे रहे हैं कि वह अभियुक्त हैं, कि न्यायालय ने यह आदेश दिया है उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टि में मामला बनता है, कि उन पर मुकद्मा चलाने के लिए जो सरकारी वकील है वह उन्हीं की अभियुक्ति की, सलाह और मार्गदर्शन के अन्तर्गत कार्य कर रहा है और जो स्वयं अभियुक्त हैं वह अपने ही विरुद्ध चल रहे मुकदमे की निगरानी कर रहे हैं।

महोदय, यह कितनी हास्यास्पद स्थिति है? यहां पर प्रश्न यह है कि हमें विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र को इस प्रकार हंसी का पात्र नहीं बनने देना चाहिये।

हमसे यह पूछा जा रहा है कि यह प्रश्न आज क्यों किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुर्भाग्य से न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी है और बहुत मंद गति से आगे बढ़ रही है। हमारी कुछ आशंकाएं हैं। महोदय, इस हैरान कर देने वाली स्थिति के कारण, जहां मंत्री परिषद के अनेक मंत्री मामले में निजी तौर पर शामिल हैं और अभियुक्त हैं ऐसी स्थिति के कारण हमें कुछ आशकाए हैं। अधिकार-पत्र से संबंधित मामले, अभियुक्त के विरुद्ध अदालत में मामले, लिबरहान कमीशन की कार्यवाही जहां मंत्री तक साक्ष्य देने के लिये उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उच्चतम न्यायालय की अवमानना से संबंधित उच्चतम न्यायालय के मामले जिनमें अनेक वर्तमान मंत्री भी शामिल हैं ये सारे मामले रुके हुये हैं। ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अतः हमें आशंकाएं हैं कि यह मंत्री परिषद किस प्रकार अपना कार्य कर रही है।... *(व्यवधान)* हम यह प्रधानमंत्री महोदय से सुनेंगे कि ऐसी स्थिति में मंत्री परिषद किस प्रकार कार्य कर सकती है जहां अभियुक्त मंत्रिपरिषद का ही सदस्य हो।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*... (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, जैसी स्थिति है, सपूंर्ण संघ परिवार उसके लिये उत्तरदायी है किन्तु हमारे कुछ विशिष्ट मंत्री हैं जो कि अभियुक्त हैं। ऐसी स्थिति में, उच्चतम संसदीय शिष्टाचार, सदाचार, नैतिकता और सत्यनिष्ठा का ध्यान रखा जाये। महोदय, यही हमारी मांग है।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री पी.एच. पांडियन बोलेंगे। कृपया केवल एक मिनट का समय लीजिए।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, 6 दिसम्बर, 1992 अल्पसंख्यकों के लिये काला दिन था और धर्मनिरपेक्षता के लिये एक गहरा धक्का... *(व्यवधान)* मैंने अतारांकित प्रश्न के उत्तर को यह जानने के लिये पढ़ा... *(व्यवधान)* महोदय, यह कौन सा तरीका है?... *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, कृपया सभा को नियंत्रित कीजिए... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में और कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*... (व्यवधान)**

श्री पी.एच. पांडियन : मैं अतारांकित प्रश्न संख्या 207 का उत्तर पढ़ना चाहूंगा। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : अध्यक्ष महोदय, मुझ बोलने दिया जाये ... *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न, 207 (ग) गिरफ्तार किये गये और जमानत पर रिहा किए गये व्यक्तियों के नाम - यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। संलग्न पत्र में यह कहा गया है ... *(व्यवधान)* महोदय, यह कौन सा तरीका है? मैं प्रतिक्रिया दे सकता हूं। ये लोग क्या सोच रहे हैं?... *(व्यवधान)*

मैं प्रतिक्रिया दे सकता हूं। मैं चार साल के लिये अध्यक्ष था और चार साल के लिये ही उपाध्यक्ष भी रह चुका हूं... *(व्यवधान)* यह क्या हो रहा है? ... *(व्यवधान)* मैं प्रतिक्रिया दे सकता हूं। कल से सभा को चलने नहीं दिया जायेगा। मैं यह कर सकता हूं। मैं यह कल से कर सकता हूं। यदि मैं यह निर्णय ले लूं, तो सभा को चलने नहीं दिया जायेगा। कृपया यह समझने का प्रयास कीजिए। यदि मैं निर्णय ले लूं तो आपके दो मंत्री मंत्रिमंडल से बाहर होंगे। मैंने उन्हें छोड़ दिया है। यदि आप मेरे साथ सहयोग करेंगे तो वे मंत्री बने रहेंगे, नहीं तो कल वे मंत्रिमंडल से बाहर होंगे। इस पर ध्यान दीजिए, मेरे पास उनके विरुद्ध आरोप हैं। मैं अभी तक चुप रहा हूं। मुझे क्रोध मत दिलाइये ... *(व्यवधान)* यह क्या हो रहा है? मैंने ऐसी सभा देखी है।

अध्यक्ष महोदय, कॉलम 26 में गृह मंत्री श्री एल. के. आडवाणी के नाम का उल्लेख है। उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है और वह यहां बैठे हुए हैं। उन्हें कल ही मैजिस्ट्रेट द्वारा अदालत में बुलाया जा सकता है। आपकी याचिका पर वहां कोई सुनवाई नहीं होगी। सभा की याचिका पर वहां कोई सुनवाई नहीं होगी। वह जमानत पर रिहा हैं। कॉलम 34 में कुमारी उमा भारती का नाम है। वह जमानत पर रिहा हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, हम यहां पूरे मामले पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कृपया आप यह बात समझिए।

... (व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : यह क्या है? मुझे बोलने का अवसर मिलना चाहिए। मैं यहां बोलने के लिये आया हूं। कॉलम 38 में मानव संसाधन विकास मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी का नाम है। वह भी जमानत पर रिहा हुए हैं... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप बोलते रहिए।

श्री पी.एच. पांडियन : यदि यहां ऐसा किया जायेगा तो मैं किसी भी मंत्री को विचार विमर्श में भाग नहीं लेने दूंगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं? मैं हर स्थिति पर नियंत्रण कर सकता हूं। मैंने कई परिस्थितियों का सामना किया है। ऐसी स्थिति मेरे लिये कुछ भी नहीं है... *(व्यवधान)* यह कुछ भी नहीं है। मेरे पास संसद और विधान सभा का पर्याप्त अनुभव है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए।

श्री पी.एच. पांडियन : केन्द्रीय मन्त्रियों का धीमी गति से मुकदमे की सुनवाई किया जाना उनका मूलभूत अधिकार है जबकि विरोधियों अर्थात राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों के मुकदमे की सुनवाई तेजी से करना भी अधिकार है, यह लोग राजनैतिक विरोधियों के लिये तेज कानूनी कार्यवाही चाहते हैं जबकि धीमी गति से चलने वाले मुकदमे सरकार और मंत्रियों के लिये मूलभूत अधिकार हैं। भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत, जहां भी शब्द शुरू होता है, लॉर्ड मैकाले ने कहा है "कोई भी" यहां श्री आडवाणी या किसी और का नाम नहीं है। यह "कोई भी" शब्द से शुरू होता है। इस तरह देखा जाये तो उन लोगों पर धारा 120बी के तहत षडयंत्र का आरोप है।... *(व्यवधान)* मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा। कल आपके मंत्री बाहर हो जाएंगे। अब मैं आरोप लगाऊंगा ....** दो मंत्री इस मंत्रिमंडल में हैं। मैंने उन्हें छोड़ दिया है।

श्री राजेश पायलट : यह मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विरुद्ध है। क्या यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जायेगा। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री पी.एच. पांडियन : इस पर ध्यान दीजिए। कल सुबह मंत्रिमंडल से बाहर होंगे ... *(व्यवधान)* मुझे क्रोध मत दिलाइये। दो ऐसे मंत्री हैं। वह डी.एम.के. के मंत्री हैं। ... *(व्यवधान)* यदि वे लोग शांत रहते हैं तो मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा वरना वे लोग कल मंत्रिमंडल से बाहर होंगे। एक मंत्री जिनके पास पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार है, रसायन उद्योग चला रहे हैं जिसका नाम 'किग्स केमिकल्स' है। दूसरे मंत्री आपके उद्योग मंत्री हैं।... *(व्यवधान)* नहीं, उन्होंने मुझे क्रोध दिलाया है। प्रधानमंत्री महोदय, इन चार मंत्रियों से इस्तीफा मांगने से पहले उन दो मंत्रियों से इस्तीफा मांगिये। दूसरे मंत्री हैं, श्री मुरासोली मारन ... *(व्यवधान)*

वे तमिलनाडु में सीमेन्ट उद्योग चला रहे हैं। मेरे मित्र, श्री टी.एम. सेल्वागनपति ने इस सभा में कहा है।... *(व्यवधान)* नहीं, अब मामले ने एक अलग मोड़ ले लिया है। अब मैं इसे खत्म नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री महोदय, आपके मंत्रिमंडल में दो हैं.. ...*

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : अध्यक्ष जी, विषय क्या है और ये क्या बोल रहे हैं?

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष जी, आप इनको रोकिए, ये क्या बोल रहे हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, यह ठीक बोल रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, आप संबंधित विषय के बारे में बोल सकते हैं।

... (व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : तब ... *(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, आप इस विषय पर बोल सकते हैं, अन्यथा आपको बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति मिलनी चाहिये। कृपया उन्हें शांत रहने के लिए कहें। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*... (व्यवधान)**

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, मुझे बोलने का अवसर मिलना चाहिये ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*... (व्यवधान)**

श्री के. येरननायडू : महोदय, मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य पर कोई आरोप लगाता है तो उसे माननीय अध्यक्ष महोदय को और संबंधित सदस्य को भी सूचना देनी चाहिये और सदस्य को भी एक मौका दिया जाना चाहिये। उन्होंने इन सब बातों का पालन नहीं किया है। यह कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*... (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री गीते को बोलने के लिए बुलाया है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गीते के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही में वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*... (व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष जी, वह तो ढांचा था... *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, वह तो मंदिर था, उसका पुनर्निर्माण हो रहा था।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाला जा सकता है।

... (व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, मैं अपनी बात दो मिनट में खत्म करूंगा ... *(व्यवधान)* चार मंत्रियों पर विशेष न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा चल रहा है और विशेष न्यायाधीश ने आरोप लगाये हैं। मैं नहीं जानता कि यह चार मंत्री न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं या नहीं ... *(व्यवधान)* क्या यह भी कोई तरीका है? हमारे पास केवल एक अध्यक्ष है अनेक नहीं। इन चार मंत्रियों ने संविधान के अधीन यह शपथ ली है कि वे संविधान में पूर्ण विश्वास और निष्ठा रखेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी भय या पक्षपात के सभी लोगों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी.एच. पांडियन]

अब बाबरी मस्जिद के ढह जाने पर वह शपथ कहां गई? अब उन्होंने लिया ... *(व्यवधान)* यदि इस दृश्य की वीडियोग्राफी की जाये तो उन्हें बाहर एक भी वोट नहीं मिलेगा। मैं स्पष्ट रूप से यह बात कह रहा हूं कि उन्हें एक भी वोट नहीं मिलेगा। सार्वजनिक जीवन में मानदण्डों में एकरूपता होनी चाहिये। अलग-अलग मंत्रियों के लिये दूसरे समीकरण नहीं होने चाहिये... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

... *(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : कुछ मंत्रियों से इस्तीफा देने को कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने श्री आर. मुथैया को इस्तीफा देने को कहा था श्री बूटा सिंह से इस्तीफा देने को कहा गया था। जब श्री लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया तो इन से इस्तीफा देने को कहा गया था, श्री मदन लाल खुराना से भी इस्तीफा देने को कहा गया।

अब मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से यह अपील करता हूं कि वह गृह मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, कुमारी उमा भारती, श्री मुरासोली मारन और श्री टी.आर. बालू से त्यागपत्र मांगें।

मेजर जनरल (सेवा निवृत) भुवनचन्द्र खण्डूडी (गढ़वाल) : वह अपने भाषण के तुरंत बाद नहीं जा सकते। यह शिष्टाचार के विरुद्ध है। उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिये। वह तुरन्त सभा छोड़ कर नहीं जा सकते ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, अयोध्या की घटना 6 दिसम्बर 1992 को हुई। आज इस घटना को सात साल हो गए हैं। सात साल के बाद इस सदन में उसी घटना पर हम चर्चा कर रहे हैं। वह चर्चा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या का मामला न्यायालय में लंबित है। न्यायालय ने जो फैसला करना है, करेगी। जिस अयोध्या में यह घटना हुई, अयोध्या इस बात को भूल गई। केवल अयोध्या ही नहीं सारा देश इस बात को भूल गया... *(व्यवधान)* इस घटना को लोग भूल गए। ... *(व्यवधान)* जब अयोध्या की घटना हुई, उस समय नरसिंह राव जी देश के प्रधान मंत्री थे। उस समय कांग्रेस पार्टी का राज था। सी.बी.आई. ने इस मामले की जांच की। यह मामला 5 अक्तूबर 1993 को दर्ज हुआ। आज इस बात को भी 6 साल हो गए हैं। नरसिंह राव जी पांच साल तक प्रधानमंत्री थे। उस समय किसी ने मांग नहीं की और न ही इस सदन में चर्चा हुई ... *(व्यवधान)* कभी चर्चा नहीं की और न ही कभी मांग की। मैं 1996 से इस सदन में हूं। मैं ग्यारहवीं लोक सभा से इस सदन का सदस्य हूं।... *(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : 1996 और 1997 में इस पर चर्चा हुई। आपको मालूम नहीं है।... *(व्यवधान)*

श्री अनन्त गंगाराम गीते : मुलायम सिंह जी जब यहां बोल रहे थे तो हम उनके दर्द को समझ रहे थे। यदि अयोध्या की घटना नहीं होती तो शायद मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने रहते। हम उनके दर्द से सहमत हैं। हम उनकी भावना को समझ सकते हैं। जब यह घटना हुई तो केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे। वह उसे रोक नहीं सके।... *(व्यवधान)* आपको क्या दर्द है? आप आज किसलिए ऐसी मांग कर रहे हैं? 1996 में 11वीं लोक सभा का चुनाव हुआ। 13 दिन के लिए अटल जी देश के प्रधान मंत्री बने। उस 13 दिन की सरकार में भी मुरली मनोहर जोशी जी मिनिस्टर थे और उमा भारती जी मिनिस्टर थी। फिर 13 महीने की सरकार आई। इस 13 महीने की सरकारी में भी आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी और उमा भारती जी मिनिस्टर थे।... *(व्यवधान)* आज आप किसलिए मांग कर रहे हैं? जिस लोगों ने घोटाले का यहां जिक्र किया, जिस हवाला कांड का जिक्र किया, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अयोध्या का आन्दोलन कोई घोटाला नहीं है, यह कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अयोध्या का अन्दोलन इस देश के करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं का आन्दोलन था। यह कोई घोटाला नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, यह कोई हवाला कांड नहीं है।... *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : इसके बाद मुम्बई में जो झगड़े हुए, वह कौन सा आन्दोलन था?... *(व्यवधान)*

श्री अनन्त गंगाराम गीते : वह कोई घोटाला नहीं है। वह राजनीति का आन्दोलन है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, वह राजनैतिक आन्दोलन था। कांग्रेस के लोग जो आजादी के बाद 40 साल तक लगातार सत्ता में रहे, उन्हें आन्दोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने आजादी के पूर्व आन्दोलन किया लेकिन उसके बाद नहीं किया। विपक्ष के वे लोग जिन्होंने आजादी के बाद आन्दोलन किया, आज सत्ता में आये हुये हैं। जिस आन्दोलन को छेड़ा, उसे देश की करोड़ों जनता ने समर्थन दिया। उस आन्दोलन के जरिये देश की जनता ने सत्ता में बैठा दिया। जनता ने उस आन्दोलन के जरिये श्री वाजपेयी जी को सत्ता में बैठाया। कल से इस बात को उठाया जा रहा है। क्योंकि जब से बोफोर्स में स्व. राजीव गांधी का नाम आया है, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, तब से यह मामला उठाया जा रहा है।... *(व्यवधान)* मैं मुलायम सिंह जी के दर्द को समझ सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संदर्भ में एक चुटकुला याद आ रहा है... *(व्यवधान)* यह मामला पिछले दो साल से चला है। मैं उसी विषय को जोड़कर बोल रहा हूं कि पिछले दो दिन से मांग की जा रही है, इसके पहले कभी मांग नहीं की गई थी। अभी दासमुंशी जी ने प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा की बात कही है। जब वाजपेयी जी 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे, उस समय उनकी प्रतिष्ठा मालूम नहीं थी। जब इन लोगों ने 13 महीने की सरकार गिरा दी, उस समय उन्हें वाजपेयी जी की प्रतिष्ठा याद नहीं रही और आज प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा की याद आ रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री सोमैया जी प्राइवेट मैम्बर बिल लाये कि किसी विदेशी नागरिक को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिये और न कोई उच्च पद पर बैठाया जाना चाहिये। जब वह बिल इस सदन में आया, तब आपको याद आया।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। पूरे देश में शान्ति थी लेकिन पिछले दो दिनों से इन लोगों ने अशान्ति

पैदा कर रखी है। कल 6 दिसम्बर को अयोध्या में कुछ नहीं हुआ, वे लोग इस बात को भूल गये... *(व्यवधान)* धर्म के नाम पर ये लोग देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। मैं एक चुटकला कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे उन दो दोस्तों की कहानी याद आ रही है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, दो मित्र एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अचानक एक मित्र ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया तो दूसरा मित्र बोला कि अचानक यह क्या हो गया कि मुझे थप्पड़ मार दिया। दूसरा मित्र बोला कि पिछले साल तुमने मुझे गधा कहा था। यह बात याद करके मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया।

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : अध्यक्ष जी, चूंकि बार-बार नाम लिये गए हैं, इसलिए मैं सिर्फ दो तीन वाक्य बोलकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं, सदन का समय खराब नहीं करना चाहती हूं। मैं यहां सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि अगर वे मुझे शांति से बात कहने देंगे तो समय पर अपनी बात दो-तीन वाक्य बोलकर समाप्त कर दूंगी।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन से इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि बार-बार यह जो बात कही गई कि आडवाणी जी इस्तीफा दें, जोशी जी इस्तीफा दें, मैं इस्तीफा दूं, तो मैं कहना चाहती हूं कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कुर्सी के लालची हों और कुर्सी से चिपके रहना चाहते हों। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूं कि अचानक यह सवाल जो कल से खड़ा किया गया है, यह किस नीयत के साथ खड़ा किया गया है। इसके पीछे पूरी राजनीति है। राजनीति यह है कि पहले अटल जी की सरकार शांति से चल रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। उस समय पर भी इस तरह का माहौल बनाया गया कि अंत में अटल जी की सरकार को चुनाव का सामना करना पड़ा। चुनाव हमारे लिए लाभ में गए और लोगों ने हमें और हमारे सभी सहयोगी दलों को अच्छे बहुमत के साथ सदन में बैठाया। इसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 21वीं सदी में भारत प्रवेश कर रहा है। परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से भारत की ध्वजा पताका फहरा रही है और जिस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत के पक्ष में माहौल बन रहा है, उससे ऐसा लगता है कि 21वीं सदी में भारत पूरी दुनिया में नंबर एक का देश बनकर देखा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से यहां दो दिन से बार-बार अयोध्या का मामला उठाया जा रहा है... *(व्यवधान)* यह मामला आडवाणी जी को, जोशी जी को मंत्री पद से हटाने का नहीं है, यह मामला देश को कमजोर करने की नीयत से उठाया जा रहा है। यह मामला सरकार के लिये मुसीबतें खड़ी करने का मामला है।

अध्यक्ष जी, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रही हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं... *(व्यवधान)* आपको स्मरण कराना चाहती हूं कि मुम्बई में हमारी भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय अधिवेशन हो रहा था। अचानक आडवाणी जी ने वहां पर घोषणा की कि हमारी पार्टी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री होंगे। जितने एक लाख लोग उस पंडाल में मौजूद थे, हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम कलयुग में नहीं, बल्कि त्रेतायुग में बैठे हों, जब राम कह रहे हैं कि राजगद्दी भरत को मिलेगी और भरत कह रहे हैं कि राजगद्दी राम को मिलेगी। ऐसा वातावरण हमारे यहां पर आडवाणी जी ने निर्मित किया है। आडवाणी जी, जोशी जी और मैं कुर्सी से चिपकने वाले लोग नहीं है, सत्ता-लोलुप नहीं हैं।... *(व्यवधान)* लेकिन जब बोफोर्स की जांच आखिरी चरण पर दस्तक दे रही है, उस समय इस मामले को जिस नीयत से उठाया गया है, उस नीयत के जाल में हम फंसने वाले नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं, यही मैं निवेदन करना चाहती हूं ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, तृणमूल कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भावना के सिद्धांतों के दृढ़ विश्वास है। हम विविधता में एकता के सिद्धांत में भी विश्वास करते हैं। मैं आज एक मूल प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज जिस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, क्या वह मामला न्यायाधीन है और क्या न्यायाधीन मामलों पर सभा में विचार किया जा सकता है या नहीं मैं इस संबंध में आपका फैसला जानना चाहूंगा। चर्चा के दौरान श्री सुखराम का भी नाम लिया गया है।

महोदय, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा और श्री सुखराम का मामला एक साथ नहीं रखा जा सकता। इससे मामले का प्रभाव कम हो जायेगा। बाबरी मस्जिद को ढहाने का मामला निःसंदेह अति गंभीर है। हमने भी, जैसा तेलुगु देशम पार्टी के संसदीय दल के नेता श्री येराननायडू ने उल्लेख किया था, बाबरी मस्जिद के विध्वंस किये जाने का विरोध किया था। उस समय हम कांग्रेस पार्टी में थे। किन्तु यदि स्पष्ट रूप से कहूं तो, जब हम कांग्रेस में थे तो विशेष रूप से कलकता शहर के विभिन्न मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों और सामान्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में जाना वास्तव में हमारे लिये बहुत कठिन था।

महोदय, पश्चिम बंगाल में 1996 के विधान सभा चुनावों के दौरान जिस निर्वाचन क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं यहां की जनसंख्या के 40 प्रतिशत लोग उर्दू भाषी मुसलमान हैं। मुसलमानों ने हाथ जोड़ कर मुझसे यह कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी का नाम न लूं। बल्कि अपने लिये जनता से वोट मांगू। तब ऐसी स्थिति थी लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। हमें यह महसूस हो रहा है कि हम आग से खेल रहे हैं और यह अत्यत गंभीर मामला है।

महोदय, विशेष न्यायालय ने 9.9.1997 को फैसला दिया था और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार 26.4.99 को भंग की गई थी। कुछ ही मिनट पहले श्री बसुदेव आचार्य कह रहे थे कि इस मुद्दे पर उस समय भी चर्चा की गई थी।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने कहा था कि यह मुद्दा उठाया गया था।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : लेकिन तब यह मुद्दा इतने जोरदार ढंग से नहीं उठाया गया था जितना कि आज। इसके पीछे क्या कारण हैं? मैं यह नहीं कहूंगा कि श्री किरीट सोमैया द्वारा प्रस्तावित गैर सरकारी सदस्य विधेयक ने विपक्षी सदस्यों के मन में बहुत गुस्सा भर दिया है।

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

किन्तु मैं यह जरूर कहूंगा कि न्याय देर से मिलने से सही न्याय नहीं मिल पाता है। अतः हम चाहेंगे कि यह मामला शीघ्रता से निपटाया जाये। श्री आडवाणी ने कहा था कि वह प्रयास करेंगे कि यह मामला शीघ्र ही समाप्त हो जाये... *(व्यवधान)* मैं इन मामलों के संबंध में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा कि श्री आडवाणी जी गृह मंत्री रहेंगे या नहीं, या वह विभाग के कार्य प्रभारी रहेंगे या नहीं। इन सवालों के उत्तर वह या माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह अत्यंत संवेदनशील मामला है और हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिये या ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे गुस्सा उत्पन्न हो और स्थिति अधिक खराब हो जाये।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने यह मुद्दा इतने शोरशराबे से नहीं उठाया था जितना कि आज कर रहे हैं। इसका कारण हमें मालूम नहीं है। ऐसे मुद्दों को तभी प्राथमिकता मिलती है जब पार्टी के नेता बिना किसी दिशानिर्देश के चलते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह अपील करना चाहूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि यह मामला शीघ्र ही समाप्त हो और सभी राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करें। मैं यह आशा करता हूं कि बाबरी मस्जिद का यह मामला शीघ्र ही समाप्त हो जाये।

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, लंबित अयोध्या मामलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है।

पहले वर्ग में नाम संबंधी विवाद से संबंधित मामले हैं। ऐसे पांच मामले हैं जिनमें से दो मामले 49 वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित हैं।

दूसरे वर्ग में, 6 दिसम्बर, 1992 को हुई घटनाओं से संबंधित मामले हैं। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 50 से भी अधिक लोगों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किये हैं। यह मामला विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (अयोध्या प्रकरण) की अदालत में 5 अक्तूबर, 1993 से लंबित है।

मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि मार्च 1998 से जब से मैंने पद गृहण किया है तब से मैंने और न ही मेरी सरकार ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप किया है जबकि जांच करने वाली एजेन्सी यानि केन्द्रीय जांच ब्यूरो प्रत्यक्ष रूप से मेरे अधीन है। जैसा कि इस संदर्भ में पहले भी कहा गया है कि सरकार का यह मानना है कि लंबित मुकदमे में हस्तक्षेप करना कानूनन अनुज्ञेय नहीं है।

कानून और संविधान दोनों ही किसी मंत्री को सिर्फ उस कारण से अयोग्य घोषित नहीं करते कि पुलिस ने उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया है या न्यायालय ने औपचारिक रूप से उस पर आरोप लगाये हैं। यह प्रश्न कि, किसे मंत्री परिषद में होना चाहिये, प्रधानमंत्री के विवेक और राजनीतिक मर्यादा पर निर्भर करता है। ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री के अंतिम निर्णय के लिये अनेक परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि मार्च 1998 से जब से संबंधित मंत्रियों ने पद गृहण किया है तब से न्यायिक मामलों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है, यह मांग कि मंत्री त्यागपत्र दे दें या उन्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने से रोक दिया जाये, मानने लायक नहीं है।

तथापि, इन मामलों पर सरकार की तरफ से या राज्य स्तर पर बिना किसी हस्तक्षेप के आगे बढ़ने दिया जायेगा।

मैं इस सभा से अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा करने का निवेदन करूंगा।

... (व्यवधान)

सायं 6.56 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

दूसरा प्रतिवेदन

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रमोद महाजन कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा कल दिनांक 8 दिसम्बर, 1999 के पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.58 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 8 दिसम्बर, 1999/17 अग्रहायण, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।